VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

सितम्बर - 2020

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution) 7

1.1. 'मिशन कर्मयोगी' (Mission Karmayogi) 7

1.2. निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीति के अपराधीकरण से निपटना (Election Commission Tackling Criminalisation of Politics) 8

1.3. केशवानंद भारती वाद (Kesavananda Bharati Case) 10

1.4. प्रश्नकाल (Question Hour) 12

1.5. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme: ADP) 14

1.6. महत्वपूर्ण डेटा - 'भारत में अपराध रिपोर्ट 2019' (Important Data - Crime In India 2019 Report) 17

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 19

2.1. लघुपक्षीय समूहों का उद्भव (Rise of the Minilaterals) 19

2.2. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल {Bay of Bengal Initiative for ulti-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)} 20

2.3. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC) 23

2.4. अफगान शांति प्रक्रिया (Afghan Peace Process) 25

2.5. डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट (Data Free Flow with Trust) 27

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 30

3.1. कृषि सुधार (Agricultural Reforms) 30

3.1.1. कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 {The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020} 31

3.1.2. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 {The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020} 33

3.1.3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 {The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020} 34

3.2. श्रम संहिता (Labour Codes) 35

3.2.1. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Code on Industrial Relations, 2020) 35

3.2.2. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) 37

3.2.3. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, 2020) 39

3.3. सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, 2017 में संशोधन (Amendments To Public Procurement Order, 2017) 40

3.4. द्विपक्षीय नेटिंग (Bilateral Netting) 42

3.5. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 {Companies (Amendment) Act, 2020} 44

VISION IAS

3.6. व्यवसाय सुधार कार्य योजना - व्यवसाय करने में सुगमता रैंकिंग (Business Reform Action Plan- Ease of Doing Business Ranking) 46
3.7. ऋणों की पुनर्रचना (Restructuring of Loans) 47
3.8. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश {Revised Priority Sector Lending (PSL) Guidelines} 48
3.9. बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 {Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020} 50
3.10. नवाचार पारितंत्र: क्या, क्यों व कैसे? (Innovation Ecosystem: What, Why and How?) 52
3.11. स्टार्ट-अप पारितंत्र को सहयोग के लिए राज्यों की रैंकिंग के परिणाम (Results of Ranking of States on Support to Startup Ecosystems) 55
3.12. महामारी जोखिम पूल (Pandemic Risk Pool) 56
3.13. ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (Green Term Ahead Market: GTAM) 57
4. सुरक्षा (Security) **60**
4.1. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 (Defence Acquisition Procedure, 2020) 60
4.2. हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री जलदस्युता (Piracy in the Indian Ocean Region) 62
5. पर्यावरण (Environment) **66**
5.1. नमामि गंगे मिशन (Namami Gange Mission) 66
5.2. भारत में भू-जल का निष्कर्षण (Groundwater Extraction In India) 68
5.3. वैश्विक जैव विविधता आउटलुक (Global Biodiversity Outlook) 71
5.4. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट (Living Planet Report: LPR 2020) 72
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) **74**
6.1. मानव पूंजी सूचकांक (The Human Capital Index 2020) 74
6.2. आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना {Ayushman Bharat- Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)} 75
6.3. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission) 78
6.4. टीकाकरण संबंधी दुविधा (Vaccine Hesitancy) 81
6.5. महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020 {Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020} 83
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) **85**
7.1. डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (Data Empowerment and Protection Architecture) 85
7.2. वैकल्पिक चिकित्सा (Alternative Medicines) 87
7.2.1. राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 {National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) Act, 2020} 88

VISION IAS

7.2.2. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 {The National Commission for Homoeopathy (NCH) Act, 2020} 89
7.2.3. आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 {The Institute of Teaching And Research In Ayurveda (ITRA) Act, 2020} 89
7.3. सहायक प्रजनन तकनीक (Assisted Reproductive Technology) 90
7.4. ट्रांस फैट (Trans Fats) 91
7.5. मार्स ऑर्बिटर मिशन (Mars Orbiter Mission) 93
7.6. हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल (Hypersonic Technology Demonstration Vehicle: HSTDV) 94
8. संस्कृति (Culture) 97
8.1. काकतीय वंश (Kakatiya Dynasty) 97
8.2. बाग छपाई (Bagh Print) 98
9. नीतिशास्त्र (Ethics) 100
9.1. संवृद्धि से परे: एक नए आर्थिक दृष्टिकोण की ओर (Beyond Growth: Towards A New Economic Approach) 100
10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएँ (Schemes In News) 103
10.1. स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (Start-up Village Entrepreneurship Programme: SVEP) 103
10.2. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यकम (Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram: PMJVK) 104
11. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News In Short) 106
11.1. 'सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मिडिएशन' लागू हो गया है (Singapore Convention on Mediation Comes Into Force) 106
11.2. विश्व निर्वाचन निकाय संघ (Association of World Election Bodies: A-WEB) 106
11.3. ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (e-Gram Swaraj Portal) 107
11.4. भारत द्वारा स्वैच्छिक रूप से 'लोगों की समन्वित सीमा-पार आवाजाही पर G-20 सिद्धांत' प्रस्तुत किया गया (India Proposes Voluntary 'G-20 Principles on Coordinated Cross-Border Movement of People') 107
11.5. वित्त मंत्री द्वारा "डोरस्टेप बैंकिंग" सेवाओं का लोकार्पण तथा ईज़ (EASE) 2.0 सूचकांक के परिणामों को घोषित किया गया है (Finance Minister Unveils Doorstep Banking Services And Declares Ease 2.0 Index Results) 107
11.6. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता (Domestic Systemically Important Insurers: D-SIIs) 108
11.7. ANIC-ARISE (लघु और मध्यम उद्यमों हेतु एप्लाइड रिसर्च और इनोवेशन में अटल न्यू इंडिया चैलेंज) का शुभारंभ किया गया {ANIC-ARISE (ATAL New India Challenges in Applied Research and Innovation for Medium and Small Enterprises) Launched} 108
11.8. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (Entrepreneurship Development Institute of India: EDII) 108
11.9. 'सरोद-पोर्ट्स' {सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स (विवादों के किफायती समाधान हेतु समिति) - पोर्ट्स} {SAROD-Ports (Society For Affordable Redressal of Disputes-Ports)} 109
11.10. वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (Global Economic Freedom Index) 109

VISION IAS

11.11. ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स {Global Smart City Index (SCI)}.....109

11.12. भू-निम्नीकरण को कम करने के लिए वैश्विक पहल एवं प्रवाल भित्ति कार्यक्रम का आरंभ किया गया (Global Initiative to Reduce Land Degradation and Coral Reef Program Launched).....109

11.13. क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क (CSCAF 2.0) और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज का शुभारम्भ किया गया {Climate Smart Cities Assessment Framework (CSCAF 2.0) and Streets For People Challenge Launched}.....110

11.14. पैंटानल, ब्राजील (Pantanal, Brazil).....110

11.15. मेडिकेन (Medicanes).....110

11.16. राज्य आपदा राहत कोष (State Disaster Relief Fund: SDRF).....111

11.17. नीति आयोग द्वारा वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के निगरानी तंत्र का लाभ उठाया जाएगा {Niti Aayog To Leverage Monitoring Mechanism of Global Multidimensional Poverty Index (MPI)}.....111

11.18. यूनिसेफ द्वारा 'लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी' रिपोर्ट 2020 जारी की गई (Levels and Trends in Child Mortality Report 2020 by UNICEF).....112

11.19. पोषण माह (Poshan Maah).....112

11.20. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 जारी किए {Ministry of Social Justice and Empowerment Frames Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020}.112

11.21. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का शुभारंभ किया गया {Ministry For Social Justice And Empowerment (MOSJE) Launches Ambedkar Social Innovation & Incubation Mission (ASIIM)}.....113

11.22. किरण (Kiran).....113

11.23. भारतीय डाक द्वारा फाइव स्टार गांव योजना का शुभारंभ किया गया (India Post launches Five Star Villages Scheme).....113

11.24. डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज-4 (Defence India Startup Challenge-4: DISC 4).....114

11.25. अभ्यास (ABHYAS) का सफल उड़ान परीक्षण (Successful Flight Test of ABHYAS).....114

11.26. स्पेशल फ्रंटियर फ़ोर्स (Special Frontier Force: SFF).....114

11.27. इंद्र नेवी (Indra Navy).....114

11.28. पासेक्स सैन्य अभ्यास (Passage Exercise: PASSEX).....114

11.29. जिमेक्स-20 (JIMEX-20).....114

11.30. हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप (Himalayan Chandra Telescope: HCT).....115

11.31. भारत का द्वितीय रॉकेट प्रक्षेपण स्थल (India's Second Rocket Launch Pad).....115

11.32. सूर्य में एक नया सौर चक्र आरम्भ हुआ है (Sun Has Begun A New Solar Cycle).....116

11.33. वैज्ञानिक तथा उपयोगी गहन अनुसंधान उन्नति (सुप्रा) योजना {Scientific and Useful Profound Research Advancement (SUPRA) Scheme}.....116

VISION IAS

11.34. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ़) कोविड-वैक्सीन की वैश्विक खरीद और आपूर्ति का नेतृत्व करेगा {United Nations Children's Fund (UNICEF) To Lead Global Procurement, Supply of Covid Vaccines} 116

11.35. घर तक फाइबर योजना (Ghar tak Fiber Scheme).....116

11.36. शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार {Shanti Swarup Bhatnagar (SSB) Prize} 117

11.37. साथी पहल (Saathi Initiative) 117

11.38. श्री विश्वनाथ सत्यनारायण की 125वीं जयंती मनाई गई (125th birth anniversary of Sri Viswanatha Satyanarayana).....117

11.39. दुर्लभ रेनाटी चोल अभिलेख की प्राप्ति (Rare Renatichol Inscription Unearthed) 117

11.40. डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020 (Destination North East-2020) 118

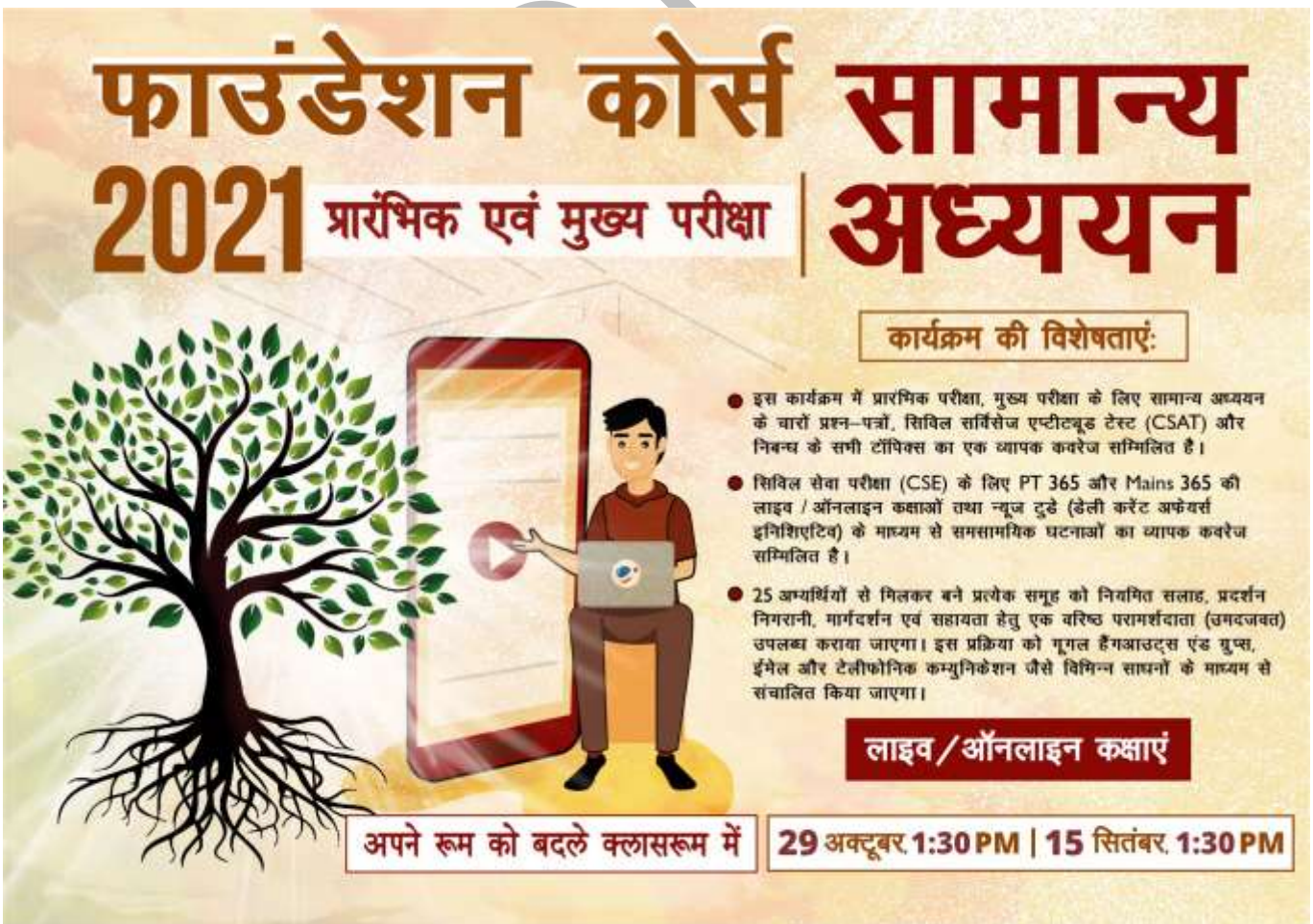

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution)

1.1. 'मिशन कर्मयोगी' (Mission Karmayogi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा "मिशन कर्मयोगी"- राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (National Programme for Civil Services Capacity Building: NPCSCB) को स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **वित्तीय आवंटन:** इसके तहत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सम्मिलित करने के लिए, वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2024-25 तक, **5 वर्षों की अवधि के दौरान 510.86 करोड़ रुपये** की धनराशि व्यय की जाएगी। यह व्यय आंशिक रूप से 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की सहायता से **बहुपक्षीय सहयोग द्वारा वित्त पोषित** है।
- **NPCSCB के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल हैं:**
  - सिविल सेवकों को उनके पद की आवश्यकताओं के अनुसार आवंटित कार्यों को उनकी क्षमताओं के साथ समायोजित कर **'नियम आधारित (Rules based)' से 'भूमिका आधारित (Roles based)' मानव संसाधन (HR) प्रबंधन को अपनाया जाएगा।**
  - **'ऑफ साइट लर्निंग' (सीखने की पद्धति)** को बेहतर बनाते हुए **'ऑन साइट लर्निंग'** पर बल दिया जाएगा।
  - शिक्षण सामग्री, संस्थानों और कर्मियों सहित **साझा प्रशिक्षण अवसंरचना** के एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
  - सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों को **भूमिकाओं, गतिविधियों तथा दक्षता ढांचा (Framework of Roles, Activities and Competencies: FRACs)** आधारित दृष्टिकोण के साथ अद्यतित करना।
  - सभी सिविल सेवकों को अपनी **व्यवहारात्मक, कार्यात्मक और कार्यक्षेत्र से संबंधित दक्षताओं (Behavioral, Functional and Domain Competencies)** को निरंतर विकसित एवं सुदृढ़ करने का अवसर उपलब्ध कराना।
  - सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को साझे पारिस्थितिकी तंत्र के **सह-निर्माण** की दिशा में **अपने संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से निवेश करने में सक्षम बनाना।**
  - सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि सहित सीखने की प्रक्रियाओं से संबंधित **सर्वोत्तम विषय-वस्तु के निर्माताओं के साथ** साझेदारी करना।
- इस कार्यक्रम को **एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण-आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म (iGOT Karmayogi Platform)** की स्थापना द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह क्षमता निर्माण के लिए व्यवस्थित व डिजिटल ई-लर्निंग सामग्री उपलब्ध करवाएगा। क्षमता विकास के अतिरिक्त, सेवा मामलों जैसे कि परिवीक्षा अवधि (probation period) के बाद पुष्टीकरण या स्थायीकरण, तैनाती, कार्य निर्धारण और रिक्तियों की अधिसूचना इत्यादि को अंततः प्रस्तावित दक्षता या योग्यता संरचना के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा।
  - आईगॉट (iGOT)-कर्मयोगी मंच के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक **उपयुक्त निगरानी और मूल्यांकन ढांचा** भी निर्धारित किया जाएगा, ताकि **मुख्य प्रदर्शन संकेतकों** (Key Performance Indicators) का **डैशबोर्ड अवलोकन** तैयार किया जा सके।
- **संस्थागत संरचना:**
  - **प्रधान मंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद {Prime Minister's Public Human Resources (HR) Council}:** यह परिषद **प्रधान मंत्री की अध्यक्षता** में सिविल सेवा सुधार और क्षमता निर्माण के कार्य को रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी। इसमें कुछ चयनित केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रख्यात सार्वजनिक मानव संसाधन पेशेवर, विचारक, वैश्विक विचारक और लोक सेवा पदाधिकारी शामिल होंगे।
  - **क्षमता विकास आयोग:** इस आयोग की निम्नलिखित भूमिका होगी-
    - वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं का अनुमोदन करने में प्रधान मंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद की सहायता करना तथा हितधारक विभागों के साथ इन योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना।
    - सिविल सेवा क्षमता विकास से संबद्ध सभी **केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यात्मक निरीक्षण** करना।
    - आंतरिक एवं बाह्य संकाय और संसाधन केंद्रों सहित साझा अधिगम (लर्निंग) संसाधनों को सृजित करना।
    - सभी सिविल सेवाओं में करियर के मध्य में सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानदंड निर्धारित करना।
    - सरकार को मानव संसाधन के प्रबंधन, प्रशिक्षण और क्षमता विकास के क्षेत्रों में आवश्यक नीतिगत उपायों का सुझाव देना।

VISION IAS

- **स्पेशल पर्पज व्हीकल (विशेष प्रयोजन वाहन):** इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए डिजिटल परिसम्पत्ति और **आईगॉट-कर्मयोगी** प्लेटफॉर्म का स्वामित्व धारण एवं संचालन करने के लिए की जाएगी।
- **कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समन्वय यूनिट (Coordination Unit) की भी स्थापना की जाएगी।**

अभिप्रेत लाभ (Intended Benefits)

- **कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित होगा:** क्योंकि, विशिष्ट भूमिका-क्षमताओं वाले सिविल सेवकों को कार्य आवंटित किया जाएगा और नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के पास सही कार्य के लिए उचित उम्मीदवार के चयन हेतु तैयार डेटा उपलब्ध होगा।
- **शासन में जवाबदेही एवं पारदर्शिता का समावेश होगा:** यह वास्तविक समय आधारित मूल्यांकन और लक्ष्य संचालित तथा निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से सामान्य जन के लिए "ईज़ ऑफ लिविंग" और सभी के लिए "ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस" सुनिश्चित करेगा।
- **नागरिक-केन्द्रीयता (Citizen-Centricity) दृष्टिकोण सृजित होगा:** 'ऑन-साइट लर्निंग' द्वारा सरकार और नागरिकों के मध्य अन्तराल को कम किया जा सकता है।
- **भारतीय सिविल सेवकों को भविष्य के लिए तैयार करेगा:** प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा के माध्यम से और संस्थानों में प्रशिक्षण प्राथमिकताओं तथा शिक्षा शास्त्र के मानकीकरण के द्वारा उन्हें और अधिक नवोन्मेषी, पेशेवर, प्रगतिशील व प्रौद्योगिकी-समर्थ बनाया जाएगा।
- **सहयोगात्मक और साझा पारिस्थितिकी-तंत्र निर्मित होगा:** यह विभाजित कार्य संचालन संस्कृति को समाप्त कर देगा, प्रयासों के दोहराव को कम करेगा तथा एक नई कार्य संस्कृति का समावेश करेगा, जो व्यक्तिगत और साथ ही संस्थागत क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- **सामान्यीकरण और विशेषज्ञता के मध्य का अंतराल समाप्त होगा,** जो सभी स्तरों पर मध्य-स्तरीय प्रशिक्षण के अभाव के कारण मौजूद है।

इस कार्यक्रम से संबंधित चिंताएं

- **प्रोत्साहन-संबद्ध प्रशिक्षण से संबंधित चुनौतियां:** प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए विगत पद्धतियां सुसंगत, विश्वसनीय और पारदर्शी नहीं रही हैं।
- **प्रणाली का अति-केंद्रीयकरण:** एक विविध सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यबल को एक विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण और अधिगम पारिस्थितिकी-तंत्र की आवश्यकता होती है।
- दूरस्थ स्व-अधिगम (Distance self-learning) अनुपूरक कौशल का निर्माण कर सकती है और अग्रिम पंक्ति पर ज्ञान को अद्यतित कर सकती है, परन्तु यह **मुख्य ज्ञान विकास** (core knowledge development) के लिए भलीभांति अनुकूल नहीं हो सकती है।
- **स्व-अधिगम का पूर्ण भार पहले से ही अतिभारित व्यक्तियों को हस्तांतरित हो सकता है**, जिससे समग्र प्रेरणा और मनोबल में गिरावट आ सकती है।
- **प्रतिरोध:** भारतीय नौकरशाही काफी हद तक यथास्थितिवादी और रूढ़िवाद के पक्ष में रही है। यह प्रवृत्ति सुधारों और नवाचारों की विरोधी है। इसलिए, इस स्तर पर सुधार से नौकरशाही के भीतर से कई प्रतिरोधों का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष

प्रस्तावित सुधार की केंद्रीकृत संस्थागत संरचना को विभिन्न कार्मिकों और शिक्षार्थियों के संदर्भों तथा आवश्यकताओं की समझ द्वारा संतुलित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और प्रोत्साहन को सफलतापूर्वक संबद्ध करने के लिए पूर्ण पारदर्शिता के साथ विश्वसनीय मूल्यांकन हेतु एक रूपरेखा विकसित की जानी चाहिए। संगठनात्मक संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण को साझा दृष्टि विकास, उद्देश्यपूर्ण कार्य और कर्मचारियों के सशक्तीकरण के साथ पूरक होना चाहिए।

1.2. निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीति के अपराधीकरण से निपटना (Election Commission Tackling Criminalisation of Politics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, निर्वाचन आयोग ने **संबंधित उम्मीदवारों एवं चुनाव के लिए उन्हें नामित करने वाले राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक ब्यौरे (criminal antecedents) के प्रकटीकरण** के समय को संशोधित करने का निर्णय किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रत्येक उम्मीदवार व राजनीतिक दल को निर्वाचनों से पूर्व एक **राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र और क्षेत्रीय भाषा के दो समाचार-पत्रों में व टेलीविज़न पर अपने आपराधिक ब्यौरे (यदि कोई है तो) को तीन बार सार्वजनिक करना आवश्यक है।**
- **निर्विरोध विजेता उम्मीदवारों (Uncontested winner candidates)** के साथ-साथ उन्हें नामित करने वाले राजनीतिक दल भी, यदि उनका कोई आपराधिक ब्यौरा हो, तो उसे प्रकट करेंगे।
- यह समयसीमा मतदाताओं को **अधिक सूचित तरीके से उनके विकल्प का प्रयोग करने में सहायता** करेगी।

राजनीति का अपराधीकरण

- सच्चाई यह है कि **अपराधी चुनाव लड़ रहे हैं और राजनीति में उनकी भागीदारी भी बढ़ती जा रही है।** यहां तक कि वे **संसद एवं राज्य विधान-मंडलों के लिए भी निर्वाचित** हो रहे हैं।
- वर्ष 2019 के चुनावों के उपरांत, **लोक सभा के 43 प्रतिशत सदस्य** आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिनमें 29 प्रतिशत पर हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक आरोप हैं। जबकि 84% के पास स्व-घोषित संपत्ति 1 करोड़ रुपये से भी अधिक है।
- **अपराधीकरण के कारण:** इसमें शामिल हैं- अपराधियों और राजनेताओं के मध्य सांठगांठ, चुनावों में धन एवं बाहुबल का प्रयोग, आपराधिक न्याय प्रणाली में विलंब, मूल्य आधारित राजनीति की कमी, आपराधिक उम्मीदवारों के प्रति सहिष्णुता, फ़र्स्ट पास्ट द पोस्ट (FPTP) चुनावी प्रणाली भी अपराधियों को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित नहीं करती है आदि।
- **प्रभाव:** कानून का उल्लंघन करने वालों का कानून निर्माता के रूप में चयन किया जाता है, विधायिका की विश्वसनीयता और वैधता का लोप हो जाता है, चुनाव के दौरान एवं बाद में गैर-हिसाबी धन या काले धन का प्रचलन बढ़ जाता है, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का पतन होने लगता है, भ्रष्टाचार के स्तर में वृद्धि होने लगती है, समाज में हिंसा की संस्कृति स्थापित हो जाती है, युवा भी भ्रष्ट आचरण का अनुसरण करने लगते हैं आदि।

निर्वाचन आयोग द्वारा भारतीय राजनीति के गैर-अपराधीकरण के लिए उठाए गए अन्य कदम

निर्वाचन आयोग ने लगातार अपने स्वंय के स्तर के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भी कुछ चुनावी सुधार किए हैं।

- वर्ष 1997 में, **निर्वाचन आयोग (EC)** ने सभी **निर्वाचन अधिकारियों (Returning Officers)** को निर्देश दिया था कि ऐसे उम्मीदवार के **नामांकन पत्र को अस्वीकार** कर दिया जाए, जो **नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन दोषी ठहराया गया हो,** भले ही उसकी सजा निलंबित कर दी गयी हो।
- चुनावों के दौरान **काले धन को जब्त करने** के लिए **उड़न दस्तों (flying squads) की एक प्रणाली** आरंभ की गई है।
- EC द्वारा अधिक **गहन मतदाता जागरूकता अभियान (intense voter awareness campaign)** का संचालन किया गया है। साथ ही, मतदाताओं को **अपना मत न बेचने के लिए प्रेरित करने हेतु** प्रसिद्ध हस्तियों के नेतृत्व में एक अभियान की भी शुरुआत की गई है।
- वर्तमान में, किसी भी राष्ट्रीय या राज्य विधान सभा चुनावों में भाग लेने के लिए एक उम्मीदवार को, **निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (Conduct of Elections Rules, 1961) की आचार संहिता से संलग्न फॉर्म 26 के अनुसार, एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता** होती है। इसमें यदि कोई आपराधिक ब्यौरा हो तो उसके बारे में तथा साथ ही उनकी संपत्ति, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता का विवरण शामिल होता है।
    - निर्वाचन आयोग ने **उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए फॉर्म 26 में संशोधन** किया है। इसमें उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रदान किए गए फॉर्म को भरने और उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक कर दिया गया है।

अपराध से निपटने में निर्वाचन आयोग की सीमाएं

- **अनुपालन की निगरानी करने और उसे सुनिश्चित करने हेतु वृहद पैमाने पर अवसंरचना की आवश्यकता है:** उदाहरण के लिए- उच्चतम न्यायालय के एक आदेश ने राजनीतिक दलों के लिए **लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्ति को उम्मीदवार नामित करने के बारे में विस्तृत जानकारी** अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें **उसके चयन के कारणों** के साथ ही **बिना आपराधिक ब्यौरे वाले उम्मीदवारों को नामित न करने** के विषय में भी विवरण प्रदान करना होगा। इस प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, व्यापक मानव संसाधन और सुदृढ़ डिजिटल प्रणाली की आवश्यकता है।
- **दोषसिद्धि से पूर्व उम्मीदवारों को अनर्ह घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है,** भले ही कोई व्यक्ति कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहा हो। **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act: RPA), 1951 की धारा 8**, किसी व्यक्ति द्वारा **किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद ही अनर्हता** से संबंधित है।
- **मिथ्या शपथ-पत्र (False affidavits):** चुनाव में मिथ्या शपथ-पत्र के मामले बेहद गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये चुनावों की शुचिता को प्रभावित करते हैं। शिथिल दंड प्रक्रिया इस गतिविधि को रोकने में असमर्थ है। साथ ही, **मिथ्या शपथ-पत्र या जानकारी छुपाने** को **निर्वाचन को चुनौती देने या RPA, 1951 के तहत नामांकन पत्र की अस्वीकृति** के आधार के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है।
- **चुनावी लाभ के लिए धर्म का दुरुपयोग:** यद्यपि इस प्रकार की प्रथाओं को भ्रष्ट प्रथाओं के रूप में माना जाता है, परन्तु उन्हें **केवल एक चुनाव याचिका के माध्यम से ही प्रश्नगत किया** जा सकता है और **चुनाव के दौरान यह निर्वाचन आयोग के समक्ष जांच का विषय नहीं हो सकता** है।

VISION IAS

- विडंबना यह है कि इनका **चुनाव की अवधि के दौरान ही ज्यादा उपयोग** किया जाता है तथा **चुनाव में पराजित होने वाले उम्मीदवार के भ्रष्ट व्यवहार को चुनौती देने का कोई प्रावधान नहीं** है।
- इसके अतिरिक्त, **विधि प्रवर्तन अधिकारी** किसी सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा जारी **वारंट के बिना** किसी भी व्यक्ति के भ्रष्ट व्यवहार के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने या उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत नहीं होते हैं। इससे उल्लंघन करने वालों को कानूनी कार्रवाई से बचने का अवसर प्राप्त हो जाता है।

आगे की राह

निर्वाचन आयोग और विधि आयोग ने केंद्र सरकार को राजनीति के गैर-अपराधीकरण के लिए निर्वाचन सुधारों के रूप में कानून निर्माण हेतु निम्नलिखित अनुशंसाएं की हैं:

- **RPA, 1951 में प्रस्तावित संशोधन:**
  - **धारा 125(A) के अंतर्गत दोषसिद्धि** को धारा 8(A)(1) के तहत **अनर्ह घोषित किए जाने के आधार** के रूप में शामिल किया जाए।
  - मिथ्या शपथ-पत्र दाखिल करने पर **न्यूनतम दो वर्ष की सजा को धारा 125 (A) के तहत अंतर्विष्ट किया जाए।**
  - मिथ्या शपथ-पत्र दाखिल करने को **धारा 123 के तहत एक भ्रष्ट आचरण के अपराध के रूप में समाविष्ट किया जाना चाहिए।**
- मिथ्या सूचनाओं की घटनाओं की त्वरित जांच करने के लिए **विजेताओं के शपथ-पत्रों के सत्यापन हेतु एक स्वतंत्र पद्धति** स्थापित की जानी चाहिए।
- **संज्ञेय अपराध के आरोपी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से निषिद्ध किया जाना चाहिए**, उस स्थिति में **जब आरोप सक्षम न्यायालय द्वारा** सिद्ध किए गए हों और **चुनाव से कम से कम 6 माह पूर्व लगाए गए हों** तथा जिनमें अपराध कम से कम 5 वर्ष के कारावास के साथ दंडनीय हो।
- **संबंधित न्यायालयों में मुकदमों का तेजी से निपटान:** जब मामला विधायिका के मौजूदा सदस्य के विरुद्ध हो तो **एक वर्ष में मुकदमे को पूर्ण करने की समय-सीमा** के साथ सुनवाई का संचालन दिन-प्रतिदिन के आधार पर किया जाना चाहिए।
  - यदि सुनवाई को उक्त समयावधि में पूरा नहीं किया जा सकता है, या उक्त अवधि में आरोप को ख़ारिज नहीं किया जाता है, तो **सुनवाई करने वाला न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष लिखित में कारण** प्रस्तुत करेगा।
  - **एक बार उक्त अवधि समाप्त होने के उपरांत:**
    - उक्त समयावधि के पश्चात व्यक्ति स्वत: ही अनर्ह घोषित किया जा सकता है।
    - उक्त अवधि के अंत में सदन की समाप्ति तक **कार्यालय के अनुलाभ, पारितोषिक और मतदान के अधिकार को निलंबित** कर दिया जाएगा।
- **पूर्वव्यापी तरीके से लागू करना (Retroactive application):** जिस तिथि से ये प्रस्तावित संशोधन लागू होंगे, उस तिथि से लंबित आपराधिक आरोप (5 वर्ष से अधिक की सजा से दंडनीय) वाले सभी व्यक्ति कुछ रक्षोपायों के अधीन अनर्ह हो जाएंगे।
- उपयुक्त प्राधिकारी को अनुशंसा करने के लिए **निर्वाचन आयोग को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना:**
  - किसी भी मामले को आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी भी एजेंसी को जांच के लिए प्रेषित करना।
  - किसी भी व्यक्ति को RPA, 1951 के तहत चुनावी अपराध का दोषी होने पर अभियोजित करना।
  - RPA, 1951 के अधीन किसी अपराध या अपराधों की सुनवाई के लिए कोई विशेष न्यायालय निर्दिष्ट करना।

1.3. केशवानंद भारती वाद (Kesavananda Bharati Case)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केशवानंद भारती श्रीपद्गलवरु और अन्य बनाम केरल राज्य वाद** के मुख्य याचिकाकर्ता केशवानंद भारती का निधन हो गया है।

केशवानंद भारती वाद के बारे में

- यह वाद **केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963** के तहत सरकार द्वारा केशवानंद की भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण को चुनौती देने वाली केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित थी। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 25, 26 और 31** में प्रत्याभूत मूल अधिकारों (FRs) के अतिक्रमण का आरोप लगाया था।
- इस मामले की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई थी। यह उच्चतम न्यायालय की उस समय गठित सबसे बड़ी पीठ थी।
- सुनवाई की प्रक्रिया के आरंभ होने पर, **वाद के दायरे का निम्नलिखित को संबोधित करने के लिए विस्तार किया गया था-**
  - **गोलखनाथ मामले** की व्याख्या,
  - **अनुच्छेद 368** की व्याख्या (संविधान में संशोधन के लिए संसद की शक्ति)
  - **24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 और 3 तथा 29वें संविधान संशोधन अधिनियम** की वैधता।

पृष्ठभूमि

- **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में,** उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि-
  - अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन करने की प्रक्रिया शामिल है, परन्तु यह **संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है।**
  - **संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति और विधायी शक्तियों** के मध्य कोई अंतर नहीं है और संविधान में किसी भी संशोधन को अनुच्छेद13(2) (राज्य को मूल अधिकारों को हटाने या निरस्त करने के लिए कोई भी कानून बनाने से प्रतिबंधित करता है) में अंतर्विष्ट प्रावधान के सुसंगत कानून माना जाना चाहिए। इसका अनिवार्य रूप से यह तात्पर्य था कि **मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है।**
  - मूल अधिकारों में संशोधन के लिए एक नई संविधान सभा की आवश्यकता होगी।
- **गोलकनाथ मामले के उपरांत संसद द्वारा संविधान में कई संशोधन किए गए-**
  - **24वां संशोधन:** इसमें उपबंध किया गया कि-
    - संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत 'विधि' नहीं हैं, इसलिए संसद में किसी भी मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति निहित है।
    - संसद को भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है।
  - **25वां संशोधन:**
    - **इस अधिनियम की धारा 2** ने संपत्ति के अधिकार में कटौती की थी और सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकार द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण की अनुमति प्रदान की थी। साथ ही, क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण संसद द्वारा किया जाना था न कि न्यायालय द्वारा।
    - **धारा 3** ने राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की थी और विभिन्न DPSPs {अनुच्छेद 39(b) और 39(C)} के तहत निर्धारित नीतियों को **न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से मुक्त कर दिया था।**
  - **29वां संशोधन:**
    - इसने भारत के संविधान की **नौवीं अनुसूची** (केंद्रीय और राज्य क़ानूनों की सूची जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है) में दो भूमि सुधार कानून समाविष्ट किए थे।

केशवानंद भारती वाद के निष्कर्ष

- **24वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया:** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों (मूल अधिकारों सहित) में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते संशोधन द्वारा संविधान की अनिवार्य विशेषताओं या मूलभूत सिद्धांतों या मूल ढांचे में परिवर्तन, उनकी क्षति या लोप नहीं होना चाहिए। इसे **"मूल ढांचे के सिद्धांत" (Basic Structure Doctrine)** के रूप में जाना जाता है।
- **गोलकनाथ मामले के निर्णय को सही किया गया:** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दोनों शामिल हैं तथा **संसद की संविधान संशोधन करने की शक्तियां एवं विधायी शक्तियां भिन्न-भिन्न हैं।**
- **अन्य निर्णय:** उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन (समीक्षा) की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर 25वें एवं 29वें संशोधन को वैध स्वीकार किया और यह भी कहा कि **उद्देशिका संविधान का एक भाग है तथा इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है।**

केशवानंद भारती वाद का महत्व

- **इसने न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे का विस्तार किया,** जहां शीर्ष न्यायालय भारतीय लोकतंत्र की व्यापक भावना को आहत करने वाले किसी भी संविधान संशोधन को अवैध घोषित करने के लिए 'मूल ढांचे के सिद्धांत' को लागू करने हेतु स्वतंत्र है।
- भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में किए गए संशोधनों के बावजूद, 'मूल ढांचे के सिद्धांत' ने **संविधान निर्माताओं के अभिन्न दर्शन को संरक्षित करने में सहायता प्रदान की है।**
- इसने न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करने और संविधान में संशोधन करने की संसद की अप्रतिबंधित शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित किया {संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से} है।
- इसके अतिरिक्त, इसने संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति और विधायी शक्तियों में अंतर को स्पष्ट किया है तथा उद्देशिका को भारत के संविधान में इसका न्यायोचित व अभिन्न स्थान प्रदान किया है।

"मूल ढांचे के सिद्धांत" का विकास

मूल ढांचे के सिद्धांत के लिए संविधान में कोई संदर्भ प्रदान नहीं किया गया है। यह विभिन्न न्यायालयी निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है-

VISION IAS

- **शंकरी प्रसाद वाद (वर्ष 1951)** और **सज्जन सिंह वाद (वर्ष 1965)** जैसे वादों में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करते हुए मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
- **गोलकनाथ वाद (वर्ष 1967):** इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि संसद द्वारा मूल अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता है, जिसका तात्पर्य है कि **संविधान की कुछ विशेषताएं इसके मूल में निहित हैं** और इन्हें परिवर्तित करने के लिए सामान्य प्रक्रियाओं की तुलना में विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता है। इस निर्णय ने **'मूल ढांचे के सिद्धांत'** के लिए मार्ग प्रशस्त किया था।
- **केशवानंद भारती वाद (वर्ष 1973):** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते **"संविधान की मूल संरचना या ढांचे"** में विकृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
- **वाद-दर-वाद के आधार पर विकास:** उच्चतम न्यायालय ने तब से **इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण वाद (वर्ष 1975), मिनर्वा मिल्स वाद (वर्ष 1980), एस.आर.बोम्मई वाद (वर्ष 1994)** आदि के माध्यम से इस सिद्धांत को सुदृढ़ और पुन: पुष्ट करने का प्रयास किया है तथा भारतीय संविधान के 'मूल ढांचे' का निर्माण करने वाले सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन किया है।
- वर्तमान में कुछ सिद्धांत जो 'मूल ढांचे' का हिस्सा हैं, निम्नलिखित हैं-
    - भारत की संप्रभुता;
    - नागरिकों के लिए सुरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यक विशेषताएँ;
    - कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए अधिदेश;
    - संविधान की सर्वोच्चता;
    - सरकार का गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप;
    - संविधान की पंथनिरपेक्ष और संघीय प्रकृति;
    - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण;
    - राष्ट्र की एकता और अखंडता;
    - न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति;
    - मूल अधिकार और DPSPs के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन आदि।

1.4. प्रश्नकाल (Question Hour)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोविड-19 महामारी के कारण, संसद के विगत मानसून सत्र के दौरान लोक सभा एवं राज्य सभा में प्रश्नकाल और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों को निलंबित कर दिया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- संशोधित कार्य अनुसूची के अनुसार,
    - **राज्य सभा की बैठक प्रात: 9 बजे से अपराह्न 1 बजे के मध्य** तथा **लोक सभा की बैठक अपराह्न 3 बजे से सायंकाल 7 बजे** के मध्य संपन्न की जाएगी।
    - **शून्य काल को घटाकर 30 मिनट** कर दिया गया है।

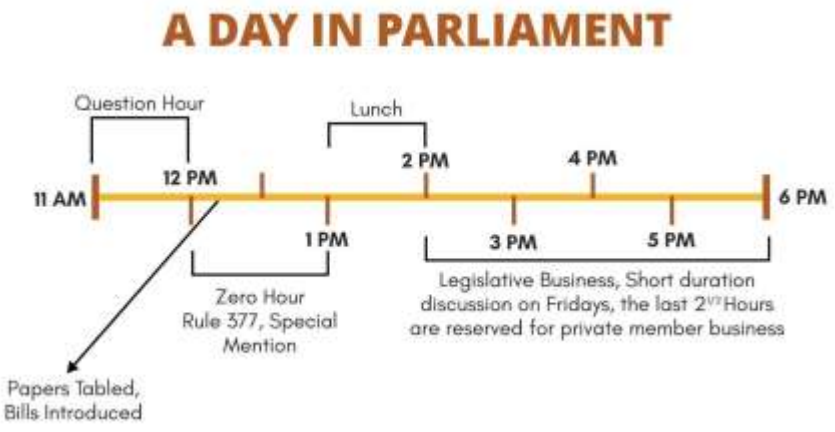

    - **प्रश्नकाल नहीं** होगा, परन्तु सांसद अतारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं।
    - अध्यक्ष/सभापति के विवेक पर अत्यावश्यक होने की स्थिति में मौखिक उत्तर के साथ **अल्प सूचना प्रश्नों (Short notice questions)** की अनुमति होगी।
    - **गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य संचालित नहीं होंगे** तथा साथ ही, सांसदों द्वारा पुर:स्थापित विधेयकों के लिए **घंटे भी निलंबित** किए गए हैं।

VISION IAS

प्रश्नकाल

- यह **संसद की बैठक का प्रथम घंटा** होता है। इस दौरान **संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से सरकारी कार्यकलापों और प्रशासन के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं** तथा इस प्रक्रिया द्वारा उन्हें उनके **मंत्रालयों की कार्यप्रणाली हेतु उत्तरदायी ठहराया जाता है।**
- संसद के **दोनों सदन अपने स्वयं के नियमों का पालन** करते हैं, जो इनके द्वारा स्वयं को नियंत्रित करने के लिए निर्मित किए गए हैं।
    - वर्ष 1952 में संसद की शुरुआत में, लोक सभा के नियमों में प्रश्नकाल (प्रतिदिन आयोजित किए जाने) का प्रावधान किया गया था।
    - दूसरी ओर, राज्य सभा में **सप्ताह में दो दिन प्रश्नकाल** का प्रावधान किया गया था। कुछ महीनों के पश्चात, इसे सप्ताह में चार दिन में परिवर्तित कर दिया गया। तत्पश्चात वर्ष 1964 से, सत्र के **प्रत्येक दिन** राज्य सभा में भी प्रश्नकाल संपन्न हो रहा था।
    - वर्ष 2014 में, राज्य सभा के सभापति हामिद अंसारी ने प्रश्नकाल में व्यवधान को रोकने के लिए सदन में **प्रश्नकाल का समय प्रात: 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित** कर दिया गया था।
- **संसद ने संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया है और वे इस प्रकार हैं:**
    - **तारांकित प्रश्न:** प्रश्नकाल के दौरान सदन के पटल पर इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं।
    - **अतारांकित प्रश्न:** सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए इन प्रश्नों के उत्तर **प्रश्नकाल के अंत में मंत्रियों द्वारा लिखित रूप में** प्रदान किए जाते हैं।
    - **अल्प सूचना के प्रश्न:** ये प्रश्न सदन में प्रश्नकाल के उपरांत या कार्यसूची के प्रथम विषय के रूप में पूछे जाते हैं, जहां तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के लिए निर्धारित सूचना से कमतर सूचना पर कोई प्रश्नकाल नहीं होता है।
        - ये सामान्यतया अध्यक्ष/सभापति द्वारा **अविलम्बनीय लोक महत्व से संबंधित माने जाने वाली विषय-वस्तु** से संबंधित होते हैं।
    - **गैर-सरकारी सदस्यों (private members) हेतु प्रश्न:** यह उस स्थिति में पूछे जाते हैं, जब प्रश्न किसी ऐसे विधेयक, संकल्प या अन्य मामले से संबंधित हो, जिसके लिए कोई गैर-सरकारी सदस्य (लोक सभा में प्रक्रिया के नियमों के नियम 40 और कार्य संचालन नियमों के अनुसार) उत्तरदायी है।
- जब किसी सदस्य को यह प्रतीत होता है कि किसी **तारांकित या अतारांकित या अल्प सूचना वाले प्रश्न** का **उत्तर पूर्ण नहीं है या वांछित जानकारी प्रदान नहीं करता है या किसी तथ्य पर स्पष्टता की आवश्यकता** है, तो उसे अध्यक्ष/सभापति द्वारा उस विषय को सदन में आधे घंटे की चर्चा में उठाने की अनुमति दी जा सकती है। इसलिए, प्रक्रिया को **'आधे घंटे की चर्चा'** कहा जाता है।
- संसद में एक प्रश्न पूछने से पूर्व , सदस्य को अध्यक्ष/सभापति को **निर्धारित रीति के भीतर 15 दिन का नोटिस** देना होता है। इस अवधि को अध्यक्ष/सभापति के विवेक पर कम किया जा सकता है।
- प्रश्न के संबंध में स्वीकार्य सीमा **लोक सभा में प्रति सदस्य प्रतिदिन केवल पांच** और **राज्य सभा में प्रतिदिन सात** है।

शून्यकाल

- प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को **"शून्यकाल"** के रूप में जाना जाता है।
    - यह दोपहर 12 बजे से आरंभ होता है (इसलिए यह नाम दिया गया है)।
- सामान्यतया, महत्वपूर्ण विधेयकों, बजट और राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों पर चर्चा दोपहर 2 बजे से शुरू होती है।
- "शून्यकाल" के दौरान मामलों को उठाने के इच्छुक सदस्यों को **दैनिक सत्र आरंभ होने से पूर्व अध्यक्ष को नोटिस देने की आवश्यकता** होती है।
- शून्यकाल भारत की संसद का एक नवाचार है और **प्रश्नकाल के विपरीत यह प्रक्रिया के नियमों में उल्लिखित नहीं** है। शून्य काल वर्ष 1962 से अस्तित्व में है।
    - सत्र के दौरान प्रत्येक दिन शून्यकाल होना अनिवार्य नहीं है।

प्रश्नकाल का महत्व

- **यह संसदीय लोकतंत्र के उद्देश्यों को पूर्ण करता है:** संसदीय शासन की मूल अवधारणा यह है कि सरकार या मंत्रिपरिषद संसद (भारत में लोक सभा) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रश्नकाल सरकार को उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने के लिए बाध्य करता है।
    - प्रश्नकाल **सत्तारुढ़ और विपक्षी दोनों दलों के सांसदों को अवसर** प्रदान करता है। सभी दलों के सांसद सवाल पूछ सकते हैं।
- **जन जागरूकता का सृजन:** किसी मुद्दे पर एक प्रश्न और चर्चा अधिक से अधिक लोक ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि यह जानकारी राष्ट्र के सुदूर स्थानों तक पहुंचती है।
- **सार्वजनिक नीति निर्माण:** सरकार की नीति में कमियों और त्रुटियों का पता चलता है और कुछ स्पष्टीकरण भी किए जाते हैं। साथ ही, सरकार द्वारा नीति या कानून के पीछे निहित तर्क एवं उद्देश्य भी स्पष्ट किए जाते हैं।
- **न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करना:** कई नीतिगत मुद्दों में न्यायिक हस्तक्षेप से संसदीय निरीक्षण की क्षमता में कमी आती है। उदाहरण के लिए, **लॉकडाउन से संबंधित कार्यों और प्रवासी श्रमिकों को इससे होने वाली कठिनाइयों** के बारे में सरकार से प्रश्न किए जाने चाहिए थे। हालांकि, इन मामलों उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया, जो नीतिगत विकल्पों को संतुलित करने हेतु अधिकारिता विहीन है।

VISION IAS

विगत वर्षों में प्रश्नकाल का निलंबन

- प्रश्नकाल को वर्ष 1962, 1975, 1976, 1991, 2004 और 2009 के दौरान विभिन्न कारणों से निलंबित कर दिया गया था।
- प्रश्नकाल को प्रथम बार **वर्ष 1962 के शीतकालीन सत्र के दौरान भारत-चीन युद्ध के कारण** निलंबित किया गया था। इसी प्रकार, वर्ष 1971 के शीतकालीन सत्र में, इसे **पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण निलंबित** कर दिया गया था।
- आपातकाल के दौरान, संसद ने प्रश्नकाल के बिना दो सत्रों का संचालन किया था, यथा- वर्ष 1975 का मानसून सत्र और वर्ष 1976 का शीतकालीन सत्र।

1.5. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme: ADP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के इंस्टिट्यूट फॉर कॉम्पेटिटिवनेस और अमेरिका स्थित "सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव" द्वारा संयुक्त रूप से आकांक्षी जिला कार्यक्रम की एक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई।

- **इंस्टिट्यूट फॉर कॉम्पेटिटिवनेस** भारत में केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। यह प्रतिस्पर्धा एवं रणनीति पर अनुसंधान और ज्ञान के निकाय के संवर्धन व प्रयोजनार्थ प्रसारण के प्रति समर्पित है। यह हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक (India Innovation Index: III) 2019 में **नीति आयोग का नॉलेज पार्टनर (ज्ञान साझीदार)** भी था।
- **सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव** संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो **सामाजिक प्रगति सूचकांक** (Social Progress Index: SPI) प्रकाशित करता है। यह सूचकांक देशों द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लिए किए गए प्रयासों का मापन करता है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के बारे में

- ADP को भारत सरकार द्वारा देश के **सबसे अविकसित जिलों के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार में तेजी लाने के लिए जनवरी 2018 में प्रारंभ किया गया था।**
- वर्तमान में, इस कार्यक्रम को भारत के **739 जिलों** में से **112 जिलों** में लागू किया गया है। इन आकांक्षी जिलों में संपूर्ण देश के 35 वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism: LWE) से प्रभावित जिले भी शामिल हैं।
- यह कार्यक्रम **निम्नलिखित विचारों से प्रेरित है,** जो नीति और शासन को अपनाने हेतु सरकार की मंशा को प्रकट करते हैं:
  - सफलता से और आगे आर्थिक उपाय करना;
  - समान क्षेत्रीय विकास को सक्षम करना; तथा
  - सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से परिवर्तन का संचालन करना।
- यह कार्यक्रम जीवन की गुणवत्ता और साथ ही साथ नागरिकों की आर्थिक उत्पादकता को भी प्रत्यक्षत: प्रभावित करने वाले **पांच मुख्य विषयों में व्यावहारिक एवं मापन योग्य सामाजिक प्रगति के परिणामों पर केंद्रित है।** पांच मुख्य विषयों में सम्मिलित हैं- **स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास तथा मूलभूत अवसंरचना।** उपर्युक्त विषयों को पुन: **49 संकेतकों** में विभाजित किया गया है।
- **यह कार्यक्रम तीन मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है,** जो **3C दृष्टिकोण** से परिलक्षित होते हैं यथा- केंद्र एवं राज्य योजनाओं का **अभिसरण (Convergence);** केंद्र, राज्यों, जिलों व नागरिकों के मध्य **सहयोग (Collaboration);** तथा एक जन आंदोलन द्वारा संचालित जिलों के मध्य **प्रतिस्पर्धा (Competition)।**
- **इस कार्यक्रम की मूल संरचना:**
  - **केंद्रीय स्तर पर, नीति आयोग** (NITI Aayog) द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है और प्रत्येक संबंधित मंत्रालयों ने जिलों की प्रगति के संवर्धन हेतु उत्तरदायित्व स्वीकार किया है।
  - **राज्य सरकारें परिवर्तन की मुख्य संचालक हैं।** प्रत्येक राज्य ने कार्यक्रम के क्रियान्वन के साथ-साथ इसकी प्रगति की निगरानी करने के लिए अपने मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया है।
  - **प्रत्येक जिले के लिए,** अतिरिक्त सचिव / संयुक्त सचिव रैंक के **एक केंद्रीय प्रभारी अधिकारी** को नियुक्त किया गया है, जो अपने स्थानीय स्तर के निष्कर्षों के आधार पर प्रतिक्रिया और अनुशंसाएं प्रदान करेगा।
- **इस कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है।** इसके अंतर्गत चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड (एक ऑनलाइन डैशबोर्ड) के माध्यम से पांच मुख्य क्षेत्रों (विषयों) में संपादित किए मासिक सुधारों के आधार पर जिलों को रैंक प्रदान की जाती है।

VISION IAS

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **क्षेत्रों के मध्य उच्च असमानताएं विद्यमान हैं:** स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें जिले अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के सर्वाधिक निकट हैं। जबकि कृषि और वित्तीय समावेशन चिंता के मुख्य क्षेत्र हैं, जहां अधिकांश जिलों द्वारा अभी अपने लक्ष्यों का 40%-90% तक पूर्ण करना है।
- **ADP द्वारा आर्थिक और सामाजिक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं:** उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य और पोषण के मामले में बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण (Severe Acute Malnutrition: SAM) को कम करने का आर्थिक प्रभाव **उत्पादकता व आजीवन अधिगम पर प्रभाव** के माध्यम से अनुभव किया गया है। SAM को कम करने के लिए सभी राज्यों पर (केवल आकांक्षी जिलों के लिए) समग्र आर्थिक प्रभाव बहुत अधिक अर्थात् 1.43 लाख करोड़ रुपये है।
- **ADP के उद्देश्य SDGs (के साथ संरेखित होने आवश्यक हैं:** यह कार्य एक समयबद्ध मूल्यांकन संरचना को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ADP और संधारणीय विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals: SDGs) दोनों ही सर्वाधिक हाशिए पर स्थित समुदायों और लोगों को संधारणीय साधनों के माध्यम से बुनियादी सेवाओं की प्रदायगी पर बल देते हैं। **ADP के उद्देश्य** असमानताओं के विभिन्न रूपों को कम करने के लिए **SDG-10 के मूल प्रयोजनों के साथ संरेखित** हैं।
- **कार्यक्रम से सुदृढ़ श्रेष्ठ प्रथाओं का उद्भव हो रहा है:** ADP कार्यक्रम से सर्वोत्तम प्रथा के तीन प्रमुख क्षेत्रों का उद्भव हुआ है, यथा- **जागरूकता** (कई जिलों ने जागरूकता अभियानों का उपयोग जनसंख्या के उस भाग तक पहुंच स्थापित करने के लिए किया है, जो विकास प्रक्रिया से वंचित हो गए हैं), **सहयोग** (निजी एवं नागरिक समाज संगठनों के साथ सरकार के अभिकरणों और स्तरों के मध्य) तथा **डेटा आधारित हस्तक्षेप** (प्रभाव के मापन, सुधारों की निगरानी व साथ ही साथ नीतियों और हस्तक्षेपों की पहचान करने के लिए डेटा का उपयोग करना)।

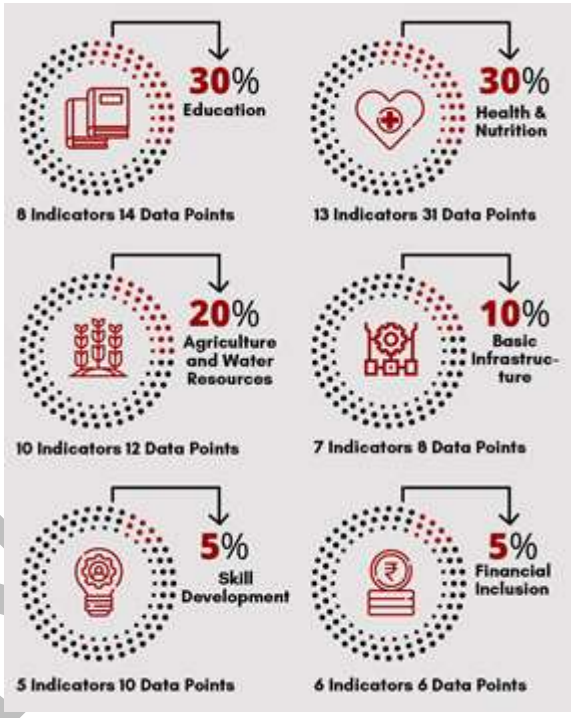

ADP के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **अपर्याप्त बजटीय संसाधन।**
- विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय का अभाव।
- **उच्च-गुणवत्ता आधारित प्रशासनिक डेटा का अभाव,** जिससे स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन और डिज़ाइन प्रभावित होता है।
- डेल्टा रैंकिंग बहुत हद तक गुणवत्ता की बजाय **परिमाण** (अर्थात् पहुंच का कवरेज) का आकलन करने पर केंद्रित है।

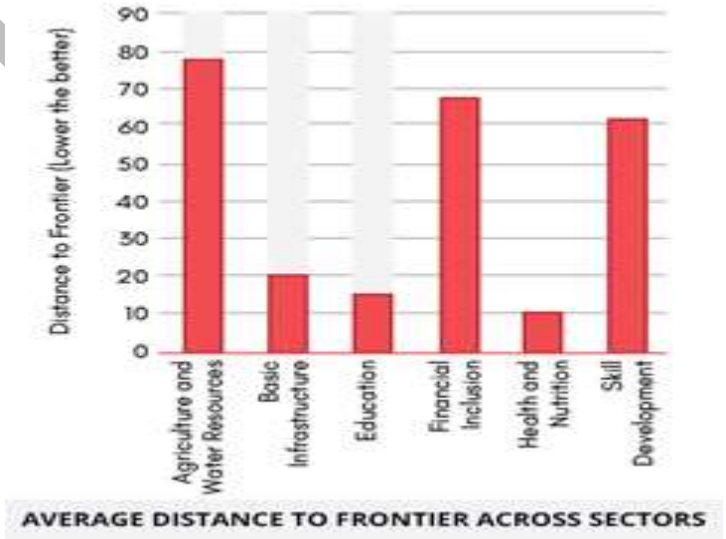

AVERAGE DISTANCE TO FRONTIER ACROSS SECTORS

VISION

जिलों में सर्वोत्तम प्रथाएँ

- **स्वास्थ्य और पोषण:**
  - **हाइलाकांदी (असम):** यहां एक नवजात बालिका के माता-पिता को **5 अंकुरित पौधे** (नारियल, लीची, असमी नींबू, अमरूद व आंवला) उपहारस्वरूप प्रदान करने की एक अभिनव प्रथा संचालित की गई है। इस प्रथा का औचित्य यह है कि वृक्षों से प्राप्त होने वाले फल का उपयोग बच्चे के भरण-पोषण हेतु किया जा सकता है, जिससे प्रतिरक्षा के निर्माण और कुपोषण के निवारण में सहायता प्राप्त होगी।
- **शिक्षा:**
  - **राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) ने प्रत्येक बालिका के लिए स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित की है,** जिसके लिए विद्यालयों में शौचालय स्थापित किए गए हैं।
  - **बांका (बिहार) में 'उन्नयन बांका- प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा का पुनर्सृजन कार्यक्रम** आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण परिवेश में सुधार करने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है।
- **वित्तीय समावेशन क्षेत्र:**
  - **गजपति (ओडिशा):** ओडिशा आजीविका मिशन के तहत जिन पंचायतों में बैंकिंग सुविधाएं नहीं थीं, वहाँ **मिनी बैंक** स्थापित किए गए हैं। इन मिनी बैंकों ने सामान्य सेवा केंद्रों (common service centres) के रूप में कार्य किया है और 27,463 स्वयं सहायता समूह (SHGs) सदस्यों के बैंक खाते खोले हैं। इसके अतिरिक्त, 23,000 खातों को आधार के साथ संबद्ध भी किया गया है।
- **कृषि और जल संसाधन:**
  - **कुपवाड़ा (जम्मू और कश्मीर)** ने कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए **उच्च घनत्व वाली कृषि** की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत पारंपरिक अंकुर आधारित फलोद्यानों को उच्च घनत्व वाले फलोद्यानों में परिवर्तित किया गया है। इससे उत्पादकों को सेब और अखरोट जैसी फसलों की कृषि में सफलता प्राप्त हुई है तथा फसल उत्पादन में तीन गुना तक वृद्धि हुई है।
- **कौशल विकास:**
  - **गजपति (ओडिशा)** जिले में **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)** के तहत कौशल विकास के लिए लोगों का नामांकन आरंभ किया गया है। प्रयासों के परिणामस्वरूप, 11,600 उम्मीदवारों को संगठित किया गया है और 450 से अधिक को विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षित किया गया है।
- **बुनियादी अवसंरचना:**
  - **कुपवाड़ा (जम्मू और कश्मीर),** में 176 जल-संचयन पोखरों (water-harvesting tanks) के एक नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया है, जिसने जल संरक्षण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में सहायता प्रदान की है।
  - **दाहोद (गुजरात),** में **सौर ऊर्जा संचालित सामुदायिक नलकूपों की स्थापना** से पाँच गाँवों के सौ घरों को लाभ प्राप्त हुआ है।

अध्ययन के आधार पर की गई अनुशंसाएं

- **डेटा संग्रह को व्यवस्थित करना तथा प्रभावी फीडबैक तंत्र सुनिश्चित करना:** डेटा संग्रह और प्रसार के लिए अधिक वास्तविक समय प्रणाली की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में, सर्वेक्षण संग्रह एवं जिलों के डेटा तक पहुंच के मध्य कुछ माह का अंतर विद्यमान है।
- **नए ज्ञान के आधार पर कार्य योजना को अद्यतित करना:** जिले विभिन्न मापदंडों पर अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इन सर्वोत्तम प्रथाओं से अधिगम को संशोधित कर सकते हैं। साथ ही, तुलनात्मक समकक्ष समूहों के उद्भव के आधार पर जिलों का मूल्यांकन किया जा सकता है।
- **अनुकूलित स्थानीय स्तर के हस्तक्षेपों में संलग्नता:**
  - समुदाय आधारित हस्तक्षेप मॉडल की शुरुआत के लिए **व्यक्तिगत स्थानीय पदाधिकारियों के साथ सहयोग**, हितधारकों के लिए भागीदारी की सुविधा प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, स्व-सहायता समूहों और आंगनवाड़ी जैसे महिला-संचालित संस्थानों ने विशेष रूप से योजनाओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।
  - **युवा पेशेवरों** को ज़मीनी स्तर के प्रशासन में शामिल किया जाना चाहिए, जो संलग्नताओं की निरंतरता को बढ़ावा दे सकते हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्ट अवस्थिति व चुनौतियों के कारण देश के इस भाग में **केंद्रित हस्तक्षेपों के तीव्र कार्यान्वयन** की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- क्षेत्रों और नागरिकों के मध्य आर्थिक लाभ का असमान वितरण केवल समावेशी विकास एवं सामाजिक प्रगति पर लक्षित व्यापक एजेंडे की आवश्यकता को प्रकट करता है।
- समावेशी विकास और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने में "क्या कार्य करता है" पर ध्यान केंद्रित करके, ADP भारत की भावी आर्थिक एवं सामाजिक विकास रणनीति के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करने की क्षमता से युक्त है।

VISION IAS

1.6. महत्वपूर्ण डेटा - 'भारत में अपराध रिपोर्ट 2019' (Important Data - Crime In India 2019 Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की "भारत में अपराध" 2019 रिपोर्ट (क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट-2019) जारी की गयी।

इस रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष

- **महिलाओं के विरुद्ध अपराध:**
  - वर्ष 2018 से 2019 तक की अवधि में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में **7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई** है।
  - महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराध के अधिकांश मामले **'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा किए गए अत्याचार'** के तहत दर्ज किए गए हैं।
  - **उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध हुए** हैं, उसके पश्चात राजस्थान और महाराष्ट्र में ऐसे दर्ज किए गए मामलों की संख्या अत्यधिक है।
  - **महिलाओं के विरुद्ध अपराध की उच्चतम दर (प्रति लाख जनसंख्या पर) असम में दर्ज** की गई है उसके बाद राजस्थान और हरियाणा का स्थान है।
- **जाति आधारित हिंसा:**
  - वर्ष 2018 से 2019 के दौरान **अनुसूचित जाति (SC)** के विरुद्ध अपराधों में 7.3% की वृद्धि दर्ज हुई है।
  - **यूपी में SC के विरुद्ध अपराधों** के सर्वाधिक मामले (देश भर में 25.8% मामलों के लिए उत्तरदायी) दर्ज किए गए हैं, उसके पश्चात राजस्थान और बिहार का स्थान है।
  - **राजस्थान** में SC के विरुद्ध अपराधों की उच्चतम दर दर्ज की गई है तथा तदुपरान्त **मध्य प्रदेश और बिहार** का स्थान रहा है।
- **राज्य के विरुद्ध होने वाले अपराध:**
  - वर्ष 2018 से 2019 तक की अवधि में राज्य के विरुद्ध होने वाले अपराधों की दर में **11.3%** की **गिरावट दर्ज** की गई है।
  - इनमें से 80.3% मामले **लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम** (Prevention of Damage to Public Property Act) के तहत दर्ज किए गए हैं, उसके उपरांत **विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम** {Unlawful Activities (Prevention) Act} के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
- **साइबर अपराध:**
  - वर्ष 2018 से 2019 तक की अवधि में साइबर अपराध संबंधी मामलों में **63.5% की वृद्धि हुई है।**
  - दर्ज किए गए 60.4% साइबर अपराध के मामले **धोखाधड़ी** से संबंधित थे तथा उनके उपरांत यौन शोषण से संबद्ध मामले थे।
- **अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध** में वर्ष 2018 से 2019 के दौरान **26% की वृद्धि** हुई है।
- वर्ष 2018 से 2019 के दौरान **बच्चों के विरुद्ध घटित अपराधों में 4.5% की बढ़ोतरी** हुई है।
- वर्ष 2018 से 2019 तक की अवधि में **मामलों को दर्ज करवाने** में **1.6% की वृद्धि** हुई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau: NCRB) के बारे में

- NCRB को **अपराध और अपराधियों के बारे में सूचनाओं के संग्रहण** संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था, ताकि अपराध को अपराधियों से संबद्ध करने में जाँचकर्ताओं को सहायता प्राप्त हो सके।
- इसकी अनुशंसा टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग (वर्ष 1977-1981) और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स (वर्ष 1985) द्वारा की गई थी।
- NCRB को **क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) परियोजना की निगरानी एवं कार्यान्वयन** संबंधी उत्तरदायित्व प्रदान किए गए हैं।
- NCRB का मुख्यालय **नई दिल्ली** में स्थित है और यह **गृह मंत्रालय के अधीन** कार्य करता है।
- **'क्राइम इन इंडिया' अर्थात 'भारत में अपराध' के प्रथम संस्करण को वर्ष 1953** में जारी किया गया था तथा वर्ष 2019 का रिपोर्ट अब तक का नवीनतम संस्करण है।
  - यह रिपोर्ट **विशेष और स्थानीय क़ानूनों तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज अपराधों को शामिल** करती है।

इसके अन्य प्रकाशनों में शामिल हैं:

- भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएं;
- कारागार सांख्यिकी भारत (Prison Statistics India);

VISION IAS

- भारत में फिंगर प्रिंट्स; तथा
- भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट।

NCRB के प्रमुख उद्देश्य

- अपराध एवं अपराधियों पर सूचना एकत्र करना, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध एवं अपराधियों पर सूचना भी शामिल है तथा **उनके समाशोधन गृह (clearing house) के रूप में कार्य करना।**
- संबंधित राज्यों, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरणों, न्यायालयों एवं अधिवक्ताओं से अंतर-राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों से संबंधित सूचना को एकत्र करना, समन्वय एवं विनिमय करना तथा उन्हें सूचना प्रदान करना।
- अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कर्मियों को **प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान** करना।
- विदेशी अपराधियों के फिंगर प्रिंट रिकार्ड जिसमें दोष-सिद्ध व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट रिकार्ड भी शामिल हैं, उनके राष्ट्रीय संग्रह के रुप में कार्य करना।
- फिंगर प्रिंट एवं फूट प्रिंट्स से संबंधित मामलों पर केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को सलाह देना, फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना आदि।

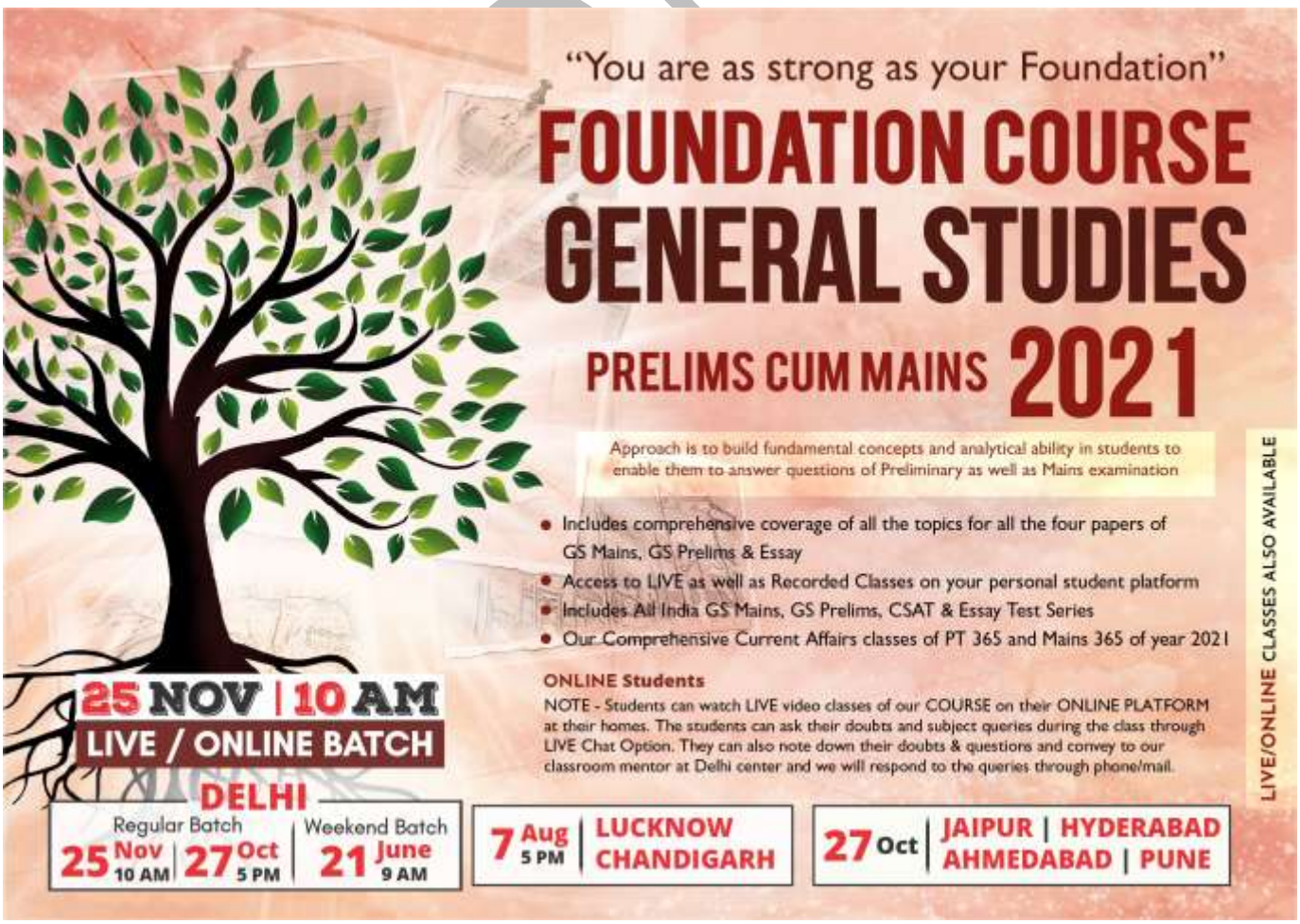

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. लघुपक्षीय समूहों का उद्भव (Rise of the Minilaterals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक आभासी (virtual) त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह वार्ता हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific region) में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी।
- **विचार-विमर्श के विषय:**
  - **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और भू-रणनीतिक चुनौतियां एवं सहयोग:** विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और इस संकट से निपटने हेतु घरेलू प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई।
  - **मरीन ग्लोबल कॉमन्स** (Marine Global Commons) पर सहयोग तथा **त्रिपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर व्यावहारिक सहयोग के लिए संभावित क्षेत्र,** जिसमें आसियान (ASEAN), इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) और हिंद महासागर आयोग (Indian Ocean Commission) जैसे क्षेत्रीय संगठनों में सहयोग शामिल है।
  - क्षेत्रीय और वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों की प्राथमिकताएं, चुनौतियां एवं रुझान तथा **बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने व उनमें सुधार करने के सर्वोत्तम उपायों** पर चर्चा की गई।
- **इस बैठक का उद्देश्य:** तीनों देशों के मध्य मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का निर्माण करना तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र को एक नियम-आधारित, शांतिपूर्ण, सुरक्षित व समृद्ध क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी क्षमता का एक-दूसरे के साथ समन्वय करना।
- तीनों पक्षों ने **वार्षिक आधार पर वार्ता आयोजित करने पर सहमति व्यक्त** की।
- हालांकि, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संवाद, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का 2+2 संवाद, क्वाड (Quad) आदि प्रायः आयोजित किए जाते रहे हैं, तथापि हाल के समय में **'लघुपक्षीय' (minilaterals) समूहों** के गठन को बढ़ावा मिला है। ज्ञातव्य है कि एक भारत-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय समूह पहले से ही विद्यमान है और भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समूह भी आकार ग्रहण कर रहा है।

हिंद-प्रशांत (Indo- Pacific) क्षेत्र के बारे में

- हिंद-प्रशांत एक **भू-राजनीतिक** क्षेत्र है। यह क्षेत्र एक **एकीकृत मंच का प्रतिनिधित्व करता है**, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर तथा उनके चतुर्दिक भू-खंडों को संयोजित करता है।
- हाल के दिनों में इस क्षेत्र ने संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की उपस्थिति, सामुद्रिक सुरक्षा चिंताओं, एशियाई अर्थव्यवस्था के उदय तथा चीन की आक्रामक सैन्य एवं विदेश नीति के कारण प्रासंगिकता प्राप्त की है।
- भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि जैसे कई क्षेत्रीय और पार-क्षेत्रीय (extra regional) देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित नीतियां जारी की हैं। ये नीतियां हिंद-प्रशांत की ओर एक रणनीतिक झुकाव को इंगित करती हैं।

संबंधित तथ्य: जर्मनी ने एक हिंद-प्रशांत नीति का अंगीकरण किया है

- हाल ही में, वर्धित **सुरक्षा और आर्थिक सहयोग** के लिए जर्मनी ने हिंद-प्रशांत पर केंद्रित एक नीति अपनाई है।
- अपनी नीति के माध्यम से जर्मनी का उद्देश्य बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन शमन, मानवाधिकार, नियम आधारित मुक्त व्यापार, कनेक्टिविटी (संपर्क), डिजिटल परिवर्तन और विशेष रूप से सुरक्षा नीति के क्षेत्रों में **हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग** का विस्तार व संबंधों को मजबूत करना है।

'लघुपक्षीय' (minilaterals) समूहों के उद्भव हेतु उत्तरदायी कारक

- **हितों के अभिसरण में सरलता:** लघु साझेदारी विशिष्ट पारस्परिक उद्देश्यों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।
- **रणनीतिक तर्क:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र, खुली और समावेशी व्यवस्था सुनिश्चित करने में अपनी भागीदारी के कारण भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समूह इन तीनों देशों के लिए प्राकृतिक रूप से उपयुक्त है।
- **कुछ साझेदारों द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं से आगे बढ़ना:** विशिष्ट साझेदारों द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं के निवारणार्थ बड़े समूहों के साझेदार अपने हितों के लिए लघु साझेदारियों को अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए- अमेरिकी नीतियों की अस्थिरता।
- **अनौपचारिक संवादों की खोज करना:** त्रिपक्षीय समूह, कठोर प्रतिबद्धताओं की स्थापना और विस्तृत औपचारिक वार्ताओं के बिना लोचशील नीति के अंतर्गत उभरते मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्रभावी मंच है।
- **यह बहुपक्षवाद और बहुपक्षीय संस्थानों से संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु प्रभावी है:**

VISION IAS

- **ध्रुवीकरण और वैचारिक संघर्ष:** बहुपक्षीय संस्थान / समूह प्राय: कुछ प्रभावशाली देशों के नेतृत्व में संचालित होते हैं। इससे विचारधाराओं या विशेष मुद्दों में मतभेदों की तर्ज पर विसंगति उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, जहाँ व्यक्तिगत दृष्टिकोण को संबोधित करने के लिए अत्यल्प या कोई स्थान नहीं बचता है।
- **वि-भूमंडलीकरण (Reverse globalization) और संरक्षणवादी प्रवृत्तियों में वृद्धि:** देश अब अधिक अंतर्मुखी होते जा रहे हैं अर्थात् वे अपने राष्ट्रीय हितों को ही सर्वोच्च मान्यता प्रदान कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों से परे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करना कठिन प्रतीत हो रहा है।
- **संस्थागत कठिनाई:** यह एक ऐसी अवस्था है, जहां संस्थान पर्याप्त गति से अनुकूलन और परिवर्तन करने में विफल होते हैं। मौजूदा बहुपक्षीय संस्थानों को नई और उभरती वैश्विक चुनौतियों, जैसे- जलवायु परिवर्तन, डेटा की निजता, साइबर सुरक्षा आदि को संबोधित करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA)

- IORA हिंद महासागर की सीमा से संलग्न देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसमें **भारत सहित 22 सदस्य देश और 10 वार्ता भागीदार** (Dialogue Partners) शामिल हैं।

हिंद महासागर आयोग (Indian Ocean Commission: IOC)

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है। यह संगठन हिंद महासागर से संलग्न अफ्रीकी देशों को परस्पर संबद्ध करता है। इस संगठन में शामिल देश हैं: **कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस, रियूनियन और सेशल्स।**
- IOC में **भारत** को एक **पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा** प्राप्त है।

2.2. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल {Bay of Bengal Initiative for ulti-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बिम्सटेक (BIMSTEC) सचिवालय द्वारा अपनी **स्थापना के 23 वर्ष उपरांत बिम्सटेक-चार्टर को अंतिम रूप** प्रदान किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- आगामी वर्ष जनवरी माह में श्रीलंका में आयोजित होने वाले इसके पांचवें शिखर सम्मेलन के दौरान इस चार्टर पर हस्ताक्षर होना पूर्व-निर्धारित है।
- **इस चार्टर से की जा रही अपेक्षाएं:**
  - यह सहयोग संबंधी दीर्घकालिक दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा;
  - यह संस्थागत संरचना में शामिल विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं व उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निरूपित करेगा; तथा
  - निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को परिभाषित करेगा।
- एक समर्पित चार्टर के अभाव में, बिम्सटेक का संचालन वर्ष 1997 के **बैंकाक घोषणा-पत्र** के आधार पर किया जा रहा है। इसमें कुछ कमियां विद्यमान हैं:
  - इसमें व्यापक प्रावधान नहीं किए गए हैं।
  - वर्ष 1997 में हस्ताक्षरित होने के बावजूद भी यह घोषणा-पत्र परिवर्तित हुए भू-राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप नहीं है।

बिम्सटेक के बारे में

- बिम्सटेक की स्थापना **वर्ष 1997 में चार देशों, यथा- बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड** द्वारा **BIST-EC (बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड - इकोनॉमिक कोऑपरेशन)** के रूप में की गयी थी।
- **म्यांमार (वर्ष 1997), नेपाल (वर्ष 2004) और भूटान (वर्ष 2004) के इस समूह में शामिल होने** के बाद इसे **BIMSTEC** नाम दिया गया था।
- इसका **प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 2004 में बैंकाक** में आयोजित किया गया था।

- इसका **सचिवालय ढाका, बांग्लादेश** में स्थित है।
- बिम्सटेक क्षेत्र में लगभग 1.5 बिलियन लोग निवास करते हैं, जो कि **वैश्विक आबादी का लगभग 22% हिस्सा** है। इस क्षेत्र का **संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2.8 ट्रिलियन डॉलर** है।
- **संस्थापक सिद्धांत:** बिम्सटेक के अंतर्गत सहयोग **संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और पारस्परिक लाभ** आदि सिद्धांतों के प्रति सम्मान पर आधारित होगा।
- **सहयोग के क्षेत्र:** बिम्सटेक ने सहयोग के लिए **14 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (priority areas)** निर्धारित किए हैं तथा प्रत्येक देश द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान किया जाता है।
    - **भारत इनमें से चार क्षेत्रों में अग्रणी देश रहा है,** उदाहरण के लिए- आतंकवाद-रोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के विरुद्ध उपाय, परिवहन एवं संचार, पर्यटन व पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन।
    - यह चार्टर इन 14 क्षेत्रों में सहयोग को 7 क्षेत्रकों (Sectors) में पुनःश्रेणीबद्ध करता है:
        - व्यापार, निवेश और विकास,
        - पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन,
        - सुरक्षा,
        - कृषि एवं खाद्य सुरक्षा,
        - लोगों के मध्य परस्पर संपर्क,
        - विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, तथा
        - कनेक्टिविटी (संपर्क)।

भारत के लिए बिम्सटेक का महत्व

- **आर्थिक:** बिम्सटेक तीव्र गति से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समूह बनने की दिशा में अग्रसर है। पूर्व एशिया आर्थिक समूह (East Asia Economic Grouping: EAEG) और आसियान अर्थात् दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (Association of South East Asian Nations: ASEAN) को छोड़कर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कई अन्य आर्थिक समूहों की तुलना में इसका अंतर-क्षेत्रीय व्यापार काफी अधिक है।
    - **लगभग 25 प्रतिशत वैश्विक व्यापार मार्ग बंगाल की खाड़ी** से होकर गुजरते हैं और इसमें प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के विशाल एवं अप्रयुक्त स्रोत विद्यमान हैं।
- **दक्षिण एशिया का तीव्र एकीकरण:** जहाँ भारत और पाकिस्तान के मध्य द्विपक्षीय विवाद के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation: SAARC) एक "निष्क्रिय" समूह सिद्ध हो रहा है, वहीं दक्षिण एशिया के एक उप-क्षेत्रीय समूह के रूप में बिम्सटेक भारत को पाकिस्तान के बिना दक्षिण एशिया को एकीकृत करने का अवसर प्रदान करता है।
    - दक्षिण एशिया विश्व में सबसे घनी आबादी वाले, परंतु सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है। इसका अंतर-क्षेत्रीय व्यापार दक्षिण एशियाई देशों के कुल व्यापार के 5% से भी कम है।
- **दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ना:** बिम्सटेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य एक सेतु है। बिम्सटेक का लाभ उठाते हुए, भारत बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में और उसके आसपास कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
    - भारत ने पहले ही **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान बहुविध पारगमन परिवहन परियोजना और बिम्सटेक मोटर वाहन समझौते** में निवेश किया है।
    - बिम्सटेक के साथ भौतिक संपर्क से भारत को आसियान के **मास्टर प्लान ऑफ़ कनेक्टिविटी 2025** के साथ स्वयं को एकीकृत करने में भी सहायता प्राप्त होगी।
    - **सभी सदस्य देश (श्रीलंका को छोड़कर) स्थल मार्ग से जुड़े हुए हैं,** जो कि उनके मध्य बेहतर संपर्क हेतु एक मजबूत क्षमता प्रदान करता है।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास:** एक सफल बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement: FTA) दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक वाणिज्यिक और व्यवसाय केंद्र (hub) के रूप में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
    - इस समूह में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के दो राष्ट्र, यथा- **म्यांमार और थाईलैंड** की अवस्थिति पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारत की महत्वाकांक्षी संपर्क योजनाओं हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
    - **म्यांमार में स्थित सितवे पत्तन (Sittwe port) कोलकाता की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिक निकट** स्थित है।

VISION IAS

- **चीन के प्रभाव को प्रति संतुलित करने के लिए:** भारत के पड़ोस में चीन का प्रभाव और उपस्थिति उसकी बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से बहुत बढ़ गई है। भारत, बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी आर्थिक संलग्नता के माध्यम से, इन देशों में चीन के प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** बिम्सटेक क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का विशाल और अप्रयुक्त भंडार है, जिसका उपयोग भावी विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा सकता है।
    - अन्य बिम्सटेक देशों के साथ भारत, **बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में म्यांमार के रखाइन तट पर** ऊर्जा के अवसरों की खोज कर रहा है।

बिम्सटेक के समक्ष चुनौतियां

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव:** सदस्य देशों के मध्य प्रभावी और सतत राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण दो दशकों से इस संगठन में काफी हद तक निष्क्रियता व्याप्त है।
    - वर्ष 1997 से, बिम्सटेक नेताओं ने शिखर-सम्मेलन स्तर पर केवल चार बार ही बैठक की है।
- **बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौता:** बिम्सटेक ने वर्ष 2004 में FTA पर चर्चा करने के लिए एक संरचना को अपनाया था। इसके अंतर्गत अग्रलिखित को शामिल किया गया है: (i) वस्तुओं के व्यापार में प्रशुल्क में छूट (ii) सीमा शुल्क सहयोग; (iii) सेवाओं में व्यापार; (iv) निवेश सहयोग तथा (v) विवाद समाधान। हालाँकि, इन क्षेत्रों में बहुत कम प्रगति हुई है।
- **क्षेत्रीय भू-राजनीति:** भावी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के समक्ष क्षेत्रीय भू-राजनीति के संबंध में कुछ चिंताएं विद्यमान हैं।
    - यह **नेपाल और थाईलैंड** द्वारा वर्ष 2018 में भारत के **पुणे में आयोजित प्रथम बिम्सटेक आतंकवाद-रोधी सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेने** से स्पष्ट हुआ है। इन देशों की गैर-भागीदारी का अनुमानित कारण यह था कि वे चीन को यह संदेश देना चाह रहे थे कि बिम्सटेक चीन विरोधी सैन्य मंच के रूप में विकसित हो सकता है।
- **भारतीय आधिपत्य की धारणा:** इस मंच की धारणा है कि यह एक भारत के प्रभुत्व वाला एक समूह है। यह एक ऐसी समस्या है, जिसका **सामना भारत को सार्क (SAARC) में भी लंबे समय** से करना पड़ रहा है।
    - **बांग्लादेश को प्राय: यह भय रहता** है कि **भारत जब भी कनेक्टिविटी के मुद्दे** पर चर्चा करता है, तो इसका तात्पर्य **"केवल भारत के लिए लाभ"** होता है। इस प्रकार का भय और आशंका बिम्सटेक की मूल संरचना पर प्रश्न एवं अविश्वास उत्पन्न करते हैं। इस अवधारणा के कारण वस्तुओं के मुक्त आवागमन की किसी भी संभावना को क्षति पहुँचती है।
    - हालांकि, **भू-आर्थिकी में परिवर्तन** के कारण, वर्तमान में अधिकांश छोटे पड़ोसी देश भारत के आर्थिक विकास के कारण उससे जुड़ने के इच्छुक हैं। **भारत को लगातार उनके साथ संलग्न रहना चाहिए और उनकी चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करनी चाहिए।**
- **भौतिक अवसंरचना:** बिम्सटेक क्षेत्र **निम्नस्तरीय सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, अंतिम छोर तक (last-mile) अपर्याप्त संपर्क** तथा जटिल सीमा शुल्क और समाशोधन प्रक्रियाओं से प्रभावित है, जिसके कारण व्यापार में अवरोध उत्पन्न होते हैं। न केवल कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देने के संदर्भ में बल्कि लोगों के मध्य परस्पर संपर्क को बढ़ावा देने हेतु भी क्षेत्र को आपस में जोड़ने के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।
- **मजबूत संस्थागत ढांचे की अनुपस्थिति:** वर्ष 2014 में ढाका में स्थापित बिम्सटेक सचिवालय, संगठन के विकास में पर्याप्त रूप से योगदान करने में असमर्थ रहा है और इसका अत्यल्प बजट एक ठोस कार्य के संपादन की इसकी क्षमता को भी प्रभावित करता है।

आगे की राह

- बिम्सटेक को **भू-राजनीति पर कम** और **आर्थिक एवं सामाजिक विकास की साझा क्षेत्रीय चिंताओं पर अधिक ध्यान** देना चाहिए।
- **FTA को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप प्रदान किया जाना** चाहिए। FTA सदस्यों के मध्य सीमा-पार उत्पादन को अधिक सुदृढ़ करने तथा नई मूल्य श्रृंखला सृजित करने में सहायता कर सकता है।
- बिम्सटेक को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए, इसकी **सदस्यता का आधार विस्तारित** करने की आवश्यकता है। बिम्सटेक को **तीन प्रमुख एशियाई शक्तियों,** यथा- **इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर** तक अपनी **सदस्यता के विस्तार** पर विचार करना चाहिए।
- वस्तुओं और सेवाओं के अधिक क्षेत्रीय प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए **सतत भौतिक संपर्क एवं उच्च गुणवत्ता युक्त अवसंरचना** को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **बिम्सटेक सचिवालय को अधिकाधिक वित्तीय संसाधनों के माध्यम से सशक्त** बनाया जाए, ताकि वह संगठन के एजेंडे का सक्रिय रूप से संचालन कर सके।

2.3. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ष 2003 से अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सेना और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों की जांच कर रहे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC) के अधिकारियों पर आर्थिक प्रतिबंध आरोपित किए हैं।

ICC के बारे में

- ICC एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विरुद्ध सबसे गंभीर अपराधों अर्थात् **नरसंहार के अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराधों और आक्रामकता संबंधी अपराध** करने वाले अभियुक्त व्यक्तियों की **जांच, अभियोग चलाने और सुनवाई करने** के लिए स्थापित किया गया है।
- इसकी **स्थापना वर्ष 1998** में ICC की **रोम संविधि (Rome Statute)** के तहत की गई थी।
    - इस न्यायालय की अधिकारिता **केवल 1 जुलाई, 2002 के उपरांत किए गए अपराधों** पर है, क्योंकि इस तिथि को ही **रोम संविधि लागू** हुई थी।
- 123 देश **रोम संविधि** में पक्षकार के रूप में शामिल हैं।
    - इस संधि पर अभी तक **हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों** में शामिल हैं: **भारत, चीन, इराक, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, तुर्की** आदि।
    - **जिन देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, परन्तु इसकी अभिपुष्टि नहीं की** उनमें मिस्र, ईरान, इजरायल, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि शामिल हैं।
    - बुरुंडी और फिलीपींस ICC में शामिल हुए थे, परन्तु बाद में उन्होंने इसका त्याग कर दिया था।
- ICC **राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणालियों को प्रतिस्थापित नहीं** करता है; बल्कि, यह उनका पूरक है।
- **इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तरीके से मामलें प्रस्तुत किए जाते हैं:**
    - एक सदस्य देश अपने राज्यक्षेत्र के भीतर के मामलों को ICC को संदर्भित कर सकता है;
    - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसी मामले को संदर्भित कर सकती है; तथा
    - अभियोजक किसी सदस्य राज्य में **स्वप्रेरणा (proprio motu)** या **"स्वयं की पहल पर"** एक जांच शुरू कर सकता है।

रोम संविधि पर भारत की प्रमुख आपत्तियाँ

- न्यायालय को मामले संदर्भित करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) को प्रदत्त असाधारण विशेषाधिकार।**
    - इसने ICC को UNSC के अधीनस्थ बना दिया है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय UNSC के स्थायी सदस्यों एवं उनके राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित हुआ है।
- यह संधि विशेष रूप से मानवता के विरुद्ध अपराधों की परिभाषा एवं आंतरिक संघर्षों के लिए उनकी प्रयोज्यता के संबंध में, **निर्देशात्मक प्रथागत कानून और संधि दायित्वों के मध्य विधिक अंतर को अस्पष्ट करती है।**
    - **भारत एक विशुद्ध पूरक व्यवस्था का समर्थन करता है,** जिसके तहत न्यायालय केवल असाधारण परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय अधिकारिता का अनुपूरक होगा। उदाहरणार्थ- जब किसी राज्य में न्यायिक प्रणाली अनुपस्थित हो या न्यायालय अपराधों से निपटने में असमर्थ हों।
- भारत द्वारा **परमाणु हथियारों के उपयोग को ICC के अंतर्गत अपराधों की श्रेणी में नामित करने की** प्रस्तावित व्यवस्था को **अस्वीकृत** कर दिया गया था।

ICC के **मुख्य अभियोजक को अपने विवेकानुसार मामलों को शुरू करने के लिए शक्ति प्रदान** की गई है।

ICC की सीमाएं

- **अफ्रीकी महाद्वीप को अविवेकपूर्ण रीति से लक्षित करना:** न्यायालय में दो दर्जन से अधिक मामले, केवल अफ्रीकी देशों में कथित अपराधों से संबंधित हैं।
    - वर्ष 2016 में, **केन्या के नेतृत्व में अफ्रीकी संघ** ने अनेक अफ़्रीकी देशों द्वारा एक साथ **न्यायालय की सदस्यता त्यागने के प्रस्ताव का समर्थन** किया था।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तीन स्थायी सदस्य इसके सदस्य नहीं: चीन** ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तथा न ही **संयुक्त राज्य अमेरिका** और न ही **रूस** ने इसकी अभिपुष्टि की है। इन देशों की अनुपस्थिति न्यायालय द्वारा स्थापित विधियों को लागू करने की क्षमता को प्रभावित करती है।

VISION IAS

- **निश्चित सिद्धांतों को लागू करना:** सभी राज्यों में उदार लोकतंत्र के सिद्धांतों को लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रदान करने के लिए "वन साइज़ फिट फ़ॉर आल" (one-size-fits-all) जैसे समाधान लागू करने हेतु ICC की आलोचना की जाती है।
- **आंतरिक संघर्षों पर ICC की अधिकारिता:** इस संदर्भ में चिंता व्यक्त की जाती है कि ICC राजनीतिक प्रयोजनार्थ अपनी अधिकारिता का दुरुपयोग कर सकता है।
    - भारत का मानना था कि सशस्त्र संघर्ष (जो कि अंतर्राष्ट्रीय चरित्र वाला न हो) के संदर्भ में किए गए कृत्यों को युद्ध अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- **समर्थन का अभाव:** न्यायालय को विश्व के सभी राष्ट्रों से समर्थन की कमी और उसकी संविधि के हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के व्यवस्थित सहयोग के अभाव का सामना करना पड़ रहा है।
    - न्यायालय के पास **स्वयं का कोई पुलिस बल नहीं** है, जो संदिग्धों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि यह सदस्य राज्यों के सहयोग पर निर्भर करता है।
- **पक्षपातपूर्ण प्रकृति:** ICC पर **पश्चिमी साम्राज्यवाद का एक साधन बनने** और **शक्तिशाली देशों के पक्ष में कमजोर देशों के विरुद्ध पक्षपात** करने का आरोप लगाया गया है।
    - इसके अतिरिक्त, ऐसे उदाहरण भी हैं जहां न्यायालय ने कुछ व्यक्तियों को लक्षित किया था, परन्तु अन्य जो हिंसाजनक कृत्यों और अपराधों में लिप्त थे, उन्हें उपेक्षित कर दिया था।
    - डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो (DRC) और युगांडा में ICC ने केवल विद्रोहियों या विपक्ष के सदस्यों के विरुद्ध कार्य किया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के एक दूत ने DRC में सरकारी सैनिकों द्वारा अपराध किए जाने की संभावना व्यक्त की है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मध्य तुलना:

विशेषताएं	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court)
न्यायालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष 1946	वर्ष 2002
संयुक्त राष्ट्र से संबंध	**संयुक्त राष्ट्र संघ का "आधिकारिक न्यायालय",** जिसे "**विश्व न्यायालय**" भी कहा जाता है।	यह **स्वतंत्र निकाय** है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित मामलों पर कार्यवाही कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र को संदर्भित किए बिना भी कार्यवाही आरंभ कर सकता है।
अवस्थिति	**पीस पैलेस, हेग (नीदरलैंड)**	**हेग (नीदरलैंड)**
अधिकारिता (क्षेत्राधिकार)	संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्य (अर्थात् राष्ट्रीय सरकारें)	व्यक्तिगत (व्यक्ति या संस्थाएं)
वादों (मामलों) के प्रकार	1. पक्षकारों के मध्य विवाद 2. परामर्शी विचार	व्यक्तियों पर आपराधिक अभियोग
न्याय निर्णयन क्षेत्र	संप्रभुता, सीमा विवाद, समुद्री क्षेत्र विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, मानवाधिकार, संधियों की व्याख्या आदि	नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता संबंधी अपराध
अधिकृत विधिक तंत्र	वे देश, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की अभिपुष्टि की है, वे अनुच्छेद 93 के अंतर्गत ICJ संविधि के पक्षकार हैं। जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, वे भी ICJ संविधि की पुष्टि करके उसके पक्षकार बन सकते हैं। प्रत्येक राज्य को किसी भी विवादास्पद मामले को स्पष्ट समझौते, घोषणाओं या संधि द्वारा सहमति प्रदान करनी चाहिए। अर्थात् राज्यों की	रोम संविधि (भारत इस संविधि का पक्षकार नहीं है)

VISION IAS

	सहमति आवश्यक है तथा बिना उनकी सहमति के किसी वाद को यहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, कोई एक पक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तब तक नहीं जा सकता, जब तक दूसरे पक्ष द्वारा सहमति व्यक्त न की जाए।	
अपील	अपील का कोई प्रावधान नहीं है। विवादास्पद मामले में ICJ का निर्णय पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है। यदि कोई राज्य निर्णय का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाया जा सकता है, जिसके पास प्रवर्तन की समीक्षा व अनुशंसा करने और निर्णय लेने का अधिकार है।	एक अपीलीय चैम्बर (appeal chamber) का उपबंध किया गया है। रोम संविधि का अनुच्छेद 80, अपराधमुक्त प्रतिवादी की लंबित अपील के पुनर्विचार की अनुमति प्रदान करता है।

आगे की राह

- न्यायालय को **अफ्रीका से परे अपना ध्यान केंद्रित** करने की आवश्यकता है।
- ICC को अपनी वैधता और कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए **निष्पक्षता, स्थानीय न्याय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय** पर ध्यान देना चाहिए।
- ICC की प्रभावकारिता में सुधार करने हेतु **अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रदान करने के लिए** न्यायालय का समर्थन करने में इसके सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।
- अभियोजक को **उन देशों में सत्तारुढ़ दलों को लक्षित करना आरंभ करना चाहिए,** जो उसे आमंत्रित करते हैं या जिनका वह अपनी जांच के लिए चयन करता है।
    - सरकार के नेताओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे ICC का अपने विरोधियों के विरुद्ध एक साधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं और स्वयं कठोर जांच से बच सकते हैं।
- न्यायालय को अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के और अधिक स्थायी सदस्यों को शामिल करके तथा जांच एवं अभियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़ करके अपने दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता है।

2.4. अफगान शांति प्रक्रिया (Afghan Peace Process)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अफगान सरकार और तालिबान के मध्य पहली अंत:अफगान शांति वार्ता (intra-Afghan peace talks) कतर में संपन्न हुई।

अफगान शांति वार्ता के बारे में

- इस प्रक्रिया में अफ़ग़ानिस्तान में अफगान सरकार और तालिबान के मध्य हो रहे **युद्ध और संघर्ष को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव एवं वार्ता शामिल हैं।**
- **वर्ष 2018 में** तालिबान और अमेरिका के मध्य संपन्न हुई वार्ता ने इस **शांति प्रक्रिया को तीव्र कर दिया था।**
- फरवरी 2020 में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने आतंकवाद के समापन तथा अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की वापसी के मुद्दों पर **तालिबान के साथ एक शांति समझौता किया था।** यह **अंत: अफगान वार्ता इस समझौते का हिस्सा थी।**
- हालांकि यह समझौता मार्च-अप्रैल 2020 में होना था, परन्तु तालिबान और अफगान सरकार द्वारा कैदियों की पारस्परिक रिहाई पर मतभेद होने के कारण इसमें विलंब हुआ था।

अफगान-तालिबान मुद्दे की पृष्ठभूमि

- **तालिबान का उदय** सोवियत संघ के विघटन से पूर्व तथा **1990 के दशक के प्रारंभ में** अफ़ग़ानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के उपरांत हुआ था।
- **वर्ष 1996 से लेकर वर्ष 2001 तक अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान का शासन था।** उस दौरान उसने शरियत कानून के एक क्रूर संस्करण को लागू किया था। इस कानून के अंतर्गत सार्वजनिक प्राणदंड और अंग-विच्छेद तथा सामान्य जीवन में महिलाओं पर प्रतिबंध लगाना शामिल था।
- 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों के पश्चात, **अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर अलक़ायदा और तालिबान सरकार के विरुद्ध** अफ़ग़ानिस्तान में **एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था।**
- **अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका के लगभग 14,000 सैनिक तैनात हैं।** ये सैनिक तालिबान समूह के किसी भी पुनरुत्थान को रोकने के लिए अफगान बलों को प्रशिक्षित करने, सलाह देने और देश में सैन्य अभियानों की निगरानी करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं।

- **अमेरिका लगभग 20 वर्षों से** तालिबान पर स्पष्ट विजय के बिना **इस संघर्ष में संलग्न है।** यह संघर्ष अत्यधिक मानव और आर्थिक लागत से युक्त अमेरिका का सबसे लंबा सैन्य अभियान बन गया है। अफ़ग़ानिस्तान में हवाई हमलों में मारे गए या घायल हुए नागरिकों (जिनमें अधिकांशत: महिलाएं और बच्चे शामिल हैं) की संख्या में वर्ष दर वर्ष 39% की वृद्धि हुई है।
- **अफ़ग़ानिस्तान में इस संघर्ष के समय में ही एक निर्वाचित अफगान सरकार** ने तालिबान सरकार को प्रतिस्थापित कर दिया था, जिसके कारण मानव विकास के अधिकांश उपायों में सुधार हुआ है। परन्तु अभी भी अफ़ग़ानिस्तान का लगभग एक तिहाई भाग एक "संघर्षरत" क्षेत्र बना हुआ है।

भावी चिंताएँ

अफ़ग़ानिस्तान से वापसी करने की अमेरिका की वर्तमान नीति, इस आशंका में वृद्धि करती है कि यह तालिबान की महत्वाकांक्षाओं को अफगान राजनीति में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके परिणामस्वरूप अफ़ग़ानिस्तान में और अधिक अराजकता उत्पन्न हो सकती है। अफ़ग़ानिस्तान के भीतर अन्य समूहों के साथ सत्ता साझा करने को लेकर तालिबान की दृढ़ता क्षेत्रीय अभिकर्त्ताओं के लिए चिंता का विषय है।

- **अनवरत जारी हिंसा:** संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2020 के प्रथम छह महीनों में, अफ़ग़ानिस्तान में सैकड़ों बच्चों और 3,500 से अधिक अफगान राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा बलों के सैनिकों सहित लगभग 1,300 नागरिक मारे गए हैं।
- **मानवाधिकारों के लिए खतरा:** मानवाधिकारों के संबंध में तालिबान के विगत रिकॉर्ड को देखते हुए गंभीर चिंताएं प्रकट की जा रही हैं। ज्ञातव्य है कि तालिबान शासन के तहत विशेष रूप से महिलाओं तथा शियाओं एवं हजारा (Hazaras) (अफ़ग़ानिस्तान में तीसरा सबसे बड़ा नृजातीय समूह) समुदाय के विरुद्ध हिंसा सबसे व्यापक रही थी।
    - तालिबान इस्लामिक कानून के अपने संस्करण को देश की शासन प्रणाली के रूप में पुन: लागू करना चाहता है। हालांकि, वर्ष 1996-2001 के अपने शासन की तुलना में इस सशस्त्र समूह ने महिलाओं के मुद्दे और सामाजिक समानता के प्रति अल्प सख्त व्यवहार किए जाने पर अस्पष्ट टिप्पणियां की हैं।

अमेरिका-तालिबान शांति समझौते के चार उद्देश्य हैं:

- युद्ध विराम घोषित करके हिंसा का अंत करना;
- स्थायी शांति के लिए एक अंत: अफगान वार्ता प्रारंभ करना;
- तालिबान द्वारा अलक़ायदा जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध विच्छेद करना; और
- अप्रैल 2021 तक अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी।

भारत के लिए आगे की राह

- भारत ने **"अफगानिस्तान के नेतृत्व में, अफगानिस्तान के स्वामित्व वाले और अफगानिस्तान नियंत्रित"** (Afghan-led, Afghan-owned, and Afghan-controlled) शांति प्रक्रिया के लिए अपने लंबे समय से व्यक्त समर्थन को दोहराया है। एक संप्रभु, अखंड, स्थिर, बहुलवादी और लोकतांत्रिक अफ़ग़ानिस्तान से संबंधित भारत की परिकल्पना में नृजातीय व प्रांतीय तर्ज पर निर्धारित अफ़ग़ानिस्तान में एक विस्तृत निर्वाचन क्षेत्र की अपेक्षा अंतर्निहित है।
- अब तक भारत की यह घोषित नीति रही है कि वह तालिबान के साथ संलग्न नहीं होगा, क्योंकि भारत का यह विचार है कि पाकिस्तान द्वारा इस कट्टरपंथी समूह को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। **हालाँकि, भारत का वर्तमान तालिबान के साथ संबंध, कई कारणों से महत्वपूर्ण हो सकता है:**
    - **तालिबान की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय वैधता और विश्वसनीयता:** तालिबान के बाह्य संबंधों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन पाकिस्तान के साथ इसके संबंध और इसके पूर्ववर्ती विरोधियों (विशेष रूप से ईरान तथा रूस) एवं चीन के साथ इसके संपर्क के रूप में परिलक्षित हो सकता है।
    - राजनीतिक रूप से सशक्त होते तालिबान के साथ राजनयिक संपर्क स्थापित करना अफ़ग़ानिस्तान में **भारत के मौजूदा और भावी आर्थिक हितों की रक्षा हेतु** महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जिसमें मध्य एशियाई ऊर्जा बाजारों और व्यापक संपर्क परियोजनाओं (उदाहरणार्थ- चाबहार बंदरगाह) से संबद्ध हित भी शामिल हैं।

VISION

- तालिबान के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध **भारत को भावी अफ़ग़ानिस्तान से कुछ लाभ उपलब्ध करवाएगा,** जिसका उपयोग वह अफ़ग़ानिस्तान में भारतीय हितों को क्षति पहुँचाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के उद्देश्य से कर सकता है।
  - **तालिबान का उग्रवादी दल 'हक्कानी नेटवर्क' भारत का कट्टर विरोधी रहा है** और उसने पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया हुआ है। यह समूह इस क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को लक्षित करते हुए अपने आतंकी अभियान संपन्न करता है।
  - भारत की सुरक्षा के लिए एक अन्य खतरा अफ़ग़ानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में **इस्लामिक स्टेट-ख़ुरासान (Islamic State-Khorasan) की बढ़ती उपस्थिति** है। यह संगठन स्थानीय रूप से विभाजित तालिबान व अन्य आतंकी समूह से पृथक हुए गुटों को अपने दल में शामिल कर सकता है।

विभिन्न देशों के हित

- **पाकिस्तान:** 9/11 आतंकी हमलों के उपरांत तालिबान के मुख्याधार के विनष्ट होने के पश्चात् पाकिस्तान अमेरिका के "वॉर ऑन टेरर" (आतंक के साथ युद्ध) अभियान में संलग्न हो गया था। यह पाकिस्तान का तालिबान के साथ उसके विगत संबंधों में आया एक परिवर्तन था। हालाँकि, बाद के वर्षों में पाकिस्तान ने तालिबान के साथ अपने संबंधों को पुन: स्थापित किया है तथा हाल ही तक, दोनों के बीच कई गुप्त समझौते भी हुए हैं।
- **रूस और ईरान:** वर्ष 2001 से पूर्व, रूस और ईरान ने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (National United Front) का समर्थन किया था, जिसे तालिबान के विरुद्ध नॉर्दर्न अलायंस (उत्तरी गठबंधन) के रूप में भी जाना जाता है। इसके बावजूद, हाल ही के वर्षों में, तालिबान ने रूस और ईरान के साथ संबंध स्थापित करने की पहल आरंभ की है। तालिबान ने स्वयं को इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत {इस्लामिक स्टेट का मध्य एशियाई प्रदेश जिसे आई.एस.-के (IS-K) नाम से जाना जाता है} के विरुद्ध एक सक्षम बल सिद्ध किया है। ज्ञातव्य है कि इस प्रांत का उदय ईरान और रूस दोनों के लिए चिंता का विषय है।
- **चीन:** चीन के साथ तालिबान के संबंध इस क्षेत्र में अपनी कूटनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि अफगान सरकार ने शांति वार्ता में शामिल होने के लिए तालिबान और पाकिस्तान को प्रोत्साहित करने हेतु चीन के समर्थन की मांग की है, परन्तु शांति व अंत: अफगान वार्ता के लिए चीन के प्रयास पर्याप्त परिणाम प्राप्त करने में विफल रहे हैं।

निष्कर्ष

एक समावेशी शांति प्रक्रिया, जिसमें महिलाओं, युवाओं और पीड़ितों की सार्थक भागीदारी सम्मिलित हो, प्रत्येक अफगान नागरिक के मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए शांति का एकमात्र मार्ग है। हालाँकि प्रत्येक देश अपने-अपने संबंधों की नीति को संबंधित रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने का अभिलाषी है, परन्तु सभी के लिए अति महत्वपूर्ण लक्ष्य अफ़ग़ानिस्तान में शांति की स्थापना करना है। इस संबंध में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के मध्य आम सहमति है कि तालिबान से कैसे निपटा जाए, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है।

2.5. डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट (Data Free Flow with Trust)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ओसाका घोषणा-पत्र** पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। यह घोषणा-पत्र **डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट (DFFT)** की अवधारणा का प्रस्ताव करती है।

DFFT के बारे में

- इसका उद्देश्य उत्पादकता, नवाचार और सतत विकास के लिए **इलेक्ट्रॉनिक साधनों** द्वारा व्यक्तिगत जानकारी और विदेशी सर्वरों में डेटा संग्रहीत करके **सूचना के सीमा-पार अंतरण पर प्रतिबंध को समाप्त करना है।**
- यह सुरक्षा, डेटा संरक्षण और बौद्धिक संपदा जैसी चुनौतियों के समाधान के महत्व पर भी बल देता है, जो अन्यथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों में लोक विश्वास को क्षति पहुँचा सकती हैं।

DFFT की आवश्यकता

- **सीमा-पार डेटा विवादों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का अभाव:** हाल के समय में डेटा प्रवाह से संबंधित मुद्दों, जैसे- वाक् स्वातंत्र्य, बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, साइबर अपराध, उपभोक्ता संरक्षण, कराधान, वाणिज्यिक विनियमन और अन्य संबद्ध मुद्दों के संदर्भ में विवाद में वृद्धि परिलक्षित हुई है।
- **व्यवसाय करने की सुगमता (ease of doing business) पर प्रभाव:** डेटा अंतरण और डेटा स्थानीयकरण नीतियों की विनियामक शर्तें या अनिवार्यताएं निर्यातकों को उनके संचालन से संबंधित प्रत्येक देश में डेटा सेंटर बनाने या पट्टे (लीज़) पर लेने के लिए बाध्य कर सकती हैं। ऐसा करना निषेधात्मक रूप से उच्च अनुपालन और प्रवेश लागत को आरोपित कर सकता है।
- **डिजिटल क्षेत्र के दिग्गजों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी व व्यापार-विकृत करने वाले कार्यों की वृद्धि:** इस हेतु उत्तरदायी कारण परस्पर विरोधी नीतियों और डेटा प्रवाह के प्रबंधन हेतु व्यापक ढांचे का अभाव है।

- **"सोसायटी 5.0" की ओर बढ़ना:** यह रेखांकित करता है कि डिजिटलीकरण वर्तमान की सामाजिक चुनौतियों से कैसे निपट सकता है तथा सामाजिक और कल्याणकारी प्रणालियों के अनुकूलन द्वारा किस प्रकार व्यापक परिवर्तन ला सकता है। उदाहरण के लिए-
  - सरकारी संस्थाओं के मध्य डेटा के पुनरुपयोग और साझाकरण से अधिक सटीक निवारक देखभाल व बढ़ती लागत के शमन के साथ **वृद्धजनों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता प्राप्त हो सकती है।**
  - **संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति और उनकी प्रगति की निगरानी** के लिए डेटा तक कुशल एवं स्वतंत्र पहुँच आवश्यक है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण:** डेटा प्रवाह द्वारा समर्थित डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैश्विक आर्थिक गतिविधि का एक बड़ा हिस्सा है। कुछ देशों द्वारा वर्तमान डेटा प्रवाह पर आरोपित प्रतिबंधों और डेटा स्थानीयकरण संबंधी आवश्यकताओं ने अर्थव्यवस्था और उपायों की गंभीरता के आधार पर उनकी GDP को 0.4% से 1.7% तक कम कर दिया है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ओसाका घोषणा-पत्र के बारे में

- **वर्ष 2019 में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान** इस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। हस्ताक्षरकर्त्ताओं में कुछ G-20 देश और वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में ई-कॉमर्स पर अनौपचारिक बहुपक्षीय वार्ताओं में भाग लेने वाले अन्य देश शामिल थे।
- इसके तहत **"ओसाका ट्रैक"** के शुभारंभ की घोषणा की गई है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा, व्यक्तिगत जानकारी और साइबर सुरक्षा के लिए वर्धित सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था (विशेष रूप से डेटा प्रवाह) और ई-कॉमर्स पर अंतर्राष्ट्रीय नियम निर्माण के प्रयासों को तीव्र करना है।
- ओसाका ट्रैक, वर्ष 2019 के विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में पूर्व जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तावित **डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट (DFFT)** के विचार से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य सीमा-पार डेटा प्रवाह पर प्रतिबंध को समाप्त करना है।

भारत के लिए चिंता

- **स्पष्टता का अभाव:** DFFT को न तो भलिभांति समझा गया है और न ही इसे कई देशों के क़ानूनों में व्यापक स्थान प्राप्त है।
- **नीति-निर्माण में विकासशील देशों के लिए स्थान संरक्षित करने की आवश्यकता:** भारत, कई अन्य विकासशील देशों की भांति, अभी भी अपने डेटा संरक्षण और ई-कॉमर्स क़ानूनों के लिए एक कानूनी व विनियामक ढांचा तैयार करने के चरण में है। भारत को डिजिटल व्यापार और डेटा के लिए क़ानूनों को अंतिम रूप देने हेतु नीति-निर्माण में एक स्थान की आवश्यकता है, क्योंकि यह विकास के लिए एक क्षमतावान साधन है।
- **डेटा तक समान पहुंच के निहितार्थ:** मौजूदा विनियम, जिन पर DFFT को आधार बनाने की मांग की जाती है (जैसे कि डेटा का निर्बाध सीमा-पार प्रवाह), डेटा तक पहुँच पर भारत की चिंताओं के निवारणार्थ अपर्याप्त हो सकते हैं और देशों के मध्य डिजिटल विभाजन को और अधिक बढ़ा सकते हैं।
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के इतर की जाने वाली वार्ताओं पर आशंका:** ओसाका ट्रैक, **डब्ल्यू.टी.ओ. वर्क प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स** के तहत आयोजित हो रही बहुपक्षीय और सर्वसम्मति पर आधारित वार्ताओं को कमजोर कर सकता है।
  - "डब्ल्यू.टी.ओ वर्क प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स" वैश्विक ई-कॉमर्स से उत्पन्न होने वाले व्यापार से संबंधित मुद्दों को शामिल करता है। इनमें से कुछ मुद्दों में **गोपनीयता और सार्वजनिक नैतिकता** का संरक्षण तथा धोखाधड़ी की रोकथाम, सार्वजनिक दूरसंचार परिवहन नेटवर्क और सेवाओं तक पहुंच व उनका उपयोग, उत्पत्ति के नियम आदि सम्मिलित हैं।
- **राष्ट्रीय नीतियों और क़ानूनों पर प्रभाव:** भारत विदेशी निगरानी और हमलों को रोकने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर डेटा स्थानीयकरण को महत्वपूर्ण मानता है। भारत के डेटा स्थानीयकरण नियमों की DFFT द्वारा उपेक्षा की जा सकती है।
  - उदाहरण के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के तहत भुगतान कंपनियों को अपने वित्तीय डेटा का स्थानीयकरण करने की अनिवार्यता है। साथ ही, **व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019** (Personal Data Protection Bill, 2019) भारत के बाहर डेटा अंतरण पर कुछ प्रतिबंध आरोपित करता है।

आगे की राह

- **WTO में संलग्नताओं को प्रोत्साहित करना:** डेटा प्रवाह से संबंधित किसी भी सुधार को WTO के प्रमुख सिद्धांतों (यथा- सर्वसम्मति आधारित निर्णयन, बहुपक्षीय सहमति आधारित नियम और विवाद निपटान निकाय द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कार्यप्रणाली) के अनुरूप होना चाहिए।
- **विकासशील देशों को पर्याप्त सहायता प्रदान करना:** विकासशील देशों में क्षमता की कमी को समय-समय पर प्रशिक्षण आधारित समर्थन से पूर्ण किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक समान अवसर उपलब्ध करवाने और डेटा मुक्त प्रवाह का समान लाभ उठाने हेतु डिजिटल अवसंरचना का निर्माण भी अपरिहार्य है।
- कुछ सिद्धांत और नीतियां निम्नलिखित हैं, जिनका पालन वर्तमान डेटा ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए किया जा सकता है:

VISION IAS

- डेटा के संग्रहण या प्रसंस्करण के स्थान से निरपेक्ष, **कंपनियों को डेटा के प्रबंधन (जिन्हें वे एकत्रित करते हैं) हेतु जवाबदेह बनाया जाना चाहिए**। यह स्थानीय जवाबदेही और अंतर-संचालनीयता (interoperability) को सक्षम बनाएगा।
- यह सुनिश्चित करने के लिए एक **जवाबदेही-आधारित दृष्टिकोण का विकास** करना कि फर्म वित्तीय विनियामक अधिकारियों से डेटा के अनुरोधों की प्रतिक्रिया में समय पर डेटा तक पहुँच प्रदान करें।
- **उन अक्षम प्रक्रियाओं और अप्रचलित कानूनी समझौतों को संशोधित करना**, जिनके माध्यम से किसी अन्य देश के अधिकार-क्षेत्र में संग्रहित डेटा तक पहुंच हेतु कानून प्रवर्तन अनुरोधों को शासित किया जाता है।
- पारदर्शिता के लिए **अंतर्राष्ट्रीय नियम स्थापित करना,** क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्नों का निपटान करना और कानून प्रवर्तन निकायों के सीमा-पार अनुरोधों में सहयोग एवं समन्वय बढ़ाना।
- **गैर-कानूनी सामग्री के अवैध वितरण और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी एवं प्रशासनिक ढांचे का विकास करना।**
- **डेटा प्रवाह और डिजिटल तकनीकों को सुरक्षित** करने के लिए **कूटलेखन (encryption) का समर्थन** करना।

निष्कर्ष

आर्थिक संवृद्धि, विकास और सामाजिक कल्याण के एक प्रवर्तक के रूप में डेटा द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, सीमा-पार डेटा प्रवाह से संबंधित किसी भी सुधार को प्रमुख मूल्यों एवं बुनियादी सिद्धांतों, जैसे- गैर-भेदभाव, समावेशिता, विशिष्ट व विभेद आधारित व्यवहार की पहचान तथा सर्वसम्मति-आधारित निर्णयन प्रक्रिया को संरक्षित करना चाहिए।

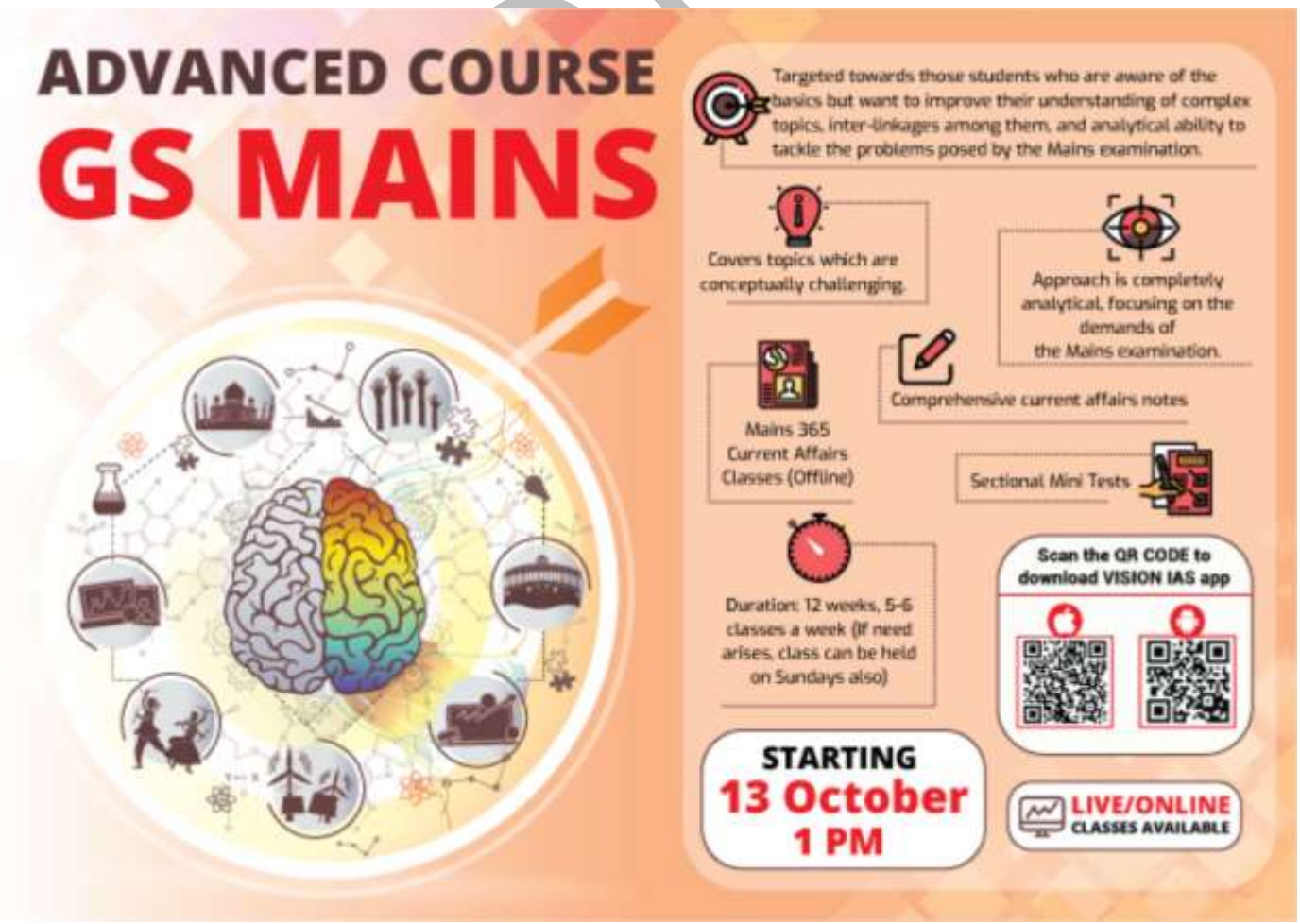

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. कृषि सुधार (Agricultural Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से तीन अधिनियम पारित किए। ये हैं- कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 {The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020}; मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 {The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020}; तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 {The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020}।

इन सुधारों की आवश्यकता क्यों थी?

- **कृषि की अलाभकारिता:** दिए गए इन्फोग्राफिक में बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता, व्यापार की निष्क्रियता और प्रवासन की अभिवृत्तियों को उजागर किया गया है।
- **'कृषि उपज विपणन समिति' (Agricultural Produce Market Committees: APMCs) से संबंधित समस्याएं:** कृषि संबंधी स्थायी समिति (वर्ष 2018-19) ने निम्नलिखित समस्याओं की पहचान की है:

WHAT THE INDIAN FARMER OWNS, OWES AND EARNS

CHART 1: THE FARM WORKFORCE

Year	Total engaged in agriculture (% of workforce)	Agricultural labourers (% of agricultural workforce)
1951	69.70%	28.10%
1961	69.50%	69.50%
1971	69.70%	37.80%
1981	60.50%	37.50%
1991	59%	40.30%
2001	58.20%	45.60%
2011	54.60%	54.90%

CHART 2: INDEBTEDNESS BY LANDHOLDINGS (JULY 2012-JUNE 2013)

Land owned (hectare)	Indebted farm household (lakhs)	Average loan amount (Rs.)
Up to 0.01	10.02	31100
0.01-0.40	135.97	23900
0.41-1.00	152.16	35400
1.01-2.00	86.11	54800
2.01-4.00	56.10	94900
4.01-10.00	25.21	182700
10 & above	2.92	290300
All India	468.48	47000

CHART 3: INCOME AND INDEBTEDNESS

State	Farm households indebted (%)	Monthly income per household (Rs)
Andhra Pradesh	92.9%	5979
Bihar	42.5%	3558
Punjab	53.2%	18059
West Bengal	51.5%	3980
All India	51.9%	6426

CHART 4: TERMS OF TRADE (FARMER, NON-FARMER)

CHART 5: PROCUREMENT & PRODUCION, 2018-19

State	Produced (1000 tonnes)	% Procured at MSP
RICE		
Punjab	16,050	70.62%
West Bengal	12,820	15.44%
WHEAT		
Punjab	32,750	38.75%
Bihar	18,240	0.10%

CHART 6: MIGRATION OF FARMERS

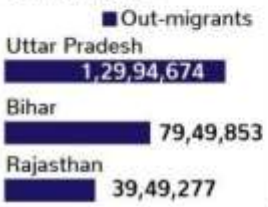

CHART 7: SHARE OF FOOD PROCESSING GVA IN TOTAL MANUFACTURING GVA(%)

  - अधिकांश 'APMCs' में व्यापारियों की सीमित संख्या होती है, जिससे **व्यवसायी आपस में मिलकर समूह बना लेते हैं और प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है।** व्यापारी, कमीशन एजेंट और अन्य लोग स्वयं को संघों में व्यवस्थित कर लेते हैं तथा नए लोगों को बाजार में सरलता से प्रवेश नहीं करने देते।
  - कृषकों को **कमीशन शुल्क और बाजार शुल्क** के रूप में अनुचित भुगतान करना पड़ता है, जिससे उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ कम हो जाते हैं।

- APMC अधिनियम **विपणन गतिविधि से और अधिक लोगों/संस्थाओं** (जैसे- अधिक खरीदारों, निजी बाजारों, व्यवसायों, खुदरा उपभोक्ताओं को तथा ऑनलाइन लेन-देन) को जोड़ने में सहायक नहीं रहा है। साथ ही, यह अधिनियम **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में भी बाधक** बना हुआ है।

- **अन्य कारण:**
  - **सात मुख्यमंत्रियों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने** कृषि विपणन और अवसंरचना में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955** (जो आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और नियंत्रण का प्रावधान करता है) में **परिवर्तन किए जाने की अनुशंसा की थी।**

इन सुधारों का विरोध क्यों हो रहा है?

इन अधिनियमों का विरोध किसानों के साथ-साथ व्यापारियों की ओर से भी हो रहा है। इन अधिनियमों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं और आशंकाओं *(इन्हें आगे इन कानूनों के विश्लेषण के साथ बताया गया है)* के अतिरिक्त इनके कार्यान्वयन के विषय में भी प्रक्रियात्मक समस्याएं विद्यमान हैं।

- **संविधान की संघीय भावना का उल्लंघन:** पंजाब और हरियाणा जैसी विभिन्न राज्य सरकारों ने इन पर आपत्ति जताई है, क्योंकि कृषि राज्य सूची का एक विषय है। इसलिए राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय कानूनों का पारित होना भारत की संघीय भावना को कमजोर करता है।
- **राज्य के विषयों में हस्तक्षेप करना प्रशासनिक रूप से अविवेकपूर्ण है:** संविधान ने कृषि उत्पादन की अत्यधिक स्थानीयकृत प्रकृति के कारण कृषि बाजारों पर अधिकार क्षेत्र को राज्यों को हस्तांतरित किया है। किसान और व्यापारी के मध्य पहली बिक्री उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ी होती है। यह स्थान विशिष्ट होती है तथा **कराधान, ऋण, किसान उत्पादक संगठनों एवं भौतिक बाजारों के निर्माण सहित उत्पादन और बिक्री की रूपरेखाओं के निर्धारण के लिए राज्य ही सर्वश्रेष्ठ स्थान होते हैं।**
- **किसान संगठनों से पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया गया था:** विभिन्न संगठनों ने कहा है कि उनके साथ कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया था।
- **संसद में सीमित चर्चा:** विरोधी दल इस तथ्य के आधार पर विरोध कर रहे हैं कि इनसे संबंधित विधेयकों पर बहुत सीमित चर्चा हुई और विचार-विमर्श के भाग के रूप में सभी राजनीतिक दलों से संपर्क नहीं किया गया।

सरकार द्वारा हाल ही में की गई अन्य सुधारात्मक पहलें:

कृतज्ञ (KRITAGYA) हैकाथॉन

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने **राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (National Agricultural Higher Education Project: NAHEP)** के अंतर्गत **कृतज्ञ (कृषि-तकनिक-ज्ञान) हैकाथॉन** की घोषणा की है। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए अनुकूल उपकरणों पर विशेष बल देते हुए कृषि मशीनीकरण और संभावित प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देना है।
  - **NAHEP** का उद्देश्य आधारभूत संरचना, संकाय और छात्र उन्नति के लिए संसाधनों और तंत्र को विकसित करना, तथा कृषि विश्वविद्यालयों के बेहतर प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए साधन उपलब्ध कराना है। यह परियोजना **विश्व बैंक और भारत सरकार के मध्य 50:50 लागत साझाकरण के आधार पर प्रस्तावित है।** इसे शिक्षा प्रभाग, ICAR, नई दिल्ली में कार्यान्वित किया गया है।
- विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों से जुड़े **विद्यार्थी, संकाय-सदस्य और नवप्रवर्तक (innovators) या उद्यमी** एक समूह के रूप में इस कार्यक्रम हेतु आवेदन कर सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं।

केंद्रीकृत फार्म मशीनरी प्रदर्शन परीक्षण पोर्टल (Centralized Farm Machinery Performance Testing Portal)

- इस पोर्टल को कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा प्रारम्भ किया गया था। इसे **कृषि मशीनरी परीक्षण संस्थानों की सेवाओं में सुधार** करने और **मशीनों के परीक्षण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता** लाने के लिए **कृषि, सहकरिता और किसान कल्याण विभाग** द्वारा विकसित किया गया है।
- यह **विनिर्माताओं** को किसी भी स्थान से निर्बाध तरीके से अपनी मशीनों के परीक्षण हेतु आवेदन करने, संचार स्थापित करने और प्रगति की निगरानी करने की सुविधा प्रदान करेगा।

3.1.1. कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 {The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020}

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- **किसानों की उपज का व्यापार:** यह अधिनियम **किसानों को उनकी उपज के लिए निम्नांकित बाजारों/स्थलों से बाहर अंतरा-राज्य (intra-state)** और **अंतर-राज्यीय (inter-state) व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है:** (i) 'राज्य APMC अधिनियमों' के अंतर्गत गठित बाजार समितियों द्वारा संचालित मंडियों के भौतिक परिसर, और (ii) 'राज्य APMC अधिनियमों' के अंतर्गत अधिसूचित अन्य बाजार।

- **इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग:** यह अधिनियम निर्धारित व्यापार क्षेत्र में **किसानों की अधिसूचित उपज (राज्य APMC अधिनियम के अंतर्गत विनियमित कृषि उपज)** के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की अनुमति प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा इंटरनेट के माध्यम से ऐसी **उपज की प्रत्यक्ष और ऑनलाइन खरीद एवं बिक्री की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और लेन-देन प्लेटफॉर्म** स्थापित किया जा सकता है।
    - अग्रलिखित इकाइयाँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स स्थापित और संचालित कर सकती हैं: (i) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज रखने वाली कंपनियां, साझेदारी फर्म या पंजीकृत सोसायटी, एवं (ii) **किसान उत्पादक संगठन** या **कृषि सहकारी समिति।**
- **बाजार शुल्क की समाप्ति:** यदि किसान अपनी उपज को APMC के बाहर बेचते या उसका व्यापार करते हैं, तो राज्य सरकारें **किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स** पर किसी भी प्रकार का बाजार शुल्क, उपकर या लेवी आरोपित नहीं कर सकती हैं।

इस अधिनियम से अपेक्षित लाभ

- **मध्यवर्ती संस्थाओं (बिचौलियों) की भूमिका में कमी:** यह नया कानून एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकता है, जहां किसानों एवं व्यापारियों को कृषि-उपज की **बिक्री और खरीद करने की स्वतंत्रत प्राप्त होगी।** इस प्रकार, व्यापारियों और अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं (बिचौलियों) द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला एकाधिकार समाप्त होगा, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा।
    - उदाहरण के लिए, एक हल्दी उगाने वाला किसान अब **बिना किसी मंडी कर या कमीशन के**, अपनी उपज को **पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर** दिल्ली में बिग बास्केट को बेच सकता है।
- **एकीकृत बाजार:** बाधा रहित अंतरा-राज्य (intra-state) और अंतर-राज्यीय (inter-state) व्यापार एवं वाणिज्य के कारण **कृषि अधिशेष को प्रचुरता वाले क्षेत्रों से न्यूनता वाले क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करना संभव होगा। यह एक राष्ट्र एक कृषि बाजार (वन नेशन, वन एग्री-मार्केट)** की अवधारणा का विस्तार करेगा।
    - वर्तमान में, कृषि बाजार बहुत ही विखंडित अवस्था में हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2019 में एक क्विंटल चावल का मासिक औसत मूल्य आगरा (उत्तर प्रदेश) में 2,042 रुपये था, जबकि गंगटोक (सिक्किम) में इसका मूल्य 5,102 रुपये था। सब्जियों के मूल्य के मामले में भिन्नता अधिक स्पष्ट है। (इंफोग्राफिक देखें)
- **यह अधिनियम APMC में सुधारों को प्रोत्साहित करेगा:** चूंकि, यह कानून **APMC अधिनियम को निरस्त नहीं** करता है, अतः निजी बाजार अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए APMC बाजारों पर दबाव डाल सकते हैं। APMC प्रणाली को सुधारने में **राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका** है, जैसे-

    - राज्य सरकारें इन समितियों के राजनीतिकरण को समाप्त कर, उन्हें अधिकाधिक किसान हितैषी बना सकती हैं।
    - राज्य सरकारें APMC बाजारों को निजी बाजारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति प्रदान कर सकती हैं। वे बाजार में लेन-देन पर लगाए जाने उपकरों से छूट प्रदान कर सकती हैं।
    - राज्य सरकारें अपनी **अव्यवहार्य मंडियों का निजीकरण** कर सकती हैं।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याएं

- एक स्थापित बाजार तंत्र में **आकस्मिक परिवर्तन करने से** बाजार विकृत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2006 में, बिहार सरकार ने इस क्षेत्रक में निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने APMC अधिनियम को निरस्त कर दिया था और उस क्षेत्र के संबंधित उप-विभागीय अधिकारियों को बाजारों का प्रभार सौंप दिया था। जिसके परिणामस्वरूप:

- **खराब रखरखाव के कारण समय के साथ विद्यमान अवसंरचना** का क्षरण हो गया।
- किसानों को **उच्च लेन-देन शुल्कों** तथा उपज के मूल्यों के विषय में **जानकारी के अभाव** जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

- यह अधिनियम **"बाजार क्षेत्रों" (market areas)** (राज्य सरकारों द्वारा विनियमित मंडियों) और **"व्यापार क्षेत्रों" (trade areas)** (अब केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत विनियमित बाजारों) के मध्य **कृत्रिम अंतर** उत्पन्न करता है। इस प्रकार, इससे दोहरे विनियामक बाजार तंत्र की समस्या का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, अब **नए अविनयमित बाजारों** अर्थात् "व्यापार क्षेत्रों" पर **कोई निगरानी नहीं रहेगी और सरकार के पास इस बात की कोई जानकारी या खुफिया जानकारी नहीं होगी कि** इसमें प्रतिभागी कौन हैं, कौन किसके साथ कितनी मात्राओं के लिए और किन मूल्यों पर लेन-देन कर रहा है।
- **मंडी कर** की दृष्टि से, 'व्यापार क्षेत्रों' को 'बाजार क्षेत्रों' की तुलना में स्पष्ट विनियामक लाभ प्राप्त होगा। इससे संभावित रूप से **APMC प्रणाली** और **ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM)** जैसी पहलें ध्वस्त हो सकती हैं, जो देश में भौतिक मंडी संरचना के आधार पर संचालित हो रही हैं।
- यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण संस्थागत अंतराल उत्पन्न करता है। यदि APMC की उपेक्षा की जाती है तो तो बाजार के कुशल संचालन के लिए आवश्यक राज्य-विशिष्ट निवेशों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा।
- **राज्य सरकारों को मंडी कर (mandi tax) की हानि होगी,** जो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत है।

3.1.2. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 {The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020}

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- **कृषि समझौता:** यह अधिनियम किसी भी कृषि उपज के उत्पादन या पशुपालन या मत्स्य पालन से पूर्व **किसान और खरीदार के बीच कृषि समझौते** का प्रावधान करता है।
  - समझौते की न्यूनतम अवधि एक फसल सत्र, या पशुधन का एक उत्पादन चक्र होगा। इसके लिए अधिकतम अवधि 5 वर्ष है, जब तक कि उत्पादन चक्र 5 वर्ष से अधिक का न हो।
- **कृषि उपज का मूल्य निर्धारण:** समझौते में कृषि उपज की कीमत का उल्लेख किया जाना चाहिए। जिन उपजों के मूल्यों में भिन्नता आने की संभावना होती है, उनकी उपज के लिए **गारंटीकृत मूल्य (guaranteed price)** और **गारंटीकृत मूल्य के ऊपर किसी भी अतिरिक्त राशि** के लिए स्पष्ट संदर्भ को समझौते में अवश्य निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
  - इसके अतिरिक्त, समझौते में मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।
- **विवाद निपटान:** कृषि समझौते में विवादों के निपटारे के लिए **सुलह बोर्ड (conciliation board)** के साथ-साथ सुलह प्रक्रिया प्रदान की जानी चाहिए। बोर्ड में दोनों पक्षों का निष्पक्ष और संतुलित प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि किसी समझौते पर पहुंचा जा सके।
  - सबसे पहले, सभी विवादों के **समाधान (resolution) के लिए** उन्हें बोर्ड के पास भेजा जाना चाहिए। यदि तीस दिनों के बाद भी बोर्ड द्वारा उक्त विवाद का समाधान नहीं हो पाता है, तो पक्षकार विवाद के समाधान के लिए **सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (अनुमंडलाधिकारी)** से संपर्क कर सकते हैं। पक्षकारों को अनुमंडलाधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण (कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर द्वारा अध्यक्षता) में अपील करने का अधिकार होगा।
  - अनुमंडलाधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण दोनों को **आवेदन की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर विवाद का निपटारा करने की आवश्यकता** होगी। अनुमंडलाधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण समझौते का उल्लंघन करने वाले पक्षकार पर कुछ अर्थदंड अधिरोपित कर सकते हैं। हालांकि, **किसी भी बकाया की वसूली के लिए किसान की कृषि भूमि के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।**

इस अधिनियम से अपेक्षित लाभ

- **अनुबंध कृषि को बढ़ावा मिलेगा:** अनुबंध कृषि के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित करने से **उत्पादकों और उद्यमियों के समूहों के बीच एक अनुबंधित संबंध (contractual relationship)** विकसित होगा। इससे उत्पादकों को अपनी उपज के लिए **तैयार बाजार (ready market)**, और उद्यमियों (या प्रायोजकों) को **तैयार कच्चे माल** तक पहुंच प्राप्त होगी।
  - यह अधिनियम किसानों को संसाधकों (processors), समूहकों (aggregators), थोक व्यापारियों, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि के साथ शोषण के किसी भी **भय के बिना समान अवसर पर संबंध स्थापित करने का अधिकार** देता है।

- **किसानों के लिए कम जोखिम:** यह **बाजार में आने वाले उतार-चढ़ाव के जोखिम** को **किसान से प्रायोजकों/उद्यमियों पर स्थानांतरित** करेगा। पूर्व मूल्य निर्धारण के कारण, बाजार की कीमतों के बढ़ने और गिरने के विरुद्ध किसानों की रक्षा होगी।
- **उत्पादन में वृद्धि:** यह **कृषि क्षेत्रक में अनुसंधान और नई प्रौद्योगिकी के समावेश को बढ़ावा** देगा। साथ ही, यह किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों व उन्नत प्रौद्योगिकियों तथा उर्वरकों और कीटनाशकों तक आसान पहुँच प्रदान कर सकता है।
- **निवेश में वृद्धि:** यह अधिनियम राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों की आपूर्ति हेतु आपूर्ति श्रृंखला (supply chains) के निर्माण तथा कृषि अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।
- **किसानों के लिए विपणन (marketing) की लागत में कमी:** क्योंकि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, किसान को व्यापारियों की खोज नहीं करनी होगी। **क्रय करने वाला उपभोक्ता/क्रेता सीधे खेत से उपज प्राप्त करेगा।**
- **विवाद समाधान:** यह अधिनियम स्पष्ट समय-सीमा के साथ प्रभावी **विवाद समाधान तंत्र (dispute resolution mechanism)** उपलब्ध कराता है।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याएं

- अनेक किसानों और किसान संगठनों ने आशंका व्यक्त की है कि लागू होने के पश्चात् ये अधिनियम, **न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP) प्रणाली को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे** तथा कृषक समुदाय को बड़े कॉर्पोरेट्स की "दया" पर छोड़ देंगे।
  - यह भी आशंका व्यक्त की गयी है कि ये अधिनियम **किसानों** की तुलना में **बड़े कॉर्पोरेट्स या निगमों** के लिए अधिक अनुकूल होंगे, जो भविष्य में बाजार पर हावी हो जाएंगे।
  - हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन अधिनियमों का **MSP प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,** और यह जारी रहेगी।
- जहाँ एक ओर यह अधिनियम मूल्य आधारित शोषण (price exploitation) के विरुद्ध किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह **मूल्य निर्धारण के लिए कोई तंत्र या विनियामक व्यवस्था नियत नहीं** करता है।
- इस अधिनियम के अनुसार, **कंपनियों को किसानों के साथ लिखित अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं है।** इससे विवाद की स्थिति में किसानों के लिए शर्तों को सिद्ध करना कठिन हो जाएगा।
  - ऐसे में, यदि कोई किसान किसी निजी कंपनी के साथ अपने अनुबंध को लेकर विवाद में पड़ जाता है, तो उसके लिए **विवाद को अपने पक्ष में निपटाना बहुत कठिन हो जाएगा।**
  - इसके अतिरिक्त, विवाद होने पर उसके समाधान की जिम्मेदारी **जिला प्रशासन को सौंपी गई है**; लेकिन यहाँ यह भी हो सकता है कि **जिला प्रशासन विवादों को निपटाने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं हो।**

3.1.3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 {The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020}

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- **खाद्य पदार्थों का विनियमन (Regulation of food items):** यह अधिनियम प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार अनाज, दलहन, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल सहित **कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विनियमित** कर सकती है। इनमें सम्मिलित हैं- (i) युद्ध, (ii) अकाल, (iii) असाधारण कीमत वृद्धि और (iv) गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा।
  - **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955** ने केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं (जैसे- खाद्य पदार्थ, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पाद) को आवश्यक वस्तु घोषित करने का अधिकार दिया है। केंद्र सरकार ऐसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है।
- **स्टॉक सीमा:** यह अधिनियम निर्धारित करता है कि कृषि उपज पर किसी भी **स्टॉक सीमा का आरोपण महंगाई पर आधारित** होना चाहिए। स्टॉक सीमा केवल तभी आरोपित की जा सकती है, यदि: (i) बागवानी उपज की खुदरा कीमत में 100%; और (ii) गैर-नष्टप्राय कृषि खाद्य वस्तुओं की खुदरा कीमत में 50% की वृद्धि होती है।
  - कीमत में वृद्धि की गणना तत्काल पूर्ववर्ती 12 महीनों में प्रचलित कीमत, या विगत पांच वर्षों की औसत खुदरा कीमत, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी।

इस अधिनियम से अपेक्षित लाभ

- **यह व्यवसायियों और व्यापारियों के उत्पीड़न को समाप्त करेगा:** इससे पहले सरकार ने खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाया था और वह व्यापारियों द्वारा रखे गए किसी भी अतिरिक्त स्टॉक को जब्त कर सकती थी। इसके परिणामस्वरूप व्यापारियों का अत्यधिक उत्पीड़न हुआ और मुनाफाखोरी करने वाले व्यवहार को बढ़ावा मिला। अब इस नए अधिनियम के चलते, इस प्रकार के हस्तक्षेपों के भय के बिना खाद्य वस्तुओं के स्टॉक का प्रबंध किया जा सकता है।

VISION IAS

- **भंडारण सुविधाओं में सुधार होने से बर्बादी को कम करने में सहायता प्राप्त होगी:** भारत में फसलों की कटाई के पश्चात् एक-तिहाई कृषि उपज की क्षति हो जाती है। लेकिन पहले के कानून के चलते व्यवसायी चाहकर भी इस प्रकार की हानि को कम करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे।
- **कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेश के आकर्षित होने की संभावना में वृद्धि:** इन सुधारों के चलते कृषि उपज के लिए अवसंरचना और बेहतर आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा इनमें निजी क्षेत्र निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। इस प्रकार, इसके माध्यम से इस क्षेत्रक में संवृद्धि तीव्र हो सकती है।
- **मूल्य स्थिरता और कृषि आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी:** इस अधिनियम से चयनित वस्तुओं को छूट देने के कारण उत्पादकों के लिए फसल की विपणन क्षमता में सुधार होगा। प्रसंस्करणकर्ता, निर्यातक और व्यापारी अब दंडात्मक कार्रवाई के भय के बिना स्टॉक या मालसूची (inventory) का निर्माण कर सकेंगे।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याएं

- कुछ विशेषज्ञों को आशंका है कि यह अधिनियम **प्रभावी रूप से जमाखोरी को वैध बनाएगा**, क्योंकि अब इन वस्तुओं का व्यापार करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
  - ऐसी स्थिति में, खाद्य श्रृंखला में विशेष क्रेताओं की ओर से **प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार का मार्ग प्रशस्त** हो सकता है।
- इन वस्तुओं के पूर्ण अविनियमन से **असाधारण परिस्थितियों में खाद्य आपूर्ति संबंधी समस्याओं की खतरनाक स्थिति उत्पन्न** हो सकती है, क्योंकि सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं होगी कि प्रतिभागी कौन हैं, और बाजार में स्टॉक का स्तर क्या है।

3.2. श्रम संहिता (Labour Codes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, श्रम सुधारों को बढ़ावा देने के लिए **संसद ने श्रम संहिता से संबंधित तीन विधेयक पारित किए हैं।** ये हैं- उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020); औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020); और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)।

पृष्ठभूमि

- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 29 केंद्रीय कानूनों का समेकन करने के लिए चार विधेयक प्रस्तुत किए थे। इन संहिताओं द्वारा निम्नलिखित को विनियमित किया जाता है: (i) मजदूरी, (ii) औद्योगिक संबंध, (iii) सामाजिक सुरक्षा, और (iv) उपजीविकाजन्य (अर्थात् व्यावसायिक) सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं।
- जहाँ **मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019)** संसद द्वारा पारित कर दी गई थी, वहीं अन्य तीन क्षेत्रों पर विधेयकों को श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। जब स्थायी समिति ने सभी तीनों विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तो सरकार ने सितंबर, 2020 में इन विधेयकों को नए विधेयकों से प्रतिस्थापित कर दिया।

भारत में श्रम कानून का ढांचा

- श्रम, सातवीं अनुसूची की **समवर्ती सूची** का एक विषय है। इस प्रकार केंद्र और राज्यों दोनों को श्रम से संबंधित मुद्दों पर कानून बनाने की अनुमति है।
- वर्तमान में, केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र में 44 श्रम कानून हैं और 100 से अधिक श्रम कानून राज्य सरकारों के अधीन हैं, जो कई श्रम मुद्दों से निपटते हैं।

3.2.1. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Code on Industrial Relations, 2020)

- यह तीन पूर्ववर्ती कानूनों की अधिकांश विशेषताओं को संयुक्त करती है। ये कानून हैं:
  - व्यापार संघ अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926);
  - औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 {Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946}; तथा
  - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947)

इस संहिता के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान:

- **श्रमिक (worker) की परिभाषा:** यह 'श्रमिक' को ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो पारिश्रमिक या प्रतिफल (रिवॉर्ड) के लिए काम करता है। यह संहिता **18,000 रुपये** से अधिक मजदूरी/वेतन पाने वाले उन लोगों को अपने दायरे से बाहर करती है जो प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता या पर्यवेक्षी क्षमता (supervisory capacity) की दृष्टि से नियोजित हैं।

VISION IAS

- **स्थायी आदेश (Standing Orders):** 300 या उससे अधिक श्रमिकों वाले सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों (industrial establishments) को निम्नांकित मामलों के संबंध में स्थायी आदेश तैयार करना होगा:
  - श्रमिकों का वर्गीकरण,
  - श्रमिकों को काम के घंटों, छुट्टियों, वेतन दिवस (paydays) और मजदूरी दरों के संबंध में सूचित करने की रीति,
  - रोजगार की समाप्ति, और
  - श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र।

कामबंदी (Lay-off): यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है, जहाँ प्रतिकूल व्यापार की स्थितियों के आलोक में नियोक्ता किसी श्रमिक को रोजगार देने में असमर्थ होता है।

छंटनी (Retrenchment): यह अनुशासनात्मक कार्रवाई से भिन्न किसी अन्य कारण से किसी श्रमिक की सेवा समाप्ति को संदर्भित करती है।

बंदी (closure), कामबंदी और छंटनी के लिए सरकार की पूर्व अनुमति: कम से कम 300 श्रमिक रखने वाले किसी प्रतिष्ठान के लिए बंदी, कामबंदी और छंटनी से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। केवल केंद्र सरकार को **अधिसूचना के माध्यम से इस सीमा में वृद्धि की अनुमति देने का अधिकार है।**

- **वार्ताकारी संघ और परिषद (Negotiating Union and Council):**
  - **एकमात्र वार्ताकारी संघ (Sole Negotiating Union):** यदि किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों के एक से अधिक पंजीकृत व्यवसाय संघ (trade union) हैं, तो सदस्य के रूप में 51% से अधिक श्रमिकों वाले व्यवसाय संघ को एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता दी जाएगी।
  - **वार्ता परिषद (Negotiation Council):** यदि कोई व्यवसाय संघ एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में पात्र नहीं है, तो वार्ताकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जो सदस्य के रूप में कम से 20% श्रमिकों वाले व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों से मिलकर गठित होगी।
- **विवादों के निपटारे के लिए अधिकरण:** इसमें औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक औद्योगिक अधिकरण एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनेगा।
  - यह संहिता कार्य-मुक्ति, बर्खास्तगी, छंटनी, या किसी श्रमिक की सेवाओं की अन्यथा समाप्ति के संबंध में **किसी भी विवाद** को औद्योगिक विवाद के रूप में **वर्गीकृत** करती है।
  - **एक श्रमिक अपनी सेवा समाप्ति से संबंधित विवाद की स्थिति में,** श्रमिक विवाद के सुलह के लिए आवेदन किए जाने के 45 दिन पश्चात्, उक्त विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए औद्योगिक अधिकरण में आवेदन कर सकता है।
- **नियत अवधि का नियोजन (Fixed term employment):** नियत अवधि का नियोजन वस्तुतः श्रमिक और नियोक्ता के बीच हस्ताक्षरित संविदा के आधार पर नियत अवधि के लिए नियोजित श्रमिक को संदर्भित करता है। यह नियोक्ताओं को श्रमिकों को रखने की अनुमति दे सकता है, अभिकरण या ठेकेदार जैसे बिचौलिओं की भूमिका कम कर सकता है और साथ ही श्रमिकों को लाभ पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह संविदा श्रमिकों की तुलना में अस्थायी श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने में सहायता कर सकता है, जिन्हें ऐसे लाभ नहीं प्रदान किए जा सकते हैं।
- **पुनर्कौशल फंड (Re-skilling fund):** नौकरी से निकाल दिए गए श्रमिकों का पुनर्कौशल करने के लिए इस फंड की स्थापना की जाएगी। इस फंड में अंशदान औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, जो ऐसे अन्य स्रोतों से अंशदान के साथ-साथ छंटनी से तत्काल पहले श्रमिक द्वारा अंतिम रूप से आहरित पंद्रह दिनों की मजदूरी के बराबर होगा।

इस संहिता से संबद्ध प्रमुख समस्याएं

- **यह श्रमिकों की हड़ताल करने और श्रमिकों को लॉक-आउट करने की नियोक्ताओं की क्षमता को प्रभावित कर सकती है:**
  - सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को शामिल करने के लिए इस संहिता का विस्तार किया गया है, तथा कानूनी तौर पर हड़ताल करने से पूर्व आवश्यक नोटिस देने और अन्य शर्तों को आरोपित किया गया है। इस प्रकार, इसमें हड़ताल या लॉक-आउट से पहले 14 दिनों की पूर्व सूचना को आवश्यक बनाया गया है। साथ ही, यह संहिता अनेक परिस्थितियों में हड़ताल और लॉक-आउट पर प्रतिबंध लगाती है।
    - **लॉक-आउट:** ऐसी स्थिति जिसमें नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को तब तक कार्यस्थल (विशेषकर फ़ैक्ट्री) में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है जब तक कि वे निश्चित शर्तों को मानने के लिए सहमत नहीं हो जाते।
  - **इससे पहले ये प्रावधान** औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत **केवल सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं** (जैसे- रेलवे, एयरलाइंस तथा जल, विद्युत और दूरभाष सेवा प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों) के लिए लागू होते थे। इस प्रकार, **नोटिस संबंधी प्रावधान को सभी प्रतिष्ठानों के लिए विस्तार करने का औचित्य अस्पष्ट** है।

- राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने अधिकांश लोगों के जीवन पर इनके प्रभाव को देखते हुए ऐसे उद्योगों से अलग तरीके से व्यवहार करने के औचित्य को न्यायोचित ठहराया था।

- **कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन:**
  - यह संहिता **सरकार को कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से अधिकरण के निर्णय (अवार्ड) को संशोधित या अस्वीकार करने की व्यापक शक्ति देती है। इस प्रकार, इससे हितों के टकराव का प्रश्न व्युत्पन्न होता है।**
  - इस संहिता में यह उल्लेख है कि एक अधिकरण द्वारा पारित निर्णय 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् प्रवर्तनीय (लागू) होगा। हालांकि, सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या सामाजिक न्याय का हवाला देते हुए कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिकरण द्वारा पारित निर्णय के प्रवर्तन को स्थगित कर सकती है।
    - उल्लेखनीय है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में भी इसी प्रकार के प्रावधान थे। हालांकि, वर्ष 2011 में मद्रास उच्च न्यायालय ने संवैधानिक आधार पर इन प्रावधानों को रद्द कर दिया था।
- **व्यावसाय संघों (trade unions) के गठन पर प्रभाव:** यह स्पष्ट नहीं है कि यदि किसी प्रतिष्ठान में पंजीकृत व्यावसाय संघों (न्यूनतम 10% सदस्यों का समर्थन आवश्यक) की संख्या एक से अधिक है, लेकिन किसी भी संघ के पास वार्ताकारी परिषद में भाग लेने के लिए कम से कम 20% श्रमिकों का अपेक्षित समर्थन नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा।
- **नियत अवधि के नियोजन (fixed term employment) संबंधी प्रावधान:**
  - इस प्रकार के नियोजन या रोजगार से संबंधित अनुबंधों को नवीनीकृत करने की शक्ति नियोक्ता में निहित है। इसका परिणाम श्रमिक के लिए रोजगार की असुरक्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, ये प्रावधान उन्हें अनुचित कार्य दशाओं, जैसे- विस्तारित काम के घंटे, या मजदूरी या छुट्टियों की मनाही के संबंध में मुद्दों को उठाने से रोक सकते हैं।
  - यह संहिता नियत अवधि के श्रमिकों के लिए कार्यों के प्रकार को सीमित नहीं करती है, जिसमें उन्हें काम पर रखा जा सकता है। इसलिए, उन्हें स्थायी श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली भूमिकाओं के लिए काम पर रखा जा सकता है।
    - द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने अनुशंसा की थी कि किसी भी श्रमिक को दो वर्ष से अधिक समय तक स्थायी रोजगार के विरूद्ध निरंतर आकस्मिक या अस्थायी श्रमिक के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए।
    - श्रम संबंधी स्थायी समिति ने भी यह अनुशंसा की है कि जिन स्थितियों और जिन क्षेत्रों में नियत अवधि के रोजगार का उपयोग किया जा सकता है, उन्हें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- **इस संहिता में कई शब्द परिभाषित नहीं हैं:** यह संहिता 'प्रबंधक', 'पर्यवेक्षक', 'ठेकेदार' और 'प्रतिष्ठान' शब्दों को परिभाषित नहीं करती है। ऐसे में इनकी अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है।

3.2.2. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)

यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ कानूनों को प्रतिस्थापित करती है। इनमें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 आदि सम्मिलित हैं।

इस संहिता के प्रमुख प्रावधान

- **प्रयोज्यता (Applicability):** यह संहिता **सभी प्रतिष्ठानों पर लागू** होती है तथा प्रतिष्ठान के आकार-प्रकार का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी।
- **सामाजिक सुरक्षा कोष (Social security fund):** इस संहिता में यह उल्लेख है कि केंद्र सरकार **असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए** इस प्रकार के कोष की स्थापना करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें असंगठित श्रमिकों के लिए अलग से सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना और प्रशासन करेंगी।
- इसमें सभी तीनों श्रेणियों के श्रमिकों, यथा- असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के **पंजीकरण का प्रावधान है।**
- **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड:** उपर्युक्त तीन श्रेणियों के श्रमिकों के कल्याण हेतु और उनके लिए योजनाओं की अनुशंसा व निगरानी करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे: (i) केंद्र सरकार द्वारा नामांकित समूहकों (aggregators) के पांच प्रतिनिधि, (ii) केंद्र सरकार द्वारा नामांकित गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के पांच प्रतिनिधि, (iii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के महानिदेशक और (iv) राज्य सरकारों के पांच प्रतिनिधि।
- **योजनाओं के लिए अंशदान:** गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए योजनाओं का वित्त-पोषण केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और समूहकों के संयुक्त अंशदान के माध्यम से किया जा सकता है।
- **परिभाषाओं में परिवर्तन:** इनमें (i) ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए 'कर्मचारियों', (ii) किसी अन्य राज्य से स्व-नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए "अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों", (iii) सेवाओं या गतिविधियों की अतिरिक्त श्रेणियों के लिए "प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों" (जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है), (iv) फिल्मों, वेब-आधारित धारावाहिकों,

टॉक शो, रियलिटी शो और स्पोर्ट्स शो को सम्मिलित करने के लिए ऑडियो-विजुअल प्रोडक्शंस की परिभाषाओं का विस्तार करना सम्मिलित है।

- **पत्रकारों के लिए ग्रेच्युटी हेतु पात्रता की अवधि:** यह संहिता कार्यशील पत्रकारों के लिए ग्रेच्युटी की अवधि को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करती है।
- **अपराध और अर्थदंड:** यह संहिता कतिपय अपराधों के लिए दंड में परिवर्तन करती है। उदाहरण के लिए, किसी निरीक्षक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए अधिकतम कारावास एक वर्ष से घटाकर छह महीने कर दिया गया है।
- **महामारी के दौरान अतिरिक्त शक्तियां:** इस संहिता के तहत कुछ नई धाराओं को शामिल किया गया है जिन्हें महामारी की स्थितियों में लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार सर्वव्यापी महामारी तथा स्थानिक या राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में तीन महीने की अवधि तक नियोक्ता या कर्मचारी का अंशदान (PF और ESI के अंतर्गत) स्थगित या कम कर सकती है।

- **गिग श्रमिक** पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर रहने वाले श्रमिक को संदर्भित करता है।
- **प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक** वे हैं जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंचते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं या विशिष्ट समस्याओं का समाधान करते हैं।

राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने श्रमिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की अपवंचना से बचने के लिए सार्वभौमिक और व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज की आवश्यकता पर बल दिया था।
श्रम संबंधी स्थायी समिति (2020) ने भी इस संबंध में निम्नलिखित अनुशंसाएं की थीं, जिनमें (i) कृषिगत (agricultural) और स्व-खाता उद्यमों (own account enterprises) को सम्मिलित करने के लिए 'प्रतिष्ठान' की परिभाषा का विस्तार करना, (ii) आशा और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सम्मिलित करने के लिए ''कर्मचारियों'' और कृषि श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए ''असंगठित श्रमिकों'' की परिभाषाओं का विस्तार करना, तथा (iii) अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए एक अलग कोष सृजित करना सम्मिलित है।

इस संहिता से संबद्ध प्रमुख समस्याएं/मुद्दे

- **कोई सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा नहीं:**
  - **पेंशन और चिकित्सा बीमा जैसे लाभ केवल न्यूनतम संख्या में कर्मचारियों (जैसे कि 10 या 20 कर्मचारी) को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य बने हुए हैं।** अन्य सभी श्रेणियों के श्रमिक (अर्थात् असंगठित श्रमिक), जैसे कि 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों और स्व-नियोजित श्रमिकों को सरकार द्वारा अधिसूचित विवेकाधीन योजनाओं द्वारा अच्छादित किया जा सकता है। ऐसे में अत्यधिक संख्या में श्रमिक इन योजनाओं से बाहर बने रह सकते हैं।
    - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट (2018-19) में यह उल्लेख है कि, गैर-कृषि क्षेत्रक में कार्यरत 70% नियमित मजदूरी/वेतनभोगी कर्मचारियों के पास लिखित अनुबंध नहीं था, और 52% के पास कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं था।
  - **इस संहिता द्वारा अर्जित मजदूरी की राशि के आधार पर एक ही प्रतिष्ठान के भीतर कर्मचारियों से अलग-अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है।** उदाहरण के लिए- भविष्य निधि, पेंशन और चिकित्सा बीमा जैसे लाभ, पात्र प्रतिष्ठानों में केवल एक निश्चित सीमा (जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है) से ऊपर अर्जन करने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हैं।
  - **यह संहिता सामाजिक सुरक्षा लाभों के वितरण के लिए विद्यमान खंडित ढांचा बनाए रखना जारी रखे हुए है।** इनमें: (i) कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) और इम्पलॉई डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजनाओं का प्रशासन करने के लिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड तथा (ii) ESI (कर्मचारी राज्य बीमा) योजना का प्रशासन करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम सम्मिलित हैं।
- **गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों से संबंधित प्रावधान अस्पष्ट हैं:** यह संहिता विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए परिभाषाओं का सूत्रपात करती है। हालांकि, **उनकी परिभाषाओं को लेकर कुछ अस्पष्टताएं विद्यमान हैं।** उदाहरण के लिए, ऐप-आधारित टैक्सी एग्रीगेटर के लिए काम करने वाला चालक अपनी रोजगार की प्रकृति के कारण एक ही समय में एक गिग श्रमिक, प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक और असंगठित श्रमिक हो सकता है। परिभाषाओं में इस प्रकार के अतिव्यापन के कारण, यह स्पष्ट नहीं है कि श्रमिकों की इन श्रेणियों के लिए विशिष्ट योजनाएं कैसे लागू होंगी।
  - श्रम संबंधी स्थायी समिति ने (i) गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए "असंगठित श्रमिकों" की परिभाषा का विस्तार करने, तथा (ii) अनुचित व्याख्या से बचने के लिए "गिग श्रमिक" की परिभाषा को अधिक विशिष्ट बनाने की अनुशंसा की थी, लेकिन इसे संहिता में सम्मिलित नहीं किया गया।

VISION IAS

- **आधार के साथ अनिवार्य लिंकिंग उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन कर सकती है:** यह संहिता कर्मचारी या श्रमिक (असंगठित श्रमिक सहित) के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने या यहां तक कि करियर केंद्र से भी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपना आधार नंबर प्रदान करना अनिवार्य बनाती है। इससे पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लंघन हो सकता है।
    - अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आधार कार्ड/नंबर केवल भारत की संचित निधि से वहन की जाने वाली सब्सिडी, लाभ या सेवा पर खर्च के लिए अनिवार्य किया जा सकता है।

3.2.3. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, 2020)

यह संहिता स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य दशाओं को विनियमित करने वाले 13 वर्तमान अधिनियमों का समेकन करती है। इनमें कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948); खान अधिनियम, 1952 (Mines Act, 1952); ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम,1970 {Contract Labour (Regulation and Abolition) Act,1970} आदि सम्मिलित हैं।

इस संहिता के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान:

- **प्रतिष्ठानों के अच्छादन के लिए सीमा (Threshold for coverage of establishments):**
    - **कारखाना (Factory):** यह कारखाने को ऐसे किसी भी परिसर के रूप में परिभाषित करती है, जहां विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है और वह: (i) 20 श्रमिकों, यदि विद्युत का उपयोग करके विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है, या (ii) 40 श्रमिकों, यदि विद्युत का उपयोग किए बिना विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है, से अधिक श्रमिकों को नियोजित करता है।
    - **खतरनाक गतिविधि में संलग्न प्रतिष्ठान (Establishments engaged in hazardous activity):** इसमें श्रमिकों की संख्या से निरपेक्ष ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को सम्मिलित किया गया है जहां कोई खतरनाक गतिविधि की जाती है।
    - **संविदा या ठेका श्रमिक (Contract workers):** यह संहिता 50 या अधिक श्रमिकों को नियोजित (विगत एक वर्ष में किसी भी दिन) करने वाले प्रतिष्ठानों या ठेकेदारों (केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यालयों सहित) पर लागू होगी। साथ ही, यह प्रमुख (कोर) गतिविधियों (इसे उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा) में संविदा या ठेका श्रम पर प्रतिबंध आरोपित करती है। यह 11 कार्यों सहित गैर-प्रमुख गतिविधियों की सूची भी परिभाषित करती है, जिनमें सम्मिलित हैं: (i) स्वच्छता कर्मी (sanitation workers), (ii) सुरक्षा सेवाएं, और (iii) अनियमित (intermittent) प्रकृति की कोई भी गतिविधि।
- **काम के घंटे और रोजगार की स्थितियां:**
    - **दैनिक काम के घंटों की सीमा:** यह संहिता काम के लिए प्रति दिन आठ घंटे की अधिकतम सीमा निश्चित करती है।
    - **महिलाओं का नियोजन:** महिलाएं **सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित किए जाने हेतु अर्ह होंगी।** यदि उन्हें खतरनाक या जोखिम भरे कार्यों में काम करने की आवश्यकता होती है, तो **सरकार नियोक्ता के लिए उनके नियोजन से पहले पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक बना सकती है।**
- **छूट:** यह संहिता **राज्य सरकार** को अधिक आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजित करने के लिए इस संहिता के प्रावधानों से **किसी भी नए कारखाने को छूट देने का अधिकार देती** है।
- **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक:**
    - **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक की परिभाषा:** कोई भी व्यक्ति जो अपने आप दूसरे राज्य में जाता है और वहां रोजगार प्राप्त करता है तथा अधिकतम 18,000 रुपये प्रति माह, या ऐसी उच्चतर राशि अर्जित कर रहा है, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है।
    - **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए लाभ:** इसमें सम्मिलित हैं: (i) या तो मूल राज्य में या रोजगार देने वाले राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प, (ii) रोजगार देने वाले राज्य में भवन और अन्य निर्माण उपकर निधि के अंतर्गत लाभों की उपलब्धता, तथा (iii) एक ही प्रतिष्ठान में अन्य श्रमिकों को उपलब्ध बीमा और भविष्य निधि लाभ।
    - इस संहिता में विस्थापन भत्ते (Displacement allowance) के प्रावधान को हटा दिया गया है। ज्ञातव्य है कि 2019 के विधेयक में विस्थापन भत्ते का प्रावधान किया गया था। इसमें अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की भर्ती के समय उन्हें विस्थापन भत्ता देने का प्रावधान था, जो उनकी मासिक मजदूरी के 50% के बराबर था।
    - **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस:** केंद्र और राज्य सरकारों को एक पोर्टल में अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों का विवरण बनाए रखना या अभिलेखित करना होगा। इसके अतिरिक्त, प्रवासी श्रमिक स्व-घोषणा और आधार कार्ड के माध्यम से पोर्टल पर अपने आपको पंजीकृत करा सकते हैं।

VISION IAS

- **असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि:** इस संहिता के अंतर्गत कतिपय अर्थदंड के आरोपण से एकत्रित राशि इस निधि में जमा की जाएगी। सरकार इस निधि में धन हस्तांतरित करने के लिए अन्य स्रोत भी निर्धारित कर सकती है।

इस संहिता से संबद्ध प्रमुख समस्याएं:

- **कुछ विशेष प्रावधानों का औचित्य अस्पष्ट है:**
  - इसमें कुछ सामान्य प्रावधान किए गए हैं, जो सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं। इनमें पंजीकरण, विवरणी दाखिल करने और नियोक्ताओं के कर्तव्यों के प्रावधान सम्मिलित हैं। हालांकि, इसमें अतिरिक्त प्रावधान भी सम्मिलित हैं जो विशिष्ट प्रकार के श्रमिकों पर लागू होते हैं, जैसे- कारखानों और खानों के श्रमिक, या दृश्य-श्रव्य श्रमिक, पत्रकार, बिक्री संवर्धन कर्मचारी, संविदा श्रमिक और निर्माण श्रमिक।
  - जहां कुछ कारखानों और खानों जैसे खतरनाक प्रतिष्ठानों एवं संविदा श्रमिकों जैसे सुभेद्य श्रमिकों की श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान न्यायोचित प्रतीत होते हैं, वहीं अन्य श्रमिकों के लिए इन विशेष प्रावधानों को अनिवार्य बनाने का औचित्य स्पष्ट नहीं है।
- **सिविल न्यायालय को इस संहिता के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने से अपवर्जित किया गया है:**
  - वर्तमान 13 स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों के अंतर्गत, मजदूरी, काम के घंटों व छुट्टी जैसे श्रमिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले दावों की सुनवाई श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक अधिकरणों द्वारा की जाएगी।
  - हालांकि, इन मामलों में यह संहिता दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को अपवर्जित करती है। इस संबध में एकमात्र उपलब्ध उपाय यह है कि पीड़ित व्यक्ति को संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष सीधे रिट याचिका दायर करना होगा। अतः यह तर्क दिया जा सकता है कि इन मामलों की सुनवाई के लिए सिविल न्यायालयों को अपवर्जित करने से पीड़ित व्यक्ति निचले न्यायालय के समक्ष कुछ मुद्दों को चुनौती देने के अवसर से वंचित हो सकता है।

श्रम कानूनों के संबंध में, जैसे- अर्थव्यवस्था में श्रम कानूनों की भूमिका, भारत में श्रम कानूनों का विकास और भारत में श्रम कानून परिदृश्य में सुधार के लिए आगे की राह क्या हो सकती है, अधिक जानने के लिए हमारे वीकली फोकस डॉक्यूमेंट - 'भारत के श्रम कानूनों में सुधार और संहिताकरण' का संदर्भ लें।

3.3. सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, 2017 में संशोधन (Amendments To Public Procurement Order, 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को अधिक वरीयता देने के लिए **सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 {Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017}** में संशोधन किया गया। **सार्वजनिक अधिप्राप्ति का तात्पर्य सरकारी खरीद से है।**

इस संशोधित आदेश के प्रमुख बिंदु

- इसके माध्यम से नोडल मंत्रालयों/विभागों को सक्षम बनाया गया है कि वे **वर्ग-I एवं वर्ग-II** के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए न्यूनतम 'स्थानीय सामग्री' (local content) की सीमा को बढ़ाने हेतु अधिसूचना जारी कर सकते हैं।
  - इससे पहले, **50 प्रतिशत या अधिक** स्थानीय सामग्री वाले स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वर्ग-I के रूप में परिभाषित किया गया था, तथा **20 से 50 प्रतिशत** तक स्थानीय सामग्री वाले आपूर्तिकर्ताओं को वर्ग-II के रूप में परिभाषित किया गया था।
  - **स्थानीय सामग्री** का तात्पर्य **किसी वस्तु के कुल मूल्य से उसमें प्रयुक्त आयातित सामग्री के मूल्य को घटाने के पश्चात शेष बचे मूल्य** से है।
- जिस दस्तावेज़ के माध्यम से बोली (bid document) लगायी जा रही है, उसमें विदेशी प्रमाण-पत्रों / तर्कहीन तकनीकी विशेषताओं / ब्रांड्स / मॉडल के उल्लेख को प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इसे स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार माना जाता है।
  - हालांकि, विदेशी प्रमाणन को केवल संबंधित विभाग के सचिव के **अनुमोदन के पश्चात् ही** अंकित किया जाएगा।
- **जिन देशों में भारतीय कंपनियों को सरकारी खरीद में भाग नहीं लेने दिया जाता है, उन देशों की कंपनियों को भारत में सार्वजनिक अधिप्राप्ति में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गयी है।** हालांकि, कुछ मामलों में केवल संबंधित नोडल मंत्रालय या विभाग से अनुमति लेने के पश्चात् ही उन्हें इसमें भाग लेने की अनुमति दी गयी है। लेकिन, वे केवल उन अधिसूचित वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते हैं, जिनके लिए मंत्रालय या विभाग ने अनुमति प्रदान की है।
- वे सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग जो **एक वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद** करते हैं, अगले 5 वर्षों के लिए अपने अनुमानित खरीद के बारे में अपनी वेबसाइट्स पर अधिसूचना जारी करेंगे।

- **सरकारी खरीद के लिए एक ऊपरी सीमा (अर्थात् मूल्य)** को अधिसूचित किया जाएगा। इससे ऊपर की खरीद के लिए विदेशी कंपनियां एक भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम गठित कर सरकारी निविदाओं में भाग ले सकेंगी।

सार्वजनिक अधिप्राप्ति अर्थात् सरकारी खरीद में स्थानीय आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए किए गए अन्य उपाय

- **"सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आदेश (MSEs), 2018" के संदर्भ में सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति:**
  - इसे **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006)** के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था।
  - इसके अंतर्गत, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक उपक्रम को यह आदेश दिया गया था कि वे MSEs से अपनी वार्षिक अधिप्राप्ति के **25 प्रतिशत हिस्से की खरीदारी** करेंगे।
  - 25 प्रतिशत के इस लक्ष्य में से **SC/ST एवं महिला उद्यमियों** के स्वामित्व वाले MSEs से क्रमशः **4 प्रतिशत व 3 प्रतिशत की खरीद का उप-लक्ष्य** भी निर्धारित किया गया है।
  - इसके अतिरिक्त, 358 वस्तुएं (मद) भी **MSEs क्षेत्रक से अनन्य अधिप्राप्ति (exclusive purchase)** के लिए आरक्षित हैं।
- **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM):**
  - वर्ष 2016 में GeM का शुभारंभ किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों एवं स्थानीय निकायों द्वारा अपने सामान्य उपयोग की वस्तुओं व सेवाओं की खरीद की जाती है।
  - इसका उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देना तथा अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
  - GeM के माध्यम से सरकारी खरीद को वित्त मंत्रालय द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है।
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Procedure: DPP) 2020**
  - इसमें 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन करने के लिए विभिन्न श्रेणियों की अधिप्राप्ति में **स्वदेशी सामग्री (Indigenous Content: IC)** को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
  - इसमें कुल अनुबंध मूल्य की लागत के आधार पर न्यूनतम 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री वाली **एक नई श्रेणी (वैश्विक - भारत में विनिर्माण)** (Global – Manufacture in India) का भी प्रस्ताव किया गया है।

"सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017" के बारे में

- इसे सरकारी खरीद में घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने के लिए **सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 (General Financial Rules 2017)** के अंतर्गत जारी किया गया था।
- जून 2020 में इसमें एक संशोधन किया गया था। इस संशोधन के अनुसार, **200 करोड़ रुपये से कम मूल्य** वाली खरीद {वस्तुओं, सेवाओं या निर्माण कार्य (works) की खरीद} के लिए **केवल वर्ग-I एवं वर्ग-II के स्थानीय आपूर्तिकर्ता** ही बोली लगाने के लिए पात्र हैं।
  - 200 करोड़ रुपये से कम की खरीद के मामले में, **सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से वैश्विक निविदा (टेंडर) की जांच की जा सकती है।**
- **वस्तुओं, सेवाओं एवं निर्माण कार्यों (टर्न-की निर्माण कार्यों सहित) की अधिप्राप्ति के लिए** यह आदेश केवल केंद्रीय मंत्रालयों, उनके विभाग, संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित स्वायत्त निकायों, सरकारी कंपनियों, उनके संयुक्त उद्यमों एवं विशेष प्रयोजन वाहनों पर लागू होता है।
- स्थानीय सामग्री के सत्यापन के लिए **स्व-प्रमाणन** (self-certification) को अनिवार्य बनाया गया है। नोडल मंत्रालय ऐसी स्व-घोषणाओं के स्वतंत्र सत्यापन के लिए आंतरिक व बाह्य सदस्यों से मिलकर बनी समितियों का गठन कर सकते हैं।
- **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)** की एक समिति इस आदेश के कार्यान्वयन की देखरेख करती है।

स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं

- कुछ विभाग एवं सार्वजनिक उपक्रम सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए **अनिवार्य पात्रता** निर्धारित करते हैं, जैसे कि कुल टर्नओवर, सरकारी खरीद संबंधी विगत अनुभव आदि।
- **निविदा (टेंडर) प्राप्त करने में समय, लागत एवं श्रम की बर्बादी होती है तथा क्रेता-विक्रेता के मध्य बातचीत के अपर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं।** इसके अतिरिक्त, अपर्याप्त जानकारी, जटिल विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया आदि आपूर्तिकर्ताओं के लिए बाधाओं के रूप में कार्य करती हैं।

VISION IAS

- कई MSMEs की शिकायत है कि **अनेक व्यापारी GeM प्लेटफॉर्म के माध्यम से विक्रेता बन गए हैं**, जिससे वास्तविक MSEs के हित प्रभावित हो रहे हैं।

सुझाव

MSEs से सरकारी खरीद में प्रत्येक वर्ष 3-4 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। सरकारी खरीद वित्तीय वर्ष 2017-18 के 23.11 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 30.95 प्रतिशत हो गई। इसमें और सुधार करने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:

- देश भर में **MSEs विक्रेताओं का एक डिजिटल व सरलता से उपलब्ध केंद्रीय डेटाबेस** तैयार करने की आवश्यकता है। सभी को उचित अवसर देने के लिए अधिकारियों को बड़े कॉर्पोरेट समकक्षों की तुलना में MSMEs के लिए पात्रता मानदंडों (qualification criteria) में छूट प्रदान करनी चाहिए।
- अधिक सरकारी खरीद करने वाले मंत्रालयों को MSEs विक्रेताओं के साथ-साथ PSUs के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के उपाय करने चाहिए।
- उत्पादों के निष्पक्ष एवं त्वरित परीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में **अर्ध-स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशालाएं (Semi-independent testing labs)** स्थापित की जानी चाहिए।
- **फीडबैक प्राप्त करने और शिकायत निवारण के लिए एक पोर्टल** की स्थापना के साथ-साथ एक ऑन-ग्राउंड टीम का गठन किया जाना चाहिए।

3.4. द्विपक्षीय नेटिंग (Bilateral Netting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय बाजारों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020)** को अधिनियमित किया गया।

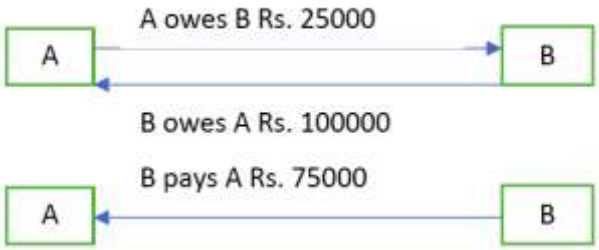

द्विपक्षीय नेटिंग के बारे में

- द्विपक्षीय नेटिंग समझौते के माध्यम से किसी वित्तीय संविदा में शामिल **दो पक्षकार एक-दूसरे की देनदारियों का निपटान करते हैं।** इसके तहत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की बकाया राशि का एक बार में ही भुगतान किया जाता है।
  - **नेटिंग** से तात्पर्य दो पक्षों के मध्य होने वाले सौदे से उत्पन्न सभी दावों के निपटारे से है, जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष को देय या प्राप्य शुद्ध राशि का निर्धारण करता है। (इन्फोग्राफिक देखें)
- इसी प्रकार, **बहुपक्षीय नेटिंग समझौते (multilateral netting agreement)** के अंतर्गत एक केंद्रीय प्रतिपक्ष (Central Counterparty: CCP) के माध्यम से विभिन्न पक्षकार एक-दूसरे की देनदारियों का निपटारा करते हैं। भारत में भुगतान तथा निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम, 2015 {Payment and Settlement Systems (Amendment) Act, 2015} के अंतर्गत इसकी सुविधा प्रदान की गयी है।
- ज्ञातव्य है कि पहले, **भारतीय वित्तीय संविदा कानून के अंतर्गत द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी गयी थी।** हालांकि, बहुपक्षीय नेटिंग की अनुमति प्रदान की गई थी।
- भारत में, कुल वित्तीय संविदा में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संविदाओं (कॉन्ट्रैक्ट्स) का हिस्सा क्रमशः **40 प्रतिशत** और **60 प्रतिशत** है।
- **विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नेटिंग बहुत सामान्य है,** जहां द्विपक्षीय या बहुपक्षीय नेटिंग के मामले में नेट पोजीशन (न कि ग्रॉस पोजीशन) के आधार पर दावों का निपटान किया जाता है।
  - वर्तमान में, **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर और मलेशिया** जैसे देशों में नेटिंग समझौतों के लिए कानूनी प्रावधान विद्यमान हैं।

- **वित्तीय स्थिरता बोर्ड (Financial Stability Board: FSB)** और **बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (Basel Committee on Banking Supervision)** जैसे वैश्विक नियामकों ने ऐसी नेटिंग के उपयोग का समर्थन किया है।

महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ:

- **डेरिवेटिव (Derivatives):** यह एक ऐसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) होती है, जिसमें प्रतिभूति का मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य पर निर्भर करता है/उससे प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रकार के डेरिवेटिव में **ऑप्शन्स, वायदा (Futures), अग्रिम (Forwards), वॉरंट, स्वैप** आदि सम्मिलित हैं।
- **ओवर द काउंटर (OTC) डेरिवेटिव:** जब दो पक्षकार बिना किसी एक्सचेंज या मध्यवर्ती संस्थाओं की सहायता से द्विपक्षीय समझौते के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट्स (संविदाओं) का व्यापार करते हैं तो उसे OTC डेरिवेटिव्स कहते हैं।
- **अर्हक वित्तीय संविदा (Qualified Financial Contracts: QFC):** QFC का अभिप्राय वित्तीय बाजार के दो अर्ह सहभागियों के मध्य द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट्स (संविदा) से है, जहां QFC के रूप में अधिसूचित द्विपक्षीय संविदा का कम से कम एक पक्षकार उपयुक्त प्राधिकारी के अधीन विनियमित इकाई होता है।

"अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधनियम, 2020" के बारे में

- यह अधिनियम **अर्हक वित्तीय संविदाओं (QFCs)** की द्विपक्षीय नेटिंग के लिए एक विधिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान करता है। उल्लेखनीय है कि QFC ओवर द काउंटर डेरिवेटिव (OTC) संविदा होते हैं।
- **यह अधिनियम निम्नलिखित के बारे प्रावधान करता है:**
  - केंद्र सरकार या कुछ विनियामक प्राधिकरणों को किसी **द्विपक्षीय समझौते** या संविदा या लेन-देन, या अन्य प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को QFC के रूप में घोषित करने का अधिकार दिया गया है। ये प्राधिकरण हैं:
    - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI),
    - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI),
    - भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI),
    - पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), तथा
    - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority: IFSCA)।
  - इसमें नेटिंग समझौते की शर्तों से बाहर निकलने के लिए **कुल देय राशि का निर्धारण करने के बारे में उपबंध** शामिल हैं।
  - इस क्षेत्र से जुड़े प्रशासकों की शक्तियों पर **कुछ सीमाएं आरोपित की गयी हैं।**

इस कदम का महत्व

- इससे बैंकों को अपने ऋण जोखिम एवं नियामकीय पूंजी बोझ को कम करने में सहायता मिलेगी तथा वे अन्य उत्पादक गतिविधियों में अपनी पूंजी का निवेश कर सकते हैं। साथ ही, बैंकों को इससे चूक (defaults) की स्थिति मे प्रणालीगत जोखिम को कम करने में सहायता मिलेगी।
  - द्विपक्षीय नेटिंग के अभाव में भारतीय बैंकों को OTC बाजार में भाग लेने के कारण पूँजी की एक बड़ी राशि को अलग रखना पड़ता था, जिससे बाजार में भाग लेने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
  - पूंजी की इस बचत से भारतीय बैंक भारत में व्यवसायों के लिए हेजिंग साधन उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकेंगे तथा क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप (CDS) बाजार के विकास के माध्यम से कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार को बढ़ावा दे सकेंगे।
- यह बैंकों, प्राथमिक डीलरों तथा अन्य बाजार निर्माताओं के लिए **हेजिंग लागत और तरलता की आवश्यकता को कम करता है।** इससे जोखिम के विरुद्ध बचाव के लिए **ओवर-द-काउंटर (OTC) डेरिवेटिव** बाजार में भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
  - **CDS बाजार** में भागीदारी के बढ़ने से कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
- इससे किसी प्रतिपक्ष के डिफ़ॉल्ट (चूक) होने की स्थिति में वित्तीय संविदाओं के लिए एक **कुशल पुनर्प्राप्ति तंत्र (efficient recovery mechanism) विकसित होगा।**
- इससे OTC डेरिवेटिव बाजार के मामले में वैश्विक विनियामकीय सुधारों को अपनाने के लिए **G-20 और FSB के समक्ष भारत द्वारा की गयी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलगी।**
  - एक सुदृढ़ नेटिंग प्रणाली सामान्य रूप से एक उन्नत डेरिवेटिव बाजार को निर्मित करती है, क्योंकि यह एक **कंपनी की वित्तीय स्थिति, ऋण शोधन क्षमता (solvency) और तरलता जोखिम (liquidity risk)** का सबसे सटीक चित्र प्रस्तुत करती है।

VISION IAS

3.5. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 {Companies (Amendment) Act, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 पारित किया गया।

पृष्ठभूमि

- **कंपनी कानून समिति (Company Law Committee: CLC)** की अनुशंसाओं के आधार पर "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020" को पारित किया गया है। सितंबर 2019 में **श्री इंजेती श्रीनिवास** की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था।
- CLC का गठन **कई मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने** तथा कॉर्पोरेट व अन्य हितधारकों को **सरकार के कोविड-19 राहत पैकेज के हिस्से के रूप में कारोबार में सुगमता प्रदान करने** (इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस) के उद्देश्य से किया गया था।

"कंपनी अधिनियम, 2013" के बारे में

- यह कानून एक **कंपनी के निगमीकरण, कंपनी के दायित्वों, निदेशकों**, कंपनी के विघटन आदि को विनियमित करता है।
- इसने बड़ी कंपनियों के लिए अनिवार्य **निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR)** योगदान का शुभारंभ किया था।
- **राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority: NFRA)** तथा **राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (National Company Law Tribunal: NCLT)** इसी अधिनियम के तहत स्थापित किए गए हैं।

इस अधिनियम के माध्यम से किए गए प्रमुख संशोधन

- **कुछ कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना (Decriminalising offenses):** यह संशोधन ऐसे 9 अपराधों के लिए दंड एवं कारावास को समाप्त करता है, जो **NCLT के आदेशों का अनुपालन न करने से संबंधित** हैं, तथा कुछ मामलों में दंड स्वरूप देय राशि को भी कम करता है।
  - हालांकि, गंभीर अपराधों के लिए कोई रियायत नहीं दी गयी है। गंभीर अपराधों में धोखाधड़ी तथा **"सार्वजनिक हित को आघात पहुंचाने वाले कार्य या कपटपूर्ण अपराध"** सम्मिलित हैं।
  - इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के अंतर्गत, **एकल-व्यक्ति कंपनी (one-person companies) या छोटी कंपनियों** को उनके द्वारा किए गए कुछ अपराधों के लिए दंड का मात्र 50 प्रतिशत तक का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।
    - यह संशोधन सभी **उत्पादक कंपनियों (producer companies) एवं स्टार्ट-अप कंपनियों (start-up companies)** के लिए इस प्रावधान का विस्तार करता है।
- **कुछ कंपनियों को सूचीबद्ध कंपनियों की सूची से बाहर करना (Exclusion from listed companies):** यह संशोधन केंद्र को सेबी (SEBI) के परामर्श से निर्दिष्ट वर्गों की प्रतिभूतियों को जारी करने वाली कंपनियों को "सूचीबद्ध कंपनी" की परिभाषा से बाहर करने का अधिकार देता है।
- **उत्पादक कंपनियां (Producer companies):** वर्ष 2013 के अधिनियम के अंतर्गत, **कंपनी अधिनियम, 1956** के कुछ प्रावधानों को उत्पादक कंपनियों पर भी लागू किया गया था। इनमें उनकी सदस्यता, बैठकों के संचालन एवं खातों के रखरखाव से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं।
  - यह संशोधन इन **प्रावधानों को समाप्त** करता है तथा उत्पादक कंपनियों के लिए समान प्रावधानों के साथ अधिनियम में एक नया अध्याय जोड़ता है, जो **किसान उत्पादक कंपनियों (Farmers Producer companies)** को विशेष रूप से लाभान्वित करेगा।
  - उत्पादक कंपनियों में वे कंपनियां सम्मिलित हैं, जो कृषि उत्पादों के उत्पादन, विपणन एवं बिक्री में संलग्न हैं तथा कुटीर उद्योगों के उत्पादों की बिक्री करती हैं।
- **निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR):** वर्ष 2013 के कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत भारत में CSR गतिविधियों के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। यह **500 करोड़ रुपये के निवल मूल्य (net worth) या 1,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर अथवा 5 करोड़ रुपये के निवल लाभ (net profit) वाली प्रत्येक कंपनी** (चाहे निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी) को अपने तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ (average net profit) का **कम से कम 2%** CSR गतिविधियों पर व्यय करने का अनिवार्य प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी कंपनियों के लिए **CSR समितियों का गठन** करना अनिवार्य है।

VISION IAS

- अब, इस संशोधन द्वारा CSR गतिविधियों पर 50 लाख रुपये तक खर्च करने वाली कंपनियों को CSR समितियों के गठन से छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, CSR प्रावधान के अंतर्गत पात्र कंपनियों को किसी विशेष वित्तीय वर्ष में **अपने CSR खर्च दायित्व (CSR spending obligation) से अधिक खर्च की गई किसी भी राशि** को **आगे के वित्तीय वर्षों में इस तरह के दायित्व के लिए खर्च में भरपाई करने** की अनुमति दी गयी है।

- **NCLAT की न्यायपीठ:** इस संशोधन द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal: NCLAT) की न्यायपीठों (benches) की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- **गैर-कार्यकारी निदेशकों को पारिश्रमिक (Remuneration to non-executive directors):** यह संशोधन कंपनी को किसी वर्ष में **अपर्याप्त या कोई लाभ न होने की स्थिति में** उसके गैर-कार्यकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक भी सम्मिलित) को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए विशेष प्रावधानों का विस्तार करता है।

अन्य संबंधित तथ्य

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 {Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Act, 2020}

हाल ही में, संसद द्वारा इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (कारोबार करने में सुगमता) में सुधार करने की दिशा एक कदम के रूप में **दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020** को पारित किया गया।

- यह **दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016** में संशोधन करता है, जो **कंपनियों के तथा व्यक्तिगत स्तर पर** दिवालियापन को हल करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम इस संहिता के अंतर्गत **कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (Corporate Insolvency Resolution Process: CIRP)** के प्रारंभ को अस्थायी रूप से निलंबित करता है।
  - यह प्रावधान करता है कि **इस वर्ष 25 मार्च से लेकर अगले छह माह के दौरान** होने वाले चूक (डिफ़ॉल्ट) के लिए कंपनी या उसके लेनदारों द्वारा **कभी भी CIRP को प्रारंभ नहीं किया जा सकता है।**
  - केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी कर इस अवधि को आगे एक वर्ष तक बढ़ा सकती है।
  - **दिवाला (Insolvency)** एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति या कंपनियां अपना बकाया कर्ज चुका पाने में असमर्थ रहती हैं।
- यह अधिनियम इसी वर्ष जून माह में प्रख्यापित **दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020** को प्रतिस्थापित करता है।
- कोविड-19 के कारण उत्पन्न गंभीर आर्थिक स्थिति को देखते हुए दिवाला की कार्यवाही से व्यवसायों को रक्षा प्रदान करने के लिए यह संशोधन किया गया है।

फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 {Factoring Regulation (Amendment) Bill, 2020}

- हाल ही में, फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया।
- यह विधेयक फैक्टरिंग (आढ़त) व्यवसाय में संलग्न हो सकने वाली कंपनियों के दायरे में विस्तार करने के उद्देश्य से **फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011** में संशोधन करता है।
- इस प्रकार यह विधेयक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) की सहायता करना चाहता है। ज्ञातव्य है कि **MSMEs** व्यापार प्राप्य बट्टाकरण प्रणाली (Trade Receivables Discounting System) के माध्यम से अपने लिए अतिरिक्त वित्त जुटाते हैं। इस विधेयक के पारित होने के बाद MSMEs के लिए वित्त जुटाना सरल ही जाएगा।
- वर्ष 2011 के अधिनियम को फेक्टर व्यवसायियों के प्राप्य, फैक्टर्स के पंजीकरण तथा फेक्टर व्यवसाय को अनुमति देने के उद्देश्य से तथा इस प्रकार के अनुबंध में शामिल पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्व से जुड़े कार्यों के विनियमन हेतु अधिनियमित किया गया था।
  - **फैक्टरिंग** एक प्रकार का वित्तीय लेन-देन होता है, जिसमें एक व्यवसाय/कंपनी डिस्काउंट पर अपने प्राप्य खातों (accounts receivable) को किसी तीसरे पक्ष को बेचती है।
  - **प्राप्य (Receivables)** वह कुल राशि है, जो किसी भी वस्तु, सेवाओं या सुविधा के उपयोग के एवज में ग्राहकों द्वारा (जिसे यहाँ ऋणी के रूप में संदर्भित किया जाता है) देय होती है।
  - **फेक्टर (Factor):** एक बैंक, एक पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या कंपनी अधिनियम के अतंर्गत पंजीकृत कोई भी कंपनी फेक्टर हो सकती है।

VISION IAS

3.6. व्यवसाय सुधार कार्य योजना - व्यवसाय करने में सुगमता रैंकिंग (Business Reform Action Plan- Ease of Doing Business Ranking)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **व्यवसाय सुधार कार्य योजना (Business Reform Action Plan: BRAP)** के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की गयी। ज्ञातव्य है कि **विश्व बैंक** के सहयोग से **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department of Industrial Promotion and Internal Trade: DPIIT)** इस रैंकिंग को जारी करता है।

TABLE 1: EASE OF DOING BUSINESS RANKS, TOP 10 IN 2019

State	2015	2016	2017	2019
Andhra Pradesh	2	1	1	1
Uttar Pradesh	10	14	12	2
Telangana	15	1	2	3
Madhya Pradesh	5	5	7	4
Jharkhand	3	7	4	5
Chhattisgarh	4	4	6	6
Himachal	17	17	16	7
Rajasthan	6	8	9	8
West Bengal	11	15	10	9
Gujarat	1	3	5	10

Source: DPIT

TABLE 2: REFORMS, APPLICABLE/IMPLEMENTED

State	Applicable	Implemented
Andhra Pradesh	187	187
Uttar Pradesh	186	184
Telangana	186	184
Madhya Pradesh	187	187
Jharkhand	187	186
Chhattisgarh	187	186
Himachal	185	175
Rajasthan	186	183
West Bengal	187	187
Gujarat	187	187

Source: DPIT

TABLE 3: SHARE (%) IN NEW INVESTMENTS ANNOUNCED

State	2017-18	2018-19
Andhra Pradesh	6.56	16.29
Haryana	3.37	15.74
Tamil Nadu	4.01	9.32
Gujarat	6.76	7.74
Maharashtra	18.09	6.32
Karnataka	3.32	6.08
Rajasthan	2.01	3.04
Madhya Pradesh	2.87	2.73
Odisha	8.25	2.43
NCT Delhi	1.38	1.75

Source: CMIE

BRAP के बारे में

- वर्ष 2015 में BRAP का शुभारंभ किया गया था तथा यह इसका चौथा वार्षिक संस्करण है। इसका विकास DPIIT ने **राज्यों में समग्र व्यावसायिक परिवेश में सुधार करने के लिए** किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है और इसी आधार पर उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। इसे दो कारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है: मापनीयता (Measurability) और तुलनीयता (Comparability) अर्थात् राज्यों के रैंकिंग की गणना और उनके प्रदर्शन की तुलना।
- BRAP के अंतर्गत, DPIIT ने नियमों के अनुपालन के संदर्भ में व्यवसायों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को कम करने और विभिन्न विभागों का चक्कर लगाने की प्रथा को ख़त्म करने के लिए अनुशंसाओं का एक समुच्चय (set of recommendations) प्रदान किया है। ये हैं:
  - सभी राज्यों में **एकल खिड़की प्रणाली** होनी चाहिए, जिसके द्वारा व्यवसाय आरंभ करने के लिए आवश्यक परमिट और लाइसेंस के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी।
  - **लाइसेंस की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए** या उन्हें स्व-प्रमाणन या तृतीय पक्ष सत्यापन के आधार पर **स्वचालित रूप से नवीनीकृत** किया जाना चाहिए।
  - यदि किसी राज्य में विभिन्न अवरोधक विनियम (जैसे- जटिल श्रम या पर्यावरण कानून) मौजूद नहीं हैं, तो उस राज्य को **पुरस्कृत** भी किया जाएगा।
- BRAP का उद्देश्य रैंकिंग की प्रणाली के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तत्व का सूत्रपात करके **प्रत्येक राज्य में निवेश और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB) को बढ़ावा देना** है।
  - इस संदर्भ में राज्यों को रैंकिंग प्रदान करने से निवेश आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रत्येक राज्य में EoDB में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

BRAP रिपोर्ट: वर्ष 2018-19

- DPIIT द्वारा जारी इस रिपोर्ट (अर्थात् वर्ष 2018-19 के लिए BRAP रिपोर्ट) में **12 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्रों,** जैसे- सूचना तक पहुंच, सिंगल विंडो सिस्टम (एकल खिड़की प्रणाली), श्रम, पर्यावरण आदि को शामिल करने वाले 180 सुधार बिंदु शामिल हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राज्यों द्वारा 180 क्षेत्रों में सुधारात्मक उपायों को अपनाया जाना है।
  - वर्ष 2015 में इसका शुभारंभ होने के बाद से, पहली बार **इस रैंकिंग को पूरी तरह से व्यवसायों (जिनके लिए ये सुधार किए गए थे) से प्राप्त फीडबैक के आधार तैयार किया गया है।**
- राज्यों के लिए यह आवश्यक बनाया गया है कि वे DPIIT के EoDB पोर्टल पर अपने द्वारा किए गए प्रत्येक सुधार का प्रमाण प्रस्तुत करें और उन सुधारों के उपयोगकर्ताओं की सूची प्रस्तुत करें।

VISION IAS

- **यह रैंकिंग राज्यों को अग्रलिखित आधारों पर वर्गीकृत करती है:** शीर्ष अचीवर्स (Top Achievers) (95 प्रतिशत से अधिक अनुपालन); अचीवर्स (Achievers) (90 - 95 प्रतिशत अनुपालन); फास्ट मूवर्स (Fast Movers) (80 - 90 प्रतिशत अनुपालन) तथा आकांक्षी (Aspirers) (80 प्रतिशत से कम अनुपालन)।
- **इस रैंकिंग के निष्कर्ष: उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत से आंध्र प्रदेश, पूर्वी भारत से पश्चिम बंगाल, पश्चिम भारत से मध्य प्रदेश** और **पूर्वोत्तर भारत से असम** शीर्ष स्थान पर रहे हैं। वहीं संघ राज्य क्षेत्रों में **दिल्ली** ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

3.7. ऋणों की पुनर्रचना (Restructuring of Loans)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोविड-19 महामारी के कारण तनावग्रस्त बैंक ऋणों के लिए समाधान ढांचे पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा **के. वी. कामथ** की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी। RBI द्वारा गठित इस समिति ने 26 क्षेत्रों हेतु ऋण पुनर्रचना की अनुशंसा की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे पहले, RBI ने **ऋणदाताओं के लिए एकबारगी पुनर्रचना योजना (restructuring scheme) के रूप में "कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा"** (Resolution Framework for COVID-19 related Stress) की घोषणा की थी।
- यह ढांचा ऋणदाताओं (lenders) को अपने उधारकर्ताओं (borrowers) के लिए पुनर्भुगतान की शर्तों में परिवर्तन करने की अनुमति देगा। इससे ऋणदाता बैंक उधार लेने वाले व्यक्ति/कंपनी के खातों को स्टैण्डर्ड अकाउंट्स का दर्जा प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार ऋणदाताओं को ऐसे खातों को डिफॉल्टर खाते या NPL (गैर-निष्पादित ऋण) खाते के रूप में चिन्हित नहीं करना पड़ेगा।
    - यदि 90 दिनों तक देय या बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक ऋण **NPA** की श्रेणी में चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस 90 दिनों की अवधि तक ऐसे खातों को **स्टैण्डर्ड अकाउंट्स** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- कामथ समिति का गठन **"कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे"** के तहत समाधान योजनाओं में शामिल किए जाने वाले आवश्यक वित्तीय मापदंडों तथा साथ ही, ऐसे मानकों हेतु क्षेत्रक विशिष्ट मानदंडों पर अनुशंसाएं प्रदान करने के लिए किया गया था।

ऋण पुनर्रचना (Loan restructuring) के बारे में

- **वित्तीय संकट का सामना कर रही या दिवालियापन के कगार पर खड़ी कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा** अपने ऋणों को कम करने, उन्हें पुनः प्राप्त करने या तरलता बनाए रखने के लिए ऋण पुनर्रचना की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ताकि कंपनियां अपना व्यवसाय जारी रख सकें।
- दूसरे शब्दों में, कोई कंपनी अपने ऋण को चुकाने के क्रम में डिफ़ॉल्ट न करे, इससे बचने के लिए उसके द्वारा लिए गए ऋण की पुनर्रचना की जाती है। ऋणों की यह पुनर्रचना **उधार लेने वालों के लिए** अपने ऋण को आगे किसी अन्य तिथि या माह में लौटाने, पुनर्भुगतान के लिए और समय लेने, या अपने मौजूदा ऋणों पर ब्याज दर को कम करने में सक्षम बनाती है।

इस समिति द्वारा प्रदत्त प्रमुख निष्कर्ष/सुझाव

- कामथ समिति ने यह स्वीकार किया है कि कोविड-19 महामारी ने कंपनियों के कार्यकरण और लाभ को प्रभावित किया है। ऐसा नहीं हुआ होता तो अनेक कंपनियां अपने ऋण को वापस लौटाने में समर्थ थीं। लेकिन, इस महामारी का प्रभाव कई क्षेत्रकों में व्यापक रहा है। हालांकि, यह प्रभाव अलग-अलग कंपनियों के लिए हल्का, मध्यम और गंभीर श्रेणी में रहा है।
    - अतः राहत देने के लिए इन कंपनियों के खातों को **हल्के (mild), मध्यम (moderate) और गंभीर (severe)** तनाव की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- कोविड-19 महामारी के कारण **बैंकिंग क्षेत्रक के लगभग 70% ऋण प्रभावित हुए** हैं, जिसमें से लगभग 45% इस महामारी से पहले ही तनावग्रस्त (stressed) थे। कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण केवल 30% ऋण ही प्रभावित हुए हैं।
- इस समिति ने समाधान योजनाओं के आकलन के लिए **ऋण-शोधन क्षमता, तरलता और कवरेज** से संबंधित वित्तीय अनुपातों की पहचान की है। ये हैं:
    - **ऋण-शोधन क्षमता अनुपात (Solvency ratios):** यह दीर्घकाल में अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने अर्थात् ऋण चुकाने की कंपनी की क्षमता का परिचायक है। यह ब्याज चुकाने से पहले लिए गए कुल ऋण, मूल्यह्रास और कर अनुपात के संबंध में जानकारी देता है।

- **तरलता अनुपात (Liquidity Ratios) या चालू अनुपात (Current Ratio):** यह लघु अवधि में अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने अर्थात् ऋण चुकाने की कंपनी की क्षमता का परिचायक है।
- **व्याप्ति अनुपात (Coverage ratio):** यह उस समय-सीमा (एक निश्चित समयावधि में) का परिचायक है जिसके तहत पूँजी प्रवाह में वृद्धि होने पर एक कंपनी अपने ऋणों को वापस लौटा सकती है।

- बकाया राशि और कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभाव के आधार पर, इस समिति ने समाधान योजना में शामिल करने के लिए **26 क्षेत्रों का चयन** किया है। ये हैं: विद्युत, निर्माण, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, रियल एस्टेट, लौह और इस्पात, सड़कें, अचल संपत्ति, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, विमानन, खनन आदि।

3.8. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश {Revised Priority Sector Lending (PSL) Guidelines}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने उद्यमिता (entrepreneurship) और नवीकरणीय संसाधनों (renewable resources) को सम्मिलित करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (PSL) से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (Priority Sector Lending: PSL) क्या है और यह कैसे कार्य करता है?

'PSL' की अवधारणा **अर्थव्यवस्था में कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रकों और गतिविधियों के लिए बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ाने के विचार** पर केंद्रित है। इसके माध्यम से बैंकों के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि वे पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान कर ऐसे क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करें।

PSL कार्यपद्धति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- इसके तहत बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों पर **ब्याज की दर** समय-समय पर RBI के **बैंकिंग विनियमन विभाग** द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है। हालांकि, **PSL दिशा-निर्देश** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को दिए जाने वाले ऋणों के लिए **ब्याज की कोई अधिमानित दर** (preferential rate) निर्धारित नहीं करते हैं।
- PSL के प्रावधान **सभी वाणिज्यिक बैंकों {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank: RRB), लघु वित्त बैंक (Small Finance Bank: SFB), लोकल एरिया बैंक} और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों** पर लागू होते हैं। ये प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में परिचालन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त वेतन अर्जक बैंक पर लागू नहीं होते हैं।
  - **सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और विदेशी बैंकों** (भारत में पर्याप्त विस्तार या पर्याप्त कवरेज वाले) के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी **समायोजित निवल बैंक ऋण (Adjusted Net Bank Credit: ANDC)** का **40% हिस्सा** इन क्षेत्रकों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रयोग करेंगे।
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों को अपनी ANDC का **75 प्रतिशत हिस्सा** PSL को ऋण देने में प्रयोग करना पड़ता है।
    - वर्तमान में शहरी सहकारी बैंकों के लिए कुल PSL लक्ष्य उनके ANDC के 40 प्रतिशत के बराबर है। हालांकि, 31 मार्च 2024 तक इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, **बैंकों के अनुपालन की तिमाही आधार पर निगरानी की जाती है।**
- **PSL लक्ष्यों की प्राप्ति में चूक की स्थिति में:**
  - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के लिए लक्षित ऋण से कम ऋण प्रदान करने वाले बैंकों को नाबार्ड (NABARD) के तहत **ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund: RIDF)** और नाबार्ड / NHB / सिडबी (SIDBI) / मुद्रा (MUDRA) लिमिटेड की अन्य निधियों में, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, शेष राशि जमा करनी पड़ती है।
  - विभिन्न प्रयोजनों के लिए **विनियामकीय स्वीकृतियां/अनुमोदन** प्रदान करते समय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों की प्राप्ति या विफलताओं को ध्यान में रखा जाता है।

VISION IAS

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक में निम्नलिखित श्रेणियां सम्मिलित हैं:

(i) कृषि

(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs)

(iii) निर्यात ऋण

(iv) शिक्षा

(v) आवास

(vi) सामाजिक अवसंरचना

(vii) नवीकरणीय ऊर्जा

(viii) अन्य

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र (Priority Sector Lending Certificates: PSLCs)

- बैंकों को PSL के लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने के एवज में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। PSL के लक्ष्य और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी आने पर अधिशेष वाले बैंकों से इन लिखतों (प्रमाण-पत्र) को खरीदा जा सकता है। इस प्रकार, यह अन्य बैंकों के लिए PSL लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों की प्राप्ति को संभव बनाता है।
- **PSL तंत्र** के अंतर्गत, जोखिम या ऋण परिसंपत्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं होता है।
- यह निर्धारित लक्ष्यों से अतिरिक्त उपलब्धि प्राप्त करने वाले बैंकों को प्रोत्साहित करता है, जिससे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के लिए ऋण में वृद्धि होती है।

संशोधित PSL दिशा-निर्देशों में किए गए परिवर्तन

इसके लिए, RBI ने सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर **यू. के. सिन्हा** की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति तथा कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए **एम. के. जैन** की अध्यक्षता में गठित आंतरिक कार्य समूह द्वारा की गई अनुशंसाओं को भी इसमें शामिल किया है। संशोधित PSL दिशा-निर्देशों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- PSL श्रेणी में **सम्मिलित नई श्रेणियां:**
  - **स्टार्ट-अप्स को 50 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण।**
  - **ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन हेतु सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को ऋण।**
  - **कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण।**
- क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए 'चिन्हित जिलों' में वृद्धिशील PSL को **उच्च भारांश** दिया गया है। उल्लेखनीय है कि देश के ऐसे जिलों में **PSL या ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है।**
  - तदनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 से, जिन चिन्हित जिलों में ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है, वहां वृद्धिशील PSL का भारांश बढ़ाकर 125% कर दिया जाएगा और जिन जिलों में ऋण प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक है, वहां वृद्धिशील PSL के लिए भारांश को कम कर 90% कर दिया जाएगा।
- लघु और सीमांत किसानों तथा कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है।
- पूर्व निर्धारित कीमत पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ कृषि कार्य करने वाले **किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisations: FPOs) / किसान उत्पादक कंपनियों (Farmers Producers Companies: FPC) के लिए उच्च ऋण सीमा** निर्दिष्ट की गई है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा दोगुनी** कर दी गई है।
- स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में सुधार लाने के लिए, **स्वास्थ्य अवसंरचना** (आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य अवसंरचना सहित) के लिए **ऋण सीमा दोगुनी** कर दी गई है।

इस संशोधन से संभावित लाभ

- **इससे किसानों को सहायता प्राप्त होगी:** सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता तथा लघु और सीमांत किसानों को सहायता जैसे प्रावधान किसानों को अपेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करते हैं।
  - साथ ही, FPO/FPC के लिए उच्च ऋण सीमा से ऐसे संस्थानों का विकास प्रोत्साहित होगा।
- **क्षेत्रीय असमानताएं दूर होंगी:** नए दिशा-निर्देशों में नए 'चिन्हित जिलों' के समावेश से क्षेत्रीय असमानताएं दूर होंगी।

VISION IAS

- **पर्यावरण अनुकूल ऋण नीतियों का निर्माण होगा:** नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रकों को प्रोत्साहन और बायोगैस संयंत्रों के विकास का उद्देश्य संधारणीय विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) को प्राप्त करने में सहायता पहुँचाना है।
- **स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ावा:** PSL दिशा-निर्देशों में संशोधन से स्वास्थ्य अवसंरचना की दिशा में ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

3.9. बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 {Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया है। इसका उद्देश्य सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं की रक्षा करना और सहकारी समितियों की बैंकिंग गतिविधियों को विनियमित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को सशक्त बनाना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस विधेयक को **पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक** घोटाले की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया है। यह व्यावसायिकता बढ़ाकर, पूंजी तक पहुंच को सक्षम बनाकर, शासन में सुधार लाकर और RBI के माध्यम से मजबूत बैंकिंग व्यवस्था सुनिश्चित करके **सहकारी बैंकों** को मजबूत बनाने का प्रयास करता है।
  - मार्च 2019 तक, 277 शहरी सहकारी बैंकों (Urban Cooperative Banks: UCBs) ने हानि की सूचना दी थी; 105 UCBs न्यूनतम नियामकीय पूंजी की आवश्यकता पूर्ण करने में असमर्थ थे; 47 UCBs की निवल संपत्ति (नेट वर्थ) नकारात्मक थी और 328 UCBs का सकल NPA अनुपात 15% से अधिक था।
- यह विधेयक **बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020** को प्रतिस्थापित करेगा।
  - इस वर्ष जून माह में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,482 शहरी और 58 बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को RBI के दायरे के अंतर्गत लेन हेतु इस अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की थी।
  - यह अध्यादेश **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** (Banking Regulation Act, 1949) में संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया था। यह अधिनियम बैंकों की कार्यपद्धति को नियंत्रित करता है और बैंकों के लाइसेंसिंग, प्रबंधन एवं परिचालन जैसे विभिन्न पहलुओं पर विवरण प्रदान करता है।

सहकारी बैंकों (Cooperative Banks) के बारे में

- सहकारी बैंक **सहकारिता के आधार पर स्थापित वित्तीय संस्थाएं** हैं। ये अपने सदस्यों से संबद्ध होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सहकारी बैंक के ग्राहक भी इसके स्वामित्व में भागीदार होते हैं।
- व्यापक रूप से भारत में सहकारी बैंकों को **दो श्रेणियों - शहरी और ग्रामीण -** में विभाजित किया गया है।
  - **ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं या तो अल्पकालिक या दीर्घकालिक प्रकृति की हो सकती हैं।**
    - **अल्पकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं** को राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि साख समितियों में उप-विभाजित किया गया है।
    - **दीर्घकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं का तात्पर्य** या तो राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks: SCARDBs) या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Banks: PCARDBs) से है।
  - UCBs या तो अनुसूचित अथवा गैर-अनुसूचित होते हैं। अनुसूचित और गैर-अनुसूचित UCBs भी दो प्रकार के होते हैं- बहुराज्यीय और एक ही राज्य में संचालित शहरी सहकारी बैंक।
- UCBs को **संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम या बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002** के प्रावधानों के अंतर्गत **सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया जाता है।**
- **UCBs का विनियमन RBI और केंद्र/राज्य-सरकारों** के बीच विभाजित है, जबकि लघु सहकारी बैंकों का विनियमन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) तथा राज्य सरकारों के बीच विभाजित है।
- एक ही राज्य में संचालित UCBs के **पंजीयन और प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों** का विनियमन **रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज (RCS)** द्वारा किया जाता है। एक से अधिक राज्यों में संचालित UCBs के **पंजीयन और प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों** का विनियमन केंद्रीय RCS द्वारा किया जाता है।

VISION IAS

इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

- **सहकारी बैंकों द्वारा शेयरों और प्रतिभूतियों का निर्गमन:** सहकारी बैंक अपने सदस्यों या अपने परिचालन क्षेत्र के भीतर रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को अंकित मूल्य पर या प्रीमियम पर इक्विटी शेयर, अधिमानित शेयर या विशेष शेयर जारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सहकारी बैंक ऐसे व्यक्तियों को दस या उससे अधिक वर्षों की परिपक्वता अवधि वाले असुरक्षित ऋण-पत्र (debentures) या बॉण्ड्स (बंधपत्र) या ऐसी ही प्रतिभूतियां जारी कर सकते हैं।
    - यह निर्गमन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पूर्व अनुमोदन, और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य शर्तों के अधीन होगा।
- **इस अधिनियम के उपबंधों से कुछ सहकारी बैंकों को छूट प्रदान करने की शक्ति:** RBI एक अधिसूचना के माध्यम से एक सहकारी बैंक या सहकारी बैंकों के समूह को इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान कर सकता है। ये प्रावधान रोजगार, निदेशक मंडल की योग्यता और अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित हैं।
- **निदेशक मंडल का हटाया जाना (Supersession of Board of Directors):** भारतीय रिज़र्व बैंक कुछ शर्तों के अंतर्गत पांच वर्ष तक के लिए बहु-राज्यीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल का स्थान ले सकता है। इन स्थितियों में ऐसे मामले सम्मिलित हैं जहां RBI द्वारा निदेशक मंडल को हटाया जाना और जमाकर्ताओं की सुरक्षा करना जनहित में है।
    - किसी राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज (RCS) के पास पंजीकृत सहकारी बैंक की स्थिति में, RBI संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद, और एक निश्चित अवधि के भीतर निदेशक मंडल को हटा सकेगा। इस अवधि का निर्धारण RBI द्वारा किया जाएगा।
- **यह विधेयक बैंकों को ऋण स्थगन (moratorium) की स्थिति में डाले बिना** RBI को बैंकिंग समस्या को हल करने की अनुमति प्रदान करता है।
    - यदि केंद्रीय बैंक किसी बैंक पर ऋण स्थगन का आरोपण करता है, तो उस अवधि के दौरान बैंक कोई ऋण नहीं दे सकता है या किसी भी ऋण लिखत (credit instrument) में निवेश नहीं कर सकता है।
- **अपवर्जन (Exclusions):** यह अधिनियम कुछ सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता है। ये हैं:
    - प्राथमिक कृषि साख समितियां (Primary Agricultural Credit Societies: PACS),
    - सहकारी भूमि बंधक बैंक (cooperative land mortgage banks), और
    - इस अधिनियम में निर्दिष्ट सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य सहकारी समितियां।

इस विधेयक का महत्व

- **यह UCBs की प्रबंधन संबंधी समस्या को संबोधित करता है:** सहकारी बैंकों को RBI के नियामकीय ढांचे के अंतर्गत लाकर, यह अधिनियम सहकारी समितियों के निम्न-स्तरीय प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा।
- **यह UCBs के पूंजी आधार को बढ़ाएगा:** सहकारी बैंकों को प्रतिभूतियों के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति देने के प्रावधान से उन्हें अपनी पूंजी आधार को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- **इससे सहकारी समितियों के प्रति जनता के विश्वास में वृद्धि होगी:** चूंकि, RBI द्वारा पहले कदम के रूप में ऋण स्थगन का आदेश जारी नहीं किया जाएगा, अतः इससे जनता के विश्वास में वृद्धि होगी और वे अपनी जमाओं की निकासी को लेकर चिंतित नहीं होंगे।
    - वर्तमान में, जब RBI को किसी बैंक में कुछ अनुचित प्रतीत होता है, तो वह उस पर ऋण स्थगन का आरोपण करता है और बैंक के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति करता है।

UCBs के लिए अभी भी विद्यमान चुनौतियां

- **लघु ग्रामीण सहकारी बैंक:** यह विधेयक लघु ग्रामीण सहकारी बैंक को सम्मिलित नहीं करता है। जबकि, लघु सहकारी बैंकों में कुशासन और धोखाधड़ी की समस्या सबसे अधिक है, क्योंकि इन संस्थाओं को मुख्य रूप से स्थानीय राजनेताओं द्वारा संचालित किया जाता है। प्रायः, ये बैंक प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं करते हैं और संदिग्ध लेन-देन में संलग्न होते हैं।
- **दोहरा विनियमन:** अतीत में, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र ने दोहरे विनियमन की सबसे बड़ी समस्या का सामना किया है। यह विधेयक केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी (supervisory) शक्तियों को सुदृढ़ करता है, न कि दोहरे विनियमन के मुद्दे का समग्र रूप से समाधान करता है।
- **संरचनात्मक मुद्दे:** अधिकांश UCBs एकल शाखा वाले बैंक हैं और उनमें सहसंबद्ध परिसंपत्ति जोखिम (correlated asset risk) की समस्या विद्यमान है। इसका अर्थ यह है कि बडे पैमाने की स्थानीय समस्या उत्पन्न होने पर संपूर्ण बैंक डूब सकता है।

- **परिचालन संबंधी मुद्दे:** UCBs को लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि जैसे अन्य वित्तीय संस्थानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप, ये न चाहते हुए भी जमाकर्ताओं को उच्च ब्याज दर प्रदान करते हैं।
- **निम्न वेतन और मजदूरी संरचना:** अनेक पेशेवर कर्मचारी निम्न वेतन संरचना के कारण UCBs में काम करने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। इससे इनके मध्य व्यवसायिक दृष्टिकोण का विकास अवरुद्ध हो जाता है।
- **ऋण माफी योजनाएं:** केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न ऋण माफी और राहत योजनाओं के कारण, UCBs को ऋण वसूली की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप उनके NPAs में वृद्धि होती है।

आगे की राह

- **बजटीय सहायता:** सरकार कमजोर और रुग्ण UCBs के लिए बजटीय सहायता प्रदान कर सकती है।
- **कर्मचारियों का वेतन:** सरकार शहरी बैंकों के कर्मचारियों का वेतन और मजदूरी राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन के समतुल्य निर्धारित कर सकती है। इससे काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढेगा और उनकी दक्षता में भी वृद्धि होगी तथा वे बैंकों के ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
- **एकल विनियामक:** भारतीय रिज़र्व बैंक का एकल नियंत्रण UCBs की कार्यपद्धति में गुणात्मक सुधार लाएगा।
- **सूचना और अनुभव का आदान-प्रदान करना:** इस क्षेत्र में कार्यशील विभिन्न UCBs के बीच सूचना और अनुभव के आदान-प्रदान तथा समन्वित ढंग से सहकारी एवं बैंकिंग संबंधी परियोजनाओं के संवर्धन व सृजन की आवश्यकता है।
- **UCBs के लिए पृथक कानून:** सरकार को UCBs के लिए पृथक कानून का निर्माण करना चाहिए जिससे उन्हें जानबूझकर चूक करने वालों (wilful defaulters) के लिए किसी सेवा के बिना उधारकर्ताओं से ऋण और अग्रिम वसूलने में सहायता मिलेगी।

3.10. नवाचार पारितंत्र: क्या, क्यों व कैसे? (Innovation Ecosystem: What, Why and How?)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में जारी **वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index: GII)- 2020** में भारत की रैंकिंग में चार स्थानों का सुधार देखने को मिला तथा इसे 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2019 में इसमें भारत का 52वाँ स्थान था।

GII के बारे में

- इसे **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization: WIPO)** ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय, इनसीड (INSEAD) आदि जैसे शीर्ष व्यावसायिक विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर विकसित किया है।
- GII के तहत **80 संकेतकों** का उपयोग कर **131 अर्थव्यवस्थाओं** की **नवाचार क्षमता एवं आउटपुट** का मापन किया जाता है। इसके तहत अनुसंधान व विकास संबंधी निवेश एवं पेटेंट व ट्रेडमार्क दाखिल करने से लेकर मोबाइल फोन एप्लिकेशन के निर्माण व उच्च तकनीक वाले उपकरणों के निवल निर्यात की माप की जाती है।

इस सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष

- **कोविड-19 संकट नवाचार पारितंत्र को प्रभावित करेगा।** इसलिए रिकवरी संबंधी प्रयासों के लिए राजनेताओं को सक्रिय होकर कार्य करने की आवश्यकता है।
  - **फार्मास्यूटिकल्स एवं जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रक** में R&D (अर्थात् अनुसंधान एवं विकास) को बढ़ावा मिलने की संभावना है। अन्य प्रमुख क्षेत्रकों, जैसे कि परिवहन, को शीघ्रता से अनुकूल बनाना होगा क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा की खोज में नए सिरे से रूचि बढ़ रही है।
- वित्तीय प्रणाली अभी तक सुदृढ़ बनी हुई है, लेकिन **नवाचारी उद्यमों के लिए फंड्स की उपलब्धता में कमी आ रही है।** उत्तर अमेरिका, एशिया एवं यूरोप में वेंचर कैपिटल समझौतों में तीव्रता से गिरावट आ रही है।
- GII रैंकिंग से ज्ञात होता है कि **नवाचार का भूगोल निरंतर स्थानांतरित हो रहा है।** इन वर्षों में, **चीन, वियतनाम, भारत एवं फिलीपींस GII नवाचार रैंकिंग में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं।** वर्तमान में ये चारों देश शीर्ष 50 में शामिल हैं।
- **कुछ नवाचारों में प्रगति के बावजूद राष्ट्रीय नवाचार प्रदर्शन के संबंध में क्षेत्रीय विभाजन विद्यमान हैं:** उत्तर अमेरिका तथा यूरोप इसमें अग्रणी हैं। इनके पश्चात् दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया एवं ओशिनिया का स्थान है। इसके उपरांत इन सबसे काफी पीछे क्रमशः उत्तरी अफ्रीका व पश्चिमी एशिया, दक्षिण अमेरिका व कैरीबियन, मध्य व दक्षिणी एशिया तथा उप-सहारा अफ्रीका हैं।
- पहली बार, **GII-2020 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तीव्रता** (अर्थात्, पेटेंट एवं वैज्ञानिक प्रकाशन में हिस्सेदारी के योग का जनसंख्या से विभाजन) **के आधार पर रैंक किए गए शीर्ष 100 समूहों (क्लस्टरों) को प्रस्तुत किया गया है।**
  - **ये शीर्ष 100 क्लस्टर 26 अर्थव्यवस्थाओं में अवस्थित हैं,** जिनमें से 6 - ब्राजील, चीन, भारत, ईरान, तुर्की एवं रूसी संघ - मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब भी क्लस्टरों की संख्या (25) सर्वाधिक है। इसके बाद चीन (17), जर्मनी (10) एवं जापान (5) का स्थान आता है।

नवाचार (नवोन्मेष) पारितंत्र (Innovation Ecosystem) क्या है?

- एक नवाचार पारितंत्र **कंपनियों एवं अन्य संस्थाओं के एक-दूसरे से जुड़े नेटवर्क** को संदर्भित करता है। ये कॉमन (साझे) **प्रौद्योगिकी, ज्ञान, या कौशल के आधार पर नवाचार क्षमताओं को सह-विकसित** करते हैं, एवं नए उत्पादों व सेवाओं को विकसित करने के लिए सहयोगपूर्ण व प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कार्य करते हैं।
  - यह **विभिन्न अभिकर्ताओं (अर्थात् पारितंत्र से जुड़े लोग), उनके मध्य के आपसी संबंधों एवं संसाधनों से निर्मित होता है।** ये सभी आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि वे बड़े पैमाने पर परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं।
  - **इस पारितंत्र से जुड़े प्रत्येक अंग की सफलता दूसरे प्रतिभागी के निर्णय से जुड़ी होती है** (जैसे- अधिकांश उद्यमी अपने कार्यकलापों के लिए वित्त-पोषण करने वालों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं)।
  - **किसी एक भाग में परिवर्तन आने से नवाचार पारितंत्र के अन्य भागों में भी परिवर्तन होता है** (जैसे- इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि नई प्रौद्योगिकियों के डिजाइन व परीक्षण में गति को प्रोत्साहित करती है)।
- **इस प्रकार, एक नवाचार पारितंत्र की तीन परिभाषित विशेषताएं हैं:** (i) इसमें शामिल अभिकर्ता या सदस्य एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं, (ii) उनके साझे लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं, तथा (iii) उनके ज्ञान एवं कौशल का भी एक साझा समुच्चय (shared set) होता है।

नवाचार (या नवोन्मेष) पारितंत्र महत्वपूर्ण क्यों है?

- एक सुविकसित नवाचार पारितंत्र **विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए सूचना एवं संसाधनों के सक्रिय प्रवाह** को सक्षम बनाता है। यह वास्तविक जगत की समस्याओं को शीघ्रता से हल करने के लिए एक उचित समाधान विकसित व कार्यान्वित कर सकता है।

- दूसरी ओर, वर्तमान समय में तकनीकी नवाचार को **आर्थिक संवृद्धि का एक प्रमुख स्रोत** माना जाता है। यह उत्पादकता को बढ़ावा देकर, समान आगत (इनपुट) से ही अत्यधिक उत्पादन (आउटपुट) को संभव बनाता है।
- वर्तमान समय में अनेक देश एक सुविकसित नवाचार पारितंत्र पर इसलिए अत्यधिक निर्भर हो गए हैं, क्योंकि नई डिजिटल तकनीकें एवं अभिनव समाधान **अनेक रोगों तथा गरीबी एवं भूख की समस्या से लड़ने के लिए अनेक अवसर** सृजित करते हैं।
- एक प्रभावी नवाचार पारितंत्र उद्यमियों, कंपनियों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों, निवेशकों व सरकारी एजेंसियों को उनके **अनुसंधान व नवाचार के आर्थिक प्रभाव एवं क्षमता को अधिकतम करने** के लिए प्रभावी ढंग से अंत:क्रिया करने में सक्षम बनाता है।
- इस प्रकार **नवाचार** स्टार्ट-अप्स, विभिन्न कंपनियों से मिलकर बनी एक बड़ी कंपनी तथा सरकारों की **उपजीविका व समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण संचालक** है, जो उनके सेवा वितरण एवं निष्पादन को बेहतर बनाने में सहायता करता है।

भारत में नवाचार पारितंत्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

- **भारत केंद्रित पारितंत्र:** जहाँ एक ओर, भारतीय नवाचार पारितंत्र में **पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है तथा यह विघटनकारी भी नहीं है,** वहीं दूसरी ओर यह मुख्यत: 'भारत केंद्रित' है, न कि 'विश्व केंद्रित'।

- **विस्तार का अभाव:** प्रतिस्पर्धात्मक एवं वैश्विक बाजार के लिए उचित उत्पादों को बनाने के संदर्भ में इसके पास गति, विस्तार एवं संधारणीयता का अभाव है।
- **धीमी प्रगति:** यद्यपि, भारत विश्व के शीर्ष 50 नवाचारी देशों की कतार के निकट पहुंच चुका है, तथापि यह अब भी चीन जैसे एक विकासशील देश से बहुत पीछे है। उदाहरण के लिए, चीन ने वर्ष 2018 में WIPO के समक्ष 53,345 पेटेंट आवेदन दायर किए थे, जबकि भारत की ओर से केवल 2,013 पेटेंट आवेदन दायर किए गए थे।
- **विश्वविद्यालयी अनुसंधान की निम्न स्थिति:** भारत ने जहाँ एक ओर चंद्रयान एवं डिजिटल भुगतान जैसी बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों तथा सीमित स्वायत्तता वाले अनुसंधान संस्थानों की एक बड़ी संख्या मौजूद है। इसके अतिरिक्त, जहां हमारे शीर्ष विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों (जैसे- IIT दिल्ली एवं मुंबई तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु) का क्षेत्रीय रूप से अच्छा प्रदर्शन है, वहीं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान प्राप्त करने विफल रहे हैं।
- **एस.टी.ई.एम. (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) प्रतिभा पूल की गुणवत्ता (Quality of the STEM talent pool):** भारत में तृतीयक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात बहुत कम (26%) है, जिसका अर्थ है कि संभावित शोध प्रतिभा का एक विशाल भंडार नष्ट हो रहा है।

नवाचार पारितंत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदम

- **भारत नवोन्मेष विकास कार्यक्रम (India Innovation Growth Programme: IIGP) 2.0 :** यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), लॉकहीड मार्टिन एवं टाटा ट्रस्ट की एक अद्वितीय त्रिपक्षीय पहल है। यह पहल भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान विकसित करने में अन्वेषकों (innovators) एवं उद्यमियों को उनके विचारों एवं नवोन्मेष (नावाचार) को गति प्रदान कर उन्हें सक्षम बनाती है।
- **भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (Department of Scientific and Industrial Research: DSIR) द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन:** यह विभाग संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों तथा उनके नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें समर्थन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **भारत नवोन्मेष कोष (India Innovation Fund):** यह नवाचार का नेतृत्व करने वाली, प्रारंभिक चरण की भारतीय कंपनियों में निवेश करने वाला एक वेंचर कैपिटल फंड है। इस कोष का प्रबंधन **सिडबी (SIDBI)** द्वारा किया जाता है।
- **इनोवेट इंडिया (Innovate India):** यह संपूर्ण देश में घटित नवाचारों को प्रदर्शित करने, बढ़ावा देने एवं पहचान करने का एक अद्वितीय मंच है। इसे 'अटल इनोवेशन मिशन - नीति आयोग' एवं MyGov के सहयोग से आरंभ किया गया है। देश के सभी हिस्सों के नागरिक इस मंच पर अपने नवाचार को साझा करने के लिए पात्र हैं।
- **प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (Technology Development Board: TDB)** नवाचार के क्षेत्र में सुलभ ऋण प्रदान करता है। यह स्वदेशी तकनीक के विकास एवं व्यवसायीकरण के माध्यम से और घरेलू अनुप्रयोगों के लिए आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाकर भारतीय उद्योग जगत के सामर्थ्य को बढ़ावा देता है।
- **नए भारत के नवाचारों का तेज़ी से विकास (Accelerating Growth of New India's Innovations: AGNIi):** इसका उद्देश्य सभी उद्योगों, व्यक्तियों एवं जमीनी स्तर के अन्वेषकों को बाजार से जोड़ने तथा उनके नवाचारों का व्यवसायीकरण करने में सहायता करके देश में नवाचार पारितंत्र को बढ़ावा देने के लिए जारी प्रयासों का समर्थन करना है।
- **विभिन्न योजनाएं:** रामानुजन अध्येतावृत्ति (Fellowship) योजना; इंस्पायर फैकल्टी स्कीम अर्थात् अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान की खोज में नवोन्मेष (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research: INSPIRE/इंस्पायर); रामलिंगस्वामी पुनः-प्रवेश अध्येतावृत्ति (Ramalingaswami Re-entry Fellowship); विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च (वज्र) फ़ैकल्टी स्कीम; पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान भागीदारी (Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing: KIRAN); अटल नवोन्मेष मिशन (ATAL Innovation Mission: AIM); स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग (Self-Employment and Talent Utilization: SETU) आदि।

निष्कर्ष

भारत में अपने नवाचार पारितंत्र को बढ़ावा देने की क्षमता है, यदि यह अपने सभी हितधारकों का एक ही समय पर लाभ उठाए। इसके लिए सरकार, औद्योगिक, शैक्षिक एवं सामाजिक जैसे क्षेत्रकों को मिलकर काम करना होगा। समकालिक सक्रियता से उपजा तालमेल स्वयं ही **उद्योग, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच अधिक वांछित संबंध** प्रदान करेगा। यह संबंध निवेश को भी बढ़ाएगा तथा नवाचार पारितंत्र में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

VISION IAS

3.11. स्टार्ट-अप पारितंत्र को सहयोग के लिए राज्यों की रैंकिंग के परिणाम (Results of Ranking of States on Support to Startup Ecosystems)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department of Industrial Promotion and Internal Trade: DPIIT)** ने **राज्यों के स्टार्ट-अप्स की रैंकिंग प्रक्रिया** के दूसरे संस्करण का संचालन किया।

भारत में स्टार्ट-अप्स की स्थिति

- भारत विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारितंत्र** वाला देश है।
- DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स की संख्या लगभग 28,000 है।
- भारत में **32 यूनिकॉर्न** (ऐसी स्टार्ट-अप कंपनियां, जिनका बाजार मूल्य एक अरब डॉलर या उससे अधिक होता है) हैं, जिनका संयुक्त बाजार मूल्य 100 बिलियन डॉलर से अधिक है।
- समग्र स्टार्ट-अप पारितंत्र ने वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के बीच 50 बिलियन डॉलर का फंड जुटाया है।
- भारतीय स्टार्ट-अप परिदृश्य के अंतर्गत **अग्रणी क्षेत्रक** हैं: फिनटेक, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, एंटरप्राइजेज, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी (Health-Tech) आदि।

स्टार्ट-अप क्या है?

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली एक कंपनी/इकाई (entity) को एक स्टार्ट-अप माना जाता है:

- **कंपनी का प्रकार (Entity Type):** उसे भारत में एक **प्राइवेट लिमिटेड कंपनी** (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित किया गया है) के रूप में निगमित या एक **पार्टनरशिप फर्म** {भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (Indian Partnership Act, 1932) के अंतर्गत} या **सीमित दायित्व भागीदारी** (सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत) के रूप में पंजीकृत कंपनी/इकाई होना चाहिए।
- **टर्न-ओवर (कारोबार):** उसका टर्न-ओवर एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
- **आयु (Age):** निगमन की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष।
- **कार्य की प्रकृति (Nature of Activity):** नवाचार, उत्पादों / प्रक्रियाओं / सेवाओं के विकास या सुधार, विस्तार, रोजगार सृजन या धन सृजन के क्षेत्र में कार्यरत इकाई होना चाहिए।

राज्यों के स्टार्ट-अप रैंकिंग ढांचा-2019 (State's Startup Ranking Framework-2019) के बारे में

- इस प्रक्रिया में कुल **22 राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों** ने भाग लिया था।
- इस रैंकिंग फ्रेमवर्क (2019) में **30 कार्य बिंदुओं** (Action points) वाले **7 व्यापक सुधार योग्य क्षेत्रों** को शामिल किया गया है। इसमें संस्थागत समर्थन, सरल अनुपालन, इनक्यूबेशन समर्थन, सरकारी खरीद मानदंडों में रियायत आदि सम्मिलित हैं।
- इस रैंकिंग प्रक्रिया में एकरूपता स्थापित करने तथा एकल मानक सुनिश्चित करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
  - **श्रेणी 'Y'-** दिल्ली को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्र तथा असम को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य।
  - **श्रेणी 'X' -** अन्य सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली।
- **राज्यों को प्रत्येक श्रेणी में 5 शीर्षकों के अंतर्गत रैंकिंग प्रदान की गई है।** ये हैं: सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता (Best Performers), उच्च प्रदर्शनकर्ता (Top Performers), अग्रणी (Leaders), आकांक्षी अग्रणी (Aspiring Leaders) तथा उभरता हुआ स्टार्ट-अप पारितंत्र (Emerging Startup Ecosystems)।

रैंकिंग

- **श्रेणी X: सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता -** गुजरात; एवं **उच्च प्रदर्शनकर्ता -** कर्नाटक व केरल।
- **श्रेणी Y: सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता-** अंडमान व निकोबार द्वीप समूह; एवं **अग्रणी-** चंडीगढ़।
- **सभी 7 सुधार क्षेत्रों के मामले में अग्रणी (Leaders) हैं-**
  - **कर्नाटक-** संस्थागत, विनियामकीय, एवं सरकारी खरीद के क्षेत्रों में सुधार के लिए।
  - **गुजरात-** इनक्यूबेशन हब, जागरूकता और पहुंच (आउटरीच) एवं नवाचारी अन्वेषकों को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में सुधार के लिए।
  - **बिहार-** नवाचार की शुरुआत के क्षेत्र में सुधार के लिए।

भारत में स्टार्ट-अप्स का महत्व

- **रोजगार को प्रोत्साहन:** एक सुविकसित स्टार्ट-अप पारितंत्र देश भर में रोजगार सृजन के क्षेत्र में सुनिश्चित योगदान देता है। एक स्टार्ट-अप औसतन 12 नौकरियां सृजित करता है, और इस प्रकार ये 3.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं।
- **वृद्धि की उच्च संभावना:** यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2025 तक लगभग 390 बिलियन डॉलर के बाजार मूल्य के साथ भारत में यूनिकॉर्न की संख्या तीन गुना बढ़कर 95 हो जाएगी।
- **सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति:** वहनीय स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, वित्तीय समावेशन आदि जैसे क्षेत्रों में देश की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए स्टार्ट-अप्स एक कुंजी हैं।
- **नवाचार एवं प्रौद्योगिकी की संस्कृति को बढ़ावा देना:** स्टार्ट-अप्स निरंतर बदलती प्रौद्योगिकी के माहौल में काम करते हैं एवं अपने नवाचार द्वारा लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को भी प्रेरित करते हैं, जिसके कारण देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है।
- **विदेशी निवेश को आकर्षित एवं घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करना:** स्वदेशी स्टार्ट-अप्स में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं उद्यमों का रूप लेने की क्षमता है। इस प्रकार, यह पारितंत्र एक आकर्षक एवं समृद्ध निवेश परिवेश का निर्माण कर सकता है।

3.12. महामारी जोखिम पूल (Pandemic Risk Pool)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के एक कार्यदल ने भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियों से होनी वाली क्षति के लिए कवरेज प्रदान करने हेतु सार्वजनिक-निजी-सरकारी भागीदारी के साथ एक भारतीय महामारी जोखिम पूल (Indian Pandemic Risk Pool) स्थापित करने की सिफारिश की है।

महामारी जोखिम पूल क्या है?

- **पूल का तात्पर्य बीमा कंपनियों के एक साथ आने से है।** जब बीमित व्यक्ति के समक्ष जोखिम उत्पन्न होता है तो उसके द्वारा किए गए दावों को पूरा करने के लिए ये कंपनियां पहले से ही अपने व्यवसाय के अनुपात में धन एकत्रित की हुई होती हैं। इस तरीके को अपनाने से, दावों का भुगतान पूल के सभी प्रतिभागियों के बीच साझा हो जाता है।
- इस पद्धति का अनुसरण तब किया जाता है **जब किसी बीमा कंपनी के लिए जोखिम के विषय में बहुत अधिक अनिश्चितता होती है,** जैसे कि परमाणु जोखिम, या जब नुकसान बहुत अधिक होता है। ऐसे में कंपनियां पॉलिसी जारी करना नहीं चाहती हैं।
- वर्तमान में, कोविड-19 की पृष्ठभूमि में इसका सुझाव दिया गया था, जिसने **न केवल स्वास्थ्य बल्कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है।** इनमें विनिर्माण, विमानन, पर्यटन, परिवहन, निर्माण, सेवाएं, कृषि एवं कई अन्य गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, तथा इसका प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं है।
- इस प्रकार, एक जोखिम पूल **भौतिक क्षति, आय व आजीविका की हानि** तथा अन्य महामारी संबंधी क्षति, जो वर्तमान में भारत में बीमित नहीं की जाती है, को बिना **व्यावसायिक रुकावट से सुरक्षा प्रदान कर सकता है।**
- इसी पृष्ठभूमि में, IRDAI ने एक महामारी जोखिम पूल के सृजन का प्रस्ताव रखा है तथा इस **पूल की संरचना व संचालन मॉडल** की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की थी।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस व जर्मनी सहित **विश्व भर के अनेक देशों में इसी तरह के महामारी पूल का प्रस्ताव** अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।

इस समिति की प्रमुख अनुशंसाएं

- **गठन एवं संरचना:** वैश्विक महामारी / स्थानीय महामारी के कारण होने वाली क्षति की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा यह अकेले सार्वजनिक एवं/ या निजी कंपनियों एवं/ या सरकार की क्षमता से परे भी रहती है। इस कारण **सार्वजनिक-निजी-सरकारी भागीदारी** वाला जोखिम पूल तंत्र अधिक उपयुक्त होगा।
- **प्रशासन:** भारतीय साधारण बीमा निगम (General Insurance Corporation of India: GIC Re) के पास भारत में आतंकवाद पूल एवं भारतीय परमाणु पूल के प्रबंधन का अनुभव है। अत; प्रस्तावित महामारी पूल को **GIC Re** के द्वारा प्रशासित किया जाएगा।
- **आकार एवं वित्तीय क्षमता:** प्रारंभिक चरण में **सरकार की ओर से 75,000 करोड़ रुपये के योगदान (सुरक्षा के रूप में) से एक महामारी जोखिम पूल** की स्थापना का सुझाव दिया गया है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises: MSMEs) के कर्मियों एवं प्रवासी मजदूरों को आय की हानि का सामना करने में सहायता प्रदान की जा सकती है।
    - बाद के चरणों में, **महामारी कवरेज का विस्तार अन्य कार्य क्षेत्रों तक किया जाएगा।** जब इसके पहुंच में और वृद्धि होगी तब सरकार का योगदान बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। लेकिन, आगे चलकर धीरे-धीरे इसमें कमी आएगी।

पूल संरचना के लाभ

- **कवरेज की वहनीयता:** महामारी जैसी घटना के जोखिम से प्रभावित देश के एक बड़े हिस्से को शामिल किए जाने से एक बीमा कंपनी की कुल लागत कम हो जाएगी।
- **जोखिम विविधीकरण:** अनिवार्य आधार पर देश के सभी MSMEs के लिए कवरेज प्रदान करने वाला एक एकल पूल जोखिमों के अधिक विविध पोर्टफोलियो का निर्माण करेगा।
- **पुनर्बीमा की कम लागत:** सरकार की भागीदारी के स्तर में वृद्धि के कारण पुनर्बीमा की लागत में गिरावट आती है। अत:, सार्वजनिक भागीदारी के चलते जोखिमों के एकल व विविध पूल के पुनर्बीमा की लागत भी कम होगी।
- **निजी बीमा कंपनियों की भूमिका को अधिकतम करना:** महामारी पूल का उद्देश्य समय के साथ, कवरेज प्रदान करने में निजी बाजारों के योगदान को अधिकतम करना होना चाहिए।
- **एंटी-सेलेक्शन (विरोधी/प्रतिकूल चयन):** एक महामारी पूल के माध्यम से अनिवार्य कवर का प्रावधान एंटी-सेलेक्शन की संभावना को समाप्त कर सकता है। एंटी-सेलेक्शन तब होता है, जब एक कर्मचारी या कर्मचारियों का एक समूह एक बीमा कंपनी की कीमत पर संभावित नुकसान से अधिक का कवर खरीदता है या चुनता है।

भारतीय साधारण बीमा निगम (General Insurance Corporation of India: GIC Re)

- GIC Re की स्थापना **वर्ष 1972** में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गई थी।
- इसका गठन **साधारण बीमा के व्यवसाय पर अधीक्षण एवं नियंत्रण तथा बीमा कार्य** के उद्देश्य से किया गया था।

भारत में आतंकवाद पूल (Indian Terrorism Pool)

- वर्ष 2002 में भारत ने **आतंकवाद के लिए एक पूल का गठन** किया था। यह किसी आतंकवादी गतिविधि तथा सरकार या सैन्य प्राधिकरण द्वारा आतंकवादी गतिविधि के परिणामों को निष्प्रभावी करने, नियंत्रित करने, रोकने या कम करने के लिए की गई किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप हुए नुकसान, क्षति, लागत या व्यय को कवर करता है।
- यह पूल GIC Re द्वारा प्रशासित होता है।

भारतीय परमाणु पूल (Indian Nuclear Pool)

- GIC-Re ने अन्य भारतीय बीमा कंपनियों के साथ मिलकर वर्ष 2015 में **भारतीय परमाणु बीमा पूल** का सृजन किया था।
- **परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 (Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010)** के अंतर्गत निर्धारित देयता को कवर करने हेतु बीमा प्रदान करने के लिए इसकी क्षमता 1,500 करोड़ रूपये है।

3.13. ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (Green Term Ahead Market: GTAM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission: CERC) ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) प्लेटफॉर्म पर **ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (GTAM)** अनुबंधों को मंजूरी प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह कदम **जून 2020 में पॉवर एक्सचेंज में रियल टाइम मार्केट (RTM) ट्रेडिंग को मंजूरी** मिलने के बाद उठाया गया।
- **IEX द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित मॉडल के माध्यम से व्यापार किया जाता है:**
  - **डे अहेड मार्केट (Day Ahead Market: DAM),** जहां अग्रिम में एक दिवस के लिए विद्युत के लेन-देन की अनुमति होती है;
  - **टर्म अहेड मार्केट (Term Ahead Market: TAM),** जहां विद्युत का व्यापार अग्रिम में उस दिन से लेकर आगामी अधिकतम 11 दिनों तक होता है;
  - **नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (Renewable Energy Certificate: REC),** जहां हरित ऊर्जा की विशेषता वाली विद्युत का व्यापार किया जाता है; और
  - **वास्तविक समय बाजार (Real time Market: RTM),** जहां घंटों पर आधारित समय खंडों या टाइम ब्लॉक पर भी नीलामी सत्र का आयोजन होता है, और व्यापार सत्र के बंद होने के एक घंटे बाद ही वितरण शुरू हो जाता है।
- यद्यपि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की पैठ बढ़ रही है, लेकिन **वर्तमान समय में DAM और TAM के संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी नगण्य (1% से भी कम) बनी हुई है।** इसका कारण यह है कि यहां परंपरागत विद्युत ऊर्जा और हरित ऊर्जा के बीच कोई अलगाव नहीं किया गया है। इसी समस्या से निपटने के लिए GTAM नामक एक वैकल्पिक और नए मॉडल को आरम्भ किया गया है।

VISION IAS

GTAM के बारे में

- GTAM को इसलिए आरंभ किया गया है ताकि **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक** खुले बाजार में अपने द्वारा उत्पादित विद्युत को आसानी से बेच सकें। इसलिए, अब उन्हें दीर्घकालीन विद्युत खरीद समझौतों (Power Purchase Agreements: PPAs) में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी।
- दूसरी ओर, GTAM **नवीकरणीय ऊर्जा के अल्प-कालिक (शॉर्ट-टर्म) व्यापार के लिए एक अनन्य मंच** प्रदान करेगा।
- **GTAM की प्रमुख विशेषताएं:**
  - GTAM अनुबंध में शामिल अनुसूचित ऊर्जा की खरीद से, क्रेता अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligations: RPO) की पूर्ति कर सकेंगे।
    - इससे पहले, पवन या सौर ऊर्जा कंपनी से विद्युत खरीदने वाले क्रेता यह दावा नहीं कर सकते थे कि उन्होंने RPO अनुपालन को पूर्ण कर लिया है।
  - इसके अतिरिक्त, GTAM के माध्यम से होने वाले लेन-देन की प्रकृति द्विपक्षीय होगी, जिसमें संबंधित खरीदार और विक्रेता की स्पष्ट पहचान हो सकेगी। इस प्रकार, इससे RPO की गणना में कोई कठिनाई नहीं होगी।
  - सौर RPO और गैर-सौर RPO की पूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए **सौर एवं गैर-सौर ऊर्जा दोनों के लिए अलग-अलग अनुबंध** होंगे।
  - इसमें **ग्रीन इंट्राडे (Green Intraday)** (उसी दिन के लिए दस घंटे के अनुबंध), **डे अहेड कंटिंजेंसी (Day Ahead Contingency)** (अगले दिन के लिए प्रति घंटे के आधार पर होने वाले अनुबंध), **दैनिक** (एक दिन में सभी या घंटों का एक ब्लॉक) और **साप्ताहिक अनुबंध** (सोमवार से रविवार) शामिल होंगे।
  - मूल्य का निर्धारण निरंतरता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात् मूल्य अधिमान्य समय पर निर्धारित होंगे।

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) के बारे में

- IEX **भारत का पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज** है। यह विद्युत के भौतिक वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वचालित व्यापार मंच उपलब्ध कराता है।
- IEX को **केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग** द्वारा विनियमित किया जाता है।

नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligation: RPO) के बारे में

- RPO एक ऐसा तंत्र है, जो उत्तरदायी ईकाइयों (विद्युत वितरण के कार्य में संलग्न कंपनियों) के लिए यह अनिवार्य करता है कि वे अपनी कुल विद्युत खपत के एक निश्चित प्रतिशत की आपूर्ति **नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की खरीद कर पूरा करेंगे।**
  - इन उत्तरदायी ईकाइयों में डिस्कॉम्स, ओपन एक्सेस उपभोक्ता और कैप्टिव पॉवर उत्पादक सम्मिलित हैं।
- RPO को **सौर और गैर-सौर RPO** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003) और राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, 2006 (National Tariff Policy 2006) के अंतर्गत RPO की व्यवस्था की गयी है।

संभावित लाभ

- यह नवीकरणीय ऊर्जा से समृद्ध राज्यों के वित्तीय बोझ को कम करेगा। ऐसे में RPO के उपलब्ध होने के चलते ये राज्य अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

VISION IAS

- हाल ही में, विद्युत क्षेत्र में शुरू किए गए रियल-टाइम ट्रेडिंग के साथ मिलकर यह नवीकरणीय ऊर्जा और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के सहज एकीकरण में सहायक होगा।
- यह उत्तरदायी ईकाइयों को अपनी RPO मांग को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमत पर नवीकरणीय विद्युत को खरीदने में सक्षम बनाएगा।
- यह नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कारोबारी की क्षमता को बढ़ावा देगा और देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।
- GTAM प्लेटफॉर्म नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में भाग लेने वालों की संख्या में वृद्धि करेगा। प्रतिस्पर्धी कीमतों और पारदर्शी एवं लचीली खरीद के माध्यम से खरीदार तथा अखिल-भारतीय बाजार तक पहुंच प्रदान करने से नवीकरणीय ऊर्जा विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि होगी।
    - GTAM के शुभारंभ के तुरंत बाद ही उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया देखी गई और पहले 11 दिन में ही तीन मिलियन यूनिट (MU) का व्यापार दर्ज किया गया है।
- यह हरित ऊर्जा के क्रय हेतु पर्यावरणीय दृष्टि से जागरुक उपभोक्ताओं के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा।

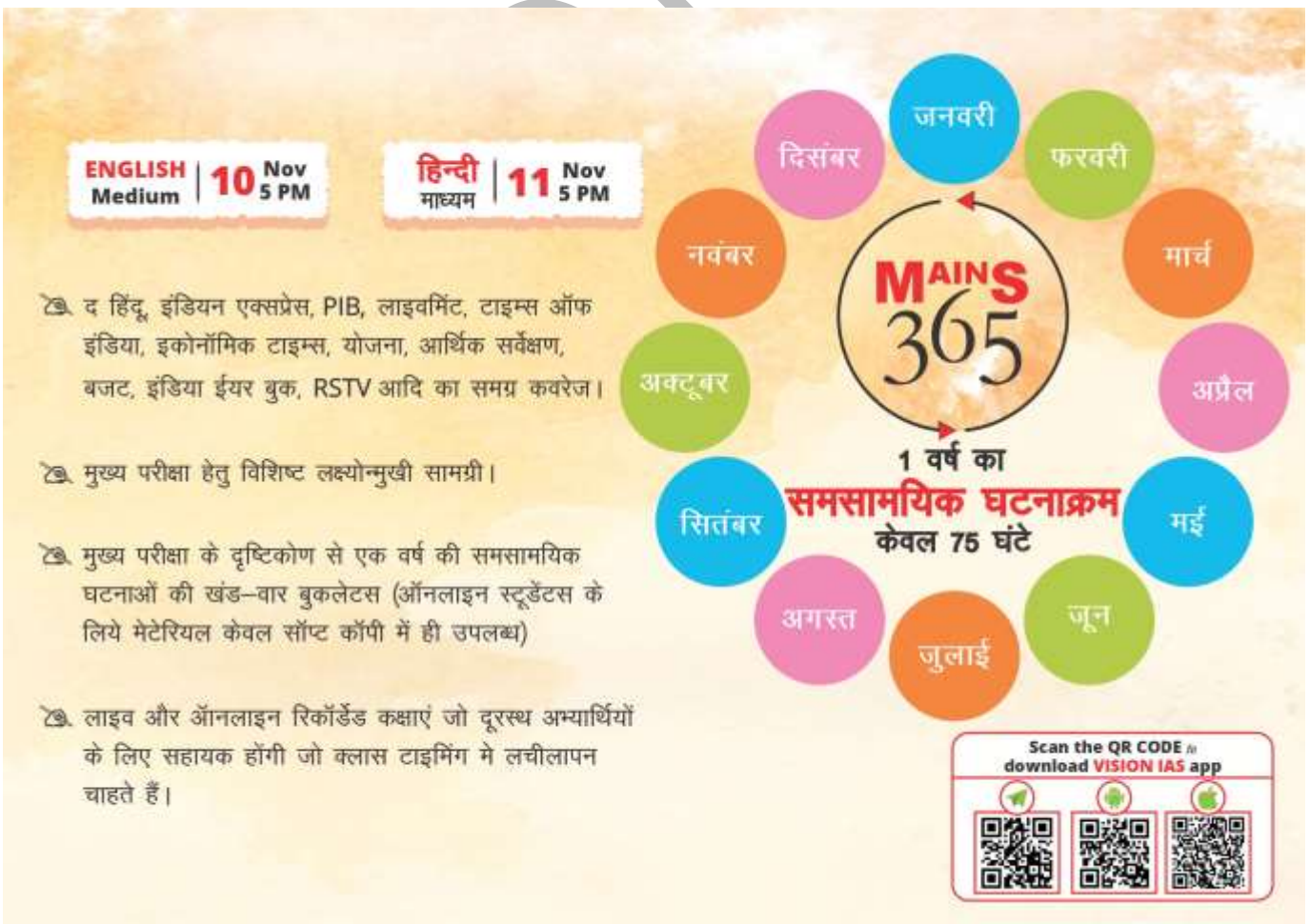

4. सुरक्षा (Security)

4.1. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 (Defence Acquisition Procedure, 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 (Defence Acquisition Procedure, 2020) का अनावरण किया गया। इसे पहले 'रक्षा खरीद प्रक्रिया' (Defence Procurement Procedure: DPP) के नाम से जाना जाता था।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 की प्रमुख विशेषताएं

- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 को **आत्मनिर्भर भारत अभियान** तथा **"मेक इन इंडिया"** पहल के साथ संरेखित किया गया है। इसे भारत को वैश्विक विनिर्माण हब (केंद्र) के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
  - इसका उद्देश्य नियमों को सरल बनाने, प्रत्यायोजन (Delegation), प्रक्रियागत समय को कम करने और प्रक्रिया को यथासंभव उद्योग-अनुकूल बनाने पर बल देने के साथ व्यवसाय करने की सुगमता (Ease of Doing Business) को बेहतर बनाना है।
- यह 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो गई है और यह वर्ष **2016 की रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) को प्रतिस्थापित** करेगी।
  - **प्रथम DPP को वर्ष 2002 में जारी** किया गया था और तब से इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है ताकि घरेलू उद्योग की वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा सके।
- इससे पूर्व अगस्त 2019 में, रक्षा मंत्रालय ने DAP-2020 के मसौदे को तैयार करने हेतु **अपूर्व चंद्र** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
- DAP **सशस्त्र बलों द्वारा मांग किए जाने वाले आवश्यक सैन्य उपकरणों, प्रणालियों एवं प्लेटफॉर्मों का समय पर अधिग्रहण** सुनिश्चित करेगी।
- DAP में चिकित्सा उपकरणों को छोड़कर **सभी पूंजीगत अधिग्रहण** सम्मिलित होंगे।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 के प्रमुख बिंदु

- **ऑफसेट नीति में संशोधन:** सशस्त्र बलों के लिए हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों की खरीद हेतु किए जाने वाले अंतर-सरकारी समझौतों (Inter-Government Agreement: IGAs), गवर्नमेंट-टू गवर्नमेंट समझौतों (सरकारों के परस्पर रक्षा सौदे) और एकल-विक्रेता अनुबंध (single-vendor contracts) के संदर्भ में मौजूदा **ऑफसेट खंड का लोप** कर 15 वर्ष पुरानी नीति को परिवर्तित किया गया है।
  - इसके अतिरिक्त, ऑफसेट दिशा-निर्देशों को भी संशोधित किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों के **घटकों (पार्ट्स) की बजाय पूर्ण विनिर्मित रक्षा उत्पादों (अर्थात् पूर्णत: तैयार रक्षा उपकरण) को प्राथमिकता दी जाएगी।**
- **आयात पर प्रतिबंध के लिए हथियारों/ प्लेटफॉर्मों की एक सूची जारी की गई है।**

ऑफसेट क्या है?

- ऑफसेट नीति के तहत विदेशी रक्षा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे रक्षा उपकरणों के घटकों (पार्ट्स) की खरीद अथवा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण या अनुसंधान और विकास सुविधाओं की स्थापना के माध्यम से **भारत में कुल अनुबंध मूल्य का कम से कम 30% व्यय करेंगी।** दूसरे शब्दों में, विदेशी रक्षा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य था किया गया था कि वे कुल रक्षा अनुबंध के मूल्य का कम से कम 30 प्रतिशत भारत में व्यय करेंगी।
- यह उपबंध **2,000 करोड़ रुपये से अधिक** के सभी अनुबंधों पर लागू किया गया था।
- इसका उद्देश्य **घरेलू रक्षा विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना था।**

इस नीति का महत्व

- **आयात पर निर्भरता कम होगी:** भारत विश्व के शीर्ष रक्षा उपकरण खरीदारों में से एक है, जो विभिन्न अनुमानों के अनुसार इन पर प्रति वर्ष अरबों डॉलर व्यय करता है।
- **समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा प्राप्त होगा:** रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रूपये के टर्न ओवर को प्राप्त करना है। ज्ञातव्य है कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की पहचान समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले एक क्षेत्रक के रूप में की गई है।
- **सशस्त्र बलों की क्षमताओं में सुधार होगा:** DAP, 2020 सशस्त्र बलों की भविष्य की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करेगी और नई प्रौद्योगिकियों के समावेशन को सुविधाजनक बनाएगी।
- **निजी क्षेत्र की भूमिका परिभाषित करेगी:** विनिर्माण के माध्यम से औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने और पूंजीगत एवं प्रौद्योगिकीय उन्नति के लिए "मेक इन इंडिया" पहल में निजी निवेश का प्रमुख योगदान होगा।

VISION IAS

- **आयातित पुर्जों के स्वदेशीकरण के लिए:**
  - **"बाय (ग्लोबल-भारत में विनिर्माण)" {Buy (Global-Manufacture in India)} नामक एक नई श्रेणी:** इसे नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति के अनुरूप बनाया गया है। इसे घरेलू उद्योग के लिए आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (Original Equipment Manufacturers: OEMs) को भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से "विनिर्माण या रखरखाव करने वाली कंपनियों" की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु आरंभ किया गया है।
    - हाल ही में, रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को **49% से बढ़ाकर 74% किया गया था।**
  - **सूचना के लिए अनुरोध (Request For Information: RFI):** इसके चलते, विदेशी विक्रेता कलपुर्जों / लघु उपकरणों के विनिर्माण के संबंध में जानकारी जुटा पाएंगे और स्थानीय विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा पाने में सक्षम हो पाएंगे।
  - **भारतीय विक्रेताओं (वेंडर्स) के लिए कुछ श्रेणियों में आरक्षण:** बाय (इंडियन-IDDM), मेक-I (70% तक सरकार द्वारा वित्त पोषित), मेक-II (उद्योग द्वारा वित्त पोषित), डिज़ाइन एवं विकास हेतु उत्पादन एजेंसी, रणनीतिक साझेदारी मॉडल आदि जैसी श्रेणियाँ केवल भारतीय विक्रेताओं (वेंडर्स) के लिए आरक्षित रहेंगी, जिनके लिए 49% से अधिक FDI की अनुमति नहीं है।
  - **अन्य प्रस्तावित उपाय:** इनमें पूंजी अधिग्रहण अनुबंध के अंतर्गत विक्रय पश्चात् समर्थन, अधिग्रहण में अधिकतम स्वदेशी सामग्री तथा स्थानीय सामग्री एवं सॉफ्टवेयर के लिए प्रोत्साहन तथा ऑफ़सेट के तहत उत्पाद निर्यात पर बल देना शामिल है।
- **समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया के लिए, त्वरित निर्णयन और व्यवसाय करने की सुगमता:**
  - **परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना:** यह इकाई अधिग्रहण प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने और अनुबंध को सुगम बनाने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में परामर्श आधारित समर्थन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगी।
  - **परीक्षण प्रक्रियाओं का सरलीकरण (Simplification of Trial Procedures):** DAP-2020 पारदर्शिता, निष्पक्षता और सभी के लिए समान अवसरों के आधार पर प्रतियोगिता को प्रोत्साहन के उद्देश्य के साथ परीक्षण करने की आवश्यकता पर बल देती है। इसमें उन्मूलन की प्रक्रिया को लागू नहीं किया जाता है।
  - इस नीति में अधिग्रहण प्रस्तावों के अनुमोदन में विलंब से बचने के लिए 500 करोड़ तक के सभी मामलों में **आवश्यकता की स्वीकृति** (Acceptance of Necessity: AoN) के एकल चरण समझौते का भी प्रावधान किया गया है।

स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देने हेतु समग्र प्रावधान

क्रम संख्या	श्रेणी	DPP-2016 में स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत	DAP-2020 में स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत
1.	खरीद (भारतीय- IDDM) {Buy (Indian-IDDM)} • IDMM अर्थात् स्वदेशी रूप से अभिकल्पित, विकसित और विनिर्मित (Indigenously Designed, Developed and Manufactured)	न्यूनतम 40%	न्यूनतम 50%
2.	खरीद (भारतीय) {Buy (Indian)}	न्यूनतम 40%	स्वदेशी डिज़ाइन - न्यूनतम 50% अन्य - न्यूनतम 60 %
3.	खरीद और निर्माण (भारतीय) {Buy & Make (Indian)}	निर्माण का न्यूनतम 50%	निर्माण का न्यूनतम 50%
4.	खरीद (वैश्विक - भारत में निर्माण) {Buy (Global - Manufacture in India)}	-----	खरीद + निर्माण का न्यूनतम 50%
5.	खरीद (वैश्विक) {Buy (Global)}	-----	भारतीय विक्रेताओं के लिए न्यूनतम 30%

- **लीजिंग (पट्टे पर देना):** लीजिंग को आरंभ में ही बहुत अधिक मात्रा में होने वाले पूंजीगत व्यय के प्रतिस्थापन हेतु आवधिक किराये के भुगतान के साथ मौजूदा 'बाय' और 'मेक' श्रेणियों के अतिरिक्त अधिग्रहण की एक नई श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
  - यह उन सैन्य उपकरणों के लिए उपयोगी होगा, जो वास्तविक युद्ध में उपयोग नहीं किए जाते हैं, यथा- परिवहन बेड़े, प्रशिक्षक, सिम्यूलेटर आदि जैसे उपकरण।

VISION IAS

- **रणनीतिक साझेदारी मॉडल (Strategic Partnership Model: SPM):** रणनीतिक साझेदारी मॉडल के अंतर्गत अधिग्रहण, रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल में विदेशी OEM के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों की भागीदारी को संदर्भित करता है। ये एक व्यापक पारिस्थितिक तंत्र के विकास का निर्माण करके तंत्र को एकीकृत करने की भूमिका निभाते हैं, जिसमें विशेष रूप से MSME क्षेत्र से विकास भागीदार, विशेष विक्रेता व आपूर्तिकर्ता शामिल हैं।
    - रणनीतिक साझेदारी निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से मौजूदा उत्पादन स्तर की तुलना में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेगी।

4.2. हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री जलदस्युता (Piracy in the Indian Ocean Region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से **जिबूती आचार संहिता / जेद्दा संशोधन** (Djibouti Code of Conduct/ Jeddah Amendment: DCOC/JA) में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization: IMO) के अंतर्गत स्थापित DCOC का उद्देश्य **पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री जहाज़ों के साथ होने वाली जलदस्युता (piracy) एवं सशस्त्र डकैती का दमन करना है।**
    - **जेद्दा संशोधन ने जिबूती संहिता के दायरे को काफी हद तक विस्तारित किया** है। वर्ष 2017 में इस संशोधन को जेद्दा, सऊदी अरब में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अपनाया गया था। इसमें कई गैर-कानूनी गतिविधियों के दमन के लिए उपाय शामिल किए गए हैं, जिसमें जलदस्युता, हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, वन्यजीवों का अवैध व्यापार, अवैध तेल भरण, कच्चे तेल की चोरी, मानव तस्करी और विषैले अपशिष्ट की अवैध डंपिंग शामिल हैं।
    - डकैती के कृत्य में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों की जांच, गिरफ्तारी तथा अभियोजन, संदिग्ध जहाजों को प्रतिबंधित एवं उनको जब्त करने, जलदस्युता व सशस्त्र डकैती से जहाजों और लोगों की सुरक्षा करने तथा संयुक्त अभियानों का आयोजन करने आदि कार्यों में सदस्य देशों सहयोग करते हैं।
- DCOC/JA समुद्री मामलों पर एक समूह है, जिसमें लाल सागर, अदन की खाड़ी व अफ्रीका के पूर्वी तट से संलग्न देश तथा हिंद महासागर क्षेत्र के द्वीपीय राष्ट्रों सहित 18 सदस्य देश शामिल हैं।
- एक **पर्यवेक्षक** के रूप में, **भारत** हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए समन्वय एवं सहयोग करने हेतु DCOC/JA के सदस्य देशों के साथ मिलकर कार्य करेगा।

पायरेसी या जलदस्युता, हिंद महासागर क्षेत्र में इससे संबंधित खतरे और वर्तमान स्थिति के बारे में

समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) के अनुच्छेद 101 के अंतर्गत, पायरेसी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "किसी निजी पोत या विमान के यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्य के लिए किसी भी राज्य की अधिकारिता से बाहर किसी अन्य पोत, विमान, व्यक्तियों या संपत्तियों के विरुद्ध खुले समुद्र में की गई हिंसा या निरोध का कोई भी अवैध कार्य" जलदस्युता कहलाता है।

समुद्र में समृद्ध संसाधनों की उपलब्धता, स्थलीय क्षेत्रों (अर्थात् तटीय देशों) में राजनीतिक अस्थिरता, कानून के प्रवर्तन का अभाव और निर्धनता आदि इसके प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं, जिन्होंने लगातार बढ़ती जलदस्युता की घटनाओं में योगदान दिया है। जलदस्युता के मामले **मुख्यतः अपहरण और फिरौती अदायगी के साथ** जहाजों के अपहरण के रूप में सामने आते हैं। इससे कई प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं, जैसे-

- ऐसी घटनाओं से व्यापार में बाधा के रूप में **राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं** को खतरा उत्पन्न हुआ है। उदाहरण के लिए, **अफ्रीका के 90% से अधिक आयात और निर्यात** समुद्री मार्गों द्वारा संचालित होने के कारण **अफ्रीका के प्रमुख समुद्री मार्ग** (संचार के समुद्री गलियारे) **जलदस्युता** द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं।
- **अधिकांश समुद्री डकैती के हमले** तेल और गैस परिवहन में शामिल जहाजों, जैसे- टैंकर, बड़े माल वाहक जहाज और टगबोट आदि के विरुद्ध किए जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, छोटे देशों के वाणिज्यिक जहाजों और मत्स्यन में प्रयुक्त होने वाली नौकाओं को भी जलदस्युओं द्वारा लक्षित किया गया है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2018 में नाइजीरिया की तटरेखा के निकट सबसे अधिक हमले हुए हैं। यह आंशिक रूप से **"पेट्रो-पाइरेसी"** (पेट्रोलियम के लिए डकैती) के कारण हुए हैं, जहां विशेषकर नाइजीरिया के समृद्ध तेल और गैस क्षेत्रों से आने वाले टैंकरों को लक्षित किया जाता रहा है।

वर्ष 2008 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के **जलदस्युता रोधी अभियानों हेतु संकल्प** द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में जलदस्युता के खतरे को मान्यता प्रदान की गई। उस समय, जलदस्युता को स्थानीय और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा दोनों के लिए एक बड़ा खतरा माना गया था। हालांकि तब से, निम्नलिखित गतिविधियां हुई हैं:

- वर्ष 2011 के आसपास जलदस्युता संबंधी घटनाएं **अपने चरम** पर पहुंच गई थी। इस दौरान लगभग **160 बड़ी घटनाएं** दर्ज की गईं थी।
- **वर्ष 2013 के बाद से** हमलों और अपहरणों की संख्या में **काफी गिरावट** आई है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2019 में इस क्षेत्र में जलदस्युता संबंधी केवल दो घटनाएँ दर्ज हुईं थी।
- इन घटनाओं में कमी के परिणामस्वरूप, हिंद महासागर में जलदस्युता के लिए **"उच्च जोखिम क्षेत्र" (High Risk Area: HRA)** की भौगोलिक सीमा में कमी आई है।
    - HRA उस क्षेत्र को इंगित करता है, जहां जलदस्युता का खतरा विद्यमान होता है।
    - HRA को **नौ-परिवहन और तेल उद्योग संगठनों** {बिमको (BIMCO), इंटरनेशनल चैंबर ऑफ शिपिंग (ICS), इंटरकार्गो (INTERCARGO), इंटरटैंको (INTERTANKO) और ऑयल कंपनीज इंटरनेशनल मरीन फोरम (OCIMF)} के उद्योग समूह द्वारा निर्धारित किया गया है।
    - इन्फोग्राफिक में HRA के पहले वाले हिस्से में उल्लिखित **बैंगनी क्षेत्र**, अब **स्वैच्छिक रिपोर्टिंग क्षेत्र** (Voluntary Reporting Area:VRA) के अंतर्गत आता है।

- इस क्षेत्र में **जलदस्युता से प्रभावित होने वाले नाविकों में से लगभग आधे फिलीपींस** से हैं, इसके बाद वे भारत, यूक्रेन और नाइजीरिया से संबंधित हैं।

वैश्विक परिस्थितियों के समक्ष जलदस्युता: "वन अर्थ फ्यूचर" रिपोर्ट:

वन अर्थ फ्यूचर वस्तुतः वैश्विक वार्षिक **समुद्री जलदस्युता की स्थिति** (State of Maritime Piracy) संबंधी एक रिपोर्ट तैयार करता है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया गया है कि - "जहां विश्व के कुछ क्षेत्रों में जलदस्युता से संबंधित हमलों में काफी गिरावट आई है, वहीं पश्चिम अफ्रीका में ऐसे घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और वर्तमान में यहाँ ये घटनाएँ अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक और निरंतर घटित हो रही हैं।"

- वर्ष 2018 में, पश्चिम अफ्रीकी समुद्री क्षेत्र में **112 जलदस्युता की घटनाएं** घटित हुई थी।
- वर्ष 2015 में **एशिया में** मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच अवस्थित, **मलक्का जलडमरूमध्य** में भी ऐसे **हमलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि** हुई थी। हालाँकि, क्षेत्रीय नौसैनिक बलों द्वारा की गई कार्रवाई के कारण वहां ऐसे घटनाओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन जलदस्युता की घटनाएं अब भी विद्यमान हैं।
- **कैरिबियन क्षेत्र और लैटिन अमेरिकी के अपतटीय जल क्षेत्र में नौ-परिवहन के विरुद्ध** हमले बढ़ गए हैं। वेनेजुएला विशेष रूप से आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण जलदस्युता से प्रभावित एक हॉटस्पॉट (hotspot) क्षेत्र बन गया है।

इस क्षेत्र में जलदस्युता को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास

तेल और उर्वरकों सहित भारतीय व्यापार का एक बड़ा प्रतिशत, अदन की खाड़ी से होकर गुजरता है। एक अनुमान के अनुसार, अदन की खाड़ी के माध्यम से होने वाले **भारतीय आयात और निर्यात** का मौद्रिक मूल्य क्रमशः **50 बिलियन अमेरिकी डॉलर** और **60 बिलियन अमेरिकी डॉलर** है। इस मार्ग का उपयोग करने वाले जहाजों के माध्यम से समुद्री व्यापार की सुरक्षा और निर्बाध निरंतरता, एक प्रमुख राष्ट्रीय चिंता का विषय है, क्योंकि यह हमारी अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इस आलोक में, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- **अनुरक्षण और सुरक्षा (Escort and protection):** वर्ष 2008 से भारतीय नौसेना द्वारा अदन की खाड़ी में **जलदस्युता-रोधी** गश्त जारी है।
    - **भारतीय नौसेना और तट रक्षक जहाजों** को भी भारतीय तट के निकट जलदस्युता प्रवण क्षेत्रों में तैनात किया गया है। अभी तक भारतीय बलों द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 1,000 से अधिक जहाजों को अनुरक्षण प्रदान किया गया है और 40 से अधिक जलदस्युता की घटनाओं को घटित होने से रोका गया है।

- नौवहन महानिदेशक (Director General Shipping) ने एक **वेब-आधारित पंजीकरण सेवा** शुरू की है, जहां अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा प्रदान की गई **अनुरक्षण (एस्कॉर्ट) सुविधा** का लाभ उठाने के लिए व्यापारिक जहाज नौवहन महानिदेशक के अंतर्गत पंजीकरण करवा सकते हैं।

- **वैश्विक समन्वय:** जलदस्युता से निपटने के लिए स्थापित किए गए विभिन्न बहुपक्षीय मंचो में भाग लेकर वैश्विक समन्वय को बनाए रखने का प्रयास किया गया है।
  - भारत **"शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी-कॉन्फ्लिक्शन (SHADE)"** जैसे विभिन्न तंत्रों का एक सक्रिय भागीदार देश रहा है, जिसे सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया है।
  - **भारत, जापान और चीन** (चूँकि तीनों राष्ट्र यहाँ स्वतंत्र रूप से गश्त में संलग्न हैं) ने **समन्वयपूर्ण गश्त** हेतु सहमति व्यक्त की है, ताकि विशेष रूप से अदन की खाड़ी में सभी प्रमुख जहाजों द्वारा उपयोग के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनुशंसित पारगमन गलियारे में (समुद्री जहाजों को अनुरक्षण प्रदान करने के लिए) संयुक्त समुद्री संपत्तियों का एक प्रभावी और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा जलदस्युता के दमन हेतु किए गए प्रयास

- **सोमालिया अपतटीय क्षेत्र में जलदस्युता पर संपर्क समूह (Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia: CGPCS):** इसे वर्ष 2009 में सोमालिया के अपतटीय क्षेत्र में जलदस्युता के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय के लिए एक स्वैच्छिक व तदर्थ अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित किया गया था।
  - वर्तमान में **60 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन** CGPCS में भाग लेते हैं।
- **समुद्री सुरक्षा कार्यक्रम (Maritime Security Programme: MASE):** यह पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका और हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। MASE के अंतर्गत, हिंद महासागर आयोग द्वारा मेडागास्कर और सेशेल्स में दो क्षेत्रीय केंद्रों के साथ पश्चिमी हिंद महासागर की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है।
- **समुद्री अपराध कार्यक्रम - हिंद महासागर {Maritime Crime Programme (MCP) - Indian Ocean}:** संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के समुद्री अपराध कार्यक्रम {United Nations Office on Drugs and Crime's (UNODC) Maritime Crime Programme} के तहत हिंद महासागर दल (Indian Ocean team) आपराधिक न्याय क्षमता निर्माण पर ध्यान देने के साथ-साथ समुद्री अपराधों का सामना करने की दिशा में प्रयासों को बढ़ाने और समन्वय स्थापित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में राष्ट्रों की सहायता करता है। इसके प्रमुख पहलुओं को निम्नलिखित रूप में उद्धृत किया जा सकता है:
  - **क्षेत्रीय "जलदस्युता अभियोजन मॉडल" (Regional "Piracy Prosecution Model"):** यह जलदस्युता रोधी अभियानों को एक 'विधिक परिणाम' प्रदान करता है। इस मॉडल के तहत, इच्छुक अभियोजक राष्ट्रों को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि उनके पास **समुद्री डकैती के मामलों पर घरेलू स्तर पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक विधि** उपलब्ध है। तदुपरांत अभियोजक राष्ट्र हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती रोधी गश्तों का संचालन करने वाले नौसेना बलों के साथ स्थानांतरण समझौतों को औपचारिक रूप प्रदान करते हैं।
  - **जलदस्युता से संबंधित कैदियों का स्थानांतरण कार्यक्रम (Piracy Prisoner Transfer Programme):** इसका उद्देश्य क्षेत्रीय राज्यों में जलदस्युता के दोषी व्यक्तियों को शेष कारावास अवधि हेतु सोमालिया की UNODC समर्थित कारागारों में स्थानांतरित करना है।
  - **जलदस्युता-रोधी समर्थन के अतिरिक्त गतिविधियां (Activities beyond counter-piracy support):** MCP हिंद महासागर कार्यक्रम वस्तुतः मादक पदार्थों की तस्करी जैसे समुद्री अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला से निपटने की दिशा में अपनी क्षमता विस्तार हेतु क्षेत्रीय राज्यों के साथ कार्यरत है।
- **अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रयास:**
  - **अफ्रीकी संघ का लोम चार्टर (African Union's Lomé Charter): समुद्री सुरक्षा, संरक्षा एवं विकास पर अफ्रीकी चार्टर** (The African Charter on Maritime Security, Safety and Development in Africa), जिसे **लोम चार्टर** के नाम से भी जाना जाता है, को **वर्ष 2016 में अफ्रीकी संघ के सदस्य राष्ट्रों और सरकारों के प्रमुखों** द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था।
  - **याउंडे आचार संहिता (Yaoundé Code of Conduct):** यह दस्तावेज विशेषकर पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के हस्ताक्षरकर्ता देशों को समुद्री अधिकार-क्षेत्र; समुद्री आतंकवाद; अवैध, गैर-सूचित एवं अविनियमित (Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) मत्स्यन तथा अन्य अवैध गतिविधियों जैसे पार-राष्ट्रीय संगठित अपराध के दमन में पूर्ण रूप सहयोग प्राप्त/प्रदान करने के उद्देश्य से एक मंच प्रदान करता है।

मूल कारण को संबोधित करना: आगे की राह

हाल के दिनों में हिंद महासागर क्षेत्र में जलदस्युता-रोधी प्रयासों में उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। लेकिन जलदस्युता **के मूल कारण** अर्थात् **सोमालिया के तटीय समुदायों में निर्धनता, रोजगार के अवसरों की कमी** और साथ ही **विधिक, शासकीय और समुद्री बुनियादी ढांचे की कमी** को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है।

सोमालिया के पुंटलैंड (Puntland) राज्य से प्राप्त सीख

- वर्ष 2008 से **पुंटलैंड** जलदस्युता के विरुद्ध कार्यरत है।
- जलदस्युता संबंधी गतिविधियों का केंद्र होने के बावजूद, जलदस्यु समूहों को दूर रखने और तट को सुरक्षित करने के लिए इस संघीय राज्य ने **समुद्री पुलिस बल की स्थापना करने** जैसे सक्रिय और प्रभावी प्रतिक्रियात्मक उपाय किए हैं।

जलदस्युत-रोधी उपायों की दीर्घकालिक सफलता एक स्थिर और एकीकृत सोमालिया पर निर्भर करती है, जिसे निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है:

- एक अधिक सुसंगत क्षेत्रीय प्रयास के माध्यम से **तस्करी की गतिविधियों की रोकथाम** द्वारा इन समूहों को मिलने वाले **आर्थिक समर्थन को रोकने में मदद** मिलेगी।
- **सोमालिया की नौसेना के क्षमता निर्माण की आवश्यकता है**, ताकि विदेशी नौसेनाओं पर निर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता उत्तरोत्तर कम होती जाए।
- जलदस्युओं के नेटवर्कों को उभरने में सक्षम बनाने वाले मूल कारणों को संबोधित करने के साथ-साथ व्यापक जलदस्युता-रोधी प्रयासों के जरिए **जलदस्यु समूहों पर दबाव बनाए रखना** चाहिए।

VISION IAS

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. नमामि गंगे मिशन (Namami Gange Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **नमामि गंगे मिशन** के अंतर्गत उत्तराखंड में 6 बड़ी विकास परियोजनाओं (mega development projects) का उद्घाटन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि-की-रेती और बद्रीनाथ में 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली **6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (वाहित मल उपचार संयंत्रों)** का उद्घाटन किया गया है।
  - उल्लेखनीय है कि हरिद्वार-ऋषिकेश ज़ोन, गंगा नदी में प्रवाहित किए जाने वाले अपशिष्ट जल के लगभग 80% के लिए उत्तरदायी है।
- **गंगा अवलोकन संग्रहालय** का भी उद्घाटन किया गया है, जो हरिद्वार में गंगा नदी पर अपनी तरह का प्रथम संग्रहालय है।
  - यह संग्रहालय तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र होगा और यह गंगा से जुड़ी विरासत की उनकी समझ को समृद्ध करेगा।

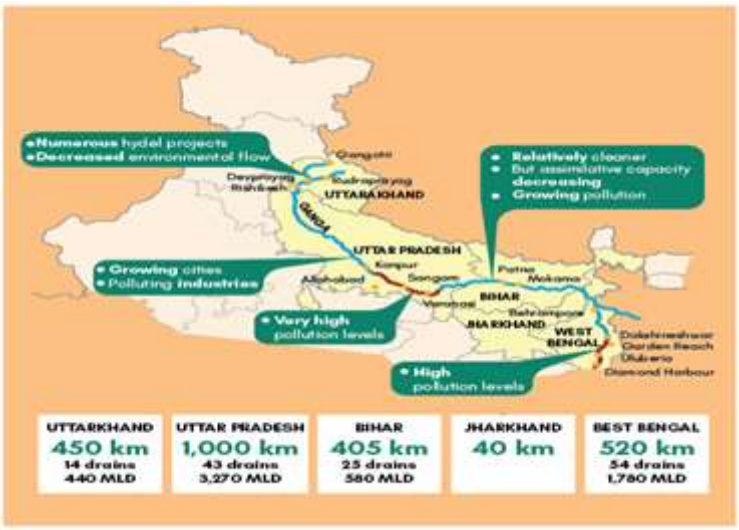

नमामि गंगे मिशन के बारे में:

- यह **गंगा नदी के लिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन** है, जिसे वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ एक 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था।
- इसे **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga: NMCG)** और इसके राज्य स्तरीय समकक्ष **'राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों'** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
  - NMCG को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह **गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद** (**राष्ट्रीय गंगा परिषद** के रूप में संदर्भित) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है।
  - **NMCG का लक्ष्य और उद्देश्य** राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (National Ganga River Basin Authority: NGRBA) के अधिदेश को पूरा करना है। ये अधिदेश हैं:
    - व्यापक नियोजन और प्रबंधन के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने हेतु नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर **गंगा नदी में प्रदूषण के उपशमन एवं नदी के कायाकल्प को सुनिश्चित करना;** तथा
    - जल की गुणवत्ता और पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिकीय प्रवाह बनाए रखना।**

नमामि गंगे मिशन की स्थिति

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) अब तक 37% परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वीकृत बजट का केवल 29% व्यय करने में सफल रहा है।
- कुल स्वीकृत परियोजनाओं में से, 152 परियोजनाएँ, सीवेज अवसंरचना के निर्माण {जैसे- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STPs)} से संबंधित हैं। ज्ञातव्य है कि सीवेज अवसंरचना गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है।
  - जनवरी 2020 तक इन 152 STPs में से केवल 46 को ही पूर्ण किया जा सका था।

- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के अंतर्गत गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए उपाय करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर एक **पाँच-स्तरीय संरचना** की परिकल्पना की गई है। ये हैं-
  - **राष्ट्रीय गंगा परिषद (National Ganga Council: NGC):** इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के स्थान पर NGC का सृजन किया गया है।
    - NGC में गंगा नदी बेसिन में शामिल पांच राज्यों, यथा- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के अतिरिक्त कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इसकी बैठक का आयोजन वर्ष में एक बार निर्धारित किया गया है।

VISION

- **सशक्त कार्य बल (Empowered Task Force: ETF):** केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में गंगा नदी पर सशक्त कार्य बल का गठन किया गया है।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)।**
- **राज्य गंगा समितियां:** ये समितियां राज्य में कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी होंगी। इसके अतिरिक्त, ये समितियां गंगा नदी के लिए सेफ्टी ऑडिट (सुरक्षा लेखा-परीक्षा) का भी संपादन करेंगी और आवश्यकतानुसार उपचारात्मक उपायों को लागू करेंगी।
- **जिला गंगा समितियां:** राज्यों में गंगा और उसकी सहायक नदियों से संलग्न प्रत्येक निर्दिष्ट जिले में जिला गंगा समितियों का गठन किया जाएगा।

- नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को **शुरुआती स्तर की (या अल्पकालिक) गतिविधियों** (तत्काल प्रभाव दिखाने के लिए), **मध्यम अवधि की गतिविधियों** (समय सीमा के 5 वर्षों के भीतर लागू की जाने वाली), और **दीर्घावधिक गतिविधियों** (10 वर्षों के भीतर लागू की जाने वाली) में विभाजित किया गया है।
  - **शुरुआती स्तर की (या अल्पकालिक) गतिविधियां (Entry-level activities):** इसमें शामिल हैं- नदी में बहने वाले ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए नदी की सतह की साफ-सफाई, ग्रामीण सीवेज की नालियों के माध्यम से नदी में प्रवेश करने वाले अपशिष्ट (ठोस और तरल) अपशिष्टों के शमन हेतु ग्रामीण स्वच्छता और शौचालयों का निर्माण आदि।
  - **मध्यम अवधि की गतिविधियाँ (Medium-term activities):** इसके अंतर्गत नदी में प्रवेश करने वाले नगरपालिका और औद्योगिक अपशिष्ट के निपटान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - **दीर्घावधिक गतिविधियां (Long-term activities):** इसके अंतर्गत, नदी के पारिस्थितिक-प्रवाह के निर्धारण, जल-उपयोग दक्षता में वृद्धि और सतही सिंचाई की दक्षता में सुधार के माध्यम से नदी के पर्याप्त प्रवाह पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **इस मिशन के प्रमुख स्तंभ हैं:**
  - नदी तट (रिवर फ्रंट) का विकास,
  - जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण,
  - गंगा नदी के तट पर बसे गाँवों या बस्तियों में सीवरेज अवसंरचना के कवरेज में सुधार,
  - नदी घाट पर और नदी में तैरने वाले ठोस अपशिष्ट का संग्रह कर नदी के सतह की साफ़-सफाई,
  - वनीकरण,
  - औद्योगिक बहि:स्राव की निगरानी (Industrial Effluent Monitoring),
  - **गंगा ग्राम** का विकास,
    - इसके अंतर्गत ऐसा मॉडल गांव विकसित करना लक्षित है, जो गंगा के तट पर आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्वच्छतापूर्ण इकाई के व्यापक और सामंजस्यपूर्ण पैकेज के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करेगा तथा जो आत्मनिर्भर होगा।
  - जन जागरूकता सृजित करना।
- **गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना (Ganga River Basin Management Plan):** यह योजना गंगा नदी के पारिस्थितिकी-तंत्र के समग्र (wholesomeness) पुनरुद्धार और इसके पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्याप्त उपाय करने के उद्देश्यों के साथ तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत गंगा नदी बेसिन में प्रतिस्पर्धी जल प्रयोग के मुद्दे पर पर्याप्त विचार किया गया है।
  - गंगा नदी के **समग्र (wholesomeness) पुनरुद्धार** को अग्रलिखित चार परिभाषित अवधारणाओं के संदर्भ में समझा जा सकता है: "अविरल धारा" (निरंतर प्रवाह), "निर्मल धारा" (प्रदूषणरहित प्रवाह), "भूगर्भिक इकाई (Geologic Entity), और पारिस्थितिकीय इकाई (Ecological Entity)।
- प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने और नदी की सुरक्षा के लिए **4 बटालियन** वाले **गंगा इको टास्क फोर्स** का गठन किया गया है।

गंगा नदी की सफाई के समक्ष मौजूद समस्याएं:

- **अपर्याप्त सीवेज ट्रीटमेंट (वाहित मल उपचार):** गंगा बेसिन में लगभग 12,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन (million litres per day: mld) सीवेज निस्सरित होता है, जबकि वर्तमान में केवल लगभग 4,000 mld सीवेज के उपचार की ही क्षमता विद्यमान है।
- **पारिस्थितिकीय प्रवाह में कमी:** ई-प्रवाह या पर्यावरणीय प्रवाह वस्तुतः पारिस्थितिक-तंत्र की संरचना और कार्यों तथा उस पर आश्रित प्रजातियों की सुरक्षा हेतु आवश्यक जल के न्यूनतम प्रवाह को संदर्भित करता है।
  - नदी मार्ग में विद्यमान विभिन्न अवरोधों और प्रवाह में कमी के कारण, जल की गति धीमी हो गयी है और गाद की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके कारण, जल में विद्यमान खनिज नदी के तल पर निक्षेपित हो जाते हैं।
  - प्रवाह में कमी के कारण विभिन्न उपयोगों के लिए भौम जल के निष्कर्षण में वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है।
- **गाद नियंत्रण (Sludge control):** खुले में शौच मुक्त होने के पश्चात् गंगा बेसिन के पांच राज्यों में लगभग 180 mld गाद उत्पन्न होगा और यदि मलयुक्त गाद का उचित प्रबंधन नहीं हो पाया, तो यह गंगा नदी को और प्रदूषित करेगा।

- **अत्यधिक लागत:** IIT की एक रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि, वर्ष 2010 के मूल्य स्तरों पर सीवरेज के उपचार की लागत 1 पैसे प्रति लीटर होगी। यदि समय पर विभिन्न परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जाता है तो इस लागत में और वृद्धि हो सकती है।
    - **स्वच्छ गंगा निधि:** यह एक ऐसा कोष है, जिसके अंतर्गत गंगा की सफाई के लिए संस्थाएं या आम नागरिक योगदान दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि, NMCG स्वच्छ गंगा कोष की किसी भी राशि का उपयोग नहीं कर सका है और इसके तहत एकत्रित की गई संपूर्ण राशि विभिन्न कार्य योजनाओं को अंतिम रूप नहीं देने के कारण बैंकों में जमा हैं।
- **समन्वय की कमी:** गंगा की सफाई के लिए विभिन्न कार्यों/परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों के मध्य सहज समन्वय की आवश्यकता है। जल शक्ति मंत्रालय ने नमामि गंगे के बेहतर कार्यान्वयन के लिए 10 मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, आज तक कोई विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया है कि ये मंत्रालय बेहतर समन्वय के लिए कैसे कार्य कर रहे हैं।

आगे की राह:

- **जैविक कृषि:** विगत एक दशक में कीटनाशकों का संचित उपयोग दोगुना हो गया है और इसका अधिकांश भाग नदियों में प्रवाहित हो जाता है। अत: संपूर्ण नदी तट के किनारे जैविक कृषि की जानी चाहिए।
- **रणनीतियों का एकीकरण:** विभिन्न रणनीतियों (जैसे- नदी जोड़ो, नदी तट विकास परियोजना, शौचालयों तक पहुँच, गाँवों को खुले में शौच मुक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप द्वारा जलापूर्ति आदि) के लिए दीर्घकालिक पारिस्थितिक और संधारणीय लक्ष्यों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- **विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्रों को बढ़ावा देना:** इसे कॉलोनी स्तर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सिंचाई के लिए अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग किया जाना चाहिए और शेष जल को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। सभी नए शहरों, स्मार्ट शहरों और बिना मास्टर प्लान वाले शहरों के लिए विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्रों हेतु निर्धारित भूमि को चिन्हित करना चाहिए।
- **स्थानीय तालाबों, झीलों और आर्द्र भूमियों को विकसित एवं पुनर्स्थापित करना:** बाढ़ और सूखा दोनों के स्थायी समाधान के रूप में जल भंडारण की स्थानीय प्रणालियों को विकसित व पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। मानसून में वर्षा के दौरान प्राप्त होने वाले जल के केवल 10 प्रतिशत भाग को ही कृषि कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। अत: तालाबों, झीलों और आर्द्र भूमियों का पुनरुद्धार नदी के पुनरुद्धार एवं संरक्षण रणनीति का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।
- **छोटी सहायक नदियों का पुनरुद्धार:** गंगा बेसिन में निचले क्रम की धाराओं और छोटी सहायक नदियों का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए।
- **भूजल पुनर्भरण (groundwater recharge) के माध्यम से आधार प्रवाह (Base Flow) का पुनरुद्धार करना:** नदियों के बारहमासी प्रवाह के लिए नदी प्रवाह के सभी चरणों में भूजल निकासी और पुनर्भरण की सशक्त योजना के निर्माण और विनियमन की आवश्यकता है।

5.2. भारत में भू-जल का निष्कर्षण (Groundwater Extraction In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (Central Ground Water Authority: CGWA) ने भू-जल (या भौम जल) के निष्कर्षण को विनियमित करने के लिए नवीनतम दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पृष्ठभूमि

- इन नए भू-जल दिशा-निर्देशों की आवश्यकता इसलिए थी, क्योंकि केंद्र द्वारा 12 दिसंबर 2018 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों को जनवरी 2019 में **राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा रद्द** कर दिया गया था।
    - तब से ऐसे कोई दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं थे, जिनके अंतर्गत भू-जल निष्कर्षण के लिए **अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate: NOC)** जारी किया जा सके।
- इन संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वर्ष 2018 में जारी दिशा-निर्देशों में विद्यमान कमियों को दूर किया गया है। उल्लेखनीय है कि, वर्ष 2018 में जारी दिशा-निर्देशों में अति-दोहित (over-exploited) क्षेत्रों में भू-जल निष्कर्षण के लिए उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। साथ ही, वर्ष 2018 के दिशा-निर्देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के बदले क्षतिपूर्ति की वसूली का प्रावधान नहीं था और नियमों के उल्लंघन के लिए भारी अर्थदंड भी आरोपित नहीं किया गया था।
- ये नए दिशा-निर्देश संपूर्ण देश में लागू हैं।

भारत में भू-जल (या भौम जल) का उपयोग

- **भारत विश्व में सबसे अधिक भू-जल का उपयोग करता है।** यहाँ प्रति वर्ष 253 बिलियन घन मीटर (billion cubic metres: bcm) जल का निष्कर्षण होता है। यह वैश्विक भू-जल निष्कर्षण का लगभग 25% है।
- कुल **6,881 मूल्यांकन इकाइयों** (assessment units) में से 17% को 'अति-दोहित', 5% को 'गंभीर' (क्रिटिकल), 14% को 'अर्ध-गंभीर' इकाइयों के रूप में और 63% को 'सुरक्षित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
    - अति-दोहित इकाइयों की अधिकांश संख्या **पंजाब, हरियाणा, दिल्ली,** पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में केंद्रित हैं।

VISION IAS

- देश की **लघु सिंचाई गणना 2013-14** के अनुसार, 87.86% भूजल कूपों (groundwater wells) का स्वामित्व सीमांत, लघु और अर्ध-मध्यम कृषकों के पास है।

नए दिशा-निर्देश

- **अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC):** नए और वर्तमान उद्योगों, सामूहिक आवासन सोसाइटियों, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, खनन परियोजनाओं एवं भू-जल निष्कर्षण करने वाले बड़े जल आपूर्तिकर्ताओं को भू-जल का निष्कर्षण करने से पहले NOC लेना अनिवार्य है।
- **अति दोहित क्षेत्र (Over exploited areas):** अति-दोहित क्षेत्र में NOCs केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को दी जाएगी।
  - केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (Central Ground Water Board: CGWB) के अनुसार, ऐसे क्षेत्र जहां भू-जल की निकासी 100% से अधिक है, अर्थात् जहाँ भू-जल की वार्षिक खपत इसके पुनर्भरण (रिचार्ज) से अधिक है, "अति दोहित क्षेत्र" कहलाते हैं।
- **NOC से छूट:** इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निम्नलिखित 5 श्रेणियों को NOC प्राप्त करने से छूट दी गयी है:
  - ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पेयजल और घरेलू उपभोग के लिए भू-जल का निष्कर्षण करने वाले व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता;
  - ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं;
  - ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सशस्त्र बल प्रतिष्ठान एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रतिष्ठान;
  - कृषि गतिविधियां; और
  - ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यम, जो 10 घन मीटर / दिन से कम भू-जल का निष्कर्षण करते हैं।
- **निष्कर्षण एवं पुनर्स्थापन शुल्क (Abstraction and restoration charges):** नए प्रावधानों के अंतर्गत, NOC धारकों को अब **निष्कर्षण की मात्रा के आधार पर** "भू-जल निष्कर्षण एवं पुनर्स्थापन शुल्क" का भुगतान करना होगा। ज्ञातव्य है कि **पुराने प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें केवल नाममात्र की एकमुश्त राशि** का भुगतान करना पड़ता था।
- यदि आवासीय सोसाइटियों की भू-जल आवश्यकता 20 घन मीटर/दिन से अधिक है तो NOC प्राप्त करने के लिए उन्हें वाहित मल उपचार संयंत्र (Sewage Treatment Plants: STPs) स्थापित करने होंगे।
  - इसके लिए यह शर्त निर्धारित की गई है कि STPs से प्राप्त जल का उपयोग टॉयलेट फ्लशिंग, वाहन धोने, बागवानी इत्यादि के लिए किया जाएगा।
- **वार्षिक जल अंकेक्षण (Annual water audits):** नए दिशा-निर्देशों में भू-जल निष्कर्षण के लिए NOC देने हेतु प्रभाव आकलन (impact assessment) को अनिवार्य बनाने के अतिरिक्त, औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए वार्षिक जल अंकेक्षण को भी अनिवार्य बनाया गया है।
- **बेधन उपकरणों (Drilling Rigs) का पंजीकरण:** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्रों के भीतर बेधन उपकरणों को पंजीकृत करने और उनके द्वारा खोदे गए कुओं के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगी।
- **खारे जल के निष्कर्षण को प्रोत्साहन:** खारे जल का निष्कर्षण करने वाले उद्योगों को भू-जल निष्कर्षण शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।
- **आर्द्रभूमि क्षेत्रों का संरक्षण:** सीमांकित आर्द्रभूमि क्षेत्रों से 500 मीटर के दायरे में आने वाली परियोजनाओं को अनिवार्यतः एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि परियोजना के प्रस्तावक द्वारा भू-जल के दोहन से **संरक्षित आर्द्रभूमि क्षेत्र** प्रभावित नहीं होंगे।
  - इसके अतिरिक्त, CGWA से अनुमति लेने से पूर्व, परियोजना के प्रस्तावक को क्षेत्र में अपनी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए आर्द्रभूमि अधिकरणों से सहमति / अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति:** वैध NOC के बिना व्यावसायिक उपयोग के लिए भू-जल का निष्कर्षण करने वाले उद्योगों, बुनियादी अवसंरचना इकाइयों और खनन परियोजना के संचालकों की गतिविधियों को अवैध माना जाएगा और वे भू-जल निष्कर्षण के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होंगे।
  - क्षतिपूर्ति की न्यूनतम राशि कम से कम 1 लाख रुपये होगी।
- **अर्थदंड:** NOC की शर्तों का पालन न करने पर 50,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक का अर्थदंड आरोपित किया जा सकता है।
  - ये दिशा-निर्देश, NOC की शर्तों के उल्लंघन के मामलों में **जिला प्राधिकरणों** को **भू-जल निष्कर्षण संरचनाओं को सील करने** तथा **उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाने जैसे प्रवर्तन उपाय करने** के लिए अधिकृत करते हैं।
- **वैधता की अवधि:** नए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जारी की गई **NOC संस्थान के आधार पर 2-5 वर्षों के लिए** मान्य होगी।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह परामर्श दिया गया है कि वे कृषकों को प्रदत्त निःशुल्क बिजली की नीति / रियायती विद्युत नीति की समीक्षा करें, जल के मूल्य निर्धारण की उपयुक्त नीति अपनाएं और **भू-जल पर निर्भरता को कम करने** के लिए **फसल चक्रण/ विविधीकरण/ अन्य पहलों की दिशा में** सतत प्रयास करें।

VISION IAS

संबंधित निकाय:

- **केंद्रीय भूमि जल अधिकरण (Central Ground Water Authority: CGWA):** इसे देश में भू-जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत गठित किया गया है।
- **केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission: CWC):** यह जल शक्ति मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इस आयोग को संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल आपूर्ति एवं जल विद्युत के विकास के लिए देश भर में जल संसाधनों के संरक्षण हेतु योजना निर्माण की सामान्य जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं।

अन्य पहल

- **राष्ट्रीय जल नीति, 2012:** इस नीति के अंतर्गत, कानूनों और संस्थानों की एक प्रणाली के निर्माण और एकीकृत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ कार्य योजना के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है।
- **राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (National Aquifer Mapping and Management Programme):** इसे भू-जल प्रबंधन के लिए योजनाओं को विकसित करने हेतु जलभृतों को सीमांकित और चिन्हित करने के लिए भू-जल प्रबंधन एवं विनियमन योजना के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था।
- **अटल जल योजना:** इसका उद्देश्य मुख्य रूप से **जल-गहन फसलों के लिए जल के अति-निष्कर्षण** के कारण **जलभृतों के स्तर में सर्वाधिक गिरावट का सामना कर रहे सात राज्यों** में भू-जल का संरक्षण करना है।
  - इन राज्यों में **महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात** शामिल हैं।
- **"पानी बचाओ, पैसा कमाओ" योजना:** यह पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत् के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी। बचाई गई विद्युत् की प्रत्येक यूनिट के लिए किसान, प्रत्यक्ष लाभ के रूप में यूनिट प्रति 4 रुपये अर्जित करेंगे।

इन दिशा-निर्देशों से संबद्ध चिंताएं

- **कृषि क्षेत्र के लिए छूट:** आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भू-जल का 90% भाग सिंचाई हेतु और 10% भाग घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। ऐसे में, कृषि क्षेत्र को इससे बाहर रखना बड़ी चिंता का कारण है।
- **राज्य और केंद्र के बीच संघर्ष:** जल राज्य-सूची का एक विषय है। अतः इन दिशा-निर्देशों से ऐसे समय में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने की आशंका है, जब राज्यों और केंद्र के मध्य वैधानिक शक्तियों को लेकर पहले से ही काफी तनाव है।
- **कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दे:** इन दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन कठिन होगा, क्योंकि नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवेदनों की एकल-खिड़की द्वारा प्रदत्त मंजूरी संघर्ष को बढ़ाएगी।
- **खनन परियोजनाओं का प्रभाव:** खनन परियोजनाओं को विनियामक श्रेणी में गिना जाता है और उन्हें एक नाममात्र के भू-जल निष्कर्षण शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। खनन के जल-विज्ञान संबंधी नकारात्मक प्रभाव अन्य उद्योगों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर हैं। अतः उन्हें विस्तृत दिशा-निर्देशों के साथ पृथक रूप से श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए।
- **भू-जल ह्रास की समस्या पर ध्यान नहीं देना:** ये दिशा-निर्देश भू-जल के लगातार हो रहे ह्रास को रोकने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि **'निष्कर्षण और पुनर्भरण' शुल्क** के भुगतान के बाद **"गंभीर" और "अर्ध-गंभीर" क्षेत्रों में भू-जल** का निर्बाध उपभोग संरक्षण के उद्देश्य को विफल कर देगा।

आगे की राह

- **प्रोत्साहन (Incentivize):** पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए **शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अनुपयुक्त भू-जल (ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर आदि) की बड़ी मात्रा का उपयोग** करने के लिए **निवेशकों को प्रोत्साहित** करना चाहिए।
  - भूमि के अंतर्भूत मूल्य को बढ़ाने के लिए भू-जल का निष्कर्षण न करने हेतु प्रोत्साहन, पारिस्थितिक संतुलन में सुधार और समग्र मूल्य निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए गंभीर मूल्यांकन की आवश्यकता है।
- **जल पुनर्चक्रण का विस्तार:** विशेष रूप से अपशिष्ट-जल के पुनः उपयोग के माध्यम से जल-पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।
  - जहां इज़रायल लगभग 90% जल का पुनर्चक्रण करता है, वहीं भारत की जल-पुनर्चक्रण क्षमता केवल 30% है। घरेलू स्तर पर समस्या और गंभीर है, जहाँ उपयोग किए गए जल का 5% भी पुनर्चक्रीकृत नहीं किया जाता है।
- **रियल टाइम (तात्कालिक) डेटा:** भू-जल से संबंधित आकलनों/आंकड़ों का एकत्रण और उनका रियल टाइम प्रतिरूपण (modeling) करने की आवश्यकता है।
  - इस दिशा में पहला कदम एक **राष्ट्रीय कूप गणना (national well census)** है, जो क्राउड-सोर्सिंग तकनीक को अपनाने वाले सभी कूपों को शामिल करेगी। प्रमाणित कूप गणना पर आधारित निगरानी नेटवर्क, उच्च आवृत्ति वाले डेटा के सृजन में सहायक होता है।
- **जल उपभोग को सीमित करना:** सिंचाई के लिए भू-जल के दुरुपयोग की प्रथा को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है और विभिन्न फसलों के लिए अधिकतम वाटर-फुटप्रिंट (फसल द्वारा उपभोग किए जाने वाले जल की कुल मात्रा) को अग्रिम रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है।

VISION IAS

5.3. वैश्विक जैव विविधता आउटलुक (Global Biodiversity Outlook)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पांचवीं वैश्विक जैव विविधता आउटलुक (Global Biodiversity Outlook: GBO-5) रिपोर्ट जारी की गई।

GBO के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय (Convention on Biological Diversity: CBD) द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्रमुख प्रकाशन है।
- यह एक आवधिक रिपोर्ट है, जो **जैव विविधता की स्थिति और प्रवृत्तियों के बारे में नवीनतम डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत** करती है तथा CBD के भावी कार्यान्वयन के संबंध में प्रासंगिक सुझाव प्रदान करती है।
- **GBO-5 में आईची जैव विविधता लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में वैश्विक प्रगति के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत** किया गया है। यह संक्षिप्त विवरण विभिन्न संकेतकों, अनुसंधान अध्ययनों और आकलन रिपोर्ट्स के साथ-साथ CBD के कार्यान्वयन पर देशों द्वारा प्रदान की गई राष्ट्रीय रिपोर्ट्स पर आधारित है।
- **विगत दशक में आइची जैव विविधता लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति:** वैश्विक स्तर पर **20 में से अब तक किसी भी लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं** किया जा सका है। हालांकि, इनमें से 6 लक्ष्यों को आंशिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है, जिनमें लक्ष्य 9, 11, 16, 17, 19 और 20 शामिल हैं।

जैव विविधता पर अभिसमय (CBD) के बारे में

- इसे वर्ष 1993 में लागू किया गया था। **इसके 3 प्रमुख उद्देश्यों में शामिल** हैं:
  - जैव विविधता का संरक्षण;
  - जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग; तथा
  - आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण।
- भारत सहित 196 देशों द्वारा इसकी अभिपुष्टि की गई है।
- **CBD के अंतर्गत निम्नलिखित दो पूरक समझौते या प्रोटोकॉल शामिल** हैं:
  - **जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल (Cartagena Protocol on Biosafety):** यह प्रोटोकॉल संशोधित जीवित जीवों (Living Modified Organisms: LMOs) के स्थानांतरण/संचलन की निगरानी से संबंधित है।
  - **नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol):** यह प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच तथा आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित है।

जैव विविधता पर '2050 विजन' में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सुझाव:

- **भूमि और वन के संबंध में (Land and forests transition):** इसमें अक्षुण्ण पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली तथा इसके निम्नीकरण को रोकना एवं अत्यंत सीमित करना शामिल है। साथ ही, इसमें भूमि-उपयोग में होने वाले परिवर्तन को रोकने, कम करने और उनके समाधान हेतु परिदृश्य स्तर पर स्थानिक योजनाओं का कार्यान्वयन भी शामिल है।
- **स्वच्छ जल की संधारणीयता के संबंध में (Sustainable freshwater transition):** इसमें एक ऐसे एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाए जाने की बात कही गयी है, जो जल के प्रवाह को सुनिश्चित करता हो, जल की गुणवत्ता में सुधार करता हो, महत्वपूर्ण पर्यावासों को संरक्षण प्रदान करता हो, आक्रामक प्रजातियों की संख्या को नियंत्रित करता हो और पर्वतों से लेकर तटों तक स्वच्छ जल प्रणाली की पुनर्बहाली हेतु कनेक्टिविटी को बनाए रखने पर बल देता हो।
- **संधारणीय मत्स्य पालन और महासागर के संबंध में (Sustainable fisheries and oceans transition):** संधारणीयता को सुनिश्चित करने तथा खाद्य सुरक्षा व आजीविका को बढ़ावा देने हेतु समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा और उनको पुनर्बहाल किया जाना चाहिए। साथ ही, मत्स्य पालन गतिविधियों को संगठित किया जाना चाहिए एवं जलीय कृषि और महासागरों के अन्य उपयोगों के प्रबंधन पर भी बल दिया जाना चाहिए।
- **संधारणीय कृषि के संबंध में (Sustainable agriculture transition):** जैव विविधता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि पारिस्थितिकीय और अन्य अभिनव दृष्टिकोण के माध्यम से कृषि प्रणालियों को नया स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए।
- **संधारणीय खाद्य प्रणाली के संबंध में (Sustainable food systems transition):** खाद्य पदार्थों की विविधता (मुख्यत: पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों) पर अधिक बल देते हुए मांस और मछली के अल्प उपभोग पर बल देना चाहिए। साथ ही, खाद्य आपूर्ति और उपभोग के दौरान न्यूनतम अपशिष्ट उत्पन्न करने पर बल दिया जाना चाहिए।

VISION IAS

- **शहर और बुनियादी ढ़ांचा संक्रमण (Cities and infrastructure transition):** शहरों के पर्यावरणीय फुटप्रिंट को कम करने तथा नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 'हरित बुनियादी ढाँचे को स्थापित करना' व शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु स्थान प्रदान करना चाहिए।
- **संधारणीय जलवायु कार्रवाई के संबंध में (Sustainable climate action transition):** व्यापक पैमाने पर उत्पन्न होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए प्रकृति आधारित समाधानों का उपयोग तथा चरणबद्ध तरीके से जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित किया जाना चाहिए।
- **जैव विविधता-समावेशी वन हेल्थ ट्रांजिशन (एकल स्वास्थ्य संक्रमण):** स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं शहरी क्षेत्र सहित पारिस्थितिक-तंत्र के प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

- **वर्ष 2011-2020 के दौरान जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना (Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020)** के एक भाग के रूप में **जैव विविधता पर '2050 विजन'** को अपनाया गया था।
- इस रणनीतिक योजना का उद्देश्य एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जो "प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन" पर बल देती हो तथा जो **"वर्ष 2050 तक, जैव विविधता के महत्व, संरक्षण, पुनर्बहाली और उचित उपयोग को प्राथमिकता प्रदान** करती हो, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को एवं ग्रहीय स्वास्थ्य को बनाए रखने पर बल देती हो तथा सभी लोगों के लिए आवश्यक लाभ प्रदान करती हो।

आइची जैव विविधता लक्ष्यों के बारे में (About Aichi Biodiversity Targets)

- वर्ष 2010 में, नागोया में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय (CBD) के दौरान, इसके पक्षकार देशों द्वारा **जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना (2011-2020)** को अपनाया गया था। यह सभी पक्षकार देशों तथा हितधारकों द्वारा सुनिश्चित कार्यान्वयन हेतु एक दस वर्षीय फ्रेमवर्क है, जो जैव विविधता को बढ़ावा देने एवं लोगों को इससे होने वाले लाभ को सुनिश्चित करता है।
- इस रणनीतिक योजना के भाग के रूप में, **20 महत्वाकांक्षी परन्तु यथार्थवादी लक्ष्यों,** जिन्हें **आइची जैव विविधता लक्ष्यों** के नाम से भी जाना जाता है, को अपनाया गया था।

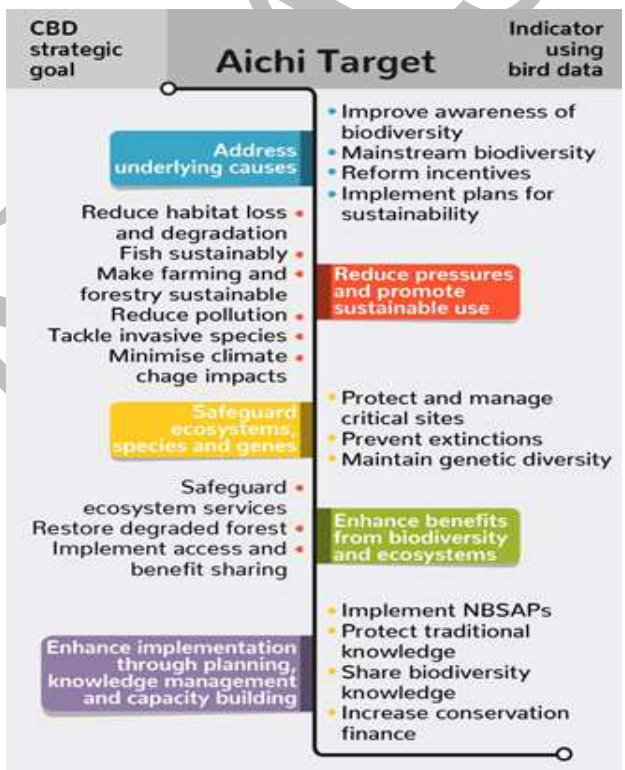

5.4. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट (Living Planet Report: LPR 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF)** द्वारा **लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट-2020** के साथ-साथ लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (LPI) जारी किया गया। ज्ञातव्य है कि WWF, वन्यजीव और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए कार्यरत एक अग्रणी संगठन है।

लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट (LPR) के बारे में

- LPR को WWF द्वारा प्रत्येक दो वर्षों में जारी किया जाता है। यह **वैश्विक जैव विविधता और पृथ्वी के स्वास्थ्य से संबंधित परिवर्तनों का एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करती है।**
- **इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:**
  - इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1970 और वर्ष 2016 के मध्य स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की आबादी में **औसतन 68% की गिरावट** हुई है।
  - इस रिपोर्ट के आकंड़े दर्शाते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद से, **मानवीय गतिविधियों के कारण वनों, घास के मैदानों, आर्द्रभूमियों और अन्य महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों को अत्यधिक क्षति पहुंची** है। साथ ही, मानव कल्याण के समक्ष भी जोखिम उत्पन्न हुआ है।

- **पृथ्वी की 75% हिम मुक्त भू-सतह** में काफी बदलाव हुआ है।
- **85% से अधिक वैश्विक आर्द्रभूमियां लुप्त हो गयी हैं। भारत में प्राकृतिक आर्द्रभूमियों का लगभग एक तिहाई हिस्सा लुप्त** हो गया है।
- लिविंग प्लैनेट इंडेक्स में 3,741 प्रजातियों का अध्ययन किया गया है। इनमें से स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की 944 प्रजातियों की आबादी में औसतन 84% की गिरावट हुई है।

○ **पारिस्थितिक तंत्र के ह्रास के कारण 1 मिलियन प्रजातियां** (5,00,000 जंतु और पौधे तथा 5,00,000 कीट) विलुप्त होने के कगार पर हैं।

○ स्थलीय तंत्र में जैव विविधता की क्षति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कारक भूमि-उपयोग परिवर्तन रहा है। मुख्य रूप से यह परिवर्तन प्राचीन मूल पर्यावासों (वन, घास के मैदान और मैंग्रोव) के कृषि प्रणालियों में रूपांतरण के परिणामस्वरूप हुआ है; जबकि समुद्र के अधिकांश हिस्से में अधिकतम मत्स्यन किया जा चुका है।

○ **लैटिन अमेरिका में वन्य जीवों की आबादी को सर्वाधिक क्षति पहुंची** है तथा यह **94%** की खतरनाक दर से घटित हुआ है।

- वर्ष 1970 के बाद से, **हमारा पारिस्थितिक फुटप्रिंट, पृथ्वी के पुनरुत्थान (regeneration) की दर को पार कर गया** है।

लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (LPI) के बारे में

- LPI वस्तुतः विश्व भर के **कशेरुकी प्रजातियों की आबादी की प्रवृत्तियों के आधार पर वैश्विक जैव विविधता की स्थिति के संबंध में आकलन** प्रदान करता है।
- जैव विविधता के ह्रास को रोकने हेतु प्रभावी और तत्काल कार्रवाई करने के लिए वर्ष 2011-2020 के लक्ष्य के लिए एक प्रगति संकेतक के रूप में **संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय (CBD) के तहत LPI को अपनाया** गया है।
- LPI विश्व भर में स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों, सरीसृपों और उभयचरों की **लगभग 21,000 आबादी की उपलब्धता/उपस्थिति** को ट्रैक करने का कार्य करता है।
- LPI के तहत **संकटापन्न (threatened) और गैर-संकटापन्न श्रेणी वाली प्रजातियों के लिए आंकड़ों को शामिल** किया गया है।
- LPI, **विलुप्त या विलुप्ति (extinctions) की श्रेणी में शामिल प्रजातियों की संख्या को नहीं दर्शाता** है।

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. मानव पूंजी सूचकांक (The Human Capital Index 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक ने **'द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट: ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19' (मानव पूंजी सूचकांक 2020 अद्यतन: कोविड-19 के समय में मानव पूंजी)** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

इस रिपोर्ट के बारे में

- ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट के तहत **174 देशों** (वर्ष 2018 के संस्करण की अपेक्षा 17 अतिरिक्त देश) के मार्च 2020 तक के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आकड़ों को सम्मिलित किया गया है। 174 देशों को शामिल करने का एक अर्थ यह भी है कि यह सूचकांक 98 प्रतिशत वैश्विक जनसंख्या को समाहित करता है।
- चूँकि, मार्च 2020 को वर्ष 2020 अपडेट की निर्दिष्ट तिथि के रूप निर्धारित किया गया है (जिसे कोविड-19 द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभावों के पहले निर्धारित किया गया था), इसलिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स (HCI) 2020 **मानव पूंजी पर कोविड-19 के कुछ प्रभावों** को ट्रैक करने के लिए एक आधार रेखा के रूप में कार्य कर सकता है।

ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स (HCI) के बारे में

- HCI एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है, जो देशों के मध्य मानव पूंजी के मुख्य घटकों का मापन करता है।
- इसे **वर्ष 2018 में विश्व बैंक द्वारा मानव पूंजी परियोजना (Human Capital Project: HCP)** के एक भाग के रूप में आरंभ किया गया था।
- यह सूचकांक **मानव पूंजी की उस मात्रा का एक माप** प्रदान करता है, जिसके तहत **वर्तमान में जन्म लेने वाले एक बालक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मानव संसाधन में रूपांतरित** होने की अपेक्षा की जाती है। यह इस तथ्य को भी दर्शाता है कि वर्तमान स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणाम आगामी पीढ़ी के कामगारों की उत्पादकता को कैसे आकार प्रदान करेंगे।
- **HCI में तीन घटक सम्मिलित हैं, यथा-**
  - **उत्तरजीविता (Survival):** जन्म से विद्यालय जाने योग्य आयु तक, जिसका **5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मध्य मृत्यु दर** का उपयोग करके मापन किया जाता है।
  - **स्कूल (School):** विद्यालय के **अधिगम-समायोजित वर्षों** (learning-adjusted years) का प्रयोग करके मापन किया जाता है। इसमें दो घटकों की माप को शामिल किया गया है, यथा-
    - दी गई प्रचलित नामांकन दर के अनुसार **जन्म से 18 वर्ष की आयु तक पूर्ण किए जाने वाले स्कूली वर्ष।**
    - अंतर्राष्ट्रीय छात्र उपलब्धि परीक्षण पर आधारित **शिक्षा की गुणवत्ता।**
  - **स्वास्थ्य (Health):** दो बुनियादी आधारों द्वारा मापन किया जाता है-
    - **वयस्क उत्तरजीविता दर**, 15 वर्ष की आयु के किशोरों के उस खंड के रूप में परिभाषित की जाती है, जो 60 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं और
    - **5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के ठिगनेपन की दर।**
- HCI का मान **शून्य से एक** के मध्य निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि HCI मूल्य 0.5 है, तो इसका अर्थ है कि वर्तमान में जन्म लेने वाला कोई बच्चा भविष्य में जितना उत्पादक हो सकता है, उसका केवल 50% ही उत्पादक होगा और वह भी तब, जब उसे पूर्ण स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक लाभ प्राप्त हो।

मानव पूंजी क्या है?

- मानव पूंजी में ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य सम्मिलित होता है, जो लोग अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। ये उन्हें समाज के उत्पादक सदस्य के रूप में अपनी क्षमता के उपयोग में सक्षम बनाते हैं।
- मानव पूंजी **अमूर्त** होती है तथा यह व्यक्ति में आंतरिक रूप से विकसित शारीरिक और बौद्धिक क्षमता को संदर्भित करती है।
- **मानव पूंजी निर्माण के स्रोतों में सम्मिलित हैं–** शिक्षा व स्वास्थ्य पर व्यय, नौकरी के दौरान प्रशिक्षण, वयस्कों के लिए अध्ययन कार्यक्रम, बेहतर वेतन वाली नौकरियों की खोज में प्रवासन, श्रम बाजार और अन्य बाजारों से संबंधित सूचनाओं पर व्यय इत्यादि।
- **मानव पूंजी का महत्व:**
  - **व्यक्तियों और पारिवारिक लोगों के लिए**
    - **उच्च आय और जीवन के स्तर में सुधार होता है।**
    - **पीढ़ीगत प्रतिलाभ (Generational returns):** मानव पूंजी के लाभ व्यक्तिगत प्रतिलाभों को अन्य लोगों और पीढ़ियों तक विस्तारित करने में सहायता प्रदान करते हैं।

VISION IAS

- **समाज के लिए**
  - **सामाजिक पूंजी का निर्माण:** मानव पूंजी में निवेश, सामाजिक सामंजस्य और समानता को बढ़ाता है तथा संस्थानों में लोगों के विश्वास को सुदृढ़ करता है। यह समाज के सभी पहलुओं में उत्पादक परिणामों सृजन में सहायक होती है। **उदाहरणार्थ:**
  - एक शिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावी तरीके से भाग ले सकता है और सर्वेक्षणों में सामान्य रूप से यह पाया गया है कि अति शिक्षित लोग दूसरों के लिए अधिक विश्वसनीय होते हैं।
  - एक स्वस्थ व्यक्ति व्यक्तिगत सफाई और स्वच्छता को बनाए रख कर संक्रामक रोगों एवं महामारियों को फैलने से रोकता है।
  - **मानव पूंजी में सतत वृद्धि:** समाज को उन योग्य लोगों के रूप में पर्याप्त मानव पूंजी की आवश्यकता होती है, जिन्होंने अन्य मानव पूंजी को उत्पादित करने हेतु स्वयं को व अन्य पेशेवरों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया है।
- **देशों के लिए**
  - उत्पादन प्रक्रिया में **मानव पूंजी, भौतिक पूंजी की पूरक होती है**, क्योंकि उच्च मानव पूंजी वाले लोग भौतिक पूंजी का अधिक दक्षता से उपयोग कर सकने में सक्षम होते हैं और तकनीकी परिवर्तन को शीघ्रता से अपना सकते हैं।
  - शिक्षा, समाज में परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगतियों को समझने हेतु ज्ञान प्रदान करती है तथा इस प्रकार यह **आविष्कारों व नवोन्मेषों को सुविधाजनक बनाती है**।
  - जब लोग स्वस्थ और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं, तो वे अधिक उत्पादक होते हैं। मनुष्यों की यह **बढ़ी हुई उत्पादकता** राष्ट्र की श्रम उत्पादकता और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
  - यह **संधारणीय विकास और निर्धनता निवारण** का एक प्रमुख साधन है।

इस सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष

- **वैश्विक HCI:** वैश्विक स्तर पर, किसी बच्चे द्वारा भावी कामगार के रूप में अपनी संभावित उत्पादकता का औसतन **56 प्रतिशत** ही उपयोग कर पाने की संभावना रहती है।
- **क्षेत्रों और अर्थव्यवस्थाओं में उल्लेखनीय भिन्नता:** उदाहरणस्वरूप, निम्न-आय वाले देश में जन्मे बच्चों की 0.37 की HCI की तुलना में उच्च-आय वाले देश के बच्चों की HCI 0.7 रही है।
- **अधिगम निर्धनता (Learning Poverty) का मापन:** यह 10 वर्ष के बच्चों के उस अंश या भाग को प्रदर्शित करता है, जो एक सरल कहानी को पढ़ और समझ नहीं सकते हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लगभग 53 प्रतिशत बच्चे लर्निंग निर्धनता से प्रभावित हैं।
- **लिंग के आधार पर HCI असमानता (Disaggregation of the HCI by gender):** अधिकांश देशों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की मानव पूंजी कुछ अधिक है।
- **महिलाओं की मानव पूंजी का अल्प-उपयोग:** विश्व-स्तर पर रोजगार दरों (उपयोग का आधारभूत मापक) में लिंग-अंतराल औसत रूप से 20 प्रतिशत बिंदु तक परिलक्षित हुआ है, परन्तु दक्षिण एशिया, मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में यह 40 प्रतिशत बिंदु से भी अधिक रहा है।
  - **अल्प-उपयोग** का आशय यह है कि एक भावी कामगार एक नौकरी या रोज़गार प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता/सकती है और यदि वह ऐसा करने में समर्थ हो भी जाता/जाती है, तो वह अपनी उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु अपने कौशल एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकता/ सकती है।
  - इससे ज्ञात होता है कि, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानव पूंजी में लिंग-अंतराल समाप्त हो चुका है (विशेष रूप से शिक्षा में), परन्तु इन लाभों को महिलाओं के लिए अवसर में परिवर्तित करने हेतु प्रमुख चुनौतियों का समाधान किया जाना अभी शेष है।
- **विगत दशक में मानव पूंजी में हुए लाभ:** वर्ष 2010 और 2020 के मध्य HCI में औसत रूप से 2.6 बिंदुओं की वृद्धि हुई है।
- **भारत के लिए विशिष्ट निष्कर्ष:**
  - **174 देशों के मध्य** भारत का स्थान **116वां** रहा है, जबकि वर्ष 2018 में 157 देशों में 115वां स्थान रहा था।
  - भारत का स्कोर **वर्ष 2018 में 0.44 से बढ़कर वर्ष 2020 में 0.49** हो गया है।
  - टोंगा के उपरांत भारत वह देश है, जहां **बाल उत्तरजीविता दर (child survival rates) लड़कों की तुलना में लड़कियों में अधिक** है।
  - भारत में **5 वर्ष से कम आयु के ठिगनेपन (stunting) से ग्रस्त बच्चों में 13 प्रतिशत बिंदु की गिरावट** दर्ज की गई है, जो वर्ष 2010 के 48 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2020 में 35 प्रतिशत पर आ गई है।

6.2. आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना {Ayushman Bharat- Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र के सर्वोत्कृष्ट आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ने दो वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

आयुष्मान भारत के संबंध में

- इसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC) की परिकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की अनुशंसा के तहत वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था।
- यह **स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति के क्षेत्रक तथा विकेंद्रित दृष्टिकोण से व्यापक आवश्यकता-आधारित स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ने का एक प्रयास है।**
- इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली (रोकथाम, संवर्धन तथा औषधालय सेवा को शामिल करते हुए) में मौजूदा चुनौतियों के समाधान हेतु पथ प्रवर्तक हस्तक्षेप लागू करना है।
- इसमें **दो अंतर-संबंधी घटकों को शामिल किया गया है, जो हैं-**
  - **स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्र (Health and Wellness Centres: HWCs); और**
  - **प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)।**

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC)

- UHC का उद्देश्य वस्तुतः बिना वित्तीय कठिनाई के लोगों तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। UHC में तीन संबंधित उद्देश्य सन्निहित हैं, यथा-
  - **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में समानता:** यह केवल सेवाओं का भुगतान करने वालों को ही नहीं, बल्कि उन्हें भी उपलब्ध होनी चाहिए, जिन्हें उनकी आवश्यकता है।
  - **स्वास्थ्य सेवाओं में पर्याप्त गुणवत्ता** होनी चाहिए ताकि जो उन सेवाओं को प्राप्त कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके।
  - लोगों को **वित्तीय जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जानी** चाहिए। अत: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सेवाओं के उपयोग की लागत के कारण लोगों को वित्तीय नुकसान न हो।
- यह **सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक** के रूप में कार्य करता है और समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है तथा अत्यधिक निर्धनता की समाप्ति में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है।
- **इसका संधाराणीय विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है।** उदाहरण के लिए, लक्ष्य 1 (निर्धनता उन्मूलन), लक्ष्य 4 (समान शिक्षा), लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता), लक्ष्य 8 (उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि), लक्ष्य 9 (अवसंरचना), लक्ष्य 10 (असमानताओं में कमी), लक्ष्य 16 (शांति और न्याय) तथा लक्ष्य 17 (भागीदारी)।

स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्र (HWCs)

- फरवरी 2018 में, भारत सरकार ने **देश के मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा उप-केंद्रों का रूपांतरण कर 1,50,00 HWCs के गठन की घोषणा की थी।**
- ये केंद्र लोगों के घरों के समीप स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने तथा **व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (Comprehensive Primary Health Care: CPHC)** प्रदान करने में सहायता करेंगे।
- इसके तहत नि:शुल्क आवश्यक औषधियों एवं उपचार सेवाओं सहित मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं और गैर-संचारी रोगों को शामिल किया गया है।

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

- PM-JAY विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य 10.74 करोड़ से अधिक निर्धन तथा सुभेद्य परिवारों (करीब 50 करोड़ लाभार्थियों) **को प्रति वर्ष प्रति परिवार द्वितीयक तथा तृतीयक चिकित्सालयी देखभाल के लिए 5 लाख रुपये का बीमा कवर उपलब्ध कराना है।** ज्ञातव्य है कि ये परिवार भारत की कुल आबादी का लगभग 40% भाग हैं।
  - PM-JAY को नवीन नाम दिए जाने से पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (National Health Protection Scheme: NHPS) के रूप में जाना जाता था। **इसके अंतर्गत तत्कालीन संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) को सम्मिलित कर दिया गया है,** जिसे वर्ष 2008 में आरंभ किया गया था।
  - 5,00,000 रुपये का लाभ **फैमिली फ्लोटर (एक स्वास्थ्य बीमा) आधार** पर प्रदान किया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है।
- परिवारों को क्रमशः ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में **सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC 2011) के तहत वंचन एवं व्यावसायिक मानक के आधार पर** सम्मिलित किया गया है।

VISION IAS

- **PM-JAY** देश भर में सूचीबद्ध किसी भी (सरकारी तथा निजी दोनों) चिकित्सालय में **सेवा सुविधा केंद्र पर लाभार्थी को सेवाओं की प्राप्ति हेतु नकदी रहित और कागज रहित पहुंच प्रदान करती है।**
    - **लाभार्थी को ई-कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसका उपयोग देश में कहीं भी सूचीबद्ध चिकित्सालय (सरकारी या निजी) में नकदी रहित सेवा प्राप्त करने हेतु किया जा सकता है।**
    - **यह चिकित्सालय में भर्ती से 3 दिन पूर्व और चिकित्सालय में भर्ती होने की अवधि से 15 दिनों तक के व्यय को कवर करता है।**
    - **परिवार के आकार, आयु या लिंग के संबंध में कोई सीमा तय** नहीं की गई है।
    - **सरकारी चिकित्सालयों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए** निजी चिकित्सालयों **के समान प्रतिपूर्ति की जाती है।**
- PM-JAY वस्तुतः **सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है और इसके क्रियान्वयन की लागत केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा साझा की जाती है।**
    - राज्य, कार्यान्वयन से संबंधित साधनों के चयन के लिए स्वतंत्र हैं। वे बीमा कंपनी या प्रत्यक्षत: ट्रस्ट/सहकारी समिति या मिश्रित मॉडल द्वारा योजना को कार्यान्वित कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर, योजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority: NHA) का गठन किया गया है।
- पात्र लाभार्थी कोविड-19 का उपचार निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

दो वर्षों के दौरान आयुष्मान भारत PM-JAY की उपलब्धियां

- इस योजना को 32 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया गया है।
- 1.26 करोड़ लोगों को उपचार (52% निजी अस्पतालों द्वारा प्रदत्त) प्रदान किया जा चुका है।
- इसमें 23,311 अस्पताल सम्मिलित (empaneled) किए गए हैं (45% निजी)।
- 12.6 करोड़ ई-कार्ड जारी किए गए हैं।
- 1,25,454 पोर्टेबिलिटी के मामले शामिल किए गए हैं।

PMJ-AY की विशेषताएँ

- उल्लेखनीय रूप से **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज** तथा SDGs की प्राप्ति की दिशा में भारत की सहायता करना।
- स्वास्थ्य सेवा के अभाव वाले क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों के संयोजन और सेवाओं के विचारपूर्ण रणनीतिक क्रय के माध्यम से **गुणवत्तापूर्ण द्वितीयक तथा तृतीयक सेवा की बेहतर तथा वहनीय पहुंच सुनिश्चित करना।** ये सेवाएं निजी सेवा प्रदाताओं, विशेषकर जो कि लाभ प्रदाता नहीं हैं, उनसे क्रय की जा सकती हैं।
- चिकित्सालयों में भर्ती होने पर **उपचार व्यय को महत्वपूर्ण रूप से कम करना।** विपत्तिपूर्ण स्वास्थ्य प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम तथा इसके परिणामस्वरूप गरीब व सुभेद्य परिवारों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक क्षति को कम करना।
- बीमा राजस्व के उपयोग द्वारा **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करना।**
- ग्रामीण, सुदूरवर्ती तथा अल्प सेवित क्षेत्रों में **नई स्वास्थ्य अवसंरचना के सृजन** को सक्षम बनाना।
- **जनसंख्या के स्तर पर उत्पादकता तथा कुशलता में सुधार करना,** जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।

PM-JAY के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- **निजी स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना का अभाव:** रजिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल्स इन द नेटवर्क ऑफ इंश्योरेंस (रोहिणी/ROHINI) के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि केवल 3% निजी चिकित्सालय ही आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र हैं।
    - औसतन, यहां प्रति एक लाख जनसंख्या पर केवल 1.28 सूचीबद्ध (empanelled) चिकित्सालय हैं, जो योजना के अंतर्गत रोगियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सूचीबद्ध चिकित्सालयों में रोगियों के उपचार के लिए आवश्यक अवसंरचना का अभाव है।
- **स्वास्थ्य सेवा के निजीकरण की बाध्यता:** आयुष्मान भारत वस्तुतः मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली में मौलिक रूपांतरण पर बल देता है, जिसके लिए निजीकरण आवश्यक है। इस निजीकरण के तहत निजी क्षेत्रक से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी प्रकार की देखभाल और उपचार सेवाएं प्रदान करेगा, जबकि वित्तीय संरक्षण के लिए सरकार की भूमिका न्यूनतम हो जाएगी।
- **भ्रष्टाचार:** निजी चिकित्सालय में अत्यधिक लाभ अर्जन तथा भ्रष्टाचार, योजना के क्रियान्वयन में चुनौती उत्पन्न करता है।
    - कई मामलों में, निजी अस्पताल फर्जी लाभार्थियों के नामांकन, OPD मरीजों को IPD मरीजों में परिवर्तित करना, उच्च कीमत वाले पैकेज को जानबूझकर रोकना, उन रोगों का उपचार करना जिसके लिए अस्पताल सक्षम नहीं है, चिकित्सक द्वारा अनावश्यक प्रक्रियाओं का अनुपालन, नकदी रहित योजना के बावजूद चिकित्सालयों द्वारा कीमत वसूलना आदि सम्मिलित हैं।

VISION IAS

- **निर्धन राज्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार:** निर्धन राज्यों में उत्तम श्रेणी के निजी चिकित्सालयों का अभाव है, जहां निर्धन जन नि:शुल्क तृतीयक सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही, ये राज्य अपने हिस्से का धन (कुल व्यय का 40%) उपलब्ध करा सकने में भी असमर्थ हैं, जिससे वे केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धन से वंचित रहते हैं।
- **असमानता अंतराल में वृद्धि:** इस संबंध में भी चिंता प्रकट की गई है कि दीर्घावधि में, बेहतर प्रदर्शन कर रहे राज्यों की स्वास्थ्य अवसंरचना, निम्न-स्तरीय प्रदर्शन करने वाले राज्यों के संशाधनों का उपयोग कर अधिक वृद्धि करेंगी, जिससे राज्यों के मध्य असमानता में बढ़ोतरी होगी।
- **नीतिगत संरचना:** प्राय: यह दृष्टिगोचर हुआ है कि AB-PMJAY य़ोजना, चिकित्सालय से डिस्चार्ज किए जाने के उपरांत केवल 15 दिनों तक के लिए ही औषधि कवर प्रदान करती है। हालांकि बड़ी संख्या में मरीजों, विशेषकर गैर-भर्ती मरीजों (OPD) के आधार पर कैंसर मरीजों को दीर्घावधि तक औषधि की आवश्यकता होती है।
- **बजट आवंटन तथा धन का उपयोग:** PM-JAY को वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र से 6,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2019-20 में भी, समान राशि आवंटित की गई थी।
    - PM-JAY य़ोजना के लिए आवंटन में वृद्धि नहीं की गई है, क्योंकि केंद्र विगत वर्ष आवंटित राशि को व्यय करने में असमर्थ रहा था।

आगे की राह

- सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि **आयुष्मान भारत के लाभ** विशेषकर समृद्ध तथा निर्धन राज्यों (जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है) के **मध्य समान रूप से वितरित** होने चाहिए।
- सरकार को **PMJAY की श्रेणी से सरकारी अस्पतालों को हटा देना चाहिए**, क्योंकि वहां सेवाएं पहले से ही नि:शुल्क उपलब्ध हैं।
- **अनैतिक कार्यों में लिप्त अस्पतालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।**
- **PM-JAY** नेटवर्क अस्पतालों में लगातार गुणवत्तापूर्ण सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए, **ताकि लाभार्थियों हेतु उचित तथा सतत गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।**
- **वास्तविक समय आधारित आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए** ताकि अनुसंधानकर्ता विश्लेषण कर सकें और योजनाओं के मध्य अंतराल को समाप्त करने के लिए अनुशंसा कर सकें। समान रूप से, स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्रों से संबंधित राज्य-स्तरीय आंकड़ों को भी जनता के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

6.3. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) का गठन किया गया है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (Medical Council of India: MCI) का स्थान लेगा।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के बारे में

- NMC की स्थापना **राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम (NMC अधिनियम), 2019** के अंतर्गत की गई है, जिसके द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम, 1956 को निरस्त कर दिया गया है।
    - **इसकी अनुशंसा प्रो. रंजित रॉय चौधरी समिति (वर्ष 2015) द्वारा की गई थी।**
- **संरचना:** NMC में 25 सदस्य शामिल होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। एक चयन समिति, केंद्र सरकार को अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों के नामों की अनुशंसा करेगी।
- **NMC के सदस्य:**
    - अध्यक्ष (चिकित्सक होना अनिवार्य है),
    - स्नातक तथा परास्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष,
    - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक,
    - भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, तथा
    - पांच सदस्य (अंशकालिक) जिनका चयन दो वर्ष की अवधि के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पंजीकृत आयुर्विज्ञान चिकित्सकों के मध्य से किया जाएगा।

- **NMC के कार्य:**
  - आयुर्विज्ञान संस्थानों तथा चिकित्सा पेशेवरों के विनियमन के लिए नीतियां तैयार करना।
  - स्वास्थ्य सेवा से संबंधित मानव संसाधन तथा अवसंरचना की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।
  - इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित विनियमों का राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों द्वारा पालन सुनिश्चित करना।
  - इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होने वाले निजी चिकित्सीय संस्थानों तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% तक सीटों पर शुल्क निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।
- यह इस अधिनियम के अंतर्गत गठित **निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों के निरीक्षण का कार्य करेगा।**
  - क्रमशः स्नातक तथा परास्नातक स्तर पर मानक तय करने तथा चिकित्सीय शिक्षा का विनियमन करने हेतु **स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड तथा परास्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड का निरीक्षण** करना,
  - चिकित्सीय संस्थानों की निगरानी तथा रेटिंग के लिए **चिकित्सा आकलन तथा रेटिंग बोर्ड का निरीक्षण करना,**
  - पेशेवर आचरण व चिकित्सीय नैतिकता का विनियमन व संवर्धन करने वाले **नैतिकता तथा चिकित्सीय पंजीकरण बोर्ड की निगरानी** करना, तथा
  - साथ ही (a) लाइसेंसधारक आयुर्विज्ञान चिकित्सकों व (b) सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं (CHP) के राष्ट्रीय पंजीयन को बनाए रखना।
- NMC कुछ **निश्चित मध्यम-स्तर के चिकित्सकों को सीमित संख्या में लाइसेंस** प्रदान कर सकता है, जो प्राथमिक तथा निवारक स्वास्थ्य सेवा में निर्दिष्ट औषधि के प्रयोग की सलाह दे सकते हैं।

NMC अधिनियम की अन्य मुख्य विशेषताएं

- **यह अधिनियम एक ऐसी चिकित्सीय शिक्षा प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, जो निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:**
  - उपयुक्त तथा उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सीय पेशेवरों की उपलब्धता,
  - चिकित्सीय पेशेवरों द्वारा नवीनतम आयुर्विज्ञान अनुसंधान को अपनाना,
  - आयुर्विज्ञान संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन करना, तथा
  - शिकायतों के निपटान हेतु प्रभावी तंत्र निर्मित करना।
- इस अधिनियम के अंतर्गत, केंद्र सरकार **आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद** का गठन करेगी। यह एक प्राथमिक मंच होगा, जिसके माध्यम से राज्य / संघ राज्य क्षेत्र NMC के समक्ष अपनी राय तथा चिंताएं प्रस्तुत कर सकते हैं।
- इस अधिनियम के तहत विनियमित सभी चिकित्सा संस्थानों में **स्नातक तथा परास्नातक अति-विशिष्ट चिकित्सीय शिक्षा में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी।**
- प्रैक्टिस हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए चिकित्सा संस्थानों से स्नातक डिग्री प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को **नेशनल एग्जिट टेस्ट** नामक अंतिम वर्षीय स्नातक परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार भी होगी।

NMC के सकारात्मक पहलू

- **पारदर्शिता:** NMC के सदस्यों को पदभार ग्रहण करते तथा पद त्याग करते समय **अपनी संपत्तियों की घोषणा** करनी होगी। साथ ही, उनके द्वारा **हित संघर्ष संबंधी घोषणा-पत्र** भी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य बनाया गया है।
- **कार्य संबंधी स्वायत्ता:** सदस्यों के लिए उनके कार्यकाल के उपरांत **दो वर्ष के कूलिंग ऑफ पीरियड (विराम अवधि)** का प्रावधान किया गया है। आवश्यकता होने पर सरकार इस प्रावधान को समाप्त कर सकती है। जहाँ MCI के सदस्य पुन: नामित या पुन: निर्वाचित हो सकते थे, वहीं NMC के अध्यक्ष तथा अन्य नामित सदस्यों को **पुनर्नियुक्त या पुन: नामित नहीं किया जाएगा।**
- **कार्यों का पृथक्करण:** MCI जिसकी एक एकल संस्था के रूप में **सभी विनियामक कार्यों के सकेंद्रण तथा केंद्रीयकरण हेतु** आलोचना की जाती रही है, उसके विपरीत NMC के अंतर्गत चार स्वायत्त बोर्ड स्थापित किए गए हैं।
- **अपारदर्शी कार्यप्रणाली के संबंध में प्रावधान:** NMC के अंतर्गत चिकित्सीय आकलन तथा रेटिंग बोर्ड सभी चिकित्सीय महाविद्यालयों को रेटिंग प्रदान करेगा, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगी। यह MCI के अंतर्गत अपारदर्शी कार्यों को प्रतिबंधित करेगा।

NMC से संबद्ध चिंताएं

- **निर्वाचित प्रतिनिधियों की कम संख्या:** MCI के 70% निर्वाचित प्रतिनिधियों की तुलना में, NMC में केवल 20% निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- **संघीय ढांचे के विरुद्ध:** MCI का निर्णय **राज्य चिकित्सीय परिषदों पर बाध्यकारी नहीं था,** जबकि NMC का नैतिकता बोर्ड नैतिक मामलों से संबंधित अनुपालन के संबंध में राज्य चिकित्सा परिषदों पर अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है।
- **राज्यों का सीमित प्रतिनिधित्व:** पूर्व में, सभी राज्यों को MCI में प्रतिनिधित्व प्राप्त था, जबकि NMC में **केवल कुछ ही राज्यों को क्रमिक रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा।** आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद में राज्यों को प्राथमिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जबकि ये केवल परामर्शदात्री संस्था के रूप में ही कार्य कर सकती हैं।
- **अत्यधिक कार्यकारी नियंत्रण: MCI अध्यक्ष के विरूद्ध कार्रवाई केवल न्यायालय के निर्देश पर ही की जा सकती है,** जबकि NMC अधिनियम **के तहत केंद्र सरकार को** NMC के **अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्रदान किया गया है।**
- **स्वतंत्र अपीलीय संस्था का अभाव:** आयोग द्वारा लिए गए लगभग सभी निर्णयों में केंद्र सरकार अपीलीय अधिकरण है। साथ ही, केंद्र को **यह भी अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आयोग तथा बोर्ड को नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान कर सके।**
- **बहु-हितधारकों का अभाव:** NMC में दो-तिहाई सदस्य आयुर्विज्ञान चिकित्सक हैं। विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के अनुसार, चिकित्सीय शिक्षा तथा प्रैक्टिस में आयुर्विज्ञान चिकित्सकों के प्रभाव को कम करने के लिए विनियामक प्रक्रिया में और अधिक विविधतापूर्ण हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए।
- **शुल्क विनियमन:** MCI के पास शुल्क को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। हालांकि, अब NMC द्वारा निजी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में 50% सीटों पर शुल्क निर्धारण के लिए "दिशानिर्देश तैयार" किए जा सकते हैं। नीति आयोग की एक समिति (वर्ष 2016) ने यह सुझाव दिया था कि **शुल्क सीमा निजी महाविद्यालयों में प्रवेश को हतोत्साहित करेगी**, जिससे देश में भावी चिकित्सीय शिक्षा का विस्तार भी सीमित होगा।

VISION IAS

निष्कर्ष

उल्लेखनीय है कि MCI भ्रष्टाचार, अपारदर्शी कार्यप्रणाली, हितों के टकराव, चिकित्सीय नैतिकता के अभाव आदि आरोपों का सामना कर रहा था। ऐसे में विभिन्न सीमाओं के बावजूद NMC का गठन एक सराहनीय कदम है। इसके अतिरिक्त, MCI पर्याप्त स्वास्थ्य पेशेवरों को सुनिश्चित करने और चिकित्सीय शिक्षा की लागत को कम करने की अभिकल्पना को साकार करने में विफल रहा था। NMC से अपेक्षा की गयी है कि वह **चिकित्सीय शिक्षा में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करे, प्रक्रियाओं को सरल बनाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दे और लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक व्यापक पहुंच उपलब्ध कराए।**

6.4. टीकाकरण संबंधी दुविधा (Vaccine Hesitancy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, द लैंसेट द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि, **भारत उन देशों में शीर्ष पायदान पर है जहां लोगों का मानना है कि टीकाकरण प्रभावी होता है।** वर्ष 2019 में 84.26 प्रतिशत लोगों ने इस विचार के पक्ष में सहमति जताई थी।

इस सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष

- वर्ष 2015 से 2019 के मध्य **टीकाकरण संबंधी दुविधा (वैक्सीन हेजिटेंसी) की प्रवृत्ति** में कई देशों में **वृद्धि हुई है।**
- **टीकाकरण की प्रभावकारिता के संबंध में अल्बानिया सबसे नीचले स्थान पर है,** जहां केवल 14.2 प्रतिशत लोगों का मानना है कि **टीकाकरण प्रभावी होता** है।
- **टीकाकरण प्रक्रिया में विश्वास:** कई देशों में **टीकाकरण संबंधी विश्वास में कमी** की प्रवृत्ति देखी गई है। इस मामले में अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फिलिपींस तथा दक्षिण कोरिया सबसे आगे हैं।

वैक्सीन हेजिटेंसी (टीकाकरण संबंधी दुविधा) के बारे में

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार, **वैक्सीन हेजिटेंसी** का तात्पर्य "टीके की उपलब्धता के बावजूद टीकाकरण को लेकर अनिच्छा व्यक्त करने अथवा मनाही" से है। आत्म-संतुष्टि, सुविधा तथा विश्वास जैसे कारक इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं।
- जनवरी 2019 में, **WHO ने वैक्सीन हेजिटेंसी को वैश्विक स्वास्थ्य के समक्ष 10 सबसे बड़े खतरों में सम्मिलित किया था।**
- **निहितार्थ:**
  - वैज्ञानिकों द्वारा टीकाकरण के माध्यम से अधिकांश रोगों को समाप्त कर दिए जाने के दशकों बाद कुछ घातक रोगों की पुनर्वापसी हुई है। हाल ही में, कुछ विकसित तथा अनेक विकासशील देशों में खसरा, पर्टुसिस, डिप्थीरिया तथा पोलियो जैसे पुराने रोगों की पुनर्वापसी हुई है, जबकि इनके लिए पहले से ही टीकाकरण की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस प्रकार, ऐसे मामलों के सामने आने से प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के संबंध में वैश्विक निगरानी को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर ध्यान आकर्षित हुआ है।
  - ऐसे में यह चिंता व्यक्त की गयी है कि, इस प्रवृत्ति के जारी रहने पर **कोविड-19 के विरुद्ध टीके की उपलबधता के बावजूद जोखिम बना रहेगा क्योंकि टीके की पूर्ण क्षमता का दोहन नहीं हो पाएगा।**

भारत में वैक्सीन हेजिटेंसी

- यद्यपि, भारत टीके की प्रभावशीलता को लेकर लोगों की सकारात्मक धारणा के संबंध में शीर्ष स्थान पर रहा है, तथापि **वैक्सीन हेजिटेंसीटी भारत में अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है।**
- **कारण:**
  - विद्यालयों में बच्चों को **टीका दिए जाने को लेकर सबसे बड़ी बाधा माता-पिता की सहमति प्राप्त न होना है।**
  - **प्रतिरक्षण/टीकाकरण के बाद होने वाले सामान्य दुष्प्रभावों के बारे में लोग अपने अनुसार अनुमान लगा लेते हैं,** जो गलत सामुदायिक धारणा को आकार प्रदान करता है। प्रतिरक्षण के बाद घटित प्रतिकूल घटनाएं, विशेष रूप से किसी बच्चे की आकस्मिक मृत्यु, टीके की गुणवत्ता व सुरक्षा के बारे में आशंकाओं को जन्म देती है।
  - **सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपर्याप्तता और असमानताओं** के परिणामस्वरूप समुदाय के मध्य टीकाकरण संबंधी विश्वास में कमी आती है।
- देश के कुछ हिस्सों में टीकाकरण के दीर्घ अवधि तक प्रभावी कार्यान्वयन के बाद डिप्थीरिया जैसे रोगों के पुनः उत्पत्ति की घटना को देखते हुए भारत ने वैक्सीन हेजिटेंसी पर एक अध्ययन को प्रारम्भ किया है।
- **धार्मिक संदेहों तथा अफवाहों** से प्रभावित होकर भारत के उत्तरी क्षेत्र (जैसे- उत्तर प्रदेश और बिहार) में चलाए गए **पोलियो अभियान** के दौरान (वर्ष 2014 में पोलियो उन्मूलन के पहले) भी बड़े पैमाने पर विरोध देखे गए थे।

- एक तरफ जहां भारत में खसरा और रूबेला के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं, **वहीं ऐसी खबरें आईं हैं कि माता-पिता द्वारा अपने बच्चों के टीकाकरण पर आपत्ति जताई गई है।**
    - **राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (National Statistical Organisation: NSO) द्वारा हाल ही में प्रकाशित 'भारत में स्वास्थ्य' (हेल्थ इन इंडिया)** नामक एक रिपोर्ट के अनुसार, यद्यपि भारत में लगभग सभी बच्चों को तपेदिक और जन्म के बाद पोलिया का टीका प्रदान किया जाता है, तथापि **पांच में से दो बच्चे (40 प्रतिशत) अपने प्रतिरक्षण कार्यक्रम (immunisation programme) को पूर्ण नहीं कर पाते हैं अर्थात् उन्हें सभी आवश्यक टीके नहीं लग पाते हैं।**

वैक्सीन हेजिटेंसी से निपटने के उपाय

- **उन कारकों का व्यवस्थित मूल्यांकन करना जिनके चलते टीकाकरण प्रभावित होता है:** WHO द्वारा टीकाकरण कार्यक्रमों को समर्थन देने तथा टीकाकरण संबंधी प्रयासों में भाग लेने और अर्ध-टीकाकरण के कारणों पर ध्यान देने तथा समय-समय पर नियमित व तुलनात्मक आंकड़ों पर नजर रखने वाले साधनों/तरीकों को विकसित किया जा रहा है।
    - नवंबर 2018 में, WHO द्वारा अपने प्रमुख साझीदारों के सहयोग से **'टीकाकरण के व्यवहारिक व सामाजिक वाहक के मापन'** (Measuring Behavioural and Social Drivers of Vaccination: BeSD) नामक एक वैश्विक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। BeSD द्वारा इन साधनों के विकास की निगरानी की जा रही है। यह अपेक्षा की गयी है कि वर्ष 2020 के अंत तक इन उपायों/साधनों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाएगा।
- **टीकाकरण के प्रति लोगों में सतत रूप से विश्वास सृजित करना:** अधिकांश मामलों में, वार्ता आधारित हस्तक्षेप किया जाना चाहिए और अर्ध-टीकाकरण वाले एक विशेष समूह पर इन हस्तक्षेपों के लिए ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
    - स्वास्थ्य कर्मियों, देखभाल करने वालों/माता-पिता तथा उनके परिवारों एवं समुदायों के साथ **सहयोगात्मक रूप से जुड़कर** बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं, प्रणालियों, नीतियों और संचार रणनीतियों को विकसित किया जा सकता है। इससे वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।
    - समुदायों को भी प्रतिरक्षण तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, पहुंच तथा समानता में सुधार के लिए प्रक्रियाओं के केंद्र में रहने की आवश्यकता है।
- **भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टीके को लेकर **भ्रामक** सूचना प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में टीके के संबंध में गलत सूचना के "वितरण में कमी" संबंधी फेसबुक की प्रतिबद्धता टीकों का प्रतिकार करने वालों के विरूद्ध उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

संबंधित तथ्य - 'भारत में स्वास्थ्य' (हेल्थ इन इंडिया) रिपोर्ट

- राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी की गई यह रिपोर्ट स्वास्थ्य से संबंधित पारिवारिक सामाजिक उपभोग (household social consumption) पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (जुलाई 2017-जून 2018) के 75वें दौर पर आधारित है।
- इस **सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य** स्वास्थ्य क्षेत्रक से संबंधित मात्रात्मक सूचना एकत्रित करना था, जैसे- रुग्णता, रोगों की प्रकृति, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में सरकारी और निजी सुविधाओं की भूमिका, मातृत्व और प्रसव के दौरान चिकित्सालयों में भर्ती होने पर किया जाने वाला व्यय, वृद्ध जनों की स्थिति, इत्यादि।
- **इस सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष:**
    - **रोगों की प्रकृति:** चिकित्सालय में भर्ती होने वाले लोगों में लगभग 31% मामले संक्रामक रोगों से संबंधित हैं, जिसके बाद चोट (लगभग 11%), हृदय संबंधी विकार (लगभग 10%) तथा गैस संबंधी विकार (लगभग 9 %) रोगों का स्थान है।
    - **स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाली जनसंख्या:** ग्रामीण जनसंख्या के लगभग 14% तथा शहरी जनसंख्या के लगभग 19% लोगों के पास स्वास्थ्य व्यय कवरेज उपलब्ध था।
    - **चिकित्सालयों में भर्ती के दौरान होने के दौरान होने वाले व्यय के स्रोत:** ग्रामीण परिवारों द्वारा चिकित्सालयों में भर्ती के दौरान होने वाले वित्तीय व्यय को मुख्य रूप से अपनी 'पारिवारिक आय/बचत' (80%) तथा ऋण (13%) के माध्यम से पूरा किया जाता है। जबकि यह आंकड़ा शहरी परिवारों में क्रमशः 84% तथा 9% के करीब है।

VISION IAS

- **संस्थागत प्रसव:** ग्रामीण क्षेत्रों में, संस्थागत प्रसव (सरकारी/निजी चिकित्सालयों में) के माध्यम से लगभग 90% बच्चों का जन्म होता है, जबकि यह आंकड़ा शहरी क्षेत्रों में लगभग 96% है।
- **प्रसव-पूर्व तथा प्रसव-उपरांत देखभाल:** 15-49 वर्ष के आयु समूह की महिलाओं में, लगभग 97% महिलाओं को प्रसव-पूर्व देखभाल प्राप्त हुई है और महिलाओं को प्रसव-उपरांत प्राप्त होने वाली देखभाल का आकड़ा 88% है।
- **वृद्ध व्यक्तियों (60 वर्ष और अधिक) का आर्थिक स्वावलंबन:** ग्रामीण भारत में, लगभग 28% वृद्ध व्यक्ति तथा शहरी भारत में 33% वृद्ध व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वावलंबी हैं।
- **0-5 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का टीकाकरण:**
  - देश भर में लगभग 97% बच्चों को कम से कम एक टीका अवश्य लगाया जाता है - जिनमें अधिकांशत: BCG तथा/ या जन्म के समय OPV की पहली खुराक शामिल है।
  - मणिपुर (75%), आंध्र प्रदेश (73.6%) तथा मिजोरम (73.4%) में पूर्ण टीकाकरण की दर सबसे अधिक है।
  - नागालैंड में केवल 12% बच्चों को ही सभी प्रकार के टीके लगाएं गए हैं, उसके बाद पुडुचेरी (34%) तथा त्रिपुरा (39.6%) का स्थान है।

6.5. महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020 {Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, "महामारी अधिनियम, 1897" (Epidemic Diseases Act, 1897) में संशोधन करने हेतु 'महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020' को संसद द्वारा पारित किया गया है। इस विधेयक के पारित होने से **महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश** {Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance} का प्रभाव अब समाप्त हो गया है, जिसे अप्रैल 2020 में प्रख्यापित किया गया था।

इन संशोधनों की मुख्य विशेषताएं

- इस विधेयक (अब अधिनियम) के माध्यम से **स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों** को सुरक्षा प्रदान की गयी है। ज्ञातव्य है कि उन्हें महामारी से संबंधित अपने कर्त्तव्यों के पालन के दौरान महामारी रोग के संपर्क में आने का जोखिम बना हुआ है।
  - इनमें चिकित्सक, नर्स, तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति सम्मिलत हैं, तथा ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें रोग नियंत्रण संबंधी उपाय के अनुपालन हेतु अधिनियम के तहत शक्ति प्रदान की गई हो।
- यह किसी **स्वास्थ्य देखभाल कर्मी के विरुद्ध किए जाने वाले "हिंसक कृत्य" (act of violence) को परिभाषित करता है,** जिसमें उत्पीड़न, क्षति, चोट, पीड़ा या जीवन को खतरा, कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना, **संपत्ति या दस्तावेज को नुकसान** पहुँचाना आदि सम्मिलित हैं।
- हिंसक कृत्य या संपत्ति को नुकसान/क्षति पहुँचाने वाले कार्यों को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है तथा इसके लिए तीन माह से लेकर पांच माह की सजा और 50,000 रुपये से लेकर दो लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- यदि, हिंसक कृत्य से गंभीर क्षति पहुँचती है, तो इसके लिए **छह महीने से लेकर सात वर्ष तक की सजा** तथा एक लाख रूपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  - **ऐसे अपराधों को संज्ञेय (cognizable) और गैर-जमानती (non-bailable) माना गया है।**
- अपराधों के दोषी व्यक्तियों को उस स्वास्थ्य देखभाल कर्मी को **मुआवजा देना होगा,** जिसे उन्होंने नुकसान पहुंचाया है।
- **यह निरीक्षण और विनियमन के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार** किसी भी लैंड पोर्ट (भू-बंदरगाह), पत्तन या हवाई अड्डे से प्रस्थान कर रहे या वहां पहुंचने वाले बस, ट्रेन, मालवाहक जहाज, पोत, या विमान तक करता है। इससे पहले, यह केवल किसी बंदरगाह/पत्तन से प्रस्थान कर रहे या वहां पहुंचने वाले जहाज के निरीक्षण पर ही लागू था।

महामारी अधिनियम, 1897

- **यह अधिनियम** 1890 के दशक में **बॉम्बे में आए बुबोनिक प्लेग के प्रकोप के दौरान प्रभावी हुआ था।**
- यह भारत का एकमात्र कानून है जिसका ऐतिहासिक रूप से उपयोग हैजा तथा मलेरिया सहित **विभिन्न रोगों के प्रसार को रोकने की रूपरेखा के रूप में किया गया है।**
- यह अधिनियम **केंद्र तथा राज्य सरकारों** को ऐसे "असाधारण उपायों तथा विनियमों को निर्धारित करने" की शक्ति प्रदान करता है, जिन्हें

महामारी के प्रसार को रोकने लिए आवश्यक समझा जाता है तथा नागरिकों के लिए इनका अनुपालन करना अनिवार्य है।

- इस अधिनियम की धारा 2 यह निर्दिष्ट करती है कि यात्रा कर रहे व्यक्तियों की निगरानी के लिए **राज्य सरकारें विभिन्न उपायों तथा नियमों को निर्धारित कर सकती हैं।**

- इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों या आदेशों के **उल्लंघन** पर भी **दंड** की व्यवस्था की गई है।
- हालांकि, यह "खतरनाक", "संक्रामक" या "संक्रामक रोगों", या किसी "महामारी" की **व्याख्या नहीं करता है।**
- राज्यों द्वारा इस अधिनियम को कोविड-19 महामारी के दौरान **लॉकडाउन लगाने के लिए कार्यान्वित किया गया** था।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (Data Empowerment and Protection Architecture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग** ने 'डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर' के मसौदे पर सुझावों और टिप्पणियों को आमंत्रित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस नीतिगत मसौदे में नीति आयोग के साथ बैंकिंग, प्रतिभूति, बीमा और पेंशन क्षेत्र के **चार नियामक,** अर्थात् - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India: SEBI), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority: IRDAI), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority: PFRDA) – और **वित्त मंत्रालय** शामिल हैं, जो मिलकर इस मॉडल को कार्यान्वित करेंगे।
- इस नीति को वर्ष 2020 के अंत तक जारी करने की परिकल्पना की गई है तथा इस रिपोर्ट को **iSPIRT** द्वारा तैयार किया गया है, जो एक गैर-लाभकारी थिंक टैंक है।

भारत में डाटा सुरक्षा के लिए वर्तमान प्रारूप क्या है?

- **सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा व्यवहार और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011** {Information Technology (Reasonable Security Practices and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011} द्वारा निजता कानूनों के संबंधित सामान्य मामलों को विनियमित किया जाता है।
- **आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016** {Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016} और **आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम, 2016** {Aadhaar (Data Security) Regulations, 2016} द्वारा सरकारी डेटा के संग्रह कार्य को विनियमित किया जाता है।
- **बैंकिग सेक्टर से जुड़े डेटा को** प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 {Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005}; क्रेडिट इनफॉरमेशन कंपनी रेगुलेशन्स, 2006; भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्कुलर जिसमें "अपने ग्राहक को जानें" (Know Your Customer: KYC) सर्कुलर; क्रेडिट कार्ड पर मास्टर सर्कुलर; तथा ग्राहक सेवाएं (Customer Services) और ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता, के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।
- **स्वास्थ्य-सेवा क्षेत्र** से संबंधित डेटा को **नैदानिक स्थापना (केंद्र सरकार) नियम, 2012** {Clinical Establishments (Central Government) Rules, 2012} और **भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यवसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002** {Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002} द्वारा विनियमित किया जाता है।

डेटा सुरक्षा प्रशासन के संबंध में संभावित सुधार के भाग के रूप में, **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 (Personal Data Protection Bill, 2019)** (वर्तमान में इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया है), **गैर-व्यक्तिगत डेटा शासन ढांचा (Non-Personal Data Governance Framework)** और **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (National Digital Health Mission)** की भी परिकल्पना की गई है।

डेटा सुरक्षा को डेटा सशक्तीकरण के साथ क्यों जोड़ा जाना चाहिए?

- **यह वित्तीय बहिष्करण को कम करेगा:** बड़ी संख्या में भारत की ग्रामीण और शहरी निर्धन जनसंख्या को अपने व्यक्तिगत उपयोग तथा अपने उद्यम के लिए पर्याप्त वित्तीय उत्पादों को प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे डेटा तक उनकी पहुँच बहुत कम है। आंशिक रूप से इसका कारण भरोसे का अभाव और डेटा की विषमता या उनका बिखरा हुआ होना है। उदाहरणस्वरूप, यदि डेटा चालित वित्तीय उत्पादों को अच्छी तरह से तैयार किया जाए तो उससे लोगों को निर्धनता के जाल से बाहर निकालने तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी।
- **बृहत स्तर पर उभर रहे डेटा का उपयोग:** आधार और UPI जैसे

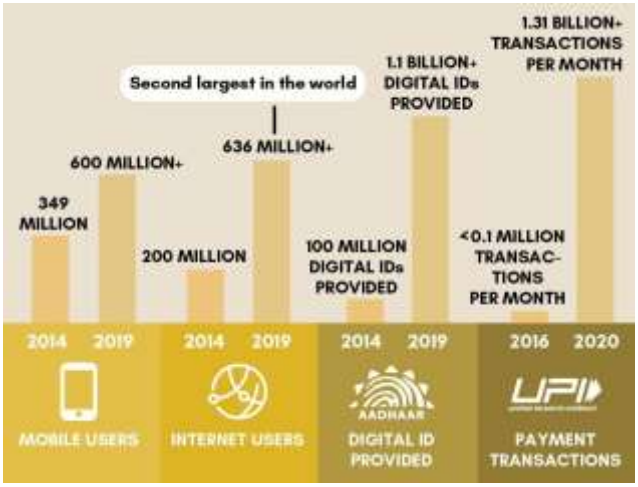

VISION IAS

प्लेटफॉर्मों के साथ-साथ मोबाइल कनेक्टिविटी, दूरसंचार-घनत्व और इंटरनेट उपयोग में वृद्धि होने से बड़ी मात्रा में डेटा सृजित किया जा रहा है। यदि इस डाटा को समुचित रूप से उपयोग किया जाता है तो यह ऐसी सूचनाओं को सृजित कर सकता है, जो नीति-निर्माताओं, उद्योगों और उद्यमियों के लिए बहुत उपयोगी होगा।

- **डेटा को साइलो या कोष्ठागार में पड़े रहने से बचाना:** वर्तमान अभिरक्षक-केंद्रित डेटा संरक्षण प्रशासन विश्वसनीय लोगों से डेटा शेयर करने को प्रेरित नहीं करता, जिसके परिणास्वरूप नए डेटा अपने साइलो या कोष्ठागार तक ही सीमित रह जाते हैं। यह दृष्टिकोण बढ़े हुए डिजिटलीकरण और डेटा संरक्षण संस्थाओं के उद्भव द्वारा सृजित आर्थिक संभावना में अवरोध उत्पन्न करता है।

डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (DEPA) के मसौदे की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

DEPA परिकल्पित करता है कि व्यक्तियों का इस बात पर नियंत्रण होना चाहिए कि उनके व्यक्तिगत डेटा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और उसे साझा कैसे किया जाता है, तथा उनके व्यक्तिगत डेटा के लिए एक ऐसी एजेंसी हो जो नए अवसरों के लिए उन्हें सशक्त कर सके।

- **DEPA, इंडिया स्टैक की अंतिम परत के रूप में कार्य करेगा:** इसका लक्ष्य सहमति के माध्यम से सुरक्षित डिजिटल डेटा शेयरिंग की एक परत के रूप में कार्य करना है। इस प्रकार यह इंडिया स्टैक को अंतिम परत प्रदान करता है। {पहचान परत (Identity layer) और भुगतान परत (Payments layer) से अधिक और ऊपर}
    - **इंडिया स्टैक** ट्रेडमार्क युक्त सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) की शक्ति वाला आधार आधारित (Aadhaar-based) एप्लीकेशन और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) आधारित डिजिटल लेन-देन का निजी स्वामित्व वाला एक बुके है। यह निजी सेवाओं को प्रदान करने के लिए सरकार और व्यवसायों को भारत की डिजिटल अवसंरचना के प्रयोग की अनुमति प्रदान करता है।

डेटा सशक्तीकरण वह प्रक्रिया है जहां लोग स्वयं या बिचौलियों की मदद से अपने और अपने समाज की भलाई को प्रोत्साहित करने के लिए अपने डेटा पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं या नियंत्रण प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि लोग-

- **उनके डेटा का कैसे उपयोग होता है, इसको लेकर जागरुक रहें।**
- **निजता का अधिकार** उनके पास हो और वे इसका प्रयोग करने में सक्षम हों।
- अपनी रुचि के प्रमुख मुद्दों के बारे में **डेटा के प्रकटीकरण की मांग** करने में सक्षम हों, तथा इसका उपयोग **संस्थानों को उत्तरदायी बनाने** के लिए करें।
- उनके पास **डेटा के सृजन और उत्पादन का अधिकार** हो, और **सामान्य भलाई के लिए इसका प्रयोग करें।**

संगठन-केंद्रित प्रणाली से व्यक्ति-केंद्रित प्रणाली: DEPA नीति का लक्ष्य इस विचारधारा पर कार्य करना है कि **व्यक्ति अपने व्यक्तिगत डेटा के उचित उपयोग को लेकर स्वयं सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होते हैं।** इस दिशा में वे सहमति-आधारित डेटा साझाकरण तंत्र को सृजित करते हैं। उदाहरणस्वरूप, एक बैंक को व्यक्तियों के डेटा को क्रेडिट कंपनी या टैक्स/GST प्लेटफॉर्म के साथ साझा करने के लिए उनकी सहमति की आवश्यकता होती है।

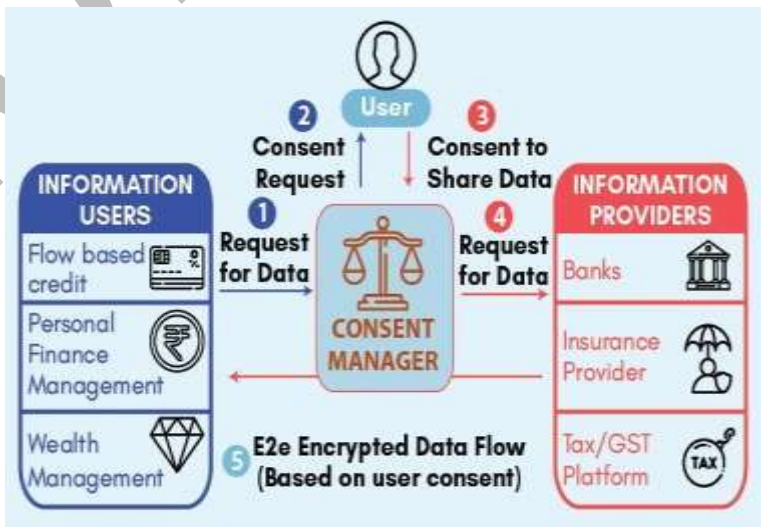

- यह व्यवसायों को व्यक्तियों के निजी डेटा के उपयोग की अनुमति प्रदान करता है ताकि वे इससे मूल्य को प्राप्त कर सकें, जो समय आने पर ऋण या बीमा के रूप में व्यक्तियों को लाभ प्रदान कर सकता है।

- **सहमति प्रबंधक (Consent Managers):** निजी डेटा का एक आर्थिक वस्तु के रूप में व्यवहार किए जाने को ध्यान में रख कर यह नीति संस्थाओं के एक नए वर्ग का सृजन करने का समर्थन करती है जिन्हें सहमति प्रबंधक कहा जाएगा। ये प्रबंधक व्यक्तियों (डेटा प्रिंसिपल), संस्थाओं (जो व्यक्तिगत डेटा को रखती हैं अर्थात् डेटा फिडूशियरी) तथा व्यवसायों (जो उन निजी डेटा तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं) के मध्य पाइपलाइन की तरह कार्य करेंगे।
    - वित्तीय क्षेत्र के इन सहमति प्रबंधकों को अकाउंट एग्रीगेटर्स के रूप में जाना जाएगा। इन भागीदारों का एक गैर-लाभकारी समूह या गठबंधन सृजित किया जाएगा, जिसे **डिजिसहमति फाउंडेशन ('सहमति')** कहा जाएगा।

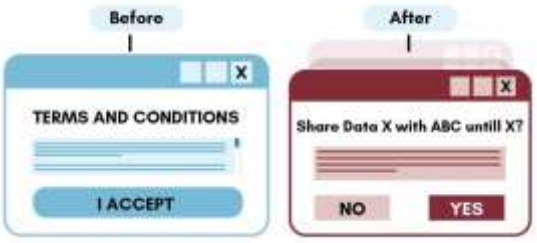

VISION IAS

- **तकनीकी बनावट (Technological Architecture):** यह डेटा साझाकरण के लिए अंतरसक्रिय, सुरक्षित और निजता को संरक्षित रखने वाले फ्रेमवर्क को सृजित करता है। निम्नलिखित के माध्यम से ऐसा किया जाता है -
    - **द कन्सेन्ट आर्टिफैक्ट (The Consent Artefact):** यह प्रोग्राम योग्य सहमति के लिए एक तकनीकी मानक है जो सभी प्रकार के अनुमति देने वाले नियम और शर्तों को हटाता है।
    - **डेटा साझा करने के लिए ओपन API** और अधिक स्पष्ट **वित्तीय सूचना मानकों (Financial Information Standards)** को सृजित कर।

7.2. वैकल्पिक चिकित्सा (Alternative Medicines)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संसद ने वैकल्पिक चिकित्सा से संबंधित तीन अधिनियम पारित किए हैं।** ये हैं- **राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020** {National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) Act, 2020}, **राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020** {National Commission for Homoeopathy (NCH) Act, 2020} तथा **आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020** {Institute of Teaching and Research in Ayurveda (ITRA) Act, 2020}।

भारत में वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली

- वैकल्पिक चिकित्सा **एक ऐसी प्रणाली है जिसका लक्ष्य चिकित्सा के उपचारात्मक प्रभाव को प्राप्त करना है।** हालांकि, इस प्रणाली में जीव-विज्ञान संबंधी साक्ष्यों का अभाव होता है और उसका परीक्षण नहीं हुआ होता है, या वह गैर-परीक्षण योग्य होता है या अप्रभावी सिद्ध होता है। इसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे- पारंपरिक चिकित्सा, पूरक चिकित्सा (Complementary Medicine: CM), एकीकृत चिकित्सा या संपूर्ण चिकित्सा आदि। भारत में इसे **भारतीय चिकित्सा पद्धति** (Indian System of Medicine: ISM) के नाम से जाना जाता है।
- ISM, चिकित्सा की वह पद्धति है जो **भारतीय मूल** की मानी जाती है अथवा **जो भारत में बाहर से आई और भारतीय संस्कृति में आत्मसात कर ली गई है।** ISM में मुख्य रूप से **आयुष चिकित्सा** (आयुर्वेद, यूनानी, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध और होमियोपैथी) सम्मिलित है, जो भारत में तेजी से लोगों को आकर्षित कर रही है और लोकप्रियता प्राप्त कर रही है।
- ये प्रणालियां एक **निश्चित चिकित्सा दर्शन पर आधारित** हैं तथा रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य के प्रोत्साहन पर स्थापित अवधारणाओं के साथ स्वस्थ जीवन के एक मार्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्वास्थ्य, रोग और उपचार पर इन प्रणालियों का आधारभूत दृष्टिकोण समग्रतापूर्ण होता है।
- **आयुर्वेद, होमियोपैथी, सिद्ध और यूनानी के सिद्धांतों तथा अभ्यासों को समझने को लेकर काफी उत्सुकता है।** इसका कारण विशेषरूप से गैर-संचारी रोगों (Non Communicable Diseases: NCDs), जीवन शैली के विकार, दीर्घकालिक रोग, बहु-औषधि प्रतिरोधक रोग, नए रोगों की उत्पत्ति आदि की चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ती चुनौती है।
- वर्ष 2014 में **आयुष (आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध तथा होमियोपैथी) मंत्रालय** की स्थापना की गयी थी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य-सेवा की आयुष पद्धतियों का अधिकतम विकास और प्रसार करना है।
- वर्तमान में, भारत में आठ लाख पंजीकृत आयुष चिकित्सक हैं। इनमें से 56% आयुर्वेद, 6.4% यूनानी तथा 1.4% सिद्ध और नेचुरोपैथी से संबंधित हैं। लेकिन, यहां कई चुनौतियां है जो भारत के मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल के साथ आयुष के सफल एकीकरण को रोकती हैं।

भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- आयुष क्षेत्रक को प्रोत्साहित और सुदृढ़ करने तथा आयुष को मुख्य-धारा में लाने की रणनीति के रूप में **राष्ट्रीय आयुष मिशन** (केंद्र प्रायोजित योजना), **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** और **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017** कार्यान्वित की गई है। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं।
- **संपूर्ण विश्व में आयुष पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए** आयुष मंत्रालय ने अलग-अलग देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा और होमियोपैथी के क्षेत्र में सहयोग, सहयोगात्मक शोध / अकादमिक सहयोग तथा विदेशी विश्वविद्यालयों में आयुष अकादमिक विभागों की स्थापना करना है।
- **आयुष्मान भारत के अंतर्गत,** देश के जरूरतमंद लोगों को व्यापक स्वास्थ देखभाल प्रदान करने के लिए 10% उप-केंद्रों को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (Health and Wellness Centres: HWCs) के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय द्वारा इनका विकास किया जाना है।

VISION IAS

वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली से संबंधित मुद्दे

- इस चिकित्सा प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके अंतिम प्रयोगकर्ताओं के मध्य में इसकी वैज्ञानिक विश्वसनीयता को लेकर संदेह व्याप्त है।
    - हाल ही में, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में स्वास्थ्य से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गयी थी, जो यह दर्शाती है कि सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में एलोपैथी चिकित्सा के प्रति उच्च प्राथमिकता दिखाई देती है (लगभग 95%)।
- **औषधियों की गुणवत्ता का मुद्दा:** कई आयुर्वेदिक औषधियों में सीसा, पारा और आर्सेनिक पाए गए हैं जो मनुष्यों के लिए हानिकारक माने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में विनिर्मित तथा पेटेंट युक्त आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में वर्ष 2008 के एक अध्ययन से यह पता चलता है कि इंटरनेट के माध्यम से बेची गईं लगभग 21% आयुर्वेदिक औषधियों में भारी धातुओं के विषाक्त स्तर पाए गए थे।
- **इस क्षेत्र में अनुसंधान की गुणवत्ता** भी निम्न स्तर की रही है। अनेक औषधियों को बिना किसी ठोस औषधीय अध्ययन और अर्थपूर्ण क्लिनिकल ट्रायल के लॉन्च किया गया है।
- **नैतिक चिंताएं:** ग्राम स्तर पर क्रियान्वित की जाने वाली आयुष चिकित्सा से संबंधित विभिन्न योजानाओं के बारे में नैतिक चिंताएं व्यक्त की गयी हैं। क्योंकि, ये योजनाएं ग्रामीण जनता को तेजी से आयुष आधारित स्वास्थ्य-सेवाओं को अपनाने के लिए विवश करती हैं, जबकि इनसे जुड़े अनेक चिकित्सकों द्वारा अक्षम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
    - आलोचकों का मत है कि आयुष्मान भारत के कारण सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का तीव्र गति से निजीकरण हुआ है। इसके अतिरिक्त, इसने ग्रामीण जनता को वैकल्पिक चिकित्सा चुनने के लिए विवश किया है, जिससे नैतिकता संबंधी चिंताएं बढ़ी हैं।

7.2.1. राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 {National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) Act, 2020}

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- इस अधिनियम के पारित होने से **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (Indian Medicine Central Council Act, 1970)** अब समाप्त हो गया है। यह अधिनियम एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करता है, जिसके द्वारा निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जाएगा:
    - भारतीय चिकित्सा पद्धति में पर्याप्त और उच्च-गुणवत्ता वाले चिकित्सकीय पेशेवरों की उपलब्धता,
    - चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सकीय शोध को अपनाना,
    - चिकित्सा संस्थानों का समय-समय पर मूल्यांकन और एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र।
- यह अधिनियम **राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग** (National Commission for Indian System of Medicine: NCISM) और **राज्य चिकित्सा परिषदों** (State Medical Councils) के गठन का प्रावधान करता है। NCISM के पास निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे:
    - भारतीय चिकित्सा पद्धति के **चिकित्सकीय पेशवरों और संस्थाओं के विनियमन के लिए नीतियां तैयार करना।**
    - स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में आवश्यक **मानव संसाधन और अवसंरचना को उपलब्ध कराना।**
    - यह **सुनिश्चित करना कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के राज्य चिकित्सा परिषद** इस अधिनियम द्वारा निर्धारित **नियमों का पालन करें।**
    - यह **सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित स्वायत्त बोर्ड्स** एक-दूसरे के साथ **समन्वय में कार्य करें।**
- **स्वायत्त बोर्ड्स:** यह अधिनियम NCISM की देखरेख में कुछ स्वायत्त बोर्ड्स स्थापित करता है। ये हैं-
    - आयुर्वेद बोर्ड तथा यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड,
    - भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, तथा
    - नैतिकता एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड)।
- **भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए सलाहकार परिषद:** इसे केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाएगा। यह प्राथमिक मंच होगा जिसके माध्यम से राज्य / संघ राज्य क्षेत्र अपने विचारों और चिंताओं को 'NCISM' के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, यह परिषद चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने और बनाए रखने के उपायों पर NCISM को सलाह भी देगी।
- **प्रवेश परीक्षा:** इस अधिनियम द्वारा विनियमित सभी चिकित्सा संस्थानों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के प्रत्येक विषय की स्नातक शिक्षा में प्रवेश के लिए एक समान **राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (National Eligibility-cum-Entrance Test)** का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु चिकित्सा संस्थानों से स्नातक करने वाले छात्रों के लिए **अंतिम वर्ष में एक कॉमन नेशनल एक्ज़िट टेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा।** इसके अतिरिक्त, सभी चिकित्सा संस्थानों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के प्रत्येक विषय के स्नातकोत्तर कोर्स में प्रवेश के लिए एक समान **स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा** आयोजित की जाएगी।

VISION IAS

- साथ ही, जो छात्र **शिक्षण को एक पेशे** के रूप में अपनाने के इच्छुक हैं, ऐसे स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक **राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा** का आयोजन भी किया जाएगा।

7.2.2. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 {The National Commission for Homoeopathy (NCH) Act, 2020}

प्रमुख प्रावधान

- इस अधिनियम के पारित होने से **होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (Homoeopathy Central Council Act, 1973)** अब समाप्त हो गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य एक ऐसी चिकित्सीय शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना है जो उच्च योग्यता और दक्षता वाले होम्योपैथी चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करती हो।
- यह अधिनियम **राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) और राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषदों** के गठन का प्रावधान करता है।
- **NCH के कार्य:** इसके कार्य NCISM के समान, लेकिन होम्योपैथी से संबंधित हैं।
- **स्वायत्त बोर्ड:** इस अधिनियम में NCH की निगरानी में कुछ स्वायत्त बोर्डों के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:
  - होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड,
  - होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, तथा
  - होम्योपैथी एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड।
- यह अधिनियम एक **होम्योपैथी सलाहकार परिषद** के गठन का प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लिए प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन तथा प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस का प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम **राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (National Teachers' Eligibility Test)** के आयोजन का प्रावधान करता है।
- **पेशेवर एवं नैतिक दुराचार के प्रकरणों में अपील:** इस अधिनियम के तहत राज्य चिकित्सा परिषद और होम्योपैथी एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड को चिकित्सकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तथा मौद्रिक दंड आरोपित करने संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। बोर्ड के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में चिकित्सक, बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग में अपील कर सकते हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के निर्णय के विरुद्ध केंद्र सरकार के पास अपील की जा सकती है।

7.2.3. आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 {The Institute of Teaching And Research In Ayurveda (ITRA) Act, 2020}

प्रमुख प्रावधान

- इसका उद्देश्य तीन आयुर्वेद संस्थानों का विलय कर एकल संस्थान की स्थापना करना है, जिसका नाम आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ITRA) होगा। इस प्रस्तावित संस्थान को **गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर** के परिसर में ही स्थापित किया जाएगा और यह राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में से एक होगा।
  - ITRA में अग्रलिखित संस्थानों का विलय किया जाएगा- (i) आयुर्वेद स्नातकोतर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर; (ii) श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर; एवं, (iii) भारतीय आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान संस्थान, जामनगर।
- **इस संस्थान के उद्देश्य:**
  - आयुर्वेद और औषधि विज्ञान से संबंधित चिकित्सीय शिक्षा के क्षेत्र में **शिक्षण की पद्धति विकसित करना,**
  - आयुर्वेद की सभी शाखाओं में **कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए सभी शैक्षणिक सुविधाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना,**
  - आयुर्वेद में विशेषज्ञों और चिकित्सीय शिक्षकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा में **आत्मनिर्भरता प्राप्त करना,** और
  - **आयुर्वेद में गहन अध्ययन एवं अनुसंधान** को बढ़ावा देना।
- **ITRA की संरचना:** आयुष मंत्री; केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के महानिदेशक; शिक्षा, उद्योग तथा अनुसंधान के क्षेत्र में निपुणता रखने वाले आयुर्वेद के तीन विशेषज्ञों; एवं तीन सांसदों सहित इसमें कुल 15 सदस्य शामिल होंगे।
- **इस संस्थान के कार्य:**
  - आयुर्वेद (औषधि विज्ञान समेत) में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करना,
  - **कोर्स और पाठ्यक्रम निर्धारित करना** एवं आयुर्वेद और औषधि विज्ञान की शिक्षा में **डिग्री, डिप्लोमा** एवं अन्य विशिष्टता तथा उपाधियां प्रदान करना,

VISION IAS

- आयुर्वेद की विभिन्न शाखाओं में **अनुसंधान के लिए सुविधा प्रदान करना,**
- सहायक कर्मियों, जैसे- नर्सों और फार्मासिस्ट के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित महाविद्यालयों एवं अस्पतालों का अनुरक्षण करना।

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (Institute of National Importance: INI)

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) के अनुसार, **INI** एक ऐसा दर्जा है जिसे विशेषकर भारत के उन अग्रणी सरकारी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को प्रदान किया जाता है, जो देश/राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में उच्च स्तर के कौशल में निपुण कर्मियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।
- यह दर्जा भारत की संसद के अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
- अब तक, संसद द्वारा 159 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया जा चूका है। इनमें IITs, एम्स (AIIMSs), IIMs, NITs, IIITs, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NIDs) आदि सम्मिलित हैं।
- **ITRA, आयुष क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान होगा।** यह दर्जा इसे पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने और शिक्षण कौशल की दिशा में स्वतंत्र व नवाचारी बनने में सहायता करेगा।

निष्कर्ष

मुख्यधारा की चिकित्सा प्रणाली में आयुष के वास्तविक एकीकरण हेतु ठोस रणनीति की आवश्यकता है ताकि आधुनिक और पारंपरिक पद्धतियों के बीच समान रूप से सार्थक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इससे आयुष के सहायक दर्जे को समाप्त करने तथा इसको मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में वैधानिक रूप से सम्मिलित करने में सहायता मिलेगी।

7.3. सहायक प्रजनन तकनीक (Assisted Reproductive Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सहायक प्रजनन तकनीक (नियमन) विधेयक, 2020 {Assisted Reproductive Technology (ART) (Regulation) Bill, 2020} को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस विधेयक का उद्देश्य तेजी से बढ़ रहे फर्टिलिटी इंडस्ट्री (प्रजनन से संबंधित उद्योग) के लिए प्रोटोकॉल्स का मानकीकरण करना और देश में ART सेवाओं के विनियमन को सुदृढ़ बनाना है।
- यह महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रस्तावित तीसरा विधेयक है। इससे पहले संसद में दो विधेयक, यथा- सरोगेसी विनियमन विधेयक, 2019 और चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किए जा चुके हैं।

इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **सहायक प्रजनन तकनीक (ART):** इस विधेयक में ART की परिभाषा के तहत उन सभी तकनीकों को सम्मिलित किया गया है, जिसका प्रयोग मानव शरीर के बाहर शुक्राणु या अंडाणु के प्रबंधन में किया जाता है और महिला के जनन तंत्र में युग्मक या भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाता है। ART सेवाओं के उदाहरण हैं- युग्मक (शुक्राणु या अंडाणु) दान, इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (प्रयोगशाला में अंडाणु को निषेचित करना), और जेस्टेशनल सेरोगेसी (इस प्रक्रिया में माता-पिता के शुक्राणु एवं अंडाणु से भ्रूण तैयार किया जाता है और फिर उसे सरोगेट मदर के गर्भाश्य में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है)। इस विधेयक के अनुसार, ART सेवाओं को निम्नलिखित माध्यमों से प्रदान किया जाएगा:
  - **ART क्लिनिक**, जहां ART से संबंधित उपचार और प्रक्रिया उपलब्ध होते हैं, और
  - **ART बैंक**, जहां युग्मक के भंडारण/संग्रहण और उसकी आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है।
- **ART क्लिनिकों और ART बैंकों का विनियमन: नेशनल रजिस्ट्री ऑफ़ बैंक्स एंड क्लिनिक्स ऑफ़ इंडिया** के तहत प्रत्येक ART क्लिनिक और बैंक के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया गया है।
- **युग्मक दान करने और उसकी आपूर्ति करने एवं ART सेवाओं** से संबंधित शर्तें भी निर्धारित की गई हैं।
- **ART के माध्यम से जन्मे बच्चों के अधिकार:** ART के माध्यम से जन्मे बच्चे को उस दंपति की जैविक संतान माना जाएगा जो उसे अपनाएंगे और उस बच्चे को भी, दंपति की जैविक संतान के समान सारे अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होंगी। दान करने वाले व्यक्ति का बच्चे पर कोई अभिभावकीय अधिकार नहीं होगा।

- **राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड:** इस विधेयक में सरोगेसी के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड और राज्य बोर्डों के गठन का प्रावधान किया गया है, जो ART सेवाओं को विनियमित करेंगे। राष्ट्रीय बोर्ड की अनुशंसाओं, नीतियों एवं विनियमों के अनुसार, राज्य बोर्ड ART के लिए नीतियों एवं दिशा-निर्देशों को लागू करने में समन्वय प्रदान करेंगे।
- **अपराध और दंड:** इस विधेयक में अनेक अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। उन अपराधों में सम्मिलित हैं- (i) ART के माध्यम से जन्मे बच्चे का परित्याग या शोषण, (ii) मानवीय भ्रूण या युग्मक की बिक्री, खरीद, व्यापार या आयात, (iii) दान के लिए मध्यस्थ व्यक्ति का प्रयोग, (iv) बच्चे को अपनाने वाली दंपति, महिला या युग्मक दाता का किसी भी प्रकार से शोषण, और (v) मानवीय भ्रूण को किसी पुरुष या जानवर में प्रत्यारोपित करना।

इस विधेयक की आवश्यकता क्यों?

- **ART की उच्च मांग और वृद्धि:** भारत उन देशों में सम्मिलित है जहां ART केंद्रों और प्रत्येक वर्ष होने वाले ART चक्रों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है।
    - अर्न्स्ट एंड यंग नामक एक कंपनी द्वारा वर्ष 2015 में एक अध्ययन किया गया था। इसके अनुसार, जनन आयु वर्ग वाले करीब 2.75 करोड़ दंपति बांझपन से ग्रसित हैं और करीब 1 प्रतिशत ही (लगभग 2,70,000 बांझ दंपति) इसके उपचार हेतु इच्छुक हैं। जो लोग बांझपन का उपचार कराना चाहते हैं, उनमें से 20-25 फीसदी को IVF प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और उनमें से बहुत ही छोटी संख्या, करीब एक फीसदी लोगों को सरोगेसी की आवश्यकता पड़ती है।
        - प्रजनन संबंधी चिकित्सा पर्यटन (रिप्रोडक्टिव मेडिकल टूरिज्म) के चलन में तीव्रता से वृद्धि होने के कारण, भारत वैश्विक फर्टिलिटी इंडस्ट्री का एक मुख्य केंद्र बन गया है। इसके कारण कई तरह की कानूनी, नैतिक और सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं लेकिन, अब तक इससे **संबंधित प्रोटोकॉल्स का कोई मानकीकरण नहीं हो पाया है।**
        - **अन्य कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना:** इस तरह की सेवा देने वाले चिकित्सीय संस्थानों और क्लिनिकों के पंजीकरण तथा उचित डेटाबेस के अभाव में, सरोगेसी विनियमन विधेयक, 2019 और चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) विधेयक, 2020 के तहत सरोगेसी और गर्भपात जैसी सेवाओं को नियमित कर पाना असंभव है।

ART के प्रकार

- **इन विट्रो फर्टिलाइजेशन:** यह ART का सर्वाधिक सामान्य रूप है, जिसका प्रयोग अधिकतर रोगियों द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में, महिला के अंडाणु को पुरुष के शुक्राणु के साथ एक प्रयोगशाला में निषेचित कराया जाता है। तत्पश्चात निषेचित भ्रूण को भ्रूण अंतरण नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है।
- **गैमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर (GIFT):** पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु को एक प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। तत्पश्चात अंडाणु को गर्भाशय नाल (फॉलोपियन ट्यूब) में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में अंडाणु का निषेचन महिला के शरीर के भीतर होता है।
- **इंट्रा यूटेरिन इनसेमिनेशन (IUI):** इसे कृत्रिम गर्भाधान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया में किसी पुरुष के शुक्राणु को एक महिला के गर्भाशय में एक लंबी और संकरी नली के माध्यम से अंडोत्सर्ग के समय या ठीक उससे पहले प्रविष्ट कराया जाता है।
- **जेस्टेशनल सरोगेसी:** इस प्रक्रिया में, माता-पिता बनने की इच्छा रखने वाले महिला और पुरुष या दान करने वालों के अंडाणु और शुक्राणु का प्रयोग करके, IVF तकनीक के माध्यम से भ्रूण तैयार किया जाता है, और तत्पश्चात उस भ्रूण को सरोगेट माता के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार से जन्मे बच्चे का सरोगेट माता से कोई जैविक संबंध नहीं होता है। सरोगेट माता को प्राय: जेस्टेशनल कैरियर कहा जाता है।

7.4. ट्रांस फैट (Trans Fats)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ट्रांस फैट के उन्मूलन पर **"काउंटडाउन 2023: ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020"** नामक शीर्षक से एक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की है।

पृष्ठभूमि

- मई 2018 में WHO ने वर्ष 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसायुक्त अम्ल (Trans Fatty Acids: TFA) के उन्मूलन (वैश्विक खाद्य आपूर्ति व्यवस्था से) का आह्वान किया था।

- मई 2019 में, WHO द्वारा रिप्लेस (REPLACE) नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया था। यह अभियान औद्योगिक रूप से उत्पादित TFA को खाद्य आपूर्ति से तीव्र, पूर्ण और संधारणीय रूप से समाप्त करने हेतु विश्व के समस्त देशों को एक रोडमैप प्रदान करता है।
- **रिप्लेस (REPLACE) अभियान के तहत निम्नलिखित छह कार्य योजनाओं को शामिल किया गया है:**
  - **औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के आहार स्रोतों** और आवश्यक नीतिगत परिवर्तन के लिए परिदृश्यों की **समीक्षा (Review) करना।**
  - **स्वास्थ्यकर वसा और तेलों** के उपयोग द्वारा औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना।
  - औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को प्रतिबंधित करने के लिए **अधिनियम आधारित अथवा विनियामक प्रक्रिया की स्थापना करना।**
  - खाद्य आपूर्ति में ट्रांस फैट की **मात्रा का मूल्यांकन तथा निगरानी** और जनसंख्या में ट्रांस-फैट के खपत-स्वरूप में परिवर्तन करना।
  - नीति निर्माताओं, उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं और लोगों के मध्य **ट्रांस फैट के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता सृजित करना।**
  - **नीतियों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित (Enforce compliance) करना।**

ट्रांस फैट के विषय में

- ट्रांस फैट, या ट्रांस फैटी एसिड, प्राकृतिक या औद्योगिक स्रोतों में पाए जाने वाले **असंतृप्त वसायुक्त अम्ल होते हैं:**
  - **प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैट** जुगाली करने वाले पशुओं, जैसे- गाय, भेड़ आदि की आंत में पाया जाता है।
  - **औद्योगिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस फैट** को एक औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित किया जाता है। इसके लिए, तरल वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकृत किया जाता है, ताकि उन्हें अधिक ठोस बनाया जा सके अर्थात् इस प्रक्रिया में तरल वनस्पति तेल को ठोस रूप में परिवर्तित करने के लिए उसमें हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाता है। फलस्वरूप, 'आंशिक रूप से हाइड्रोजन युक्त' तेल (Partially Hydrogenated Oil: PHO) प्राप्त होता है।
- औद्योगिक रूप से निर्मित ट्रांस फैट, ठोस वनस्पतिक वसा, जैसे- कृत्रिम मक्खन और घी में पाया जाता है। यह वसा प्राय: स्नैक्स फूड, पके हुए या तले हुए खाद्य पदार्थों में पाया जाता है।
- खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने हेतु उत्पादक अक्सर इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं और अन्य वसाओं की अपेक्षा यह सस्ते होते हैं।
- ये संतृप्त वसा की अपेक्षा अधिक हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनसे LDL ("बैड कॉलेस्ट्रॉल") कॉलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि होती है, जबकि HDL ("गुड कॉलेस्ट्रॉल") कॉलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आती है।
- औद्योगिक रूप से निर्मित ट्रांस वसायुक्त अम्ल के कारण **प्रत्येक वर्ष लगभग 5,40,000 लोगों की मृत्यु** होती है और **भारत में यह आंकड़ा 60,000 के निकट है।**
- **WHO द्वारा तय पैमानों के अनुसार, हमारा शरीर एक दिन में जितनी ऊर्जा ग्रहण करता है उसमें ट्रांस फैट की मात्रा 1% से भी कम** होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम प्रतिदिन 2,000 कैलोरी आहार का सेवन करते हैं, तो उसमें ट्रांस फैट की मात्रा **2.2 ग्राम से भी कम होनी चाहिए।**

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **इस संबंध में अब तक 58 देशों ने ही कानून निर्मित किए हैं।** हालांकि, इससे वर्ष 2021 के अंत तक हानिकारक पदार्थों से करीब 3.2 अरब लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर, 100 से अधिक देशों द्वारा (अपनी खाद्य आपूर्ति से इन हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए) अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
- **इससे संबंधित वैश्विक मृत्यु की संख्या की तुलना में लगभग दो-तिहाई मृत्यु केवल 15 देशों में हुई है।** इनमें से, चार देशों (यथा- कनाडा, लातविया, स्लोवेनिया और संयुक्त राज्य अमेरिका) ने WHO द्वारा अनुशंसित सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से संबंधित नीतियों को लागू किया है। इसके लिए, उन्होंने या तो औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा के लिए अनिवार्य सीमा तय कर दी है, जिसके तहत सभी खाद्य पदार्थों में TFA की सीमा को 2% तक सीमित कर दिया है, या आंशिक रूप से हाइड्रोजनयुक्त तेलों (PHO) पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- लेकिन **शेष 11 देशों** (यथा- अजरबैजान, बांग्लादेश, भूटान, इक्वाडोर, मिस्र, **भारत,** ईरान, मैक्सिको, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया) द्वारा अब तक इस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई है।

- वर्ष 2023 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, WHO ने जो अनुशंसा की है, उसके तहत समस्त देशों को आने वाले वर्षों में निम्नलिखित कार्रवाई करनी होगी:
    - TFA की सीमा तय करना या PHO पर प्रतिबंध लगाने के लिए **सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से संबंधित नीतियां तैयार करना और उनको लागू करना।**
    - खाद्य पदार्थों में TFA की मात्रा मापने के लिए **निगरानी व्यवस्था**, जैसे कि प्रयोगशाला की क्षमता विकसित करने पर निवेश करना।
    - TFA नीतियों के लाभों के प्रसार के लिए **क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय विनियमों** का समर्थन करना।

ट्रांस फैट के विरुद्ध भारत द्वारा उठाए गए कदम

- भारत द्वारा **औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट** को वर्ष **2022 तक** (WHO के लक्ष्य से एक वर्ष पूर्व) **चरणबद्ध रूप से 2% से कम करने का लक्ष्य** निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय में, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने वसा और तेल जैसे खाद्य पदार्थों में 5 प्रतिशत तक ही ट्रांस फैट की मात्रा के उपयोग की अनुमति प्रदान की है।
- इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, FSSAI ने निम्नलिखित दो अभियान प्रारंभ किए हैं:
    - **ईट राइट अभियान:** यह अभियान दो व्यापक स्तंभों, यथा- **'ईट हेल्दी'** और **'ईट सेफ'** पर आधारित है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को जागरूक करके तीन वर्षों में नमक, चीनी और तेल के उपभोग में 30% कटौती करना है।
    - **हार्ट अटैक रिवाइंड अभियान (Heart Attack Rewind campaign):** इसका उद्देश्य ट्रांस फैट के सेवन से मानवीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर लोगों को जागरूक करना और स्वास्थ्यप्रद विकल्पों (खाद्य पदार्थों के सेवन) के माध्यम से उनसे बचने की रणनीति प्रदान करना है।
- **ट्रांस फैट मुक्त होने का लोगो (Logo):** वैसे प्रतिष्ठान जो ट्रांस फैट मुक्त वसा/तेल का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उनके 100 ग्राम खाद्य पदार्थ में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट की मात्रा 0.2 ग्राम से अधिक नहीं है, तो वे अपनी दुकानों (आउटलेट्स) और अपने खाद्य उत्पादों पर पर 'ट्रांस फैट फ्री' लोगो (Logo) का उपयोग कर सकते हैं।

7.5. मार्स ऑर्बिटर मिशन (Mars Orbiter Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो/ISRO) के मार्स ऑर्बिटर मिशन ने मंगल ग्रह की परिक्रमा के छह वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) के बारे में

- MOM **पहला अन्तर्ग्रहीय मिशन** था, जिसे इसरो द्वारा **वर्ष 2013 में ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक यान-C25 (PSLV-C25) की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था**। हालांकि, वर्ष 2014 में पहले ही प्रयास में इसे मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था।
- इसके **वैज्ञानिक उद्देश्यों के तहत,** स्वदेशी वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से मंगल ग्रह के भू-सतही विशेषताओं, स्थलाकृति, खनिजिकी व वायुमंडल का अन्वेषण शामिल है।
- **इसके तकनीकी उद्देश्यों में** गहन अंतरिक्ष संचार, नेवीगेशन, मिशन से संबंधित नियोजन एवं प्रबंधन शामिल हैं।
- इसके वैज्ञानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, मार्स ऑर्बिटर मिशन के साथ पांच पेलोड (Payloads) या प्रयोगात्मक उपकरण भेजे गए हैं। ये हैं-
    - **मीथेन सेंसर:** यह **मंगल ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित मीथेन (CH4) गैस** का मापन और इसके स्रोतों का पता लगाएगा।
    - **मार्स कलर कैमरा (MCC):** तीन रंगों वाला MCC मंगल ग्रह की सतह का चित्रण और उसके बारे में सूचना एकत्रित करेगा। साथ ही, यह मंगल ग्रह के सतह की संरचना का भी पता लगाएगा।
    - **लायमन अल्फा फोटोमीटर (Lyman Alpha Photometer):** यह मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में लायमन-अल्फा उत्सर्जन से निकलने वाले ड्यूटोरियम तथा हाइड्रोजन की मात्रा का आकलन करेगा। D/H (ड्यूटोरियम और हाइड्रोजन की मात्रा का अनुपात) के मापन से मंगल ग्रह पर जल के क्षय होने की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलेगी।
    - **मार्स एक्सोस्फ़ेयरिक न्यूट्रल संरचना विश्लेषक (Mars Exospheric Neutral Composition Analyser: MENCA):** यह चौगुना द्रव्यमान वाला एक स्पेक्ट्रोमीटर है, जो मंगल ग्रह के बहिर्मंडल (एक्सोस्फीयर) में 1 से 300 परमाण्विक भार इकाई (atomic mass unit) वाले अनावेशित कण संरचना का विश्लेषण करने में सक्षम है।

- **थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग स्पेक्टोमीटर (TIS):** यह मंगल की सतह के तापमान तथा उत्सर्जकता (emissivity) की माप करेगा, जिससे मंगल के सतह की संरचना तथा खनिजकी (mineralogy) का मानचित्रण करने में सफलता मिलेगी।

अब तक MOM की भूमिका?

- ऑर्बिटर से प्राप्त चित्रों के आधार पर **मंगल ग्रह का एक मानचित्र** तैयार करने में सहायता प्राप्त हुई है।
- मार्स कलर कैमरा द्वारा निकटता से मंगल के दो चंद्रमाओं, यथा- **फोबोस (Phobos) और डिमोस (Deimos)** के भी चित्र लिए गए हैं।
- ऑर्बिटर की सहायता से **मंगल ग्रह पर धूल भरे तूफानों के संबंध में** पता लगाने में सहायता मिली है, जिनकी ऊंचाई सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकती है।
- MOM का उपयोग करके मंगल के **एल्बिडो मानचित्र** को तैयार किया गया है, जो मंगल की सतह के गुणों का अध्ययन करने के लिए उपयोगी होगा।
  - एल्बिडो सौर ऊर्जा की वह मात्रा है, जो ग्रह की सतह से अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है।

सुर्ख़ियों में रहे अन्य मंगल मिशन

- **एक्सोमार्स (ExoMars) 2022:** यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसमें 2 मिशन सम्मिलित हैं - (i) ट्रेस गैस ऑर्बिटर, जिसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था और (ii) एक रोवर और सर्फेस प्लैटफॉर्म, जिसे वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा।
- **मार्स 2020 रोवर:** इस मिशन के अंतर्गत नासा (NASA) ने वर्ष 2020 में मंगल ग्रह पर अपने पर्सिवियरेंस रोवर (Perseverance rover) को भेजा था। यह रोवर वहां प्राचीन जीवन संबंधी संकेतों का पता लगाएगा तथा चट्टान और मृदा के नमूने को एकत्र कर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने का प्रयास करेगा।
- **होप मिशन:** इसे वर्ष 2020 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया। मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु यह अरब जगत का पहला मिशन है।
- **तियानवेन-1:** यह मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु चीन का पहला मिशन है, जिसे वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया।

7.6. हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल (Hypersonic Technology Demonstration Vehicle: HSTDV)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल (HSTDV) का परीक्षण किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह परीक्षण **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** द्वारा किया गया।
- इसे ओडिशा के तट पर स्थित **व्हीलर द्वीप (अब ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप) के ए.पी.जे. अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स** से प्रक्षेपित किया गया था। यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपण यान से पृथक होने के उपरांत 22 **सेकंड से अधिक समय तक मैक 6 की गति के साथ उड़ान भरने में सक्षम रहा था।**
  - इस उड़ान के लिए **प्रक्षेपण यान** के रूप में **इसरो (ISRO)** के **एडवांस्ड टेक्नोलॉजी व्हीकल (ATV)** का प्रयोग किया गया था।
- अब तक भारत के अतिरिक्त केवल **तीन देश, यथा- रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन** हाइपरसोनिक गति वाले प्रक्षेपण यानों के परीक्षण में सफल रहे हैं।

मैक संख्या (Mach Number)

- मैक संख्या वस्तुतः वायु में ध्वनि की गति की तुलना में किसी वस्तु या यान की गति को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए, यहां मैक 6 का अर्थ है कि यह व्हीकल, वायु में ध्वनि की गति से छह गुना अधिक गति से उड़ान भरने में सक्षम रहा।
- **मैक संख्याओं के अनुसार वेग जोन:**

वेग जोन (Velocity Zone)	मैक संख्या
सबसोनिक	मैक < 1.0
ट्रांसोनिक (Transonic)	मैक ~ 1.0
सुपरसोनिक	मैक > 1.0
हाइपरसोनिक	मैक > 5.0

HSTDV के बारे में

- HSTDV एक **मानवरहित डिमॉन्स्ट्रेटर एयरक्राफ़्ट** है, जिसका प्रयोग हाइपरसोनिक उड़ान परीक्षण हेतु किया जाता है।
- इस डिमॉन्स्ट्रेटर एयरक्राफ़्ट का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी प्रोपल्शन सिस्टम-आधारित **एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन** का परीक्षण करना था।
- इस हाइपरसोनिक उड़ान परीक्षण के समक्ष दो मुख्य चुनौतियां मौजूद थीं:
  - जब यह व्हीकल अति तीव्र गति से उड़ान भर रहा था तो इसके इंजन में हवा प्रविष्ट हो गयी, जिसके कारण एक ही समय में एयर ब्लास्ट द्वारा आग को बुझाए बिना **ईंधन भरने और मिश्रण के दहन में कठिनाई** उत्पन्न हुई थी।
    - **हाइपरसोनिक एयर इनटेक सिस्टम** और **सुपरसोनिक कम्बस्टर** जैसी तकनीकों का विकास कर, इस समस्या का समाधान किया गया है।
  - यह सुनिश्चित करना कि हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने के दौरान **व्हीकल के बाह्य भाग का तापमान मानक के अनुरूप (अर्थात् ठंडा) बना रहे।** (ज्ञातव्य है कि वायुमंडल में घर्षण के कारण सामान्यत: व्हीकल का बाह्य भाग गर्म हो जाता है।)
    - हालांकि, **उच्च तापमान सहन करने वाली सामग्री** को तैयार करके इस समस्या का समाधान किया गया है। हाइपरसोनिक उड़ान और उस दौरान तापमान की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए कंप्यूटेशनल उपकरण भी तैयार किए गए हैं।

एयर ब्रीदिंग इंजन: ये कैसे काम करते हैं?

- एयर ब्रीदिंग सिस्टम एवं अन्यों के बीच मूलभूत अंतर **वह सामग्री है जो ऑक्सीकारक की भूमिका निभाती है।**
- सामान्य रूप से, प्रक्षेपण यान अपनी ऊर्जा आवश्यकता हेतु प्रणोदक के दहन का प्रयोग करते हैं। प्रणोदक (propellants) में विशेषकर ऑक्सीकारक और ईंधन शामिल होते हैं। वहीं, **एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन प्रणाली** के अंतर्गत प्रक्षेपण यान में पहले से भंडारित ईंधन के दहन हेतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है जो पृथ्वी की सतह से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक उपलब्ध होता है। इससे प्रक्षेपण यान हल्का, और अधिक सक्षम तथा लागत प्रभावी हो जाता है।

एयर ब्रीदिंग प्रणाली के प्रकार: रैमजेट, स्क्रैमजेट एवं डुअल मोड रैमजेट (DMRJ)

- **रैमजेट इंजन (Ramjet Engine):** रैमजेट, एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का एक प्रकार है। यह घूर्णन करने वाले कंप्रेसर के बिना आने वाली वायु को संपीडित करने के लिए वाहन के अग्रिम गति (फॉरवर्ड मोशन) का उपयोग करता है। ईंधन को दहन कक्ष में डाला जाता है, जहां वह गर्म संपीडित वायु के साथ मिश्रित होकर जलने लगता है।
  - रैमजेट से संचालित प्रक्षेपण यान को **उड़ान भरने में सहायता** की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि एक रॉकेट इसे उस गति को प्राप्त करने में सहायता करता है, जिसे प्राप्त करने के बाद वह थ्रस्ट (प्रणोद) उत्पन्न करने लगे।
  - रैमजेट **मैक 3 के आसपास सुपरसोनिक गति** में अधिक कुशलता से कार्य करता है। लेकिन, जब प्रक्षेपण यान हाइपरसोनिक गति को प्राप्त कर लेता है, तो रैमजेट की कार्यक्षमता में गिरावट आने लगती है।
- **स्क्रैमजेट इंजन (Scramjet Engine):** स्क्रैमजेट इंजन, रैमजेट इंजन का उन्नत रूप है क्योंकि यह हाइपरसोनिक गति में भी कुशलता से कार्य करता है और सुपरसोनिक गति पर भी दहन करने में सक्षम होता है। इसलिए, इसे सुपरसोनिक दहन रैमजेट या स्क्रैमजेट के नाम से भी जाना जाता है।
  - इसरो (ISRO) द्वारा तैयार किया गया स्क्रैमजेट इंजन, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय वायु से प्राप्त ऑक्सीजन का प्रयोग करता है।
- **डुअल मोड रैमजेट (DMRJ):** यह एक ऐसा इंजन है, जहाँ 4-8 मैक की गति पर एक रैमजेट, एक उन्नत स्क्रैमजेट के रूप कार्य करने लगता है। इसका अर्थ यह है कि यह सबसोनिक और सुपरसोनिक दहन मोड, दोनों में पूरी कुशलता के साथ संचालित हो सकता है।

सफल हाइपरसोनिक फ्लाइट डेमोंस्ट्रेशन का तकनीकी महत्व

- **यह उपग्रहों के प्रक्षेपण में ईंधन की समग्र आवश्यकता को कम करता है:** वर्तमान समय में प्रक्षेपण वाहन द्वारा ले जाए जाने वाले लगभग 70% प्रणोदक (फ्यूल-ऑक्सीकारक मिश्रण) में ऑक्सीकारक होते हैं। अतः वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग, उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए समग्र प्रणोदक की आवश्यकता को उल्लेखनीय रूप से कम करेगा।
- **इससे प्रक्षेपण यान का पुनर्प्रयोग संभव हो पाएगा:** एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन प्रणाली, प्रक्षेपण यान के वापसी को संभव बनाता है और उन्हें पुनर्प्रयोग के योग्य बनाता है। यदि प्रक्षेपण यान का पुनर्प्रयोग संभव हो जाता है, तो उपग्रहों के प्रक्षेपण की लागत बहुत कम हो जाएगी।

VISION IAS

- **सहायक तकनीकों का परीक्षण:** इस सफल प्रदर्शन ने कई अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों (स्क्रैमजेट इंजन के अतिरिक्त) की प्रभावशीलता को सिद्ध किया है, जैसे कि हाइपरसोनिक अभियान की वायुगतिकीय व्यवस्था एवं हाइपरसोनिक वेगों में पृथक्करण की व्यवस्था।
- **नागर परिवहन की गति में तीव्रता:** स्क्रैमजेट और डुअल मोड रैमजेट तकनीक के विकास से नागरिक वायु परिवहन में ईंधन की खपत कम हो सकती है और उसकी गति में बढ़ोतरी हो सकती है।
- **तीव्र गति और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें:** यह HSTDV मिसाइलों को **लगभग मैक 6 की गति पर उड़ान भरने में** सक्षम बनाता है। वर्तमान समय में, अधिकतर क्रूज मिसाइलें सबसोनिक गति से उड़ान भरती हैं। इससे यह खतरा बढ़ जाता है कि ये मिसाइलें अपने लक्ष्यों को भेदने से पहले ही शत्रु के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान की पकड़ में आ सकती हैं।
    - हाइपरसोनिक मिसाइल को **'तीव्र प्रतिक्रिया वाली मिसाइल'** के रूप में भी जाना जाता है, जिसका प्रयोग बाह्य वायुमंडल या अंत: वायुमंडल में **आने वाली मिसाइलों का पता लगाने में किया जा सकता है।**

8. संस्कृति (Culture)

8.1. काकतीय वंश (Kakatiya Dynasty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आंध्र प्रदेश की राजधानी **अमरावती में एक काकतीय शासक** द्वारा निर्मित एक मंदिर को **स्थानीय देवी बालुसुलम्मा (देवी दुर्गा) के अधिष्ठान (वास स्थान)** में परिवर्तित कर दिया गया है।

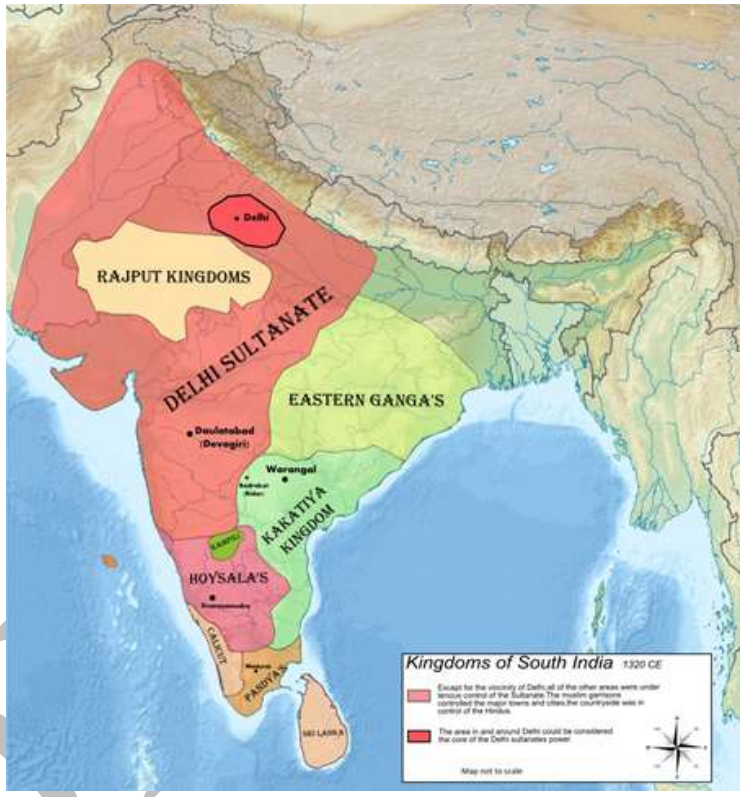

अन्य संबंधित तथ्य

- इस मंदिर का निर्माण **काकतीय वंश के शक्तिशाली शासक गणपति देव** द्वारा करवाया गया था।
- 13वीं शताब्दी के इस **मंदिर की अधिष्ठात्री देवी काकती देवी** थी, जो काकतीय शासकों की कुल देवी भी थी।

काकतीय राजवंश के बारे में

- आरंभ में ये **पश्चिमी चालुक्यों के सामंत** थे। ध्यातव्य है कि दक्कन के सभी **तीन समकालीन राजवंश अर्थात् होयसल, यादव और काकतीय** पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे।
- इस राजवंश की एक स्वतंत्र राजवंश के रूप में स्थापना तब की गई थी, जब रुद्रदेव (प्रतापरुद्र प्रथम) 1158 ईस्वी में काकतीय राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक बना था।
- **वारंगल** काकतीय राजवंश की राजधानी थी।
- काकतीय शासकों ने 1310 ईस्वी में प्रथम बार **मुस्लिम आक्रमण (अलाउद्दीन खिलजी द्वारा)** का सामना किया था और अंततः **1323 ईस्वी में (सुल्तान ग़यासुद्दीन तुगलक द्वारा आक्रमण)** यह **दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण** में आ गया था।
- **प्रमुख शासक:**
  - **गणपति देव** (1199 ईस्वी से 1262 ईस्वी) का शासनकाल सभी काकतीय शासकों में सबसे लंबा था। इस दौरान उसने अपने राज्य का विस्तार **पूर्व में तटीय बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम तक** किया था।
  - **रानी रुद्रमा देवी (1262-89 ई.),** जो भारतीय इतिहास की कुछ प्रसिद्ध रानियों में से एक थीं, काकतीय वंश से ही संबंधित थी।
- **सामाजिक-आर्थिक इतिहास:**
  - **मोटुपल्ली** काकतीय लोगों का **प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह** था।
  - प्रसिद्ध वेनिस यात्री **मार्कोपोलो** ने इस बंदरगाह पर पहुंच कर ही काकतीय साम्राज्य की यात्रा की थी और अपने **यात्रा वृतांत में आंध्र क्षेत्र की समृद्धि और शक्ति का उल्लेख** किया था।
  - काकतीय राजवंश बड़े **पोखरों (टैंकों) के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था** और फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसमें **जलद्वार अवरोधकों (sluice-weir device)** का उपयोग किया जाता था।
  - काकतीय शासन के दौरान ही गोलकुंडा खानों से **कोह-ए-नूर हीरा** प्राप्त हुआ था
- **स्थापत्य:**
  - **रुद्रेश्वर मंदिर:** इसे तेलुगु में **वेय्यीस्थंबालागुड़ी (हजार स्तंभों वाला मंदिर)** के रूप में भी जाना जाता है, जो काकतीय स्थापत्य कला की प्राचीनतम संरचनाओं में से एक है।
    - इसे 1163 ईस्वी में **रुद्रदेव** द्वारा निर्मित करवाया गया था।
    - यह मंदिर अपने समृद्ध **नक्काशीदार स्तंभों, जालीदार चित्रपटों, प्रस्तर निर्मित हाथियों और एकाश्मिक नंदी** जैसे विशेष प्रतीकों के लिए विख्यात है।
    - दक्कन क्षेत्र पर आक्रमण के दौरान **तुगलक वंश के शासकों** द्वारा इस मंदिर को अपवित्र कर दिया गया था।
  - **रामप्पा मंदिर:** यह भारत का एकमात्र मंदिर है, जिसे अधिष्ठात्री देवता के स्थान पर **इसके शिल्पकार के नाम से जाना जाता** है।
    - इसका निर्माण **काकतीय शासक गणपति देव** की ओर से उसके **मुख्य सेनापति रुद्र समानी द्वारा** किया गया था।
    - मंदिर में नृत्य मुद्राओं की मूर्तिकला, **जयपा सेनानी की प्रसिद्ध कृति 'नृत्य रत्नावली' के लिए बहुत ही प्रेरणादायक** रही थी।

VISION

- **वारंगल दुर्ग:** वारंगल दुर्ग का निर्माण **13वीं शताब्दी में राजा गणपति** द्वारा करवाया गया था और उसकी पुत्री रुद्रमा देवी ने **1261 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूर्ण** करवाया था।
  - इस दुर्ग में नक्काशीदार और बुलंद द्वारों के साथ चार मार्ग हैं, जिन्हें **कीर्ति तोरण या हंस तोरण** के नाम से जाना जाता है।
- इस क्षेत्र के वारंगल किला, हजार स्तंभ मंदिर और रामप्पा मंदिर को **यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची** में समाविष्ट किया गया है।

8.2. बाग छपाई (Bagh Print)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ट्राइफेड (TRIFED) द्वारा मध्य प्रदेश के बड़वानी में स्थानीय जनजातियों हेतु सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए **बाग, माहेश्वरी और चंदेरी वस्त्र शिल्प का प्रशिक्षण** दिया जा रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- मध्य प्रदेश में बड़वानी अपनी सामाजिक-आर्थिक विकास की निम्नस्तरीय स्थिति के कारण एक **आकांक्षी जिला (aspirational district)** है।
- **बड़वानी** में कोई पारंपरिक शिल्प नहीं है। हालांकि, **खरगौन और धार** के आसपास के जिलों में जनजातीय शिल्पकार **बाग छपाई और माहेश्वरी शैली में वस्त्रों की पारंपरिक बुनाई** के कार्य में संलग्न हैं।

बाग छपाई के बारे में

- यह मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रचलित प्राकृतिक रंगों वाली एक **पारंपरिक हस्त आधारित ब्लॉक प्रिंट (ठप्पा छपाई) कला है।**
- इसका **नाम बाग नदी के किनारे स्थित बाग़ गाँव** से लिया गया है।
- इस छपाई कला में **सूती और रेशमी वस्त्र** में **जंग लगे लोहे की भराई, फिटकरी एवं ऐलिज़रिन (जैविक लाल रंग) का मिश्रण** प्रयुक्त होता है।
- छपाई प्रक्रिया के पूर्ण होने पर, छपाई किए हुए वस्त्र बार-बार नदी के प्रवाहित जल में धोए जाते हैं तथा तत्पश्चात बेहतर चमक प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट अवधि हेतु धूप में सुखाए जाते हैं।
- सामान्यतया इस कला शैली में एक श्वेत पृष्ठभूमि पर **लाल और काले रंग के वनस्पति रंगों के साथ ज्यामितीय एवं पुष्पीय रचनाएं** निर्मित की जाती हैं।
- बाग छपाई को वर्ष **2008 में भौगोलिक संकेतक** (Geographical Indication) टैग प्राप्त हुआ था।

माहेश्वरी वस्त्र शिल्प के बारे में

- माहेश्वरी वस्त्र **सूती और रेशमी कपड़े** होते हैं, जिन्हें **ज़री के साथ बुना** जाता है या ये बेल बूटेदार होते हैं। इनका उपयोग **मुख्य रूप से साड़ी बनाने** के लिए किया जाता है।
- माहेश्वरी साड़ी, मध्य प्रदेश के **खरगौन जिले के माहेश्वर (नर्मदा के तट पर स्थित)** से संबंधित है।
- मध्य प्रदेश में **किलों की भव्यता और उनके डिजाइनों** ने माहेश्वरी वस्त्रों पर **तकनीक, बुनाई और रूपांकनों** को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- इन लोकप्रिय डिजाइनों में से कुछ में **मैट पैटर्न (चटाई), जैस्मीन पैटर्न (चमेली), ब्रिक पैटर्न (ईंट) और डायमंड पैटर्न (हीरा)** शामिल हैं।
- महेश्वरी वस्त्र से बुनी गई **साड़ियों की 5 प्रमुख श्रेणियां** हैं। ये हैं - **चंद्रकला, बिंगानी चंद्रकला, चंद्ररता, बेली और परबी।** ये साड़ी **चमकदार और हल्के वजन** की होती हैं।
- माहेश्वरी साड़ियों को **होल्कर के शाही परिवार द्वारा संरक्षण** दिया गया था और कहा जाता है कि **रानी अहिल्या बाई होल्कर** स्वयं इनकी बुनाई करती थी।

चंदेरी वस्त्र शिल्प के बारे में

- यह एक **पारंपरिक व विशिष्ट सांस्कृतिक वस्त्र (ethnic fabric)** है, जो **वजन में हल्की, महीन बनावट और शानदार विलासिता युक्त अनुभव की विशेषता** से परिपूर्ण है।
- ये वस्त्र **पारंपरिक सूती धागे में रेशम और सुनहरी ज़री में बुनाई द्वारा निर्मित** होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप **झिलमिलाती बनावट का निर्माण** होता है।
- इस वस्त्र ने **मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर चंदेरी से अपना नाम** ग्रहण किया है। इसे **3 प्रकारों** में वर्गीकृत किया जा सकता है, यथा- **चंदेरी सिल्क कॉटन, प्योर सिल्क और चंदेरी कॉटन।**
- चंदेरी साड़ियों को **सिंधिया शाही परिवार द्वारा संरक्षण** प्रदान किया गया था।

ट्राइफेड अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India: TRIFED)

- इसकी स्थापना वर्ष 1987 में **सहकारी समिति अधिनियम, 1984** के तहत भारत सरकार द्वारा एक **राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के**

VISION IAS

रूप में की गई थी।

- यह **जनजातीय कार्य मंत्रालय** के अंतर्गत आता है।
- ट्राइफेड को जनजातियों द्वारा एकत्रित व उत्पादित **लघु वनोपजों (Minor Forest Produce: MFP)** और **अधिशेष कृषि उत्पादों (Surplus Agricultural Produce: SAP)** के व्यापार को संस्थागत रूप प्रदान कर देश की प्रमुख जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु अधिदेशित किया गया है।
- यह **बाजार विकासकर्ता और सेवा प्रदाता दोनों की दोहरी भूमिका** निभाता है।
- **ट्राइब्स इंडिया (TRIBES India)** वह ब्रांड है, जिसके तहत जनजातीय लोगों के दस्तकारी उत्पाद विक्रय किए जाते हैं।
    - संपूर्ण देश में 120 भवन आधारित **ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स** हैं।

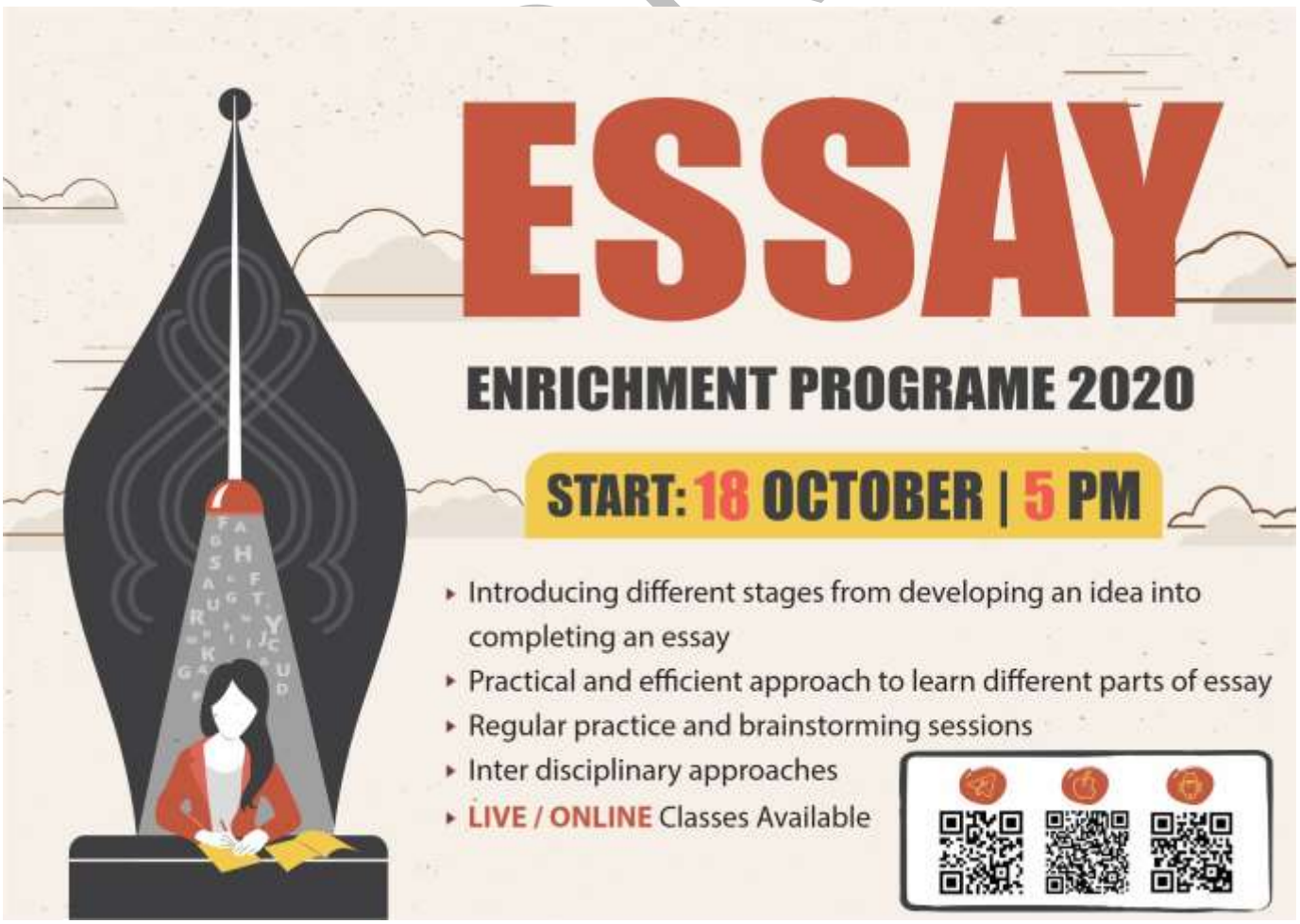

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. संवृद्धि से परे: एक नए आर्थिक दृष्टिकोण की ओर (Beyond Growth: Towards A New Economic Approach)

संदर्भ

हम एक समाज के रूप में पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा अपनी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़ी अनेक अंतर्संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन व तेजी से बदलती तकनीकों से लेकर वैश्वीकरण के नए प्रतिमान के उद्भव तक अनेक मुद्दे शामिल हैं। लेकिन, क्या हमारी आर्थिक नीति इन चुनौतियों के लिए तैयार है? क्या हमारी आर्थिक वृद्धि इन मुद्दों के समाधान में सक्षम है या हमें कुछ और करने की आवश्यकता है? इस संदर्भ में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) द्वारा 'बियॉन्ड ग्रोथ: टुवर्ड्स ए न्यू इकोनॉमिक एप्रोच' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है।

क्या आर्थिक संवृद्धि से परे सोचने की आवश्यकता है?

आर्थिक संवृद्धि वस्तुतः आर्थिक नीतियों का प्राथमिक लक्ष्य और अर्थव्यवस्था की सफलता का एक मुख्य पैमाना रहा है। विगत वर्षों में, आर्थिक संवृद्धि के कारण रोजगार में वृद्धि हुई है, गरीबी की दर में कमी आई है और उच्चतर सरकारी व्यय के लिए वित्त की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। लेकिन इन लाभों के साथ-साथ, इसने महत्वपूर्ण मुद्दों को भी जन्म दिया है, यथा-

- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की संवृद्धि दर को अब व्यापक रूप से बढ़ती असमानताओं से जोड़ा जा रहा है।** लगभग सभी प्रमुख देशों में, विगत चालीस वर्षों में मजदूरी और वेतन (श्रम) के बजाए पूंजीपतियों की आय में अधिक बढ़ोतरी हुई है।
- **सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर को अब जन कल्याण में होने वाले परिवर्तन के साथ सहसंबद्ध नहीं किया जाता है।** यह सही है कि व्यक्ति के लिए आय महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी आय कम है। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि लोगों का बेहतर और समृद्ध जीवन, विभिन्न प्रकार के अन्य कारकों जैसे कि **सुरक्षा और संतुष्टि** (जो वे अपने काम में अनुभव करते हैं); **शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संजालों** तथा **व्यक्तिगत एवं पारिवारिक संबंधों, समाज में विश्वास** आदि पर भी निर्भर करता है।
    - इनमें से किसी भी कारक को केवल उच्च GDP वृद्धि दर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और जिस प्रकार वर्तमान में GDP की वृद्धि जारी है, उससे इन कारकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- इसके गंभीर पर्यावरणीय प्रभावों ने इस तथ्य को उजागर किया है कि आर्थिक संवृद्धि का मौजूदा प्रतिरूप वर्तमान जीवन स्तर को बनाए रखने की हमारी क्षमता को कमजोर कर रहा है।
- **इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित आर्थिक कारकों की प्रकृति का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है:**
    - **आर्थिक व्यवहार:** 'होमो इकोनॉमिकस' के समरूप मॉडल की तुलना में **आर्थिक व्यवहार को समझने में साक्ष्य आधारित आर्थिक मनोविज्ञान** को अधिक उपयुक्त माना जाता है। लोगों में परस्पर जुड़ाव की भावना और नैतिक विचार प्रबल होते हैं, जो देखभाल, सहयोग और परोपकारी व्यवहार के विभिन्न रूपों के साथ-साथ सामाजिक मानदंडों के अनुपालन हेतु प्रेरित करते हैं। इस प्रकार के व्यवहार बिल्कुल भी गणनात्मक या व्यक्तिवादी तर्क के अधीन वर्णित नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे व्यवहार **महत्वपूर्ण आर्थिक अभिकर्ता के रूप में 'सामाजिक' मानव** के सृजन को वरीयता देते हैं।
    - **वर्तमान में अवैतनिक काम का मूल्य:** इस अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि कैसे अवैतनिक और महत्वहीन समझा जाने वाला काम सामाजिक ताना-बाना बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, बच्चों के पालन-पोषण से संबंधित अवैतनिक कार्य, जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, समाज की प्रक्रियाओं और संरचनाओं को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है। वर्तमान मॉडल इस योगदान को वरीयता देने / चिन्हित करने में विफल रहा है। परिणामस्वरूप, व्यवस्थित रूप से मुख्यधारा के आर्थिक लेखांकन और विश्लेषण में इसकी अनदेखी की जाती है।

प्रगति संबंधी नए उद्देश्यों में अंतर्निहित घटक

ऊपर अभिज्ञात/चिन्हित किए गए मुद्दों का निहितार्थ यह नहीं है कि आर्थिक संवृद्धि को आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अपितु, इसका अर्थ यह है कि आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मापन करने के लिए **सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि को निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों के साथ अनुपूरित** (complimented) किया जाना चाहिए:

- **पर्यावरणीय संधारणीयता:** गंभीर क्षति से बचने और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के स्थिर व स्वस्थ स्तर को प्राप्त करने के साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरण क्षरण को तीव्रता से कम करने वाले संधारणीय मार्गों को अपनाना।
- **बेहतर जन कल्याण:** समग्र रूप से जीवन की गुणवत्ता और व्यक्ति एवं समाज की स्थिति को बेहतर बनाना।
- **असमानता में कमी:** समाज में सर्वाधिक संपन्न और सर्वाधिक निर्धन समूहों की आय एवं धनसंपत्ति के बीच अंतर में कमी करना और मौजूदा अपवंचन का सामना करने वाले लोगों के लिए अवसर व आय को बढ़ावा देना।
- **प्रणालीगत लोचशीलता:** आकस्मिक जोखिमों और प्रणालीगत प्रभाव के बिना वित्तीय, पर्यावरणीय या अन्य आघातों का सामना करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता को समझना।

क्या एक साथ आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना और नए लक्ष्यों को प्राप्त कर पाना संभव हैं?

यह व्यापक रूप से माना जाता रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि और इन व्यापक उद्देश्यों या लक्ष्यों के मध्य सतत गतिरोध की स्थिति रही है। उदाहरण के लिए, असमानता को संवृद्धि का अपरिहार्य परिणाम माना जाता रहा है। यह निश्चित रूप से सत्य है कि इस प्रकार के गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यह भी सत्य है कि यदि इन दोनों के बीच तालमेल/समन्वय को प्रोत्साहित करने वाली संरचनाओं का निर्माण किया जाए तो इन लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए-

- **असमानता बनाम संवृद्धि:** कम आय वाले लोग धनवान लोगों की तुलना में अपनी आय का उच्च अनुपात व्यय करते हैं। जबकि, धनवान लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसलिए, निर्धन लोगों की आय में सुधार लाने से उपभोग और कुल मांग पर तथा अंततः संवृद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
- **पर्यावरणीय संधारणीयता बनाम संवृद्धि:** उदाहरण के लिए, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश की आवश्यकता होगी। कुछ परिस्थितियों में, ये निवेश आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे रोजगार और आय सृजन दोनों हो सकता है।

आगे की राह

- **उपर्युक्त लक्ष्यों को आर्थिक व्यवस्थाओं में एकीकृत किया जाना चाहिए:** यदि हमें नए आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जो हमने निर्धारित किया है तो इन्हें आरंभ से ही आर्थिक व्यवस्थाओं में शामिल किया जाना चाहिए, न कि केवल उपोत्पाद के रूप में उनकी अपेक्षा करनी चाहिए या किसी घटना के बाद इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, चूंकि स्वचालन (automation) और विकार्बनीकरण (decarbonisation) दोनों प्रक्रियाओं में रोजगार अवसरों के पुनर्वितरण को प्रभावित करने की क्षमता है, इसलिए सुचारू क्रियान्वयन के लिए सरकारी 'जॉब गारंटी' की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
    - इस रिपोर्ट में **'फ्लेक्सिक्युरिटी' (Flexicurity)** कल्याणकारी नीतियों पर विचार हेतु सुझाव दिया गया है। यह श्रमिकों के लिए आय सुरक्षा को नियोक्ताओं (employers) के लिए लचीलेपन (flexibility) के साथ एकीकृत करती है।
- **नीति निर्माण के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण:** अनेक उद्देश्य केवल तभी प्राप्त किए जा सकते हैं यदि आर्थिक और सामाजिक नीति निर्माण को पारंपरिक व्यवस्था से इतर क्रियान्वयित किया जाए तथा विभिन्न नीतिगत क्षेत्रों के मध्य तालमेल के साथ-साथ गतिरोध की स्थिति को कम किया जाए। उदाहरण के लिए, हम-
    - असमानता को बढ़ावा देने वाले तरीकों से पर्यावरणीय स्थिरता नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
    - प्रणालीगत जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय प्रणाली में सुधार करने के साथ-साथ धनसंपत्ति का अधिक व्यापक रूप से वितरण करने के मुद्दे को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं।
- **व्यापक सामाजिक भागीदारी और सार्वजनिक परामर्श:** उद्देश्यों के व्यापक स्वरुप को सुनिश्चित करने के लिए उपभोग प्रतिरूप में परिवर्तन करना होगा। इसके लिए अनेक हितधारकों के प्रयासों की आवश्यकता होगी और अलोकप्रिय विकल्पों का चयन करना पड़ेगा। इस प्रकार के विकल्प चुनने के लिए, सरकारों को क्षेत्रीय योजनाएं, सामाजिक भागीदारी और सार्वजनिक परामर्श को उचित तरीके से क्रियान्वित करना होगा।
    - उदाहरण के लिए, संधारणीयता और विकार्बनीकरण संबंधी नीतियों की मदद से उपभोग प्रतिरूप को अधिक संधारणीय बनाना होगा, उद्योग के साथ कई तकनीकी विकल्पों के अन्वेषण पर बल देना होगा और जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी जैसी नीतियां बंद करनी होंगी।

VISION IAS

- **अर्थव्यवस्था को उदार बनाना:** इसमें वित्तीय क्षेत्रक की संवेदनशील प्रकृति को दूर करना और कुछ निगमों द्वारा निभाई जाने वाली एकाधिकारी व अल्पाधिकारिक भूमिका को समाप्त करना सम्मिलित है।
- परिसंपत्तियों के सख्त विनियमन के माध्यम से वित्तीय क्षेत्रक की स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त सिफारिशें हमें यह दृष्टिकोण प्रदान करती हैं कि कैसे जटिल, गतिशील और परस्पर संबंधित वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीतियों को आकार प्रदान किया जा सकता है। यहां अनुशंसित मॉडल सर्वाधिक इष्टतम मॉडल या सार्वभौमिक रूप से लागू होने योग्य मॉडल नहीं हो सकता है। लेकिन यह इस विचार को प्रेरित करता है कि संवृद्धि को विकास एवं मानव कल्याण के दायरे में रहकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

VISION IAS

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएँ (Schemes In News)

10.1. स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (Start-up Village Entrepreneurship Programme: SVEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, SVEP के तहत 23 राज्यों के 153 ब्लॉकों में व्यावसायिक सहायता सेवाओं और पूंजी समर्थन/निवेश में वृद्धि की गई है।

उद्देश्य

- ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित के माध्यम से एक स्थायी मॉडल विकसित कर ग्रामीण निर्धनों को उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाना:
  - प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए एकीकृत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और उपकरण;
  - उद्यम सलाहकार सेवाएं; और
  - बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा ऋण की सुविधा प्रदान करना।
- स्टार्ट-अप के शुरुआती छह महीनों में ग्रामीण उद्यमियों/उद्यमों को मार्गदर्शन/समर्थन प्रदान करना। साथ ही, इसे **विशेषज्ञों के सलाहकार पैनल** के मार्गदर्शन द्वारा समर्थित **कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन - एंटरप्राइज़ प्रमोशन (CRP-EP)** से संबद्ध करना।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना की एक उप-योजना** है।
- SVEP का उद्देश्य स्थानीय उद्यमों को स्थापित करने के लिए **ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों का समर्थन** करना है।
  - इस योजनागत हस्तक्षेप के माध्यम से सभी तीन शेष रह गए पारिस्थितिक तंत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा - ज्ञान, मार्गदर्शन और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र।

लाभार्थी

- कोई भी ग्रामीण निर्धन जो उद्यमशील और आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखता है, वह इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के योग्य है।
  - मनरेगा श्रमिकों, हाशिए पर स्थित समूहों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण शिल्पी जैसे अत्यधिक सुभेद्य लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के भाग के रूप में चयन के लिए विशिष्ट प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- **इस कार्यक्रम के मुख्य तत्व**
  - SVEP के कार्यान्वयन को NRLM द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा।
  - **रुर्बन मिशन (RURBAN mission)** के तहत चिन्हित किए गए समूहों के साथ अभिसरण को सुनिश्चित करना।
  - व्यवसाय की व्यवहार्यता योजना बनाने, क्रेडिट मूल्यांकन करने और व्यावसायिक प्रदर्शन को ट्रैक करने तथा **टैबलेट आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उद्यमों को बैंक वित्त प्राप्त करने में सहायता** प्रदान करना।
  - व्यवसाय शुरू करने के लिए **आरंभिक पूंजी (seed capital)** की व्यवस्था हेतु **सामुदायिक निवेश कोष (Community Investment Fund: CIF)** का उपयोग करना, जब तक कि यह उस आकार तक नहीं पहुंच जाता जहां बैंक वित्त की आवश्यकता होती है।

लाभ :

- यह ग्रामीण लोगों को विशेष रूप से **हाशिए पर स्थित समूहों, महिलाओं आदि को गरिमा और आत्मनिर्भरता की भावना प्राप्त करने में मदद** करेगा। जिससे **व्यापक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा**।

VISION IAS

	• स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाली आर्थिक संवृद्धि **गुणक प्रभाव** उत्पन्न करेगी, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और **प्रवासन** में कमी आएगी। • स्वच्छता, पेयजल, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। • ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे और यह लोगों को निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर निकालेगा।

10.2. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यकम (Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram: PMJVK)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, PMJVK के तहत शामिल क्षेत्रों को देश के 90 जिलों से बढाकर 308 जिलों तक विस्तारित कर दिया गया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ

• यह कार्यक्रम **अल्पसंख्यक समुदायों** को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में **बेहतर सामाजिक आर्थिक अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान** करने के उद्देश्य पर केंद्रित है।
• इसका उद्देश्य पिछड़ेपन के मापदंडों के संबंध में **राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के मध्य के अंतराल** को कम करना है।
	• इसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
	• वर्ष 2008-09 में, सरकार द्वारा एक **बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Multi-sectoral Development Programme: MsDP)** नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना की परिकल्पना की गई थी।
	  ○ प्रारंभ में, MsDP योजना को देश के 90 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में शुरू किया गया था।
	  ○ लक्षित समुदायों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, वर्ष 2013-14 के दौरान इस योजना का पुनर्गठन किया गया तथा कार्यान्वयन की योजना की इकाई को अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखंडों (Minority Concentration Blocks: MCB), अल्पसंख्यक बाहुल्य कस्बों (Minority Concentration Towns: MCT) और अल्पसंख्यक बाहुल्य गांवों के समूह (Clusters of Minority Concentration Villages: COV) में परिवर्तित कर दिया गया।
	• वर्ष 2018 में, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस **योजना को पुनर्गठित किया गया तथा इस योजना का नाम बदलकर PMJVK** कर दिया गया।
	  ○ PMJVK के कार्यान्वयन के लिए एक नए क्षेत्र (MCB, MCT और COV के अतिरिक्त) **अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला मुख्यालयों (Minority Concentration District Headquarters: MCD Hq)** को शामिल किया गया है।
	  ○ PMJVK के कार्यान्वयन के लिए MCBs, MCTs, MCD Hqs और COV जैसे चिन्हित क्षेत्रों को **अल्पसंख्यक सघन/बाहुल्य क्षेत्र (Minority Concentration Areas: MCA)** के रूप में जाना जाएगा।
	• अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, इस कार्यक्रम के तहत **80 प्रतिशत संसाधनों का उपयोग वस्तुतः शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल से संबंधित परियोजनाओं के लिए** किया जाएगा, जिसमें से **33-40 प्रतिशत राशि महिलाओं या बालिकाओं के लिए संपत्ति/सुविधाओं के निर्माण हेतु** निर्धारित की जाएगी।
	• **राज्य/केंद्रीय एजेंसियों की मदद से इस कार्यक्रम को लागू** किया जाएगा।

VISION IAS

	• PMJVK के तहत वर्ष 2011 की **जनगणना के सामाजिक-आर्थिक, बुनियादी सुविधाओं और जनसंख्या डेटा का उपयोग किया गया है तथा MCBs, MCTs और MCD मुख्यालयों** की पहचान की गई है। **PMJVK के लाभार्थी** • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (C) के तहत **अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित समुदायों** को अल्पसंख्यक समुदाय माना जाएगा। • वर्तमान में **छह समुदायों** (जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन) को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

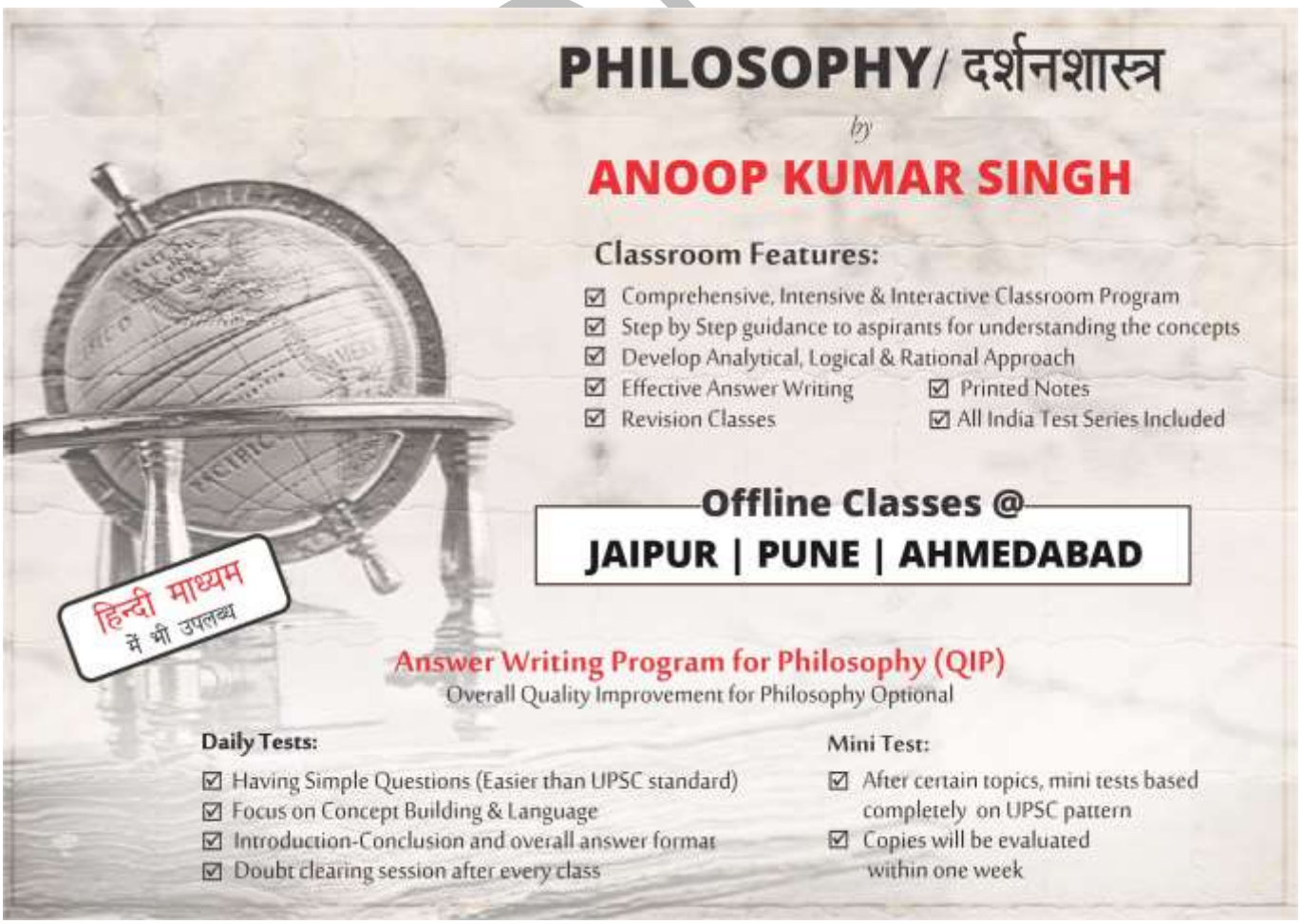

11. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News In Short)

11.1. 'सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मिडिएशन' लागू हो गया है (Singapore Convention on Mediation Comes Into Force)

- यह कन्वेंशन, जिसे **यूनाइटेड नेशंस (UN) कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंटस रिज़ल्टिंग फ्रॉम मीडीएशन** के रूप में भी जाना जाता है, सिंगापुर के नाम पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र संधि है।
- यह कन्वेंशन **मध्यस्थता से व्युत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों (international settlement agreements)** पर लागू होता है। किसी वाणिज्यिक विवाद को हल करने के लिए पक्षकार देशों द्वारा इसे संपन्न किया जाता है।
  - इसके तहत व्यवसाय पक्ष, उन देशों के न्यायालयों में प्रत्यक्षत: याचिका दायर करते हुए **सीमा पार मध्यस्थता समाधान समझौते के प्रवर्तन** की मांग कर सकते हैं, जिन्होंने उपर्युक्त संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी अभिपुष्टि की है।
  - वर्तमान में, इस **कन्वेंशन में भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 53 हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल हैं।**

- **कन्वेंशन का महत्व**
  - विवादित पक्षों द्वारा सीमा-पार विवाद समाधान समझौते का सुगमतापूर्ण प्रवर्तन व उपयोग **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने में सहयोग प्रदान करेगा।**
  - सीमा पार विवादों के निपटान हेतु मुकदमेबाजी और विवाचन (arbitration) के स्थान पर एक वैकल्पिक विवाद समाधान (Additional Dispute Resolution: ADR) विकल्प के रूप में मध्यस्थता (**mediation**) के अनुपालन से व्यवसायों को लाभ प्राप्त होगा।
  - इससे कंपनियों के **समय और कानूनी लागतों में बचत होगी।**
- **भारत के लिए लाभ:** शीघ्र मध्यस्थता समाधान के अनुपालन से व्यापार करने में सुगमता (ease of doing business) संबंधी विश्वसनीयता में वृद्धि होगी, ADR से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुपालन संबंधी भारतीय प्रतिबद्धता की ओर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में सहायता प्राप्त होगी।

11.2. विश्व निर्वाचन निकाय संघ (Association of World Election Bodies: A-WEB)

- हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India: ECI) ने A-WEB की एक वर्षीय अध्यक्षता को पूर्ण कर लिया है। ECI द्वारा **"कोविड-19 के दौरान चुनावों के संचालन के लिए मुद्दे, चुनौतियां और प्रोटोकॉल" (Issues, Challenges and Protocols for Conducting Elections during Covid-19)** विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की भी मेजबानी की गई है।
- विश्व निर्वाचन निकाय संघ (A-WEB) **विश्व में चुनाव प्रबंधन निकायों (EMBs) का सबसे बड़ा संघ है।** वर्तमान में A-WEB में सदस्य के रूप में 115 चुनाव प्रबंधन निकाय तथा सहयोगी सदस्य के रूप में 16 क्षेत्रीय संघ/ संगठन शामिल हैं।
  - विगत वर्ष भारत ने वर्ष 2019-2021 की अवधि के लिए A-WEB के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था।
  - **नई दिल्ली** में एक **भारत-विश्व निर्वाचन निकाय संघ का केंद्र (India A-WEB Centre)** स्थापित किया गया है, जिसमें A-WEB सदस्यों के अधिकारियों के मध्य सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और उनके क्षमता निर्माण के लिए प्रलेखन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।
- **कोविड-19 के दौरान सामना किए गए मुद्दे:**
  - देशों को पूर्व-निर्धारित **चुनाव कराने या स्थगित करने की दुविधा का सामना करना पड़ रहा है।**
  - लोगों के मध्य शारीरिक संपर्कों को कम करने के लिए **राजनीतिक प्रचार अभियान में परिवर्तन किया गया है।**
  - सत्तारुढ़ दल को लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों को लागू करने के लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए उसके द्वारा अपने लाभ के लिए **शक्ति का दुरुपयोग किए जाने की अधिक संभावना है।**
- **भारत में उठाए गए कदम:**
  - भारत निर्वाचन आयोग ने **प्रचार व्यय सीमा में 10% वृद्धि** का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
  - मतदाताओं के मध्य संदिग्ध/ पुष्टि किए गए कोविड- 19 मामलों के लिए **पृथक मतदान व्यवस्था की गई है।**
  - मतदान केंद्र में **1500 की बजाय अधिकतम 1000 निर्वाचक** होंगे।
  - राजनीतिक दलों/ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा **घर-घर तक अभियान** और **रोड शो** के लिए **विशिष्ट दिशा-निर्देश घोषित किए गए हैं।**

VISION IAS

11.3. ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (e-Gram Swaraj Portal)

- पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर के **पंचायती राज संस्थानों में ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाने** के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है।
- इसका उद्देश्य **विकेंद्रीकृत योजना निर्माण, कार्य-प्रगति की रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित लेखांकन** में बेहतर पारदर्शिता लाना है।
- यह पंचायत की **पूर्ण प्रोफ़ाइल**, उसके **वित्तीय विवरण**, **परिसंपत्ति के विवरण**, **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)** के माध्यम से की गई गतिविधियों के विवरण आदि के साथ पंचायत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए **एक एकल मंच** प्रदान करता है।
    - वर्ष 2020-21 के लिए **लगभग 2.43 लाख ग्राम पंचायतों** ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपनी **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को अंतिम** रूप प्रदान किया है।

11.4. भारत द्वारा स्वैच्छिक रूप से 'लोगों की समन्वित सीमा-पार आवाजाही पर G-20 सिद्धांत' प्रस्तुत किया गया (India Proposes Voluntary 'G-20 Principles on Coordinated Cross-Border Movement of People')

- इन्हें **G-20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान** कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में सीमा-पार आवाजाही पर ध्यान देने हेतु प्रस्तावित किया गया है।
- **इन सिद्धांतों के घटक निम्नलिखित 3 के मानकीकरण को शामिल करते हैं यथा:**
    - परीक्षण प्रक्रियाएं तथा परीक्षण के परिणामों की सार्वभौमिक स्वीकार्यता।
    - क्वारंटाइन प्रक्रिया।
    - आवाजाही और पारगमन प्रोटोकॉल।
- इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री ने विश्व भर की सरकारों से आह्वान किया कि उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि **विदेशी छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी** और फंसे हुए **नाविकों (seafarers)** को उनके देश तक पहुँचाने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
    - **वर्ष 2019 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या 175 लाख थी**। यह आंकड़ा भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के एक अग्रणी देश के रूप में प्रस्तुत करता है।
- **इस दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदम**
    - **वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission):** यह भारत का सबसे बड़ा **प्रत्यावर्तन अभियान (repatriation operation)** रहा है, जिसके तहत कोविड-19 लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाया गया था।
    - भारत और विदेशों में फंसे नागरिकों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए **ट्रेवल कॉरिडोर (travel bubbles)** निर्मित किए गए थे।
- G-20, **19 देशों की सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों** तथा यूरोपीय संघ का **एक अंतर्राष्ट्रीय मंच** है।
    - सामूहिक रूप से, G20 सदस्य **आर्थिक उत्पादन के लगभग 80 प्रतिशत,** वैश्विक जनसंख्या के **दो-तिहाई** और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के **तीन-चौथाई** का प्रतिनिधित्व करते हैं।

11.5. वित्त मंत्री द्वारा "डोरस्टेप बैंकिंग" सेवाओं का लोकार्पण तथा ईज़ (EASE) 2.0 सूचकांक के परिणामों को घोषित किया गया है (Finance Minister Unveils Doorstep Banking Services And Declares Ease 2.0 Index Results)

- **डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं** की परिकल्पना मुख्यतः **EASE (एन्हैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस/संवर्धित पहुंच एवं सेवा उत्कृष्टता)** सुधारों के एक भाग के रूप में की गई है। इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा बैंकिंग सेवाओं को ग्राहकों के घर पर ही उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था की गई है।
    - बैंकिंग सेवाओं को कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के संपर्क बिंदुओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
    - ग्राहक इन चैनलों के माध्यम से अपने सेवा अनुरोध (service request) को भी ट्रैक कर सकते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) हेतु **"EASE"** सुधार एजेंडे को वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य **सुगम और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत** बनाना है।
    - **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में पूंजी निवेश,** उपर्युक्त सुधारों के संदर्भ में PSBs के प्रदर्शन पर आधारित था।
- **EASE 6 विषयों पर आधारित** है (बॉक्स देखें)

- **ग्राहक के प्रति अनुक्रियाशीलता:** ग्राहक को संवर्धित पहुंच एवं उत्कृष्टता (ईज़) प्रदान करना।
- **उत्तरदायी बैंकिंग:** वित्तीय स्थिरता, परिणाम सुनिश्चित करने के लिए अभिशासन, तथा उत्तम ऋण व्यवस्था व विवेकपूर्ण परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए ईज़।
- **क्रेडिट ऑफ-टेक (ऋण बढ़ोत्तरी):** उधारकर्ता के लिए ईज़ और ऋण का अग्रसक्रिय वितरण।
- **उद्यमी मित्र के रूप में PSBs:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए बिल में छूट और वित्त पोषण में ईज़ सुविधा।
- **वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण का विस्तार करना:** घर के निकट बैंकिंग, सूक्ष्म बीमा और डिजिटलीकरण के माध्यम से ईज़।

- **परिणाम सुनिश्चित करना:** मानव संसाधन (Human Resource: HR): ब्रांड PSB के लिए कर्मियों का विकास करना।

- **EASE 2.0, को वस्तुतः EASE 1.0 के आधार पर तैयार** किया गया है। EASE 2.0 के तहत उपर्युक्त 6 विषयों के अंतर्गत समाविष्ट किए गए सुधार क्रिया बिंदुओं का उद्देश्य **सुधार प्रक्रिया को अपरिवर्तनीय बनाए रखना, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों को सुदृढ़ करना और बेहतर परिणाम प्राप्त करना है।**
- EASE सुधार सूचकांक, छह विषयों में 120 से अधिक उद्देश्य मापदंडों के आधार पर प्रत्येक **PSBs के प्रदर्शन का मापन करता** है। यह सभी PSBs को एक तुलनात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है और यह दर्शाता है कि बैंक सुधार के एजेंडे पर अन्य बैंकों के सापेक्ष कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

11.6. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता (Domestic Systemically Important Insurers: D-SIIs)

- **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)** ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC) और द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को **वर्ष 2020-21 के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता (D-SIIs)** के रूप में अभिनिर्धारित किया है।
- D-SIIs ऐसे **आकार, बाजार महत्व और घरेलू एवं वैश्विक रूप से परस्पर संबंध बीमाकर्ताओं** को संदर्भित करता है, जिनका **संकटग्रस्त या विफल होना घरेलू वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अव्यवस्था का कारण** हो सकता है। इस प्रकार उन्हें ऐसे बीमाकर्ता के रूप में माना जाता है, जिनका बहुत बड़ा या बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण विफल होना अर्थव्यवस्था के लिए अति हानिकारक हो सकता है।
    - बीमा प्रीमियम सहित कुल राजस्व के संदर्भ में आकार और प्रबंधन के अंतर्गत शामिल परिसंपत्तियों का मूल्य उन मापदंडों में से है, जिन पर बीमाकर्ता को अभिनिर्धारित किया जाता है।
- **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण D-SIIs को वार्षिक आधार** पर सूचीबद्ध करेगा।
- **D-SIIs पर लागू शर्तें:** अपने कॉर्पोरेट अभिशासन के स्तर को ऊपर उठाना, सभी प्रासंगिक जोखिमों की पहचान करना और जोखिम प्रबंधन की एक बेहतर संस्कृति को बढ़ावा देना।
    - IRDAI द्वारा इन्हें **विनियामक पर्यवेक्षण** के अधीन लाया जाएगा।
- D-SIIs के समान ही, **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (D-SIBs)** की घोषणा करता है।
    - भारतीय स्टेट बैंक (SBI), आई.सी.आई.सी.आई. (ICICI) बैंक और HDFC बैंक को D-SIBs के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

11.7. ANIC-ARISE (लघु और मध्यम उद्यमों हेतु एप्लाइड रिसर्च और इनोवेशन में अटल न्यू इंडिया चैलेंज) का शुभारंभ किया गया {ANIC-ARISE (ATAL New India Challenges in Applied Research and Innovation for Medium and Small Enterprises) Launched}

- यह **अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने तथा भारतीय स्टार्टअप एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि** करने हेतु अटल नवाचार मिशन द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है।
    - इसके अंतर्गत प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधान और/या उत्पाद के त्वरित विकास के लिए **50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता** प्रदान की जाती है।
    - इसे **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), चार मंत्रालयों** अर्थात्- रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एवं **संबंधित उद्योगों** द्वारा संचालित किया जाएगा।

11.8. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (Entrepreneurship Development Institute of India: EDII)

- **EDII एक स्वायत्त और गैर-लाभकारी संस्थान है, जिसे वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था**, यह शीर्ष वित्तीय संस्थानों अर्थात् - IDBI बैंक लिमिटेड, IFCI लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित है।
- इसका उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना, विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमियों के समूह का विस्तार करना, क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करना और उद्यमिता में प्रशिक्षण देना आदि है।
- EDII एक नोडल संस्था के रूप में गुजरात सरकार की स्टार्ट-अप नीति को क्रियान्वित करता है।
- **शिक्षा मंत्रालय द्वारा** EDII को नवाचार संस्कृति को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से **इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल** की स्थापना हेतु चयनित किया गया है।

11.9. 'सरोद-पोर्ट्स' {सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स (विवादों के किफायती समाधान हेतु समिति) - पोर्ट्स} {SAROD-Ports (Society For Affordable Redressal of Disputes-Ports)}

- सरोद-पोर्ट्स वस्तुतः समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह एवं सहायता प्रदान करेंगे, जिसके तहत प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल, गैर-प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट तथा शिपिंग क्षेत्र शामिल हैं।
- इसकी स्थापना **सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860)** के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई है:
  - न्यायपूर्ण रीति से विवादों का किफायती और समयबद्ध समाधान करना।
  - मध्यस्थों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल के साथ **विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन करना आदि।**
- यह प्राधिकरण और लाइसेंसधारी/रियायत प्राप्तकर्ता/ठेकेदार के मध्य विवादों को कवर करेगा तथा लाइसेंसधारी/रियायत प्राप्तकर्ता और उनके ठेकेदारों के मध्य होने वाले विवाद भी इसमें शामिल होंगे।

11.10. वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (Global Economic Freedom Index)

- इसे **सेंटर फॉर सिविल सोसायटी** द्वारा **कनाडा के फ्रेज़र इंस्टीट्यूट** के सहयोग से जारी किया जाता है।
- यह देशों की **नीतियों और उनके संस्थानों का विश्लेषण करके,** उन देशों में उनके नागरिकों की **आर्थिक स्वतंत्रता** या आर्थिक निर्णयन की क्षमता का मापन करता है।
  - ऐसे मापन मुख्यतः विनियमन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता, सरकार के आकार, संपत्ति के अधिकार, सरकारी व्यय और कराधान जैसे संकेतकों के पर्यवेक्षण के आधार पर किए जाते हैं।
  - इस सूचकांक में 162 देशों के मध्य **भारत का स्थान 105वां (वर्ष 2018 में 79वां) रहा** है। **सूचकांक में शीर्ष पर हांगकांग है तथा उसके पश्चात् सिंगापुर का स्थान है।**

11.11. ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स {Global Smart City Index (SCI)}

- यह सूचकांक **इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (Institute for Management Development)** द्वारा **सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन (Singapore University for Technology and Design)** के सहयोग से जारी किया गया है।
  - स्मार्ट सिटी को **"एक शहरी व्यवस्था, जो लाभों को अधिकतम करने और शहरीकरण की कमियों का निवारण करने हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती हैं"** के रूप में परिभाषित किया गया है।
- SCI, 2020 में **सिंगापुर सर्वोच्च स्थान** पर है, उसके उपरांत **हेलसिंकी** और **ज्यूरिख** क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- भारत में **हैदराबाद** को 85वां और **नई दिल्ली** को 86वां स्थान प्रदान किया गया है।

11.12. भू-निम्नीकरण को कम करने के लिए वैश्विक पहल एवं प्रवाल भित्ति कार्यक्रम का आरंभ किया गया (Global Initiative to Reduce Land Degradation and Coral Reef Program Launched)

- ये पहलें जी-20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में आरंभ की गई हैं।
- **भू-निम्नीकरण को कम करने के लिए वैश्विक पहल (Global Initiative on Reducing Land Degradation):** इसका उद्देश्य **जी-20 सदस्य राष्ट्रों में और विश्व स्तर पर भू-निम्नीकरण की रोकथाम करना** और मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना है। यह अन्य संधारणीय विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) की उपलब्धि पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखेगी।
  - भारत में लगभग **29% भूमि का निम्नीकरण** हो रहा है।
  - भारत **"संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण की रोकथाम हेतु अभिसमय" (United Nations Convention to Combat Desertification)** का हस्ताक्षरकर्ता देश है।
  - भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक **भू-निम्नीकरण तटस्थ स्थिति (land degradation neutral status)** प्राप्त करना है, जिससे भूमि के क्षरण में हो रही वृद्धि को भूमि में सुधार से प्राप्त होने वाले लाभों द्वारा कम किया जा सके।
- **ग्लोबल कोरल रीफ़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म (Global Coral Reef research and development Accelerator Platform):** इसका उद्देश्य प्रवाल भित्ति संरक्षण, पुनर्स्थापन और अनुकूलन के सभी स्तरों में **अनुसंधान, नवाचार एवं क्षमता निर्माण के संवर्धन** के लिए एक वैश्विक अनुसंधान व विकास कार्यक्रम सृजित करना है।
  - प्रवाल भित्तियाँ **सर्वाधिक जैव-विविधतापूर्ण और उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों** में से एक हैं।
  - प्रवाल भित्तियाँ **तटरेखा के लिए प्राकृतिक अवरोध** के रूप में कार्य करती हैं और आंधी-तूफान व चक्रवातों आदि से होने वाली क्षति एवं बाढ़ इत्यादि से उसकी रक्षा भी करती हैं।
  - प्रवाल भित्ति CO_2 का भी अवशोषण करती हैं।
  - भारत में, प्रवाल भित्तियाँ **कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह और मालवन (महाराष्ट्र)** में पाई जाती हैं।

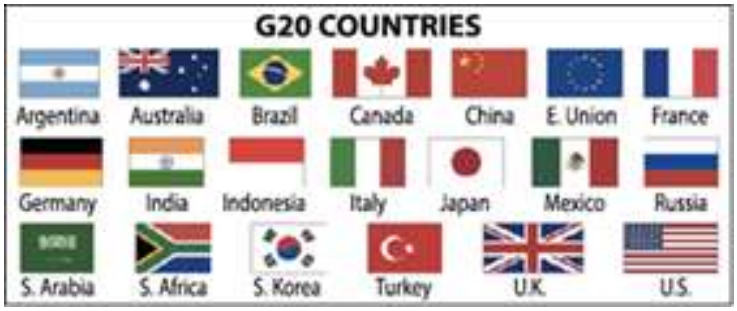

11.13. क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क (CSCAF 2.0) और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज का शुभारम्भ किया गया {Climate Smart Cities Assessment Framework (CSCAF 2.0) and Streets For People Challenge Launched}

- CSCAF, वर्ष 2019 में **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** द्वारा प्रारंभ किया गया जलवायु प्रासंगिक मापदंडों पर **अपनी तरह का प्रथम मूल्यांकन ढांचा** है।
- इसका उद्देश्य शहरों में निवेश सहित अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के दौरान उत्पन्न होने वाली **जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए शहरों को एक स्पष्ट संरचना उपलब्ध** कराना है।
    - यह शहरी नियोजन और विकास हेतु एक **जलवायु-संवेदनशील दृष्टिकोण** को अपनाने पर बल देता है।

CSCAF 2.0:

- बेहतर संकेतकों तथा शहरों और विषय-विशेषज्ञों से फीडबैक पर आधारित।
- सरल समझ हेतु सरलीकृत।
- स्वच्छ सर्वेक्षण और जीवनयापन सुगमता (ईज़ ऑफ लिविंग) के साथ सामंजस्य।
- डेटा संग्रहण में सहायता करने के लिए मानक साक्ष्य टेम्पलेट्स और डेटा इनपुट टेम्पलेट्स।
- डेटा प्रविष्टि और रियल टाइम अपडेट हेतु डैशबोर्ड युक्त केंद्रीकृत पोर्टल।

- फ्रेमवर्क के तहत **पाँच श्रेणियों में** 28 संकेतकों को शामिल किया गया है यथा: ऊर्जा और हरित भवन, शहरी नियोजन, हरित आवरण व जैव विविधता, गतिशीलता एवं वायु गुणवत्ता, जल तथा अपशिष्ट प्रबंधन।
- "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स" के तहत **शहरों के लिए जलवायु केंद्र (Climate Centre for Cities)**, CSCAF के कार्यान्वयन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का सहयोग कर रहा है।

स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज:

- यह **स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM)** की एक पहल है, जिसका उद्देश्य शहरों को त्वरित, अभिनव और कम लागत वाले उपायों के माध्यम से **पद यात्रियों के लिए अनुकूल और बेहतर गलियों का निर्माण** करना है।
- इस चैलेंज के तहत **प्रत्येक शहर को कम से कम एक "फ्लैगशिप वॉकिंग प्रोजेक्ट" का परीक्षण** करने और पड़ोस के एक क्षेत्र को निवास योग्य बनाना आवश्यक होता है।
    - पदयात्रियों की अधिक आवाजाही (फुटफ़ॉल ज़ोन) वाली गलियों को फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त स्थान माना जा सकता है।
- इस चैलेंज को समर्थन प्रदान करने के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत "**फिट इंडिया मिशन**" एवं "**इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी**" (Institute for Transportation and Development Policy) द्वारा SCM के साथ साझेदारी की जा रही है।

11.14. पैंटानल, ब्राजील (Pantanal, Brazil)

- पेंटानल **विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि (वेटलैंड) है।** यह ब्राज़ील में 1,50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है तथा साथ ही यह बोलिविया एवं पराग्वे तक भी विस्तारित है।
- यह आर्द्रभूमि जल रही है तथा इसका कारण यह है कि आर्द्र मौसम के दौरान बाढ़ के दलदली जल के नीचे दबी वनस्पतियां सूख गई हैं। तालाबों एवं झीलों का जल वाष्पित हो गया है, जिससे भौम ज्वलनशील निक्षेप ही शेष रह गए हैं।

11.15. मेडिकेन (Medicanes)

- हाल ही में, **इयानोस (Ianos)** नामक एक मेडिकेन यूनान (ग्रीस) के तट से टकराया।
- **मेडिकेन {भूमध्यसागरीय हरिकेन (MEDIterranean hurriCANES)}** वस्तुतः उष्णकटिबंधीय तूफान/चक्रवात जैसे होते हैं, जो भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं।
    - उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, हरिकेन और टाइफून के विपरीत मेडिकेन शीतल जल वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। इसलिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उष्ण आंतरिक भाग (core) की तुलना में इन तूफानों का **"कोर" अधिक शीतल** होता है।

VISION IAS

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उष्ण कोर **अधिक आर्द्रता का वहन** करते हैं, इसलिए वर्षा अधिक होती है। ये आकार में बड़े होते हैं और पवनों की गति भी तीव्र होती है। लेकिन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में **मेडिकेन कमजोर और आकार में छोटे** होते हैं।
- उष्णकटिबंधीय तूफानों के समान, मेडिकेन में एक **सममितीय संरचना (symmetric structure)** होती है और उन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

- भूमध्यसागर आम तौर पर एक **शुष्क व अधिक वाष्पीकरण वाला क्षेत्र है, जहां चक्रवाती तूफ़ान** कम आते हैं। वर्ष 2011 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, यहाँ प्रति वर्ष केवल एक या दो मेडिकेन उत्पन्न होते हैं।
- हालांकि, हाल के अध्ययनों से पता चला है कि **ग्रहीय तापन में वृद्धि** होने तथा इसके परिणामस्वरूप हो रहे **जलवायु परिवर्तन के कारण** भविष्य में मेडिकेन एक बड़ी समस्या बन सकती है।
  - भूमध्यसागर की सतह का उष्ण तापमान, तूफानों को अधिक उष्णकटिबंधीय स्वरूप और विशेषताओं को धारण करने में सक्षम बना सकता है। इससे इन तूफानों की गति में वृद्धि होगी तथा तेज पवनों और भारी वर्षा के चलते ये तूफान और अधिक विनाशकारी बन जाएंगे।
- **ला नीना का प्रभाव:** ला नीना वस्तुतः मध्य और पूर्व-मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के **असामान्य शीतलन** को संदर्भित करती है।
  - ला नीना के कारण मध्य पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, जहाँ अधिकांश भूमध्यसागरीय चक्रवात विकसित होते हैं।

11.16. राज्य आपदा राहत कोष (State Disaster Relief Fund: SDRF)

- प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि **राज्य, कोविड-19 से राहत के लिए SDRF से 50%** धन का व्यय कर सकते हैं, इससे पूर्व **यह सीमा 35% थी।**
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित **राज्य आपदा राहत कोष** का उपयोग किसी भी अधिसूचित आपदा के दौरान **पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए** होने वाले व्यय की आपूर्ति हेतु किया जा सकता है।
  - ज्ञातव्य है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने SDRF के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से **कोविड -19 को "अधिसूचित आपदा" के रूप में समाविष्ट करने का निर्णय लिया था।**

11.17. नीति आयोग द्वारा वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के निगरानी तंत्र का लाभ उठाया जाएगा {Niti Aayog To Leverage Monitoring Mechanism of Global Multidimensional Poverty Index (MPI)}

- सरकार ने **"सुधार और विकास के संचालन हेतु वैश्विक सूचकांकों (Global Indices to Drive Reforms and Growth: GIRG)"** पर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से **29 चयनित वैश्विक सूचकांकों में देश के प्रदर्शन की निगरानी करने का** निर्णय लिया है।
  - वैश्विक MPI इसका एक भाग है। नीति आयोग को MPI की एक नोडल एजेंसी के रूप में वैश्विक MPI के निगरानी तंत्र का लाभ प्राप्त करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ताकि सुधारों का संचालन किया जा सके।
  - नीति आयोग ने इस संबंध में एक **बहुआयामी निर्धनता सूचकांक समन्वय समिति (MPI Coordination Committee: MPICC)** का गठन भी किया है।
- **GIRG प्रक्रिया का उद्देश्य है**
  - **विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर** भारत के प्रदर्शन का मापन एवं निगरानी करने की आवश्यकता को पूर्ण करना।
  - आत्म-सुधार के उपकरणों के तौर पर इन सूचकांकों के उपयोग को सक्षम करना और **सरकारी योजनाओं के अंतिम-लक्ष्य तक कार्यान्वयन में सुधार करते हुए नीतियों में संशोधन करना आदि।**
- **वैश्विक MPI के बारे में**
  - यह 107 विकासशील देशों को शामिल करने वाला बहुआयामी निर्धनता का एक अंतर्राष्ट्रीय मापन है। यह **कौन निर्धन है** और **वह क्यों निर्धन हैं**, दोनों की पहचान करता है।

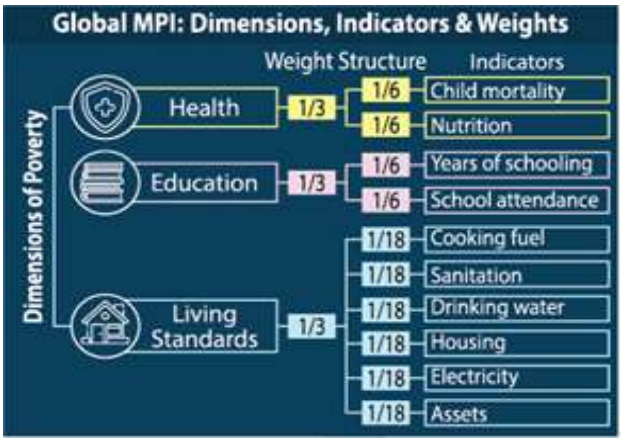

  - इसकी गणना, इसके अंतर्गत तीन समान रूप से भारित आयामों में **प्रत्येक सर्वेक्षित परिवार को 10 मानकों पर आधारित** अंक प्रदान करके की जाती है। ये तीन आयाम हैं- स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर (इंफ़ोग्राफ़िक देखें)।
    - यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey: NFHS) का उपयोग करता है।
  - वर्ष 2020 के वैश्विक MPI के अनुसार, **भारत 62वें स्थान पर है और वर्ष 2005/2006 से वर्ष 2015/ 2016 के मध्य इसकी बहुआयामी निर्धनता में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है।**

VISION IAS

11.18. यूनिसेफ द्वारा 'लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी' रिपोर्ट 2020 जारी की गई (Levels and Trends in Child Mortality Report 2020 by UNICEF)

- इस रिपोर्ट में **बाल मृत्यु दर (नवजात शिशुओं से लेकर किशोरों तक)** तथा साथ ही वर्ष 2030 तक संधाराणीय विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) को पूर्ण करने की दिशा में हुई प्रगति को इंगित किया गया है।

- **पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर (Under-five mortality rate):** यह जन्म के समय और ठीक 5 वर्ष की आयु के मध्य होने वाली बाल मृत्यु की संभावना को दर्शाती है। इसे प्रति 1,000 जीवित जन्में शिशुओं पर आकलित किया जाता है।
- **नवजात मृत्यु दर (Neonatal mortality rate):** जन्म से लेकर 28 दिनों के मध्य होने वाली नवजात शिशु की मृत्यु की संभावना को दर्शाती है। इसे प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर आकलित किया जाता है।
- **किशोर (10-19 वर्ष आयु वर्ग) मृत्यु दर {Adolescent (age 10-19) mortality rate}:** यह 10 से 19 वर्ष की आयु के मध्य होने वाली मृत्यु की संभावना को दर्शाती है, इसे 10 वर्ष की आयु वाले प्रति 1,000 बच्चों पर आकलित किया जाता है।

- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - **पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर (Under-five mortality rates: U5MR)** में वर्ष 1990 के पश्चात् से लगभग **60% की कमी** आई है। यह 93 से कम होकर वर्ष 2019 में 38 हो गई है। उप-सहारा अफ़्रीका में U5MR का स्तर सर्वाधिक है।
    - **अब तक हुई कुल U5MR मृत्युओं में लगभग एक तिहाई नाइजीरिया और भारत में हुई हैं।**
  - 1 से 59 माह के बच्चों की मृत्यु दर में **जितनी तेजी से कमी आई है, उतनी तीव्र गिरावट नवजात शिशु मृत्यु दर में नहीं हुई है।**
    - वर्ष 2019 में, पांच वर्ष से कम आयु वर्ग में हुई कुल मृत्युओं में से 47% मृत्यु नवजात काल (वर्ष 1990 में 40% थी) में हुई हैं।
  - वर्ष 1990 के पश्चात् से **किशोर मृत्यु दर में लगभग 40% की गिरावट** आई है।
  - वर्ष 2019 में **122 देश, SDG लक्ष्य** (प्रति 1,000 जीवित जन्मों में से **25 या उससे कम मृत्यु) के तहत निर्धारित U5MR** मानकों को प्राप्त करने में सफल रहे थे।
  - **वर्ष 1990-2019 के मध्य** भारत में **नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी आई है और साथ ही यह 57 से घटकर 22** हो गई है।
    - लिंग-विशिष्ट U5MR वर्ष 1990 में पुरुषों में 122 और महिलाओं में 131 रही थी। वर्ष 2019 में यह कम होकर पुरुषों में 34 और महिलाओं में 35 हो गई है।
- निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मृत्यु दर को अत्यल्प करने के लिए **जीवन रक्षक हस्तक्षेपों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है।**
- **यह रिपोर्ट यूनिसेफ़ (UNICEF) के तत्वाधान में बाल मृत्यु अनुमान हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी समूह (UN IGME) द्वारा जारी की गई है।**

11.19. पोषण माह (Poshan Maah)

- प्रति वर्ष सितंबर माह को **राष्ट्रीय पोषण माह** के रूप में मनाया जाता है।
- इस माह के दौरान **पोषण जागरूकता और पोषण अभियान** (POSHAN Abhiyaan) से संबंधित गतिविधियों को सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा ज़मीनी स्तर तक संपन्न किया जाएगा।
- **पोषन अभियान** (राष्ट्रीय पोषण मिशन) भारत का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 2018 में **बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार के लिए** प्रारंभ किया गया था।

11.20. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 जारी किए {Ministry of Social Justice and Empowerment Frames Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020}

- इन नियमों को **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 {Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019}** के तहत जारी किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य उभयलिंगी व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करके तथा उनके लिए कल्याणकारी प्रावधानों का सृजन करके उनके अधिकारों की रक्षा करना है।
  - इससे पूर्व, केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के तहत **राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद (National Council for Transgender Persons)** का गठन किया था।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate: DM)** आवेदक द्वारा दायर एक शपथ पत्र के आधार पर किसी भी **चिकित्सीय या शारीरिक जांच के बिना** किसी व्यक्ति के लिंग को प्रमाणित करेगा।

- उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए **राज्य सरकारों द्वारा कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा** तथा केंद्र द्वारा सृजित की गई योजनाओं और कल्याणकारी उपायों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सुविधा प्रदान की जाएगी।
- उभयलिंगी व्यक्तियों को शामिल करने हेतु **सभी मौजूदा शैक्षिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं, कल्याणकारी उपायों आदि की समीक्षा** के लिए प्रावधान किया गया है।
- **राज्य सरकारों को उनके दायरे के अंतर्गत आने वाले** किसी भी सरकारी या निजी संगठन अथवा निजी और सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में **उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रति भेदभाव के निषेध के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।**
- **उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील अवसंरचना** जैसे कि अस्पतालों में पृथक वार्ड और शौचालयों का निर्माण कार्य नियमों के अधिसूचित होने के दो वर्षों के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकारों को उभयलिंगी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की जाँच करने के लिए **उभयलिंगी संरक्षण प्रकोष्ठ (Transgender Protection Cell)** का गठन करना होगा।

11.21. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का शुभारंभ किया गया {Ministry For Social Justice And Empowerment (MOSJE) Launches Ambedkar Social Innovation & Incubation Mission (ASIIM)}

- **अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF-SC)** के तहत ASIIM का शुभारंभ किया गया है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों (Higher Educational Institutions: HEI) में अध्ययनरत अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के मध्य नवाचार एवं उद्यम को बढ़ावा देने के लिए इसे आरंभ किया गया है।
  - VCF-SC (MoSJE द्वारा) का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) से संबद्ध उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करके **SC और दिव्यांग युवाओं के मध्य उद्यमिता विकसित करना** और उन्हें **'नौकरी-प्रदाता' (Job-Givers)** के रूप में परिवर्तित करना है।
- ASIIM के तहत, **SC युवाओं की 1,000 पहलों की पहचान की जाएगी** तथा उन्हें इक्विटी के रूप में तीन वर्ष में 30 लाख रुपये तक प्रदान किए जाएंगे।
- **ASIIM के उद्देश्य हैं:**
  - दिव्यांगजनों को विशेष महत्व प्रदान करते हुए SC युवाओं के मध्य **उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।**
  - वर्ष 2024 तक **टेक्नोलॉजी बिज़नेस इन्क्यूबेटर्स (TBIs)** के माध्यम से, **1,000 नवीन विचारों का समर्थन करना।**
    - उच्चतर शिक्षा संस्थानों में TBIs की स्थापना **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** द्वारा की जाती है।
  - स्टार्ट-अप विचारों को मूर्त रूप देने के लिए उदार इक्विटी समर्थन प्रदान कर उन्हें **समर्थन, प्रोत्साहन और प्रारंभिक सहयोग प्रदान करना;**
  - अभिनव विचारों वाले छात्रों को **विश्वास के साथ उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।**
- **अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास हेतु अन्य पहलें:**
  - SC/ST और /या महिला उद्यमियों के वित्त-पोषण के लिए **स्टैंड-अप इंडिया योजना।**
  - अनुसूचित जातियों की आय सृजन गतिविधियों के वित्त-पोषण हेतु **नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** की स्थापना की गयी है।
  - उद्यमियों को समर्थन प्रदान करने हेतु **अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना (Credit Enhancement Guarantee Scheme for SCs)।**

11.22. किरण (Kiran)

- यह प्रारंभिक जांच, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, कष्ट (Distress) निवारण, मानसिक स्वास्थ्य आदि जैसे मुद्दों पर सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई एक **24x7 टोल-फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्सुधार हेल्पलाइन** है।
- यह हेल्पलाइन **13 भाषाओं** में सेवाएं प्रदान करेगी।
- इसे सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के तहत **दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग** द्वारा प्रारंभ किया गया है।

11.23. भारतीय डाक द्वारा फाइव स्टार गांव योजना का शुभारंभ किया गया (India Post launches Five Star Villages Scheme)

- इसका उद्देश्य **ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करना है।**
  - **इसके अंतर्गत आने वाली योजनाओं में शामिल हैं:** बचत बैंक खाते, सुकन्या समृद्धि खाते, पीपीएफ खाते, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता आदि।
- इस योजना का उद्देश्य सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में **सार्वजनिक जागरूकता और डाक उत्पादों एवं सेवाओं तक पहुंच-अंतराल को समाप्त** करना है।

- यदि कोई गाँव उपर्युक्त सूची में से चार योजनाओं के लिए सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करता है, तो उस गाँव को फोर-स्टार दर्जा प्राप्त हो जाएगा तथा यदि कोई गाँव तीन योजनाओं को पूर्ण करता है, तो उस गाँव को थ्री-स्टार दर्जा दिया जाएगा।

11.24. डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज-4 (Defence India Startup Challenge-4: DISC 4)

- DISC-4 का उद्देश्य **रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचारों (Innovations for Defence Excellence: iDEX)** के पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करना है।
  - iDEX पहल को वर्ष 2018 में **देश में नवाचारों को प्रोत्साहित और पोषित करने तथा एक प्रभावी रक्षा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य** से प्रारंभ किया गया था।
- DISC-4 के तहत, **सशस्त्र बलों की ग्यारह चुनौतियों को संभावित स्टार्टअप, अन्वेषकों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए खुला रखा गया है,** ताकि वे इस क्षेत्र के लिए अभिनव विचार प्रदान कर सकें।

11.25. अभ्यास (ABHYAS) का सफल उड़ान परीक्षण (Successful Flight Test of ABHYAS)

- अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT) है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के अंतर्गत **वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE) द्वारा** अभिकल्पित एवं विकसित किया गया है।
- यह एक मानव रहित विमान है, जो **माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स (MEMS) नेविगेशन प्रणाली** पर आधारित है।
- यह अपने नेविगेशन (मार्गदर्शन) के लिए **स्वदेशी रूप से विकसित MEMS-आधारित नेविगेशन प्रणाली** का उपयोग करता है।

11.26. स्पेशल फ्रंटियर फ़ोर्स (Special Frontier Force: SFF)

- कुछ रिपोर्टों के अनुसार, **विकास बटालियन** के रूप में संदर्भित SFF की, लद्दाख में चीन से संलग्न **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर स्थित कुछ प्रमुख ऊंचाई वाले स्थलों को भारत के नियंत्रणाधीन** करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
- SFF को वर्ष **1962 में हुए भारत-चीन युद्ध के तत्काल बाद** गठित किया गया था। यह एक गुप्त सैन्य दल है, जिसमें तिब्बतियों (अब इसमें **तिब्बतियों और गोरखाओं का मिश्रण** है) को भर्ती किया गया था।
  - यह **मंत्रिमंडलीय सचिवालय** के अंतर्गत आती है।
  - यह इस्टैब्लिशमेंट 22 **(Establishment 22)** के नाम से भी जानी जाती है।
- SFF यूनिट्स **सेना का हिस्सा नहीं होती** हैं, परन्तु ये **सेना के परिचालन नियंत्रण में कार्य** करती हैं।

11.27. इंद्र नेवी (Indra Navy)

- यह **भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना** के मध्य आयोजित एक **द्विवार्षिक संयुक्त नौसैन्य अभ्यास** है। इसे बंगाल की खाड़ी में 04 से 05 सितंबर 2020 के मध्य आयोजित किया जाना है।
- इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के मध्य **अन्तरसंक्रियता (interoperability)** में वृद्धि करना, पारस्परिक समझ में सुधार करना तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के अंतर्ग्रहण को सुनिश्चित करना है।
- इसके तहत **सतह और विमान-रोधी मारक क्षमता का अभ्यास, गोलीबारी का अभ्यास, हेलीकॉप्टर संचालन, जहाज़ों पर तैनात कर्मियों के लिए कार्य-संचालन कौशलों का सृजन करना (seamanship evolutions)** आदि को सम्मिलित किया गया है।

11.28. पासेक्स सैन्य अभ्यास (Passage Exercise: PASSEX)

- **भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में पासेक्स सैन्य अभ्यास** का आयोजन किया।
  - पासेक्स अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा नियमित रूप से मैत्रीपूर्ण विदेशी नौसेना की इकाइयों के साथ आयोजित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य **अंतरसंक्रियता (interoperability) में वृद्धि करना, समझ में सुधार करना और एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना** है।
- यह IOR में चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों की पृष्ठभूमि में अधिक महत्त्वपूर्ण है।
- **ऑस्ट्रेलिया के साथ अन्य सैन्य अभ्यास:** ऑस्ट्रा हिंद (AUSTRA HIND), ऑसिंडेक्स (AUSINDEX), पिच ब्लैक (PITCH BLACK) आदि।

11.29. जिमेक्स-20 (JIMEX-20)

- यह एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्म-रक्षा बल **(Japanese Maritime Self-Defense Force)** के मध्य द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। यह उत्तरी अरब सागर में 26 से 28 सितंबर 2020 के मध्य आयोजित किया गया।

- जिमेक्स को समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के लिए **वर्ष 2012 में** आरंभ किया गया था।

- **जिमेक्स-20** के अंतर्गत समुद्री अभियानों के क्षेत्र में उन्नत अभ्यासों के संचालन के माध्यम से **अंतरसंक्रियता (interoperability) और संयुक्त परिचालन कौशल के उच्च स्तर को प्रदर्शित किया जाएगा।**
- **भारत और जापान के मध्य अन्य सैन्य अभ्यास: धर्मा गार्जियन** (DHARMA GUARDIAN) आदि हैं।

11.30. हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप (Himalayan Chandra Telescope: HCT)

- हाल ही में, **हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप** के परिचालन के 20 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।
- यह ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलीस्कोप है जिसका उद्देश्य सौर प्रणाली के पिंडों और बाह्य आकाशगंगाओं में **तारों के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन** करना है।
- इसे **भारतीय खगोलीय वेधशाला (IAO), लद्दाख** में स्थापित किया गया है।
- इसे **भारतीय ताराभौतिकी संस्थान** (Indian Institute of Astrophysics: IIA) के **अंतर्गत सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CREST)** से एक **समर्पित उपग्रह संचार लिंक** का उपयोग करके संचालित किया जा रहा है।
- **इसका नाम भारत में जन्मे नोबल पुरस्कार विजेता सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर** के नाम पर रखा गया है।
  - सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर **खगोल विज्ञान के अध्ययन के साथ भौतिकी के अध्ययन को संलग्न करने वाले** आरंभिक वैज्ञानिकों में से एक थे।
  - उन्होंने सिद्ध किया कि **व्हाइट ड्वार्फ** के द्रव्यमान की एक ऊपरी सीमा होती है। इस सीमा को **चंद्र सीमा** के रूप में जाना जाता है। इसके तहत यह निर्दिष्ट किया गया है कि सूर्य के आकार की तुलना में **बड़े तारे, जब समाप्त होते हैं तो उनमें विस्फोट होता है या वे ब्लैक होल का निर्माण** करते हैं।
  - वर्ष 1983 में उन्हें **तारों की संरचना और विकास में शामिल भौतिक प्रक्रियाओं पर उनके कार्य के लिए** भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- **महत्व:**
  - **तारकीय विस्फोट, धूमकेतु और बहिर्ग्रहों की निगरानी** के लिए कई समन्वित **अंतर्राष्ट्रीय अभियानों** में इस टेलीस्कोप का उपयोग किया गया है।
  - हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के **निर्माण, रखरखाव और प्रभावी वैज्ञानिक उपयोग** ने अवलोकन-संबंधी खगोल विज्ञान समुदाय के अनुभव को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, इससे **अगली-पीढ़ी के टेलीस्कोप के निर्माण के प्रति** विश्वास सृजित हुआ है।

11.31. भारत का द्वितीय रॉकेट प्रक्षेपण स्थल (India's Second Rocket Launch Pad)

- **तमिलनाडु** के **थुथुकुडी** (जिसे पहले **तूतीकोरिन** के नाम से जाना जाता था) जिले में भारत के द्वितीय रॉकेट प्रक्षेपण स्थल का निर्माण किया जा रहा है।
- इस परियोजना के अंतर्गत विशेष रूप से **लघु उपग्रह प्रमोचन वाहनों (Small Satellite Launch Vehicles: SSLV)** के लिए एक प्रक्षेपण स्थल/लॉन्च पैड का निर्माण किया जाएगा।
- भारत में वर्तमान में **आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में एक रॉकेट पोर्ट को निर्मित किया गया है, जिसमें दो प्रक्षेपण स्थल/लॉन्च पैड** स्थित हैं।
- **थूथुकुडी के चयन के पीछे कारण:**
  - **भू-सामरिक अवस्थिति (Geostrategic Location):** ध्रुवीय मिशनों में, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित **ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन (Polar Satellite Launch Vehicle: PSLV)** को रॉकेट के मलबे से श्रीलंका की सुरक्षा हेतु इसके ऊपर से उड़ान भरने से बचने के लिए, एक **डॉगलैग कौशल (सीधी उड़ान के रास्ते से रॉकेट का विचलन)** का प्रयोग करना पड़ता है।
    - थूथुकुडी से प्रक्षेपित रॉकेटों को इस कौशल की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि दक्षिण दिशा में उड़ान मार्ग के साथ कोई बड़ा भू क्षेत्र मौजूद नहीं है। इससे रॉकेट के ईंधन की बचत के साथ-साथ उसकी पेलोड क्षमता में भी सुधार होगा।
  - **महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निकट (Proximity to critical infrastructure):** थूथुकुडी, तिरुनेलवेली में स्थित **इसरो (ISRO) के तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (Liquid Propulsion Systems Centre: LPSC)** से लगभग 70-100 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इससे श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड की तुलना में **परिवहन के समय और लागत** में बचत होगी।
  - **भूमध्य रेखा के निकट:** भारत निम्नलिखित दो कारणों से अपने प्रक्षेपण स्थलों को भूमध्य रेखा के निकट और पूर्वी तट पर स्थापित करने हेतु तरजीह देता है:
    - प्रक्षेपित रॉकेट की गति में **पृथ्वी के घूर्णन से त्वरण (बूस्ट) प्राप्त** होता है तथा बूस्ट की तीव्रता भूमध्य रेखा के निकट जाने के साथ बढ़ती है।
    - विफलता की स्थिति में, किसी विस्फोट से उत्पन्न मलबा भूमि की बजाय बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा, इससे **संपत्ति और जीवन** को पहुंचने वाले संभावित क्षति को रोका जा सकता है।

11.32. सूर्य में एक नया सौर चक्र आरम्भ हुआ है (Sun Has Begun A New Solar Cycle)

- नासा (NASA) और नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन (National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA) **ने नए सौर चक्र के बारे में अपनी भविष्यवाणियों की घोषणा की है**, जिसे **सौर चक्र-25 (Solar Cycle-25)** नाम दिया गया है। यह दिसंबर 2019 में प्रारंभ हुआ था।
- सूर्य वैद्युत-आवेशित गर्म गैस के एक विशाल पिंड की भांति है। इस आवेशित गैस की गति से एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सूर्य का **चुंबकीय क्षेत्र एक चक्र से गुजरता है, जिसे सौर चक्र कहा जाता है।**
  - **प्रत्येक 11 वर्ष उपरांत, सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पूर्णतया उलट जाता है।** इसका अर्थ है कि सूर्य के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का परस्पर स्थान परिवर्तित हो जाता है।
- **वैज्ञानिक सौर-कलंकों (sunspots) का उपयोग करके एक सौर चक्र को ट्रैक करते हैं।** सौर-कलंक सूर्य पर ऐसे क्षेत्र हैं, जो सूर्य की सतह पर काले धब्बे की भांति दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि ये आसपास के हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत अल्प गर्म होते हैं।
  - सौर चक्र की शुरुआत तब होती है, जब एक सौर न्यूनतम (**solar minimum**) स्थिति होती है अर्थात सूर्य में सबसे कम सौर-कलंक होते हैं। समय के साथ-साथ सौर गतिविधियों और सौर-कलंकों की संख्या बढ़ जाती है।
- एक सौर चक्र के दौरान, सूर्य पर विशाल विस्फोटों वाली **गतिविधियों जैसे कि सौर ज्वाला और कोरोना मास इजेक्शन (coronal mass ejections) में वृद्धि हो जाती है।**
  - **कोरोना मास इजेक्शन-** कोरोना की सतह से प्लाज़्मा और सौर चुंबकीय क्षेत्र का निर्गमन होता है।
  - इन सौर विस्फोटों का **रेडियो संचार, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) कनेक्टिविटी, पावर ग्रिड्स और सैटेलाइट्स** पर व्यापक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है।

11.33. वैज्ञानिक तथा उपयोगी गहन अनुसंधान उन्नति (सुप्रा) योजना {Scientific and Useful Profound Research Advancement (SUPRA) Scheme}

- यह योजना **मौलिक वैज्ञानिक समझ पर दीर्घकालिक प्रभाव** के साथ, नई वैज्ञानिक सफलताओं का अन्वेषण करने का प्रयास करती है तथा अत्याधुनिक तकनीकों (disruptive technologies) को प्रस्तुत करती है।
- **योजना के महत्वपूर्ण मापन हैं:** उन्नतियों का परिमाण, वर्धित वैज्ञानिक ज्ञान में अनुसंधान का सामर्थ्य, वैश्विक प्रभाव, उत्कृष्ट प्रकाशन आदि।
- इसे **विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (Science and Engineering Research Board: SERB)** ने अभिकल्पित किया है।
  - SERB विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह **विज्ञान और अभियांत्रिकी में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने** तथा इस प्रकार के **अनुसंधान में संलग्न व्यक्तियों को वित्तीय सहायता** प्रदान करने के लिए अधिदेशित है।
- सामान्य रूप से **तीन वर्ष की अवधि** के लिए वित्त-पोषण प्रदान किया जाएगा, जिसे **2 वर्ष (कुल 5 वर्ष) तक** विस्तारित किया जा सकता है।

11.34. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ़) कोविड-वैक्सीन की वैश्विक खरीद और आपूर्ति का नेतृत्व करेगा {United Nations Children's Fund (UNICEF) To Lead Global Procurement, Supply of Covid Vaccines}

- निम्न और निम्न मध्यम आय वाले 92 देशों के लिए **कोविड-वैक्सीन की वैश्विक खरीद और आपूर्ति प्रयास का नेतृत्व** "**कोवैक्स फैसिलिटी" (COVAX Facility)** की ओर से अब **यूनिसेफ़** द्वारा किया जाएगा। यह **80 उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं** को समर्थन प्रदान करने के लिए एक **खरीद समन्वयक** (procurement coordinator) के रूप में भी कार्य करेगा।
  - **कोवैक्स** एक वैश्विक पहल है, जो उच्च-आय और निम्न-आय वाले **दोनों प्रकार के देशों में** कोविड-19 वैक्सीन की **विश्वव्यापी उपलब्धता को** सुनिश्चित करेगी।
- यूनिसेफ़ **विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन ख़रीदार** है। यह नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करने और रोगों के प्रकोप से निपटने के लिए लगभग 100 देशों की ओर से प्रतिवर्ष वैक्सीन की 2 बिलियन से अधिक खुराक (डोज़) का क्रय करता है।

11.35. घर तक फाइबर योजना (Ghar tak Fiber Scheme)

- हाल ही में, प्रधान मंत्री द्वारा **'घर तक फाइबर'** योजना का उद्घाटन किया गया।
- घर तक फाइबर योजना के तहत **ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा** के माध्यम से **बिहार के सभी 45,945 गांवों** को कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

- यह परियोजना बिहार में **ई-शिक्षा, ई-कृषि, टेली-चिकत्सा, टेली-लॉ (Tele-law) और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित डिजिटल सेवाओं** को बढ़ावा देगी तथा राज्य के सभी मूल निवासियों की इन तक आसान पहुंच को सुनिश्चित करेगी।
- इसके तहत **प्राथमिक विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आशा कार्यकर्ताओं और जीविका दीदी सहित सरकारी संस्थानों** में 1 वाई-फाई और 5 नि:शुल्क कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
- यह परियोजना **दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications)** द्वारा प्रारंभ की गई है तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics & IT) के एक विशेष प्रयोजन वाहन, **सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (CSC e-Governance Services Ltd)** द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

11.36. शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार {Shanti Swarup Bhatnagar (SSB) Prize}

- यह प्रत्येक वर्ष **विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए** प्रदान किया जाता है।
- **इसमें शामिल किए गए विषय हैं-** जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान।
- **पात्रता: 45 वर्ष तक की आयु का भारत का कोई भी नागरिक।** भारत के प्रवासी नागरिक और भारत में कार्यरत भारतीय मूल के व्यक्ति भी इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं।
- इस पुरस्कार का नाम **वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक निदेशक शांति स्वरूप भटनागर** के नाम पर रखा गया है।

11.37. साथी पहल (Saathi Initiative)

- **सिस्टम फॉर असेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री (SAATHI)** नामक एक पहल के माध्यम से **आतिथ्य उद्योग (Hospitality Industry)** को सहायता प्रदान करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India: QCI) के साथ एक साझेदारी शुरू की है।
- **इसके उद्देश्य हैं:**
  - सरकार द्वारा बनाए गए कोविड-19 से संबंधित नियमों के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाना।
  - कर्मचारियों और मेहमानों के मध्य यह विश्वास सृजित करना कि आतिथ्य क्षेत्र **कार्यस्थल पर सुरक्षा तथा स्वच्छता सुनिश्चित करने** की दिशा में प्रतिबद्ध है।
- **इस पहल के 3 चरण है:**
  - होटलों द्वारा स्व-प्रमाणन।
  - जारी दिशा-निर्देशों पर क्षमता निर्माण करने हेतु वेबिनार।
  - QCI द्वारा प्रत्यानन प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से स्थल-मूल्यांकन (वैकल्पिक)।
- **संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (United Nations World Tourism Organisation: UNWTO)** ने वर्ष 2020 को पर्यटन और ग्रामीण विकास के वर्ष के रूप में नामित किया है।

11.38. श्री विश्वनाथ सत्यनारायण की 125वीं जयंती मनाई गई (125th birth anniversary of Sri Viswanatha Satyanarayana)

- वह एक **तेलुगू लेखक** थे, जिनकी रचनाओं में कविता, उपन्यास, नाटक, लघु कथाएँ और वाणियां शामिल हैं।
- वर्ष 1971 में उन्हें उनकी पुस्तक **"रामायण कल्पवृक्षम" के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था। ये **ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम तेलुगू लेखक** थे।
  - ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ (एक साहित्यिक और अनुसंधान संगठन) द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।
- पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी.नरसिम्हा राव द्वारा **सहस्रफन** नाम से उनके तेलुगू उपन्यास **'वेई पदागालू'** का हिंदी में अनुवाद किया गया था।
- उनकी **कुछ कविताओं और उपन्यासों का अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, मलयालम, उर्दू और संस्कृत भाषाओं में अनुवाद किया गया है।**

11.39. दुर्लभ रेनाटी चोल अभिलेख की प्राप्ति (Rare Renatichol Inscription Unearthed)

- इस अभिलेख की प्राप्ति **आंध्र प्रदेश के कड़पा (Kadapa) जिले** में हुए अन्वेषण के दौरान हुई है। यह पुरातन तेलुगू भाषा में लिखा गया है।
  - इस अभिलेख पर एक ब्राह्मण को उपहारस्वरुप प्रदान की गई **छह मार्टटस (भूमि मापन की इकाई) भूमि के साक्ष्य को उत्तकीर्णित किया गया है।**

- इसे 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास प्रदान किया गया था, उस दौरान इस क्षेत्र पर **रेनाडू के चोल महाराजा का शासन था।**
    - रेनाडू के तेलुगू चोल (जिन्हें रेनाटी चोल भी कहा जाता है) द्वारा रेनाडू क्षेत्र पर शासन किया गया था, जो **वर्तमान में कड़पा जिले** में स्थित है।
- वे मूल रूप से स्वतंत्र थे, कालांतर में उन्होंने पूर्वी चालुक्यों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था।

11.40. डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट-2020 (Destination North East-2020)

- यह **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय** द्वारा आयोजित **एक वार्षिक उत्सव** है।
- इसका उद्देश्य **राष्ट्रीय-एकीकरण को सुदृढ़ करने** के लिए **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का देश के अन्य हिस्सों के साथ संपर्क स्थापित करना तथा उन्हें एक-दूसरे के निकट** लाना है।
- इस वर्ष के लिए, इसका विषय (थीम) **"द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस"** है।

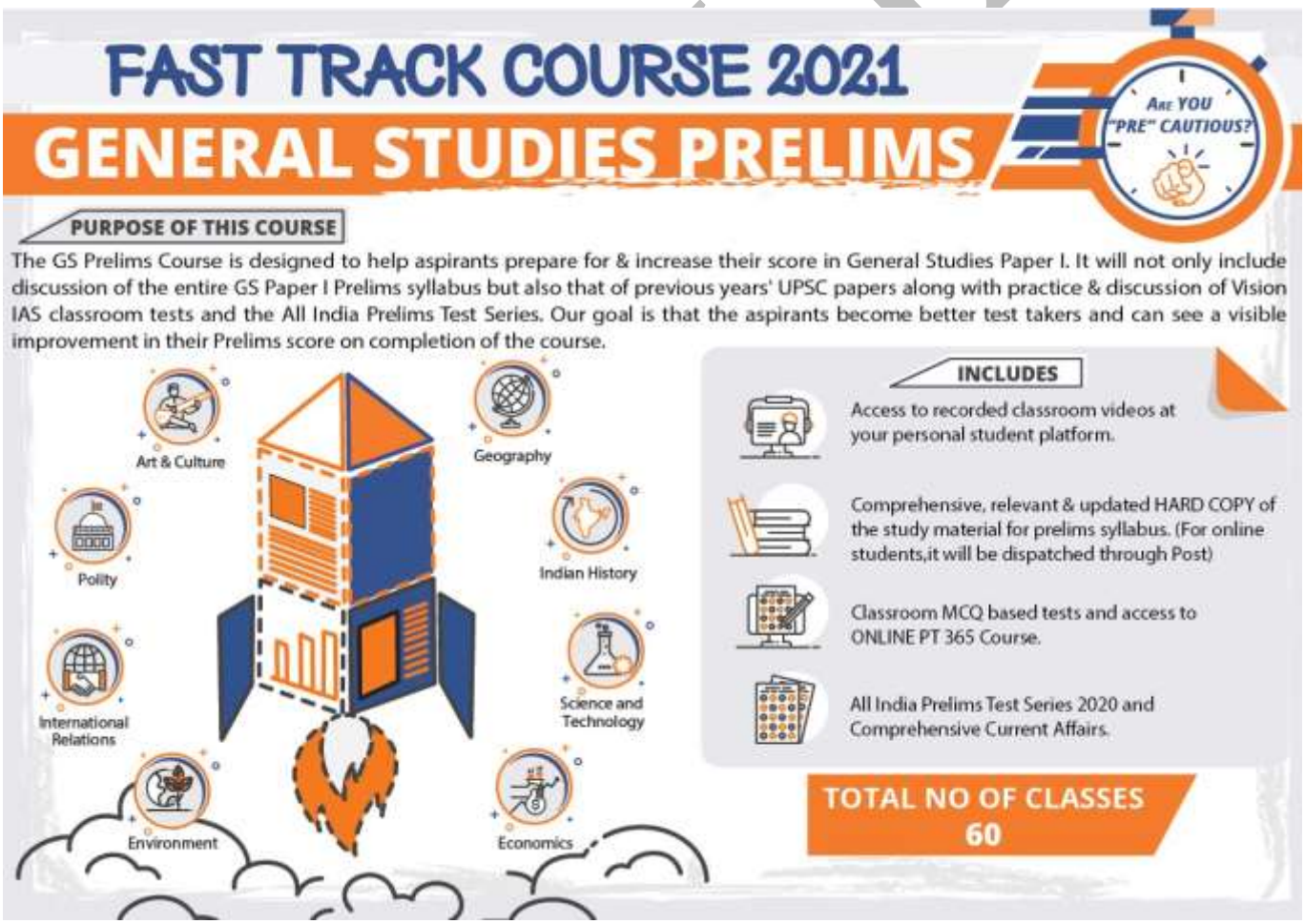

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS